UPAD010009372009

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एम.पी./एम.एल.ए), इलाहाबाद।

उपस्थित–डा0 दिनेश चन्द्र शुक्ला .....एच0जे0एस0

1. **<u>सत्र परीक्षण संख्या–1336/2009</u>**

(CNRUPAD01-000937 -2009)

उ0प्र0राज्य **बनाम** **1.** अतीक अहमद पुत्र हाजी फिरोज अहमद निवासी 95सी चकिया थाना खुल्दाबाद,इलाहाबाद
2. दिनेश पासी पुत्र स्व0 मूलचन्द्र निवासी 36 मायागंज, थाना–धूमनगंज,इलाहाबाद
3. अंसार पुत्र सिराजुल हक **(दौरान वाद मृतक)**
4. खान शौलत हनीफ पुत्र हनीफ खां नि0226ए प्रीतमनगर थान–धूमनगंज,इलाहाबाद।
5. जावेद पुत्र बचऊ निवासी मरियाडीह थाना–धूमनगंज, इलाहाबाद।
6. फरहान पुत्र अनीस पहलवान निवासी मरियाडीह थाना–धूमनगंज, इलाहाबाद।
7. आबिद पुत्र बच्चा मुंशी निवासी मरियाडीह थाना–धूमनगंज, इलाहाबाद।
8. एजाज अख्तर पुत्र कुद्दूस निवासी हटवा पूरामुफ्ती, कौशाम्बी,हाल पता ग्राम उमरी थाना–धूमनगंज इलाहाबाद।
9. इसरार पुत्र हफीजुद्दीन निवासी ग्राम नींवा थाना धूमनगंज, इलाहाबाद।

<u>अपराध संख्या–270/2007</u>

अन्तर्गत धारा–147,148, 323/149, 341,342,364क,504, 506,120बी,भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम

पुलिस थाना–धूमनगंज, जनपद–प्रयागराज।

एवं

UPAD010055022009

2. **<u>सत्र परीक्षण संख्या–1336ए/2009</u>**

(UPAD01-005502-2009)

उ0प्र0 राज्य बनाम आसिफ उर्फ मल्ली पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी–न्यू मार्केट बम्हरौली, थाना–धूमनगंज,इलाहाबाद

<u>अपराध संख्या–270/2007</u>

अन्तर्गत धारा–147,148, 323/149, 341,342,364क,504, 506,120बी,भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम

पुलिस थाना–धूमनगंज, जनपद–प्रयागराज।

Digitally signed by DINESH CHANDRA SHUKLA
Date: 2023.03.28 15:14:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPAD010076062011

3. <u>सत्र परीक्षण संख्या–1156 / 2011</u>

(UPAD01-007606-2011)

उ0प्र0 राज्य **बनाम** खालिद अजीम उर्फ अशरफ
पुत्र हाजी फिरोज अहमद निवासी
निवासी–95सी चकिया खुल्दाबाद,इलाहाबाद

<u>अपराध संख्या–270 / 2007</u>

अन्तर्गत धारा–147,148, 323 / 149, 341,342,364क,504,
506,120बी,भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि
संशोधन अधिनियम
पुलिस थाना–धूमनगंज, जनपद–प्रयागराज।

एवं

UPAD010049402009

4. <u>सत्र परीक्षण संख्या–1335 / 2009</u>

(UPAD01-004940-2009)

उ0प्र0 राज्य **बनाम** फरहान स्व0 अनीस पहलवान
निवासी–मरियाडीह थाना–धूमनगंज,इलाहाबाद

<u>अपराध संख्या–342 / 2007</u>

धारा–25 आयुध अधिनियम थाना–धूमनगंज,इलाहाबाद

एवं

UPAD010076052011

5. <u>सत्र परीक्षण संख्या–1157 / 2011</u>

(UPAD01-007605-2011)

उ0प्र0 राज्य **बनाम** खालिद अजीम उर्फ अशरफ
पुत्र हाजी फिरोज अहमद निवासी–95सी
चकिया थाना–खुल्दाबाद, इलाहाबाद।

<u>अपराध संख्या–217 / 2011</u>

धारा–30 आर्म्स एक्ट, थाना–धूमनगंज,इलाहाबाद

<u>निर्णय</u>

पुलिस थाना–धूमनगंज, जिला इलाहाबाद द्वारा प्रकरण में कुल 11

अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–270/2007 धारा–147, 148, 149, 323, 341, 342, 364, 504, 506, 120बी, भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में आरोप–पत्र एवं धारा–25 व 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप–पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया। तदुपरान्त पत्रावलियां सेशन सुपुर्द की गयी तथा पत्रावलियां माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अन्तरण द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा आरोप पर उनमोचन के लिए पत्रावली नियत होती रही, जिस पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2012 से अभियुक्तगण का उनमोचन प्रार्थनापत्र निरस्त कर **सत्र परीक्षण संख्या–1336/2009** उ0प्र0 राज्य प्रति अतीक अहमद आदि के अभियुक्तगण **अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान शौलत, जावेद, फरहान, आबिद, इसरार** एवं **एजाज अख्तर** के विरूद्ध आरोप दिनांक 28.07.2012 को अन्तर्गत धारा–147, 148, 323/149, 341, 342, 364क, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम सृजित किया गया तथा **सत्र परीक्षण संख्या–1336ए/2009** राज्य प्रति आसिफ उर्फ मल्ली की पत्रावली के अभियुक्त आसिफ उर्फ मल्ली के विरूद्ध दिनांक 03.10.2012 को अन्तर्गत धारा–147, 148, 323/149, 452, 341, 342, 364क, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम तथा **सत्र परीक्षण संख्या–1156/2011** उ0प्र0 राज्य बनाम खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्रावली के अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 03.10.2012 को अन्तर्गत धारा–147, 148, 323/149, 452, 341, 342, 364क, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम तथा **सत्र परीक्षण संख्या–1335/2009** राज्य प्रति फरहान अपराध सं0–342/2007 में अन्तर्गत धारा–25 आर्म्स एक्ट के तहत व **सत्र परीक्षण संख्या–1157/2011** उ0प्र0 राज्य बनाम खालिद अजीम उर्फ अशरफ के विरूद्ध दिनांक 28.07.2012 को अपराध संख्या–217/2011 में अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ के विरूद्ध धारा–30 आर्म्स एक्त के तहत न्यायालय द्वारा आरोप सृजित किया गया। अभियुक्तगण ने सृजित आरोपों से इंकार किया गया एवं परीक्षण किये जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रथम सूचनादाता/शिकायतकर्ता श्री उमेश पाल द्वारा मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित करते हुए टाइपशुदा **तहरीर प्रदर्श क–1** दिनांक 03.07.2007 को प्रेषित किया गया, जिस पर एस0 पी0 सिटी, इलाहाबाद द्वारा थानाध्यक्ष, धूमनगंज, इलाहाबाद को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया। इस पर एस0ओ0 धूमनगंज, इलाहाबाद द्वारा हेड मोहर्रिर को अभियोग दर्ज करने हेतु दिनांक 05.07.

2007 को पृष्ठांकन किया गया। उक्त तहरीर में यह उल्लिखित किया गया कि प्रार्थी बसपा का सक्रिय कार्यकर्ता तथा जिला पंचायत सदस्य है। दिनांक 25.01. 2005 को शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल की हत्या अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ व अन्य लोगों द्वारा कर दी गयी थी, जिसका प्रार्थी चश्मदीद गवाह है। हत्या के बाद प्रार्थी को अतीक अहमद व उनके भाई अशरफ द्वारा जानमाल की धमकियां दी जाने लगी तथा मुझे पूरे परिवार सहित जान से मार डालने की धमकी दी जाने लगी। उसने अपने मोबाइल नम्बर 09868180578 से मेरे फोन पर कई बार जान से मारने की धमकी दी। धमकी में न आने पर उसने दिनांक 28.02.2006 को समय करीब 2:00 बजे जब मैं अपनी मोटरसाईकिल से शहर की ओर आ रहा था, तो सुलेमसरांय फांसी इमली के पास अतीक अहमद की लैण्डकूजर गाड़ी नं0–डी.एल.1सीजी/8418 ने मेरा रास्ता रोक लिया, दूसरी गाड़ी नम्बर के0ए0–95–जेड/1118 चैलेन्जर पीछे से घेर ली। उसी गाड़ी से दिनेश पासी, अंसार बाबा और एक आदमी, जिसे देखकर मैं पहचान सकता हूँ, उतरे और मेरे पिस्तौल सटाकर गाड़ी के अन्दर पटक दिया। गाड़ी के अन्दर इन लोगों के अलावा सांसद अतीक अहमद व तीन लोग और रायफल लेकर बैठे थे, जिन्हें मैं देखकर पहचान सकता हूँ। नाम पता नहीं जानता। ये लोग मुझे मारते–पीटते अपने चकिया कार्यालय ले गये तथा एक आदमी मेरी मोटरसाईकिल लेकर पीछे–पीछे आया। मुझे कमरे में बंद कर गाली–गलौज, मार–पीट व करेंट के झटके लगाये तथा राजूपाल हत्या काण्ड में बयान न बदलने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गयी। अतीक अहमद ने अपने वकील खान शौलत हनीफ से एक पर्चा लेकर मुझे दिया और कहा कि इसे पढ़कर रट लो, कल अदालत में यही बयान देना, नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूँगा। सांसद ने अपने आदमी भेजकर मेरे घर वालों को उसी रात धमकाया कि तुम लोग थाना पुलिस, टेलीफोन–तार न करना नही तो उमेश की हत्या कर दी जायेगी। मुझे रात भर कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया। सुबह करीब 10:00 बजे अतीक अहमद व उसके साथी मुझे गाड़ी में बैठाकर अदालत ले गये और कहे कि रात में जो पर्चा में लिखा था, वही बयान देना नही तो लौटकर घर नहीं जाओगे। मैने इनके आतंक तथा अपने परिवार की सलामती के लिए अदालत में वही कहा, जो इन लोगों ने कहने को कहा। मैने इसके पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में अपनी सुरक्षा के लिए रिट की। सुरक्षा समिति ने भी मेरी जान को खतरा बताया, किन्तु मुझे सौ प्रतिशत भुगतान पर गार्ड देने की बात कही, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पैसा भुगतान कर सकता। मेरी बेबसी का सांसद अतीक अहमद द्वारा _ फायदा उठाया गया और मुझे अदालत में झूंठा बयान देने के लिए मजबूर किया। मुझे यह भी पता चला कि इसने और लोगों से भी अदालत में झूंठे बयान करवाये हैं। प्रार्थना है कि मेरे साथ हुई घटना की

रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में दिये गये बयान को असत्य समझा जाय तथा मेरी और मेरे परिवार की जानमाल की हिफाजत की जाय। अति कृपा होगी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विवेचना थानाध्यक्ष, धूमनगंज श्री के0के0 मिश्रा को सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना किये जाने के बाद अभियुक्तगण **दिनेश पासी, अंसार, खान शौलत हनीफ, जावेद, फरहान, आबिद, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली,** एवं **एजाज अख्तर** के विरूद्ध तथा अभियुक्तगण **अतीक अहमद** एवं **अशरफ उर्फ खालिद अजीम** के विरूद्ध मफरूरी में आरोप–पत्र दाखिल किया गया।

दौरान विचारण अभियुक्त **अंसार** की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–1336/2009 को अग्रणी केस मानकर इसी में अभियोजन साक्षियों एवं बचाव पक्ष के साक्षियों का बयानात् अंकित किया गया।

उक्त विरचित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जो निम्न है–

<u>अभियोजन की ओर से साक्ष्य–</u>

अभिलेखीय साक्ष्य–

1. टाइपशुदा तहरीर.....प्रदर्श क–1

2. नक्शा नजरी(अ0सं0–270/07) .....प्रदर्श क–2

3. आरोप–पत्र .....प्रदर्श क–3

4. फर्द बरामदगी (सत्र परी0सं0–1335/09).....प्रदर्श क–4

5. चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (अ0सं0–270/07).....प्रदर्श क–5

6. जी0डी0विनष्टीकरण रिपोर्ट(अ0सं0–270/07).....प्रदर्श क–6

7. जी0डी0 कायमी (अ0सं0–270/07). .....प्रदर्श क–7

8. फरहान गिरफ्तारी प्रपत्र (सत्र परी0सं0–1335/09) .....प्रदर्श क–8

9. तहरीर (सत्र परी0सं0–1157/11) ..... प्रदर्श क–9

10. आरोप–पत्र (सत्र परी0सं0–1157/11) .....प्रदर्श क–10

11. चिक एफ0आई0आर0(सत्र प0सं0–1157/11) .....प्रदर्श क–11

12. चिट्ठी वास्ते नष्ट रिपोर्ट(सत्र प0सं0–1156/11) .....प्रदर्श क–12

13. जी0डी0 कायमी की कार्बन प्रति (सत्र प0सं0–1156/11) ..प्रदर्श क–13

14. आरोप–पत्र (सत्र प0सं0–1335/09) .....प्रदर्श क–14

15. आरोप–पत्र (सत्र प0सं0–1335/2009)..... .....प्रदर्श क–15

16. चिक एफ0आई0आर0 (सत्र परी0सं0–1335/09) .....प्रदर्श क–16

17. नकल रपट (सत्र प0सं0–1335/09).....प्रदर्श क–17

18. आरोप–पत्र (सत्र परी0सं0–1157/11) .....प्रदर्श क–18

19. वादी का बयान धारा–164 द0प्र0संहिता.....प्रदर्श क–2

मौखिक साक्ष्य–

1. कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल वादी/मुकदमा.....पी0डब्लू0–1

2. दिलीप पाल (चक्षुदर्शी) .....पी0डब्लू0–2

3. कण्व कुमार मिश्रा, विवेचक. .....पी0डब्लू0–3

4. कां0 बृजेन्द्र कुमार, चिक लेखक .....पी0डब्लू0–4

5. हेड कां0 चन्द्रेश उपाध्याय .....पी0डब्लू0–5

6. सत्येन्द्र कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी/विवेचक.....पी0डब्लू0–6

7. राजहंस शुक्ला, निरीक्षक /विवेचक .....पी0डब्लू0–7

8. कां0 लक्ष्मीनरायण द्विवेदी .....पी0डब्लू0–8

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत कहा है तथा पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 के कथन को उत्तर में झूंठा बयान दिया जाना कहा एवं पी0डब्लू0–4 के कथन के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया कि जानकारी नहीं है। पी0डब्लू0–5 पी0डब्लू0–6 एवं पी0डब्लू0–7 द्वारा झूंठा बयान दिया जाना कहते हुए फर्जी कागजात तैयार किया जाना कहा। पी0डब्लू0–8 के बयान के उत्तर में कहा कि जानकारी नहीं है। मुकदमा क्यों चला के उत्तर में रजिशन तथा गवाहान द्वारा रंजिशन ब्लैक–मेल करने की नियत कहा तथा क्या और कुछ कहना है के उत्तर में कहा गया कि गवाह उमेश पाल अपनी मर्जी से पुलिस वालों के साथ आकर स्वेच्छया बयान दिया गया और सत्ता परिवर्तन के क्रम में राजूपाल की पत्नी के दबाव में आकर सरकारी मदद लेने की नियत से झूंठा एवं फर्जी मुकदमा करवाया तथा सफाई साक्ष्य पेश करना कहा। अभियुक्त खान शौलत हनीफ ने कहा कि अतीक अहमद के मुकदमों की पैरवी करने के कारण फंसाया गया, क्योंकि अतीक अहमद से वादी मुकदमा की पुरानी रंजिश चल रही है। अभियुक्त दिनेश कुमार ने कहा कि घटना के 2 वर्ष पूर्व वादी ने मेरी मोटरसाईकिल व दुकान को जला दिया था। दूकान में लूटपाट किया था, जिसका मुकदमा थाना–कैण्ट में लिखाया था। मुकदमा चल रहा है। इसी रंजिश के कारण उसे फंसाया गया है। अभियुक्त आबिद ने कहा कि वह घटना के समय जेल में बंद था। अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के क्रम में राजूपाल की पत्नी के दबाव में सरकारी तंत्र से मिलकर झूंठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। राजूपाल हत्याकांड में वादी उमेश पाल की गवाही के दौरान वह नैनी जेल में बंद था तथा अपने मुकदमें में बचाव में प्रतिपरक्षा साक्षी प्रस्तुत करेगा।

<u>अभियुक्तगण की ओर से–</u>

अभिलेखीय साक्ष्य–निल

मौखिक साक्ष्य के रूप में **डी0डब्लू0–1** बांकेलाल (घटनास्थल के पास दुकान) **डी0डब्लू0–2** गुड्डू (घटनास्थल के पास दूकान) **डी0डब्लू0–3** संजीव कुमार (फोटोग्राफर) **डी0डब्लू0–4** बृजेश पाण्डेय (दिनांक 01.03.2006 को धूमनगंज थाने में विवाद के सम्बन्ध में मौजूदगी), **डी0डब्लू0–5** ओम प्रकाश सिंह (आरोप–पत्र का गवाह जिसे अभियोजन द्वारा साक्ष्य से उन्मोचित किया गया) , , **डी0डब्लू0–6** जय प्रकाश श्रीवास्तव, **डी0डब्लू0–7** दयाशंकर लाल (पूर्व ए.डी.जी.सी. जिनके द्वारा वादी मुकदमा को न्यायालय में परीक्षित कराया गया) **डी0डब्लू0–8** , देवेन्द्र बहादुर सिंह **डी0डब्लू0–9** पवन कुमार श्रीवास्तव, (एडवोकेट) **डी0डब्लू0–10** वहीद अहमद **डी0डब्लू0–11** दयाराम पाण्डेय **डी0डब्लू0–12** बस्सन, **डी0डब्लू0–13** बुद्धन , **डी.डब्लू. 14** नायाब अहमद खान **डी0डब्लू0–15** जीशान अहमद , **डी0डब्लू0–16** संतोष पाल उर्फ शब्बू पाल **डी0डब्लू0–17** विकास मिश्रा **पी0डब्लू0–18** कलीमउद्दीन अहमद, **डी0डब्लू0–19** मुस्ताक अहमद **डी0डब्लू0–20** अब्दुल खालिक, **डी0डब्लू0–21** शमशाद अली, **डी0डब्लू0–22** जसीन अहमद, **डी0डब्लू0–23** कमलेश सिंह, **डी0डब्लू0–24** अतीक अहमद **डी0डब्लू0–25** सलीमुद्दीन, **डी0डब्लू0–26** अबरार अहमद, **डी0डब्लू0–27** मोइनउद्दीन, **डी0डब्लू0–28** अबूबक्र, **डी0डब्लू0–29** बदरे आलम, **डी0डब्लू0–30** मुज्जिमल, **डी0डब्लू0–31** सद्दाम, **डी0डब्लू0–32** मोहम्मद आरिफ, **डी0डब्लू0–33** मोहम्मद साकिर, **डी0डब्लू0–34** भोंदल प्रसाद, **डी0डब्लू0–35** प्रीतम सिंह पाल, **डी0डब्लू0–36** रामलोचन सिंह, **डी0डब्लू0–37** राजेन्द्र सिंह, **डी0डब्लू0–38** जुबैर अहमद, **डी0डब्लू0–39** नईमउद्दीन, **डी0डब्लू0–40** मोहम्मद जुनैद, **डी0डब्लू0–41** अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक सी.बी.आई. **डी0डब्लू0–42** मोहम्मद आजम, **डी0डब्लू0–43** मोहम्मद उसमान, **डी0डब्लू0–44** मोहम्मद सिद्दीक एवं **डी0डब्लू0–45** के रूप में अली असगर को तथा सत्र परीक्षण संख्या–1336ए/2009 के अभियुक्त जावेद की तरफ से **डी0डब्लू0–1** गुड्डू को तथा **डी0डब्लू0–2** अतहर को पेश किया गया है। सत्र परीक्षण संख्या–1156/2011 राज्य प्रति अशरफ उर्फ खालिद अजीम की पत्रावली के अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ द्वारा **डी0डब्लू–01** आफताब अहमद, **डी0डब्लू0–2** मोहम्मद जावेद, **डी0डब्लू0–3** तौसीफ हुदा, **डी0डब्लू0–4** ज्ञानेन्द्र कुमार, **डी0डब्लू0–5** जुबैर अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण की तरफ से कुल 52 साक्षियों को पेश किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए **पी0डब्लू0–1 के रूप में कृष्ण कुमार पाल** ने सशपथ अपने मुख्य बयान में दिनांक 20.02.2016 को कथन किया कि इस समय उसकी उम्र 36

वर्ष है। बार काउन्सिल आफ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन एक वर्ष पूर्व हुआ है। मैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद से यहां पर वकालत कर रहा हूॅ....घटना 28.02.2006 की है दोपहर के दो बजे थे। मैं सीधा–साधा शान्तिप्रिय नागरिक हूॅ। बसपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूॅ। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी के तत्कालीन विधायक श्री राजूपाल, उनके साथी संदीप यादव, देवीदीन पाल की हत्या सांसद अतीक अहमद के कहने पर उनके भाई अशरफ व साथी रंजीतपाल, आबिद, अकबर, फरहान, दिनेश पासी आदि तथा अन्य लोग जिन्हें देखकर पहचान सकता हूॅ। मिलकर एक राय होकर कर दी थी। इस घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूॅ। घटना के पश्चात् से हमें लगातार धमकियां मिल रही थी जेल में बंद अशरफ व आबिद विभिन्न संदेशों से और सांसद अतीक अहमद अपने मोबाइल फोन से मेरे मोबाइल फोन पर मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। धमकी इसलिए दी जाती थी कि मैं बयान बदलकर पक्षद्रोही साक्षी बन जाऊं और मुलजिमान के पक्ष में बयान दे दूं। मैने अपनी सुरक्षा हेतु हर स्तर पर प्रयास किया। अधिकारियों से भी मिला कई टेलीग्राम भी दिये, लेकिन सांसद अतीक अहमद के पार्टी की सरकार चल रही थी किसी ने मेरी एक न सुनी। मैने उच्च न्यायालय में एक रिट भी अपनी सुरक्षा को लेकर की। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय भी दिया, लेकिन सांसद अतीक अहमद के कारण किसी ने एक न सुनी। इसके बाद भी मैं इनके दबाव में नहीं आया तब दिनांक 28.02.2006 को जब मैं अपने घर से दोपहर में दो बजे जब शहर की तरफ जा रहा था फांसी इमली के पेड के पास पहुंचा था तभी सांसद अतीक अहमद की लैंड कूजर गाड़ी ने मेरा रास्ता रोक लिया। पीछे से इनकी दूसरी गाड़ी चैलेन्जर आ गयी और मुझे घेर ली। भयवश मैं सडक पारकर भागना चाहा, लेकिन इनके दोनों गाड़ियों के बीच में फंस गया। लैड कूजर गाड़ी से अंसार बाबा, दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति, जिसे देखकर पहचान सकता हूॅ तेजी से उतरे और मुझ पर पिस्तौल सटाकर लैड कूजर गाड़ी में पटक दिये। लैंड कूजर गाड़ी में सांसद अतीक अहमद के साथ तीन लोग जिन्हें पहचान सकता हूॅ रायफल लेकर बैठे थे। अतीक अहमद मेरा बाल पकड़कर मुझे गाड़ी के अन्दर कर लिए। घटना को काफी लोगों ने देखा था। इसमें से एक दिलीप पाल पुत्र स्व0 सुक्खूपाल पीपलगांव थाना धूमनगंज भी थे, लेकिन अतीक अहमद के आतंक व भय के कारण कोई भी आदमी मुझे बचाने नहीं आया। अतीक अहमद मेरा अपहरण कर मुझे अपने चकिया स्थित कार्यालय ले गये। इनका एक आदमी मेरी मोटरसाईकिल लेकर पीछे–पीछे वहीं कार्यालय आया था, जिसे देखकर पहचान सकता हूॅ। कार्यालय के ऊपर स्थित कमरे में मुझे बंदकर अतीक अहमद कहने लगे मादर चोद इतने दिन से समझा रहा हूॅ समझ में नहीं आ रहा है। जब राजू पाल भोसडी के विधायक बनकर चार महीने से ज्यादा नहीं चला उस मादरचोद को मरवा

दिया तो तेरी औकात क्या है। तुमको जब चाहूँ मरवा कर फेंकवा दूँ। मैं गिडगिडाया, रोने लगा जान की दुहाई मांगने लगा तभी उस कमरे में पहले से खडे खान शौलत हनीफ से पर्चा लेकर दिये और कहे कि भोसडी के इसको पढ़ लो, रट लो, कल अदालत में यही बयान देना है नहीं तो तेरी बोटी–बोटी करके अपने कुत्तों को खिला दूँगा। उसी रात अतीक के आदमी मेरे घर भी गये थे वे मेरे घर वालों से कहे थे कि उमेश का अपहरण हम लोगों ने कर लिया है। थाना पुलिस टेलीग्राम अगर कुछ किये तो उमेशवा की हत्या कर दी जायेगी। मेरे घर में रोना पीटना मच गया। कार्यालय के कमरे में मुझे लोग कुर्सी से बांधे रखे। रातभर प्रताड़ित करते रहे करंट के झटके भी दो–तीन बार दिये। दूसरे दिन सुबह लगभग दस सवा दस के आसपास अतीक अहमद व इनके साथी उसी लैड क्रूजर गाड़ी से मुझे अदालत की ओर लेकर चल दिये। रास्ते में अतीक अहमद ने कहा कि साले जो पर्चे में लिखा था वही अदालत में बोलना नहीं तो घर लौटकर जा नहीं पाओगे। अतीक ने मेरा अपहरण करके मुझे बेवश कर दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे अदालत में लाकर जबरदस्ती झूंठा बयान दिलवा दिया। अदालत में दिया बयान जो उस समय दिया था झूंठा है उसे असत्य समझा जाय। मैने अपने व अपने परिवार की सलामती के लिए 01.03.2006 को जो बयान अदालत में दिया वह बयान अतीक ने दिलवाया वह बयान असत्य है। अतीक का भय व आतंक मेरे परिवार पर आज भी उसी तरह है। मेरे परिवार की रक्षा की जाय नहीं तो अतीक व उनके भाई अशरफ एक–एक करके मेरी व मेरे परिवार व रिश्तेदारों की हत्या करा देगा। मुझे फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल भी भिजवा सकते हें। मैने प्रार्थनापत्र मुख्यमंत्री के पास रजिस्ट्री से भेजा था। शामिल पत्रावली प्रार्थनापत्र गवाह को दिखाया गया देखकर कहा इस पर हमारे हस्ताक्षर हैं। तहरीर कागज संख्या–5ए/3 ता 5ए/4 पर हस्ताक्षर की तसदीक गवाह ने की **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। घटनास्थल दरोगाजी को बताया था दरोगाजी ने मेरा बयान भी लिये थे।

जिरह द्वारा अभियुक्त इसरार–प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि **''राजूपाल''** की हत्या के पश्चात् से ही मेरे ऊपर खतरा मडरा रहा है। उस समय से आज तक खतरा बना है। उस समय मेरी उम्र 26 वर्ष के आसपास रही होगी। हाईस्कूल मैने कब किया याद नहीं है। इण्टरमीडियट, बी0ए0ए0 कब किया याद नहीं है। हाईस्कूल अग्रसेन से, इण्टर कौशाम्बी से पब्लिक स्कूल से, बी0ए0 कानपुर विश्वविद्यालय से किया। छत्रपति शाहूजी महराज से बी0ए0 किया था। लॉ में कब एडमीशन लिया ध्यान नहीं है। रींवा से एल0एल0बी0 किया था। कालेज का नाम याद नहीं है। वर्ष 2014 में एल0एल0बी0 पूरा किया था। लां प्रथम वर्ष में कौन–कौन से विषय थे, लॉ द्वितीय वर्ष में कौन–कौन से विषय थे याद नहीं है। लॉ तीन वर्ष का किया था। लॉ अंतिम वर्ष में कौन–कौन विषय थे याद नहीं

है। यह नहीं बता सकता कि कितने साल की कितने महीने की बात याद रहती है, घटना याद रहती है। सिंगरौर कानपुर जिले में मैं बराबर पढ़ने जाता था। लां के ज्यादा क्लास अटेण्ड किया था। जिस कालेज में एल0एल0बी0 पढ़ा उसी के बगल में सेण्टर परीक्षा का पडा था, उस कालेज का नाम याद नहीं है। वह भोपाल से सम्बद्व था। प्रवेश लेने भोपाल गया था। भोपाल वाले कालेज का नाम नहीं बता सकता। भोपाल कौन लेकर गया था ध्यान नही है। दो दिन भोपाल में किसी परिचित के यहां रूके थे। एक मास्टर जी के साथ भोपाल गया था उनका नाम याद नहीं है, जिन्दा हैं या वे मर गये हैं यह भी याद नहीं है। एडमीशन के बाद घर चला आया। रींवा में एक रिश्तेदार हैं मामा लगते हैं। वहीं रूका था वहीं रहकर पढ़ाई किया था तीनों वर्ष रहकर वहीं पढ़ा था। सुरेशपाल उनका नाम है। उनके पिता का नाम ध्यान नहीं है। रींवा की जगह व मुहल्ले का नाम नहीं बता सकता। वह किराये पर रहते थे। मार्कशीट वहीं मामा के यहां आ गयी थी। किस मुहल्ले में मार्कशीट आयी थी नाम नहीं जानता। मोबाइल उस समय लेकर नहीं जाता था। रोमिंग के कारण नहीं ले जाता था। लॉ की किताबें खरीदी नहीं थी मास्टर साहब ने दिया था। तीनों साल किताबें वही दिये थे। किताबों का नाम नहीं बता सकता। मैं अपने से पढ़ता था। वर्ष 2013–2014 में कालेज का कौन प्रधानाचार्य था नहीं बता किसी मास्टर का नाम भी नहीं बता सकता। लॉ विभाग के हेड आफ डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं बता सकता। मार्कशीट मुझे मिली है। यह कहना गलत है कि मेरी सारी डिग्री फर्जी है। 2014 के अंत में मैने अधिवक्ता का पंजीयन कराया है। पंजीयन के पश्चात् कभी कभार ही अदालत आता हूॅ। अतीक के आतंक के कारण नियमित नहीं आता। रींवा कितने किलोमीटर दूर है नहीं मालुम। एक तरफ से 100 किलोमीटर होगा। रींवा चुपके से जाता था। रींवा में मामा के किराये का मकान था। वहां खतरा महसूस नहीं करता था। इसीलिए वहां से लॉ कर लिया।

मेरे चार भाई हैं अशोक पाल उर्फ पप्पू सबसे बड़े ट्रैक्टर ड्राइवर है दिनेश पाल उनसे छोटे हैं तीसरे नम्बर पर मैं हूॅ चौथे भाई जितेन्द्र पाल है। जितेन्द्र को रमेश भी कहते हैं सबसे बड़े भाई की शादी किस सन में हुई याद नहीं, भाई की शादी में गया था सबसे बड़े भाई 48–50 के रहे होगें उनसे छोटे भाई 46–47 वर्ष के रहे होगें, नयापुरा में उनकी शादी हुई है शादी किस सन में हुई नहीं बता सकता। उनकी शादी के समय मैं 12–13 वर्ष का रहा हूॅगा। मेरी लब मैरिज हुई है। 19 जनवरी 2005 में लब मैरिज मैने की है आर्यसमाज से शादी की थी। मेरी बीबी मेरे घर के पास गोकुल आवास की है। वह ब्राम्हण है जया त्रिपाठी मेरी पत्नी का नाम है। मेरे दो बच्चे भी हैं। पहला बच्चा 15 जनवरी 2009 को हुआ आदित्य पाल उसका नाम है वह कक्षा–1 में पढ रहा है। उसके स्कूल का नाम पूॅछने पर

गवाह ने कहा कि नहीं बता सकता क्योंकि अतीक अहमद उसे मरवा देगा। दूसरी औलाद 04 अप्रैल 2012 को हुई। मैं अपने घर वालों के साथ ही रहता हूॅ। एक–एक कमरे में सभी भाई रहते हैं। मेरे तीन बहनें हैं बड़ी बहन संतोष पाल है वे 53 वर्ष की होगीं। इनके शादी प्रतापगढ़ में हुई हैं वर्तमान में मेरे घर के पास मकान बनवाकर रहती हैं। दूसरी सुषमा पाल प्रीतमनगर में रहती हैं संगीता पाल छोटी बहन है मैं अपने बच्चे को स्वय स्कूल छोड़ने नहीं जाता। कौन छोड़ने जाता है के जवाब में गवाह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के कारण नहीं बताना चाहता। अजय कुमार द्विवेदी के साथ वकालत करता हूॅ यही आजाद हाल में बैठते हैं दीवानी फौजदारी दोनों की वकालत करता हूॅ। कई मुकदमों में वकालतनामा लगा है मुकदमों का नाम नहीं बता सकता। अपहरण का केस दर्ज होने के पश्चात् पुलिस सुरक्षा मुझे मिली कभी सुरक्षा रहती है कभी हटा लेते हैं। इस समय सपा सरकार है मेरी सुरक्षा हटा ली गयी है। गवाही हेतु सुरक्षा मिली है घर छोड़कर वे चले जायेगे।

पूजा पाल राजूपाल की पत्नी है वह बसपा विधायक हैं वे इस समय अदालत में मौजूद है आज मैं देख रहा हूॅ। एक–दो तारीख को बाहर और मिली थी। गनर की सुरक्षा में आया हूॅ। मैने यह बयान सही दिया है कि 2014 में मैने लां किया है। मैं फेल नहीं हुआ था सेमेस्टर में किसी विषय में बैक हुआ था तीन बार बैक हुआ था अगले सेमेस्टर में परीक्षा दिया था। मै किसी साल फेल नहीं हुआ। हाईस्कूल इण्टर में भी फेल नहीं हुआ था। हाईस्कूल इण्टर करते समय क्या उम्र थी याद नहीं। 2006 में मै जिला पंचायत सदस्य था वर्ष 2011 तक सदस्य रहा। राजनीति में पूर्व से आज तक हूॅ। आज भी विधायक पूजा पाल अपने सुरक्षा कर्मी के साथ अदालत में मौजूद हैं। मेरे सुरक्षा कर्मी भी हैं मेरे सुरक्षा कर्मी प्रशासन ने मुझे प्रदान किये हैं मेरा कोई निजी सुरक्षा कर्मी नहीं है। यह कहना असत्य है कि मैं काफी तैयारी करके पूजा पाल के दबाव में झूंठा बयान दे रहा हूॅ। मैं इस समय किसी पार्टी मे नहीं हूॅ। केवल वकालत कर रहा हूॅ।

जिरह अतीक अहमद–प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि पूजा से शादी के पूर्व राजू पाल हमारे दोस्त थे। पूजा पाल मेरी ममेरी बहन है 2004 से मेरी राजूपाल से दोस्ती शुरू हुई। उनके व्यवसाय के बारे में मैं नहीं जानता। मुझे राजूपाल के ऊपर दर्ज 15 या 20 कत्ल के मुकदमों की जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में राजूपाल के ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चला। राजू पाल के विधायक बनने के बाद मुकदमा नं0–970/2004 में दर्ज हुआ था मै भी उनके साथ उसमें अभियुक्त था उस मुकदमें के अलावा किसी मुकदमें के बारे में मुझे याद नहीं है। आज की तारीख में राजूपाल के ऊपर मुकदमा है या नहीं मुझे याद नहीं है। राजूपाल को राजू स्मैकिया के नाम से जानते थे यह कहना गलत है। यह कहना

गलत है कि राजू पाल सुपारी लेकर हत्या करता था।

मेरे ऊपर 06 मुकदमें दर्ज हैं एक मुकदमा दंगा का है एक राजूपाल की हत्या के बाद दर्ज हुआ। पूजा पाल मेरे सगे मामा की लड़की है। इस मुकदमें के अलावा अन्य मुकदमें में गवाह हूँ। राजू पाल के कत्ल के मुकदमें में भी गवाह हूँ। अन्य किसी मुकदमें के बारे में जिसमें गवाह हूँ मुझे जानकारी नहीं है। शमशाद का मामला जिसमें गवाह हूँ मुझे जानकारी नहीं है कि वह किस तरह का मुकदमा है। मुझे जबरदस्ती उस मुकदमें में गवाह बनाया गया है। शमशाद का मामला धूमनगंज का है शायद वह मामला अपहरण का है। गुडडू पाल के अपहरण का मामला है। पुलिस ने ही गवाह बनाया है मैने गुड्डू पाल का अपहरण होते देखा है, लेकिन उस मामले में गवाह नहीं बनना चाहता था। पूजापाल के मामा पुराने बोरे का कारोबार करते थे। राजूपाल की हत्या की तारीख को मै पूजापाल से रात में मिला था। हत्या के बाद एफ0आई0आर0 के समय मैं उनसे मिला था। कत्ल के पश्चात् पहली मुलाकात का समय याद नहीं है। दोपहर में कत्ल की रिपोर्ट लिखाने मैं पूजापाल के साथ गया था थाना धूमनगंज गया था। दोपहर कितने बजे थाने पहुंचा समय याद नहीं। अन्दाजन भी नहीं बता सकता कितने समय कितनी देर तक थाने पर रहा नहीं बता सकता। मैने पूजापाल को घटना के बारे में जो देखा था रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व बता दिया था थाने पर ही घटना का विवरण उसे बताया था। घर पर केवल यही बताया था कि राजू की हत्या हो गयी है। यह खबर पूजापाल को देने के पश्चात् पूजा को लेकर मै थाने आया था। थाने पर पूजा को छोड़कर मै चला गया था। थाने पर लगभग 5 मिनट तक रूका था। मै सीधा मरचरी चला आया कितने समय तक वहां रहा याद नहीं वहां से अपने घर चला आया कितने बजे घर पहुंचा नहीं बता सकता। रात को पुलिस मेरे घर आयी मुझे लेकर थाने गयी फिर पूजा के घर लेकर गयी, पूजा के घर कितने बजे पहुंचा नहीं बता सकता। दुबारा थाने कब पहुंचा नहीं बता सकता। विवेचक ने राजूपाल की हत्या के बारे में बयान लिया था। विवेचक परशुराम थाने के बाहर उसी दिन पूँछतांछ किये थे फिर सुरेन्द्र सिंह भी बयान लिये थे। पहले वाले विवेचक 2–3 मिनट ही मुझसे मिले थे। सुरेन्द्र सिंह के साथ घटनास्थल पर गया था। पूर्व विवेचक के साथ घटनास्थल पर जाना याद नहीं है। राजूपाल की हत्या के बाद विवेचक को बतायी थी और किसी को नहीं बतायी थी। पूजापाल के यहां घटना वाली रात गया था। एफ0आई0आर0 की कांपी नहीं पढी थी। घटना के बाद एफ0आई0आर0 पढी थी राजूपाल की हत्या में अन्दाजन 18–20 लोग शामिल रहे होगें मैं सबको नहीं पहचान पाया था केवल 11–12 लोगों को ही पहचाना था। मैं सभी भागे लोगों का नाम पूजापाल को नहीं बताया था विवेचक को 11–12 लोगों का नाम बता दिया था जब मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे गवाह बनाया है तब हाईकोर्ट में रिट किया था और अधिकारियों को चिट्ठी

लिखी थी।

हत्या के 5–6 माह बाद मुझे बताया कि मैं उस मामले में गवाह हूॅ। सांसद अतीक अहमद का धमकी भरा फोन आने लगा तब इसकी जानकारी मुझे हुई। मेरे उस मोबाइल का नम्बर मुझे याद है जिस पर धमकी वाले फोन आते थे। मैने दरख्वास्त में मोबाइल नम्बर नहीं लिखा था, विवेचक को बता दिया था। दरख्वास्त संक्षिप्त में लिखने के कारण मोबाइल नम्बर नहीं लिखा। विवेचक ने बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मोबाइल नम्बर नहीं लिखा है तो इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। मैने विवेचक द्वारा मेरे मोबाइल नम्बर की जानकारी मांगने पर उसे यह उत्तर नहीं दिया था कि काफी दिन हो गये हैं याद नहीं आ रहा है। मुलजिमान के डर से मैने अपना सिम बाद में बदल दिया था। यदि विवेचक ने मेरे धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिख दिया है तो इसका कारण नहीं बता सकता हूॅ।

मेरे अपहरण के कितने दिन बाद विधानसभा का चुनाव हुआ मुझे याद नहीं। पूजा पाल 2007 में विधायक चुनी गयी है महीना याद नही ंहै पूजापाल के चुनाव प्रचार में कभी–कभी जाता था। मेरे अपहरण के बाद हत्या के मामले में मेरा बयान होने के बाद काफी समय तक पूजा से मेरी मुलाकात नहीं हुई। पूजा पाल को काफी समय बाद अपने अपहरण की बात मैने बतायी थी। दिन समय जब बताया याद नहीं। मैं अपने अपहरण के बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 26 गांव थे। मै जीत गया था चुनाव में अतीक अहमद मेरी कोई मदद नहीं किये थे काफी उम्मीदवार थे एक कोई यादव जी थे एक विजयबहादुर मौर्या थे शेष के बारे में ज्ञान नहीं है। चुनाव वर्ष 2006 मे हुआ था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा हत्या के मामले में बयान देने के बाद पूजापाल से हमारी काफी मतभेद हो गये और बातचीत भी बंद हो गयी थी। यह कहना गलत है कि राजूपाल हत्या के मामले में गवाही हेतु धूमनगंज थाने की पुलिस मुझे अदालत लायी थी। मैने यह बयान दबाव में अतीक अहमद के दिया था कि मै हत्या के समय घटनास्थल पर नहीं था। मेरे बाहर निकलते ही हत्या हो जाती इसलिए बयान के समय अदालत को अतीक अहमद के दबाव के कारण नहीं बतायी थी। उस समय मैं राजनीति में था। मैने राजनीति शास्त्र से एम0ए0किया है। अदालत ने पूॅछा था दो बार कि किसी के दबाव में तो नहीं हो तो मैने इंकार किया था क्योंकि अतीक अहमद अदालत में पीछे खडे थे। बयान देकर अदालत से निकला तो सांसद ने पानी की टंकी के पास उसे छोड़ा था। मै घर चला गया। मैं विक्रम पर बैठकर चला गया।

2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। पूजापाल विधायक हो गयी तो उनसे कहा था कि मेरा अपहरण हो गया था दबाव में बयान दिया था कुछ कीजिए तो वे

कहीं कि कार्यवाही हेतु एक चिट्ठी लिखो। मुझे मायावती के साथ हुए गेस्टहाउस काण्ड की जानकारी नहीं है। मैने एक साल पूर्व बहुजन समाजवादी पार्टी छोड दिया है अब किसी पार्टी में नहीं हूॅ। विधायक की चुनाव लड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। 2004 से साल भर पहले तक करीब 14 वर्ष तक मैं बसपा में रहा। इसके बावजूद गेस्टहाउस की जानकारी मुझे नहीं है। मुझे जानकारी नही है कि अतीक अहमद, मुलायम सिंह यादव उसमें मुलजिम थे। मुझे जानकारी नहीं है कि 2007 में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात् मायावती अपने विरोधियो के खिलाफ मुकदमा लिखवाना शुरू कर दी थी।

कटरा के एक दुकान से जिसका नाम याद नहीं है मैने चिट्ठियां टाइप करायी थी। 03.07.2007 को मैने चिट्ठियां टाइप करायी थी। रमेश पाल के साथ आया था। दरख्वास्त में तारीख टाइप नहीं कराने का कारण नहीं बता सकता। रजिस्ट्री करने हेतु रमेश पाल को दिया था। रमेश मुझे घर छोड़कर रजिस्ट्री कराने गया। उस समय मेरा निवास स्थान जयन्तीपुर सुलेमसरांय में था। सुलेमसरांय से कटरा 12–14 किलोमीटर होगा। रास्ते में और कितनी टाइप की दुकाने हैं मुझे जानकारी नहीं है कचेहरी, पोस्ट आफिस, कटरा मुहल्ले में ही है। यह पोस्ट आफिस हेड पोस्ट आफिस के बाद से सबसे बड़ा है मुझे जानकारी नहीं है। सुलेमसरांय से कटरा वाले रास्ते में हेड पोस्ट आफिस पड़ता है घर से यह तय करके निकला था कि दरख्वास्त टाइप करायेगें और अधिकारियो को रजिस्ट्री करेगें। कचेहरी और हेड पोस्ट आफिस के पास अतीक अहमद के आदमी रहते हैं कार्यालय है डरवश मैं रजिस्ट्री हेतु नहीं गया। सुलेमसरांय वाला पोस्ट आफिस मेरे घर से पौने दो किलोमीटर दूर होगा। यह भी रास्ते में ही पड़ता है। वहां भी सांसद के काफी आदमी हैं, इसलिए नहीं गया। यह कहना गलत है कि सांसद के विरोधी लोगों ने दरख्वास्त टाइप करायी और रजिस्ट्री के नाम पर ले गये ऐसा दिखावे के लिए किया गया और कोई रजिस्ट्री नहीं भेजी गयी।

दरख्वास्त में दिलीप पाल के घटना के समय मौजूद रहने की बात लिखायी थी। आवेदन में जल्दबाजी से दिलीप पाल का नाम नहीं लिखा पाया यह बयान सही है। इस मुकदमें में गवाही देने की जानकारी किस समय, दिन, तारीख को हुई मुझे ज्ञान नहीं है। 16.08.2016 के पूर्व कई बार बयान हेतु अदालत में आया लेकिन तारीख नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि इसके पूर्व मैने अपनी गवाही नहीं कराया। कोई न कोई बहाना लेकर चला जाता रहा। यह बात गलत है कि मै अदालत में गवाही नहीं देकर बाहर बयान के लिए अतीक अहमद से सौदा करता था। यह सही है कि अपहरण के बाद दरख्वास्त लिखाने तक तीन अभियुक्त अतीक अहमद, दिनेश, अंसार के अलावा किसी का नाम नहीं जान सका था। एफ0 आई0 आर0 दर्ज होने की तारीख को विवेचक ने मेरा पहला बयान लिया था। विवेचक ने

बयान लेते समय आवेदन पर मेरे हस्ताक्षर के बारे में पूॅछा था। प्रदर्श क–1 गवाह को दिखाकर प्रश्न पूॅछा गया। फिर विवेचक मुझे साथ लेकर घटनास्थल पर गये। घटनास्थल पर लगभग 20 मिनट तक हम लोग रहे सुलेमसरांय घनी आबादी का क्षेत्र है। यह बात दरख्वास्त में लिखा दिया कि अतीक अहमद ने मेरा बाल पकड़कर घसीट लिया था। उस समय यह बात याद नहीं थी इसलिए आवेदन में नहीं लिख सका था। धारा–161 द0प्र0संहिता के बयान में बाल पकडकर खींचने की बात नहीं बताया था। विवेचक को बाल पकड़कर खींचने की बात बताया था अगर नहीं लिखा है तो इसका कारण नहीं बता सकता। दरख्वास्त में यह भी लिखाया था कि घटना काफी लोगों ने देखा था लेकिन डरवश कोई गवाही देने हेतु तैयार नहीं था। प्रदर्श क–1 में यह नहीं लिखा है, इसकी वजह नहीं बता सकता। मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि कार्यालय के ऊपर स्थित कमरे में मुझे बंद कर अतीक अहमद कहने लगे मादरचोद कितने दिन से समझा रहा हूॅ समझ में नहीं आ रहा है। दरख्वास्त में नहीं लिखाया था क्योंकि उस समय यह बात ध्यान में नहीं आयी। मुख्य परीक्षा में दिया गया यह बयान मैने दरख्वास्त में भी लिखाया था कि जब राजूपाल भोसडी के विधायक बनकर चार महीने से ज्यादा नहीं चल पाये उसको मरवा दिया तो तेरी क्या औकात है। यह बात तहरीर में नहीं लिखा है तो इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूॅ। मुख्य परीक्षा में दिया गया यह बयान कि मैं रोने गिडगिड़ाने व जान की दुहाई मांगने लगा तहरीर में लिखाया था या नहीं याद नही है। प्रदर्श क–1 दिखाकर पूॅछा गया यह बात नहीं लिखी है तो गवाह ने कहा इसका कारण नहीं बता सकता। विवेचक को मैने बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह बताया था कि नहीं कार्यालय के ऊपर स्थित कमरे में मुझे बंदकर अतीक अहमद कहने लगे मादरचोद इतने दिन से समझा रहा हूॅ जब राजूपलवा भोसडी के विधायक बनकर चार महीने से ज्यादा नहीं चला उस मादरचोद को मरवा दिया तो तेरी औकात क्या है मै रोने गिडगिड़ाने व जान की दुहाई मांगने लगा, मुझे याद नहीं है। यदि विवेचक ने यह सारी बातें नही लिखी है तो कारण नहीं बता सकता। मुझे ध्यान में भी नहीं है कि मैने उन्हें बताया था या नहीं बताया था। इस मुकदमें में गनर मुझे 6–7 महीना से मिला है। गनर का खर्च मुझे वहन नहीं करना होता है। इसके पूर्व कुछ समय के लिए राजू मर्डर केस के समय भी गनर मिला था। राजू मर्डर केस में सर्वप्रथम किस वर्ष गनर मुझे मिला याद नहीं है। राजू मर्डर के कितने दिन बाद गनर मिला यह भी मुझे याद नहीं है। इस मुकदमें के पूर्व कूल कितने दिन तक गनर मुझे मिला रहा याद नहीं है। अन्दाजन भी नहीं बता सकता कि कुल कितने अवधि तक मेरे पास गनर रहा है। गनर के लिए 25 अगस्त 2005 में माननीय उच्च न्यायालय में मैने रिट प्रस्तुत किया था। रिट कब खारिज हुई मुझे याद नहीं है। रिट दाखिल करने के पूर्व मेरे पास गनर नहीं था। रिट खारिज होने

के कितने दिन बाद गनर मिला याद नहीं है। मैं नैनी जेल मुकदमा नं0 970/2004 में गया हूॅ 14 दिन जेल में रहा। मेरे साथ राजू पाल जेल में नहीं थे। 2008 में भी मुकदमा नं0–245 में जेल गया था। मारपीट का मुकदमा था। धूमनगंज थाने की पुलिस मुझे गिरफ्तार की थी। मेरे गिरफ्तार होने पर थाने में पूजापाल गयी थी या नहीं मुझे नही पता। पूजा पाल थाने में आकर मुझे चप्पलों से मारी थी यह कहना गलत है।

अपहरण के बाद घर कितने बजे पहुंचा था याद नहीं है। शौलत हनीफ के आफिस के ऊपर कमरे में मौजूद रहने की बात दरख्वास्त में लिखी थी या नहीं याद नहीं है। यदि दरख्वास्तमें यह बात नहीं लिखी है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। विवेचक को वकील साहबके कमरे में खड़े रहने की बात बताया था। बयान धारा–161 दण्ड प्रकिया संहिता में यह बात नहीं लिखी तो इसका कारण नही बतासकते हैं। विवेचक बयान लिख रहे थे किसी कागज पर विवेचक मेरा हस्ताक्षर नहीं कराये थे। टेलीग्राम सुरक्षा के लिए कई बार भेजा था। फरवरी 2006 से जुलाई 2007 के बीच की काफी टेलीग्राफ भेजे थे, संख्या याद नहीं है। अन्दाजन आठ दस या इससे अधिक टेलीग्राम भेजे। इस बारे में नहीं बता सकता। भेजे टेलीग्राम की कांपी विवेचक को दे दिया था। इस समय मेरे पास किसी टेलीग्राम की कांपी नहीं है। कांपी सर्टीफाइड, अनसर्टीफाइड सभी प्रकार की थी। यह कहना गलत है कि फरवरी 2006 से जुलाई 2007 के बीच किये गये किसी टेलीग्राम की कांपी मैने विवेचक को नहीं दी। 03 जुलाई 2007 के पूर्व भी मैने इस घटना का विवरण देते हुए आवेदन वरिष्ठ अधिकारीगण को भेजा था। विवेचक को उसकी कांपी की थी वे यदि इसे दाखिल नही किये तो इसकी वजह वही बता सकते हैं। यह कहना गलत है कि 03 जुलाई 2007 मे पूर्व अपहरण की बात मैने किसी को किसी प्रकार से नहीं बतायी हो। डाक से रजिस्ट्री डाक से चिट्ठी भेजा था। जुबानी मैने अपहरण वाली बात बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं बतायी थी। मेरे मकान से फांसी वाली इमली लगभग 01 किलोमीटर दूर है। मैं अपहरण वाले दिन घर से शहर के लिए निकला था। लकडमण्डी के लिए निकला था। मेरे घर से खुल्दाबाद लकडमण्डी के लिए जाते समय अतीक अहमद का कार्यालय पडता है। उस दिन से पहले भी मुझे धमकी मिल चुकी थी। मुझे उस दिन यह जानकारी नहीं थी कि अगले दिन राजूपाल वाले मामले में गवाही की तारीख नियत है। मुझे जानकारी नहीं है कि राजू मर्डर केस में सबूत पक्ष से कौन पैरवी कर रहा था। राजूपाल मर्डर केस का ट्रायल शुरू होने के बाद मेरे व पूजापाल के सम्बन्ध मधुर थे। दिनांक 01.03.2006 के पूर्व पूजा पाल के घर मेरा कभी–कभी आना जाना था। राजू पाल मर्डर का जिक्र मेरे जाने पर वहां होती थी। पूजा पाल से कभी मुकदमें की पैरवी करने वाले वकील के बारे में मैने पूॅछा। मुझे याद नहीं है। पूजा पाल ने पैरवी के बारे में मुझसे

कभी कोई बात नहीं की। अपने वकील साहब के सलाह से मैने उच्च न्यायालय में रिट किया था। मिथलेश कुमार तिवारी एडवोकेट के सलाह से रिट किया था। उनका मोबाइल नम्बर हमारे पास नहीं था। अपहरण के पश्चात् तिवारी जी से सम्पर्क किया था। दिनांक 03.07.2007 से कितने दिन बाद सम्पर्क किया याद नहीं है। मेरे घर व फांसी वाली इमली के बीच कितने मकान है, याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरा न तो कभी कोई अपहरण हुआ न किसी ने धमकी दिया और न ही सांसद के यहां मुझे ले जाया गया था। यह भी कहना गलत है कि पूर्व में राजूपाल हत्याकाण्ड के मुकदमें में मैने अपना बयान किसी डर या भयवश नहीं दिया था, बल्कि जो सच्ची बात थी वही बताया था। यह भी कहना गलत है कि 2007 में मायावती सरकार बनने के पश्चात् मायावती अपने व्यक्तिगत दुश्मनी के मद्देनजर मेरे ऊपर नाजायज प्रशासनिक व राजनैतिक दबाव बनवाकर मुझसे **प्रदर्श क–1** पर हस्ताक्षर कराया। यह भी कहना गलत है कि जब अदालत में इस मुकदमे की गवाही का समय आया तो मैने पहले अतीक अहमद से बारगेनिंग करनी शुरू की और जब बारगेनिंग सफल नहीं हुई तो फिर पूजापाल और उनके समर्थकों से मिलकर इस मुकदमें में झूंठी गवाही दे रहा हूँ।

जिरह द्वारा खान शौलत व अशरफ–गवाह को लॉ के फर्स्ट सेमेस्टर से छठें सेमेस्टर के मार्कशीट की द्वितीयक प्रति दिखाकर उस पर लिखे फोटों के बारे में पूँछा गया उस पर लगे फोटो को गवाह ने अपना बताया। शेष प्रश्न पूंछने की अनुमति प्रपत्र पत्रावली पर न होने के कारण नहीं दी गयी। इस केस में जमनत का विरोध करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त किया था या नहीं। मुझे याद नहीं है। अतीक की जमानत इस केस में कहां से हुई मुझे नही मालुम है। यह मुझे याद नहीं है कि अतीक अहमद के जमानत निरस्तीकरण हेतु मैने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। मैने बेल निरस्तीकरण याचिका संख्या–6018/2019 दाखिल किया था या नहीं मुझे याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं है कि उक्त याचिका वापस ले लेने के आधार पर खारिज कर दी गयी। दिनांक 31.01.2011 को उक्त याचिका खारिज होने की मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी। मुकदमा अपराध संख्या–392/2016 में मैं अपने भाई के साथ अभियुक्त हूँ। इस प्रकरण के सी.बी.आई. से जांच हेतु मैने माननीय उच्च न्यायालय में प्रकीर्ण दाण्डिक रिट पिटीशन संख्या–16872/2016 दाखिल किया है। यह सही है कि एफ0 आई0 आर0 के निरस्तीकरण व गिरफ्तारी के स्थगन हेतु मैने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। याचिका मेरी पत्नी ने दाखिल कराये हैं। याचिका नं0–18094/2016 के प्रस्तर 06–07 में राजूपाल मर्डर केस का जिक्र है। उसमें राजूपाल की हत्या के समय कौन–कौन उनके साथ थे। यह लिखा है, लेकिन मेरा नाम नही लिखा है। इसकी वजह नहीं बता सकता, क्योंकि याचिका पत्नी ने

दाखिल किया है। राजूपाल की हत्या के समय उसे अस्पताल ले जाने वालों में भी मेरा नाम अंकित नहीं है। यह सही है कि इस प्रकरण में गवाह हेतु मेरे विरूद्ध धारा–82–83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की आदेशिका भी जारी हुई जिसके विरूद्ध मैं हाईकोर्ट भी गया। मुझे परमानेंट सुरक्षा नहीं मिली है, क्योंकि मैं नामजद अभियुक्त के कारण घर पर नहीं था। जितेन्द्र पटेल की हत्या के समय मुझे सुरक्षा मिली थी। मुझे झापड़ो व रायफल के कुन्दों से मारापीटा गया था, चोटें आयी थी। करेंट पैर के अंगूठे पर लगाया था। अंगूठा काला नहीं पड़ा था। करेंट दो बार लगाया था, जो भी आता था, थोडी से बात करता था और मार देता था। अदालत में मेरा बयान राजूपाल मर्डर केस में किसने कराया मुझे याद नहीं है। अपनी चोटों के बारे में न तो अदालत को बताया और न ही तो सरकारी वकील को बताया था। अपहरण या दबाव के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। मेरी चोटों के बारे में किसी ने कुछ नही पूँछा था। खान शौलत ने जो पर्चा दिये वह सुबह वही लोगों ने रखवा लिया। यह बात तहरीर में मैने नहीं लिखाया था। दरोगाजी को पन्ने के बारे में बताया था। बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह बात अंकित नहीं है तो वजह नहीं बता सकता। पर्चा हांथ का लिखा था। पर्चा पूर्व से लिखा था। खान शौलत हनीफ ने स्वयं मुझसे कुछ नहीं कहा था। यह कहना गलत है कि ऐसा कोई पर्चा मुझे नहीं दिया गया था। 03 जुलाई 2007 से पूर्व भी घटना के बाबत दरख्वास्त भेजा था। किसी दरख्वास्त की नकल दाखिल नही कर सकता वे कागजात दरोगाजी को दिया था। एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के लिए ही दरख्वास्त दीथी। कब–कब दरख्वास्त दी याद नहीं है। धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की कोई दरख्वास्तव अदालत में नहीं दिया। इसकी वजह नहीं बता सकता। इस्तगासा भी दाखिल नहीं किया, क्योंकि काफी डरा था। 13 मई 2007 को बसपा की सरकार प्रदेश में आ गयी। मायावती मुख्यमंत्री बन गयी थी। तहरीर थाने पर मुकदमें दर्ज कराने हेतु नहीं दिया। घर से चुपके से निकलता था। मैने प्रार्थनापत्र मुख्यमंत्री को भेजा और सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अधिकारियों को भी भेजा। यह कहना गलत है कि 03 जुलाई 2007 के पूर्व मैने एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का प्रयास नहीं किया और बसपा सरकार आने पर झूंठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं अपना नाम कृष्णकुमार पाल उर्फ उमेश पाल लिखता हूँ। हर जगह मेरा यह नाम है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श क–1 पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है। मैं इसकी वजह नहीं बता सकता कि प्रदर्श क–1 पर मेरे नाम हस्ताक्षर में केवल उमेशपाल ही क्यों लिखा है। राजूपाल हत्या काण्ड के पश्चात् मुझे अष्टभुजी माता के मंदिर, पानी की टंकी के पास लोग छोड दिये। यह बात आवेदन में नहीं लिखाया था, क्योंकि यह बात मेरे दिमाग से उतर गयी थी। फांसी इमली के पास से मेरी मोटरसाईकिल लेकर उनका एक आदमी पीछे–पीछे आया। यह बात मैने

जल्दबाजी में आवेदन में नहीं लिख पाया। रात में जब मुझे धमकी दे रखे थे तो इनके आदमी मेरे परिवार वालों को धमकी देने गये थे तब मेरी मोटरसाईकिल घर पहुंचा दिये थे। यह बात मैने दरोगाजी को पहले बयान में बता दिया था यदि ऐसा दरोगाजी का बयान में नहीं लिखा है तो वजह नहीं बता सकता। मेरे घर अतीक के आदमी धमकी देकर आये थे। यह बात मैं जब मार्च 2006 को मैं घूमकर घर आया तब पता चला। दिनेश पासी और इनके साथ कुछ आदमी गये थे। घर वाले सही संख्या नहीं बता पाये। यह बात आवेदन में मैने लिखया था या नहीं मुझे याद नहीं है। यदि यह बात तहरीर में नहीं लिखी है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। दरोगाजी को बयान में भी बतायाथा। यदि दरोगाजी धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में ऐसा नहीं लिखा है तो इसकी वजह नहीं बता सकता। दिलीप पाल घ ाटनास्थल से दूर खडे थे। 100 मीटर से कम दूरी पर वे रहे होगें। वे अकेले थे या उनके साथ कोई और भी था। मुझे ध्यान नहीं है। मुझे केवल वही दिखे थे। दिलीप पाल घटना के बारे में मेरे घर जाकर घर वालों को बताये या नहीं मैं नहीं बता सकता। धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में लिखी बात कि दिलीप पाल मेरे साथ घटित घटना की सूचना देने मेरे घर भी गये और इन्होंने मेरी बात घर वालों को बताया। दरोगाजी मैसे लिखे इसकी वजह नहीं बता सकता। फांसी इमली वाला एरिया काफी भीड़ वाला है। बहुत से लोग घटना देखे थे ओर किसी को नहीं पहचान सकता था। घर में जाकर किसी ने सूचना दिया था कि नहीं मुझे नहीं मालुम है। मेरे घर वालों ने मुझे बताया था कि अतीक अहमद के आदमियों ने उमेशपाल का अपहरण कर लिया था। थाना पुलिस न जाना टेलीग्राम न करना। मेरे घर वाले थाना पुलिस नहीं गये। टेलीग्राम नहीं किये यदि वे ऐसा करते तो मेरी हत्या हो जाती। वाहन का नम्बर मिसप्रिण्ट के कारण आवेदन में गलत टाइप हो गया। दरोगाजी को इस बारे में मैने बताया था। सांसद के कार्यालय पर पहुंचा तब नम्बर पढा याद किया। लैंण्डकूजर का नम्बर डी.एल.1सीजी/8418 है। दूसरी का नम्बर केए051118 है। यह कहना गलत है कि इस नम्बर की कोई गाड़ी न तो मौके पर आयी और न तो हमारा अपहरण हुआ। यह कहना भी गलत है कि इसीलिए गाड़ी नं0 एफ0आई0आर0 व पहले बयान में दूसरा बताया था।फोन से अतीक स्वयं धमकी देते थे। आबिद, अशरफ जेल से धमकी दिया करते थे।यह बात तहरीर में लिखाया था या नहीं ध्यान में नहीं है और यह बात तहरीर में नहीं लिखायी कि जेल से धमकी भिजवाते थे तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह बात दरोगाजी को बताया था। पहले बयान में दरोगाजी को बताया या दूसरे बयान में यह ध्यान नहीं है। दिनांक 05.07.2007 के बयान में यदि यह बात नहीं लिखी है तो मैं वजह नहीं बता सकता। आबिद, अशरफ के आदमी आते थे व घर पर गाली–धमकी देकर चले जाते थे। तीन चार बार आये। पहली बार आदमी कब आये मुझे ध्यान नहीं

है। किस समय सबसे पहली बार आये यह भी ध्यान नहीं है। आदमियों के नाम नहीं बता सकता। नये–नये चेहरे आते थे किसी का हुलिया नोट नहीं किया। फोटो नहीं लिया हुलिया ध्यान नहीं है। आबिद, अशरफ स्वयं कभी हमारे घर आकर धमकी नहीं दिये। वे दोनों जेल में थे। वे गालियां देते थे व कहते थे गवाही के चक्कर में न पडो। अशरफ, आबिद केवल आदमी भिजवाकर धमकी दिलवाते थे। अशरफ व आबिद के लिए मोबाइल से धमकी देने की बात मेरे दिनांक 07.07.2007 के बयान में दरोगाजी कैसे लिख लिए मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। दिलीप पाल का नाम एफ0आई0आर0 में गवाह के रूप में मैने क्यों नहीं लिखाया। इसकी वजह नहीं बता सकता। दरोगाजी को दिये पहले बयान में दिलीप कानाम गवाह के रूप में नहीं लिखाने की वजह भी मैं नहीं बता सकता। राजूपाल मर्डर केस में गवाही के बाद मुझे फिर मारापीटा नहीं गया। धमकी देते रहते हैं। बयान के बाद मुझे मंदिर के पास छोड़कर चले गये और कोई नुकसान नहीं किये। मेरा अपहरण मुलजिमान सिर्फ अपने पक्ष में गवाही दिलाने हेतु किये थे। यह कहना गलत है कि घटना के 17 माह बाद मैने पूजा पाल व बसपा नेताओं के मिली भगत से झूंठी तहरीर तैयार किया था। यह कहना गलत है कि पूजापाल का रिश्तेदार होने व बसपा से सम्बन्धित होने के कारण झूंठा मुकदमा दर्ज कराया व झूंठी गवाही दे रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि प्रोफेशनल गवाह हूॅ। यह कहना गलत है कि गवाही का रोब दिखाकर मैं इस प्रकरण के अभियुक्तों से सौदा करता रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि प्रशासन से झूंठे कथनों के आधार पर सुरक्षा लेकर मैं जमींन पर कब्जा करने का कार्य करता हूॅ और इस कारण नये मुकदमें में भी नामजद अभियुक्त हूॅ। यह कहना गलत है कि न तो मैं हत्याकाण्ड का चश्मदीद गवाह हूॅ और न तो मेरा अपहरण ही हुआ है। यह कहना गलत है कि राजूपाल हत्याकाण्ड के मामले में पूर्व में मैने सही बयान दिया है। यह कहना गलत है। इस प्रकरण के मुलजिमानों के विरोधियों से मिलकर यह झूंठा मुकदमा किया और झूंठी गवाही दे रहा हूॅ। जिरह हेतु मोहम्मद आशिक उर्फ मल्ली, आबिद, एजाज अख्तर, दिनेश पासी व फरहान की तरफ से स्थगन प्रस्तुत किये गये जो पारित आदेश के अनुक्रम में निरस्त किये गये। तदनुसार साक्षी के साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

दिनांक 07.04.2018 को साक्षी का मुख्य साक्ष्य सत्र परीक्षण संख्या–1336ए/2007 में अंकित किया गया, जिसमें साक्षी ने कथन किया कि'' घटना 28 फरवरी 2006 की दोपहर में 2:00 बजे में मैं बसपा का सक्रिय कार्यकर्ता व शान्तिप्रिय नागरिक हूॅ। 25 जनवरी 2005 को 2121 पश्चिम के तत्कालिक विधायक राजू पाल व उनके साथ संदीप यादव देवीदीन पाल की हत्या सांसद अतीक अहमद के कहने पर उनके भाई अशरफ व साथी आबिद, फरहान, एजाज अख्तर,अकबर, दिनेश पासी तथा अन्य लोग जिन्हें देखकर मैं पहचान सकता हूॅ। सभी ने एक राय होकर...कर

दी थी। इसी घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूॅ। घटना के बाद से ही लगातार मुझे धमकियां दी जा रही थी। जेल में बंद आबिद व अशरफ विभिन्न संदेशों से अतीक अहमद अपने मोबाइल फोन से मेरे मोबाइल फोन पर मुझे एवं मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। धमकी इसलिए दी जा रही थी कि मैं अपना बयान बदलकर पक्षद्रोही साक्षी बन जाऊं और मुलजिमानों के पक्ष में बयान दे दूॅ। मैने अपनी सुरक्षा के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। अधिकारियों से मिला टेलीग्राम किया, लेकिन सांसद अतीक अहमद की पार्टी की सरकार चल रही थी। किसी ने मेरी एक न सुनी। मैंने उच्च न्यायालय में सुरक्षा के लिए रिट भी किया। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन सांसद अतीक अहमद के आगे किसी ने मेरी एक न सुनी। उसके बाद भी जब मैं उनके दबाव में नहीं आया तब दिनांक 28.02.2006 को जब मैं अपने घर से दोपहर दो बजे शहर की तरफ आ रहा था। फांसी इमली के पास पहुंचा था तभी सांसद अतीक अहमद की लैण्ड क्रूजर गाड़ी आयी। मेरे आगे रास्ता रोक लिया तभी पीछे इनकी दूसरी चैलेन्जर गाड़ी भी आ गयी और घेर लिया। भयवश मैं सड़क पार करके भागना चाहा, लेकिन दोनों गाड़ियों के बीच में फंस गया। लैण्ड क्रूजर गाड़ी में अंसार बाबा, दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति जिसे देखकर पहचान सकता हूॅ, उतरे और उठाकर मुझे लैण्ड क्रूजर गाडी में पटक दिया। लैण्ड क्रूजर गाडी में अतीक अहमद के तीन अन्य साथी जिनको देखकर मैं पहचान सकता हूॅ। रायफल लेकर बैठे थे। तभी अतीक अहमद ने मेरे बाल व कालर पकड़कर गाड़ी के अन्दर घसीट लिया। यह घटना वहां पर काफी लोगों ने देखा था जिसमें से एक दिलीप पाल पुत्र सुण्टू पाल निवासी पीपलगांव थाना धूमनगंज भी थे,लेकिन अतीक अहमद के भय व आतंक के कारण कोई भी आदमी मुझे बचाने नहीं आया। अतीक अहमद मेरा अपहरण करके अपने चकिया स्थित कार्यालय ले गये और इनका एक आदमी मेरी मोटरसाईकिल लेकर पीछे–पीछे उसी कार्यालय में आया। जिसे देखकर मैं पहचान सकता हूॅ। कार्यालय के ऊपर स्थित कमरे में मुझे बंद कर अतीक अहमद कहने लगे, मादरचोद इतने दिनों से समझा रहा हूॅ। समझ मे नहीं आ रहा है,जब राजू पाल भोसडी का विधायक बनकर तीन–चार महीने से ज्यादा नहीं चला उस मादरचोद को मरवा दिया तो तेरी औकात क्या है। मैं गिडगिड़ाने लगा, रोने लगा, जान की दुहाई मांगने लगा, तभी कमरे में पहले से खड़े खान शौलत हनीफ एक पर्चा लेकर मुझे दिये और बोले कि भोसडी के इसको पढ़कर रट लो कल अदालत में यही बयान देना है, नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी करके अपने कुत्ते को खिला दूॅगा। उसी रात अतीक के आदमी मेरे घर गये थे और मेरे घर वालों से कहा कि उमेश का अपहरण हम लोग कर लिया है। थाना पुलिस टेलीग्राम के चक्कर में मत पड़ना नहीं तो उमेश की हत्या कर दी जायेगी। मेरे घर में रोना पीटना मच गया। इधर कार्यालय के कमरे में

मुझे कुर्सियों से बांधे रखे तथा रातभर प्रताड़ित करते रहे तथा करेण्ट के तीन–चार झटके भी दिये। दूसरे दिन सुबह लगभग दस–पन्द्रह बजे के आसपास अतीक अहमद व इनके साथी लोग मुझे उसे लैण्डक्रूजर गाडी से लेकर अदालत की तरफ चल दिये। रास्ते में अतीक अहमद मुझसे बोले कि साले पर्चे में जो लिखा था अदालत में वही बयान देना नहीं तो घर लौटकर नहीं जा पाओगे। साहब अतीक अहमद मेरा अपहरण करके मुझे मजबूर कर दिया मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अतीक अहमद ने मेरा बयान अदालत में जबरदस्ती एक मार्च 2006 को करा दिया। अतीक अहमद ने जबरदस्ती जो बयान 01.03.2006 को कराया था वह झूंठ है उसे असत्य समझा जाय। मैं अपने व अपने परिवार की सलामती के लिए अपनी बेवसी के कारण 01.03.2006 को जो बयान अदालत में दिया वह असत्य है। अतीक अहमद व अतीक के परिवार के भय व आतंक आज भी मेरे व मेरे परिवार पर बना हुआ है। मेरे और परिवार की रक्षा की जाय नहीं तो अतीक व अतीक के परिवार के लोग मेरे परिवार वालों की एक–एक करके हत्या करवा देगें। या किसी फर्जी मुकदमें में मुझे फंसाकर मुझे जेल भिजवा देगें।

इस घटना के सम्बन्ध में मैने एक टाइपशुदा प्रार्थनापत्र जरिये पंजीकृत डाक माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 लखनउ को प्रेषित किया था, जिस पर अधिकारियों के आदेश के अनुक्रम में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उक्त तहरीर की छाया प्रति पत्रावली में कागज संख्या–5ए/1 व 5ए/2 है। मूल तहरीर सत्र परीक्षण संख्या–1336/2009 राज्य प्रति अतीक अहमद में संलग्न है। छाया प्रति का मिलान किया हु–ब–हू पाया। तहरीर छाया प्रति पर अपना हस्ताक्षर बनाया उसको प्रमाणित करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मुझसे पूँछतांछ किया था तथा मेरा बयान लिया था। घटनास्थल मैने विवेचक को दिखाया था। मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय में मेरा बयान पुलिस ने कराया था। साक्षी को बयान धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिखाया गया देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को तसदीक किया, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

प्रदर्श क–2 बयान अन्तर्गत धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता वादी मुकदमा कृष्ण कुमार उर्फ उमेश पाल ने कथन किया है कि विधायक राजू पाल हत्याकाण्ड में, मैं उमेश पाल चश्मदीद गवाह था। हत्या के बाद सांसद अतीक अहमद व इनके आदमी फोन से, घर पर पहुंचकर धमकियां देने लगे। ये लोग कहते थे कि गवाही के चक्कर में मत पडो, जब विधायक राजू पाल तीन महीने से ज्यादा नहीं चला तो तुम्हारी औकात क्या है। तुमकों जब चाहे तो मार देगें। यह हमारा इतिहास है। इसकी शिकायत मैने पुलिस उच्चाधिकारियों एवं जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद को व्यक्तिगत, टेलीग्राम व फैक्स के माध्यम से लगातार की एवं सुरक्षा की मांग करता रहा, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। अपनी सुरक्षा को लेकर मैने माननीय उच्च

न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की थी, परन्तु रिट लम्बित है। दिनांक 28.02.2006 को करीब 2:00 बजे दिन में स्थान फांसी इमली के सामने जब मैं अपनी मोटरसाईकिल से शहर की ओर जा रहा था तो एक गाडी लैण्डक्रूजर व एक चैलेन्जर गाडी जिसका नं0 क्रमशः डीएल1सीजी/8418 एवं केए/05/जेड/1118 था, मुझे आगे पीछे घेर ली। मैं तुरन्त भयभीत हो गया। लैण्ड क्रूजर से अंसार बाबा, दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति जिसे देखने पर मैं पहचान सकता हूॅ यह लोग मुझे लैण्ड क्रूजर गाडी में घसीटकर ले गये। गाडी में सांसद अतीक अहमद बैठे थे उन्होंने कालर पकडकर गाडी में घसीट लिया। गाड़ी में उनके अलावा तीन लोग और बैठे थे। तीनों लोग रायफल लिये थे। ये लोग मुझे चकिया स्थित कार्यालय ले गये। मेरी मोटरसाईकिल भी यह लोग पीछे–पीछे ले आये। वहां पर इन लोगों ने डराया धमकाया, उत्पीड़ित किया तथा खान शौलत से एक पर्चा लेकर मुझे रटने के लिए कहा गया। घर बात कराने की प्रार्थना करने पर ये लोग करेंट का झटका देने लगे। इन लोगों ने कहा कि राजूपाल हत्याकाण्ड में अपना बयान बदल दो नहीं तो तुम परिवार सहित मारे जाओगे। मैं डर गया एवं अपनी व परिवार की सलामती के लिए बयान बदलने के लिए तैयार हो गया। रातभर यह लोग मुझे अपने कर्यालय में उसी कुर्सी में बांधे रखे अगले दिन यह लोग कार्यालय से मुझे कचहरी ले आये। कोर्ट के अन्दर यह लोग मेरे पीछे खडे होकर बयान करवा रहे थे। मुझसे झूंठा बयान करवाया गया। बाहर आने के बाद इन लोगों ने एवं सासंद अतीक अहमद ने कहा कि किसी को कोई शिकायत न करना वरना परिवार सहित जान से हांथ धो बैठोगे। दिनांक 05.07.2007 को मैने थाना धूमनगंज में इन्हीं बातों को लेकर मुकदमा पंजीकृत कराया। आज मैं अपनी मर्जी से माननीय न्यायालय में बयान देने आया हूॅ। यही मेरा बयान है। (हस्ताक्षर उमेश पाल)

साक्षी से दिनांक 10.07.2018 को प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि '' दिनांक 01.03.2006 को मैं न्यायालय कितने बजे आया था। मुझे याद नहीं है उस दिन मेरे अलावा हत्या वाले मुकदमें में किस–किस गवाह के बयान हुए थे, मुझे जानकारी नहीं है। दिनांक 01.03.2006 को मुझे राजूपाल की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों में से कोई पुलिस कर्मी अदालत में नहीं दिखा था। दिनांक 01.03.2006 को मेरा बयान सरकारी वकील कराये थे। मैने सरकारी वकील से यह नही बताया था कि मैं डरा हूॅ दबाव में हूॅ। विधायक महेश नरायण सिंह को जानता हूॅ वे उस समय हण्डिया के विधायक थे वे मेरे साथ नही आये थे। मेरी माता जी का नाम शान्तीदेवी है। दिनांक 28.02.2006 को मेरी माताजी राजूपाल हत्याकाण्ड वाले मामले में गवाही हेतु निर्गत समन मेरी मां ने प्राप्त किया था या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे मेरी माताजी समन के बारे में कुछ नहीं बतायी थीं। महेन्द्र पटेल को मैं जानता हूॅ। दिनांक 01.03.2006 को महेन्द्र पटेल न्यायालय में मुझे

दिखायी नहीं पड़ा था। महेन्द्र पटेल राजूपाल हत्याकाण्ड का गवाह था। दिनांक 01.03.2006 को मैं अपने घर किस समय पहुंचा मुझे याद नहीं है। अदालत में बयान के पश्चात् मुझे अतीक अहमद अपने लैण्ड क्रूजर गाड़ी से ले गये व पानी की टंकी के पास छोडे थे। पानी की टंकी कचेहरी से अन्दाजन 5–6 किलोमीटर दूर है। वहां मुझे उतारकर मुलजिमान अपने घर की तरफ चले गये थे। फिर मैं विक्रम पकड़ा। अकेले अपने घर पहुंच गया। विक्रम पर कितने बजे सवार हुआ अन्दाजन भी नहीं बता सकता। घर कितने बजे पहुंचा इसका अन्दाजा भी नहीं है। घर पहुंचने के पश्चात् मैं सारा दिन व सारी रात अपने घर पर ही रहा। जी0टी0 रोड पर मेरा घर है। जी0टी0 रोड़ पर ही धूमनगंज थाना भी है। मेरे घर से लगभग 01 किलोमीटर दूरी पर थाना है। सुलेमसरांय काफी बड़ी बाजार है। काफी बडी आबादी भी है। मेरी गवाही के पश्चात् जिला परिषद का चुनाव हुआ। मैं भी उम्मीदवार था। टिकट नहीं मिला निर्दलीय लड़ा था। मेरे विरूद्ध एक यादव जी थे, एक मौर्या थे और भी लोग थे। जिला पंचायत के चुनाव में मेरा क्षेत्र 26 गांवों का था। इन गांवों में इलाहाबाद से सटा पहला गांव कुरेसर है। आखिरी गांव बिजलीपुर है। क्षेत्र गंगापार में है। कुडेसर फाफामऊ से लगभग 15–20 किलोमीटर दूर है। रामचन्द्र उर्फ फौजी को मैं नहीं जानता। जिला पंचायत का चुनाव का फार्म किस तारीख को भरा याद नहीं है। फार्म रज्जन मिश्रा व अजय द्विवेदी भरवाये थे। चुनाव का वर्ष 2006 था। नामांकन फार्म जमा करने के लगभग एक माह बाद मतदान हुआ था। कनवेशिंग के दौरान 24 गांवों का दौरा किया था। प्रचार जीप से करता था केवल एक कमाण्डर गाड़ी थी। गाड़ी मुसरियादीन यादव की थी वे श्रृंगवेरपुर के रहने वाले हैं। डीजल केवल देना पड़ा था। मेरे विरूद्ध जो यादव जी थे उन्हें समर्थन किस पार्टी ने दिया था पता नहीं है। मौर्या जी को किसने समर्थन दिया था याद नहीं है। यह कहना गलत है कि एक माह के दौरान मैने अतीक अहमद की गाड़ियों से प्रचार किया था। चुनाव मैं जीत गया था कितने वोट से जीता याद नहीं। उस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह थी। रेखा सिंह समाजवादी व केशरी देवी बसपा की थी। मैं केशरीदेवी के ग्रुप में था। यह कहना गलत है कि मैं रेखा सिंह के साथ घूम–धूमकर कनवेसिंग किया था। रेखा सिंह वर्ष 2006 में निर्वाचित हुई थी।

घटना वाले दिन मेरे घर मेरे परिवार के लोग थे। माताजी, पत्नी बच्चे भाई लोग थे। मैं चार भाई हूँ सभी का सामूहिक परिवार था। कोई मनमुटाव नहीं था। उस समय भाई अशोक पाल की उम्र क्या थी याद नहीं। इस समय 52–53 वर्ष के हैं। घटना के समय वह ट्रक के ड्राईवर थे। भाई दिनेश भी टेंकर ड्राईवर थे भाई जितेन्द्र बी0ए0 की पढ़ाई करते थे। अपहरण होने के पश्चात् मैं कितने बजे घर पहुंचा याद नहीं। घर पहुंचा तो मेरे घर में मेरी मां, पत्नी, मेरे भाई अशोक, दिनेश, जितेन्द्र तथा भाभी मोनादेवी व कृष्णापाल थी। घर पहुंचकर मैने अपने परिवार वालों

से पूँछा कि मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाये हैं या नहीं, तब उन्होंने कहा कि अतीक के आदमी आकर धमकी दिये थे। इसलिए डरवश कोई रिपोर्ट अंकित नहीं करायी। गवाह को प्रदर्श क–1 दिखाया गया देखकर उसने कहा यह तथ्य इसमें अंकित नहीं है। स्वयं उसने कहा कि उसने यह सारी बातें दरोगाजी को बतायी थी। दरोगाजी यदि यह सब मेरे बयान में नहीं लिखे है तो वजह नहीं बता सकता। फरवरी 2006 के पश्चात् विधानसभा चुनाव 2007 में हुआ था। चुनाव का माह याद नहीं। इस आवेदन के कितने दिन बाद चुनाव हुआ था याद नहीं। हो सकता है कि मई 2007 में चुनाव हुआ हो और 17 मई 2007 को विधानसभा का गठन हो गया हो। 2007 के चुनाव में बसपा से राजूपाल की पत्नी पूजापाल शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ी थी वह विजयी भी हुई थी। पूजा पाल के साथ उनके कनवेसिंग में मैं भी कभी–कभी जाता था। पूजा पाल को पुलिस प्रोटेक्शन कब से मिला है नहीं मालुम। पूजा पाल के चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस प्रोटेक्शन में रहती थी। मई 2007 में बसपा की सरकार बनी। मुख्यमंत्री मायावती बनी। प्रदर्श क–1 मुख्य मंत्री उ0प्र0 सरकार को सम्बोधित करके दी गयी थी। यह याद नहीं है कि प्रदर्श क–1 मैने किसे दी थी व किस तारीख को दी। गवाह ने कहा कि तीन तारीख को दी थी। टाइप करने वाले को मना किया था कि तारीख मत डालना। टाइप करने की तारीख याद नहीं। देने के एक से दो दिन पूर्व टाइप कराया था। 03.07.2007 व 04.04.2007 को मैं इलाहाबाद में था या इलाहाबाद से बाहर था। मुझे याद नहीं है। मैं दिनांक 03.03.2007 के पूर्व 2006 से सदस्य जिला पंचायत इलाहाबाद हो चुका था। प्रदर्श क–1 में जिस पर्चे का जिक्र किया होगा वह पर्चा अतीक अहमद कार्यालय में ही ले लिये थे। यह बात विवेचक को बताया था, वे नहीं लिखे तो मैं नहीं बता सकता। प्रदर्श क–1 में यह बात नहीं लिखी है। प्रदर्श क–1 में अतीक के आदमियों के द्वारा मेरे परिवार की धमकी व पर्चे के ले लेने की बात का उल्लेख न होने के कारण नहीं बता सकता। अदालत में बयान देने के काफी दिनों बाद तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला था। वर्ष 2014 से मैने अपने आपको एडवोकेट लिखना शुरू किया। मैं इस समय पुलिस प्रोटेक्शन में हूँ। दो पुलिस कर्मी मेरे साथ हैं। यह मेरे साथ 24 घण्टे रहते हैं। वर्ष 2014 से आज तक कई मुकदमों में मैं उपस्थित हुआ हूँ वकील के रूप में उनकी संख्या याद नहीं। रींवा से एल0एल0बी0 किया था। यह कहना गलत है कि मैने एल0एल0बी0 की परीक्षा नहीं दिया और फर्जी डिग्री ली। यह सही है कि जावेद का नाम प्रदर्श क–1 में नहीं है। जावेद के नाम की जानकारी घटना के कितने दिन प्राप्त हुई याद नहीं। विवेचक को भी मैने इनका नाम नहीं बताया था। एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के तीन माह पश्चात् जावेद का नाम मेरी जानकारी में आया था। जावेद से मैं पूर्व परिचित था। नाम व सकल दोनों से पहचानता था। मौके पर मैने उसे नहीं देखा था इसलिए पहले उसका नाम

नहीं लिया था।

राजूपाल हत्याकाण्ड के पश्चात् पूजापाल को जावेद का नाम मैने बता दिया था। पूजापाल ने एफ0आई0आर0 में जावेद का नाम क्येां नहीं लिखाया। इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था और न बेजा हिरासत में रखा गया और न ही अभियुक्तों द्वारा मुझे अदालत लाया गया था। यह भी कहना गलत है कि मैने अपनी मर्जी से पुलिस व महेशनरायण सिंह के साथ न्यायालय में दिनांक 01.03.2006 को आया था। अपनी मर्जी से बयान दिया था। यह भी कहना गलत है कि जब दिनांक 01.03.2006 को मै गवाही देने आया था तो उन दिनों पूजापाल से मेरी वैमनस्यता चल रही थी। यह भी कहना गलत है कि सत्तापरिवर्तन के पश्चात् जब पूजापाल से मेरी आत्ममियता बढ़ गयी तो एक झूंठी कहानी गढ़कर प्रदर्श क–1 तैयार किया। यह कहना भी गलत है कि अधिकारियों पर दबाव डालकर झूंठा मुकदमा लिखाकर पूरी फर्जी कार्यवाही करायी गयी। मायावती व अतीक के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी की जानकारी नहीं है। यह भी कहना गलत है कि नाजायज उगाही व राजनैतिक प्रभाव के कारण मैं सिखाने की वजह से झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कथन किया है कि इस मुकदमें के वादी उमेश पाल को जानता हूॅ। घटना दिनांक 28.02.2006 की है दोपहर के दो बजे के आसपास का समय था। मैं उस दिन आपने मोटर गैराज से जरूरी काम से दोपहर में घर वापस आ रहा था। पानी की टंकी के पास ओम प्रकाश सिंह बघेल पुत्र रामनाथ सिंह निवासी प्रीतमनगर कालोनी,इलाहाबाद मिले जो मुझसे पूर्व से परिचित है। मेरे साथ सुलेमसरांय तक के लिए मेरे मोटरसाईकिल पर बैठ गये। करीब दो बजे दोपहर में जैसे फांसी इमली पेड के पास पहुंचने वाले थे तभी देखा फांसी इमली पेड की पटरी पर उमेश पाल सांसद अतीक अहमद की दो गाड़ियों के बीच में फंसे हुए थे। गाड़ी लैण्डक्रूजर जिसका नम्बर डीएल 1 जी/8418 व दूसरी गाडी चैजेन्जर नं0 केए05जेड/ 1118 था। लैण्डक्रूजर गाड़ी से दिनेश पासी पुत्र मूलचन्द्र, अंसार अहमद पुत्र सिराजउद्दीन व एक अन्य आदमी हांथ में लिये असलहे लिए मारपीट कर उमेश पाल को गाड़ी में पटक दिये। उस गाड़ी में सांसद अतीक अहमद और अन्य बैठे थे जिसे पहचान नहीं सका। चैलेन्जर गाडी से फरहान अहमद, इसरार, जावेद, आसिफ उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर पांचो आदमी असलहे लिये थे। सभी उमेश का अपहरण किये और गाड़ी में बैठ गये। दोनों गाड़ियां तेजी से चकिया की तरफ चली गयी। एक अन्य आदमी उमेश की मोटरसाईकिल लेकर पीछे–पीछे गया। हम लोग डरकर सडक की पटरी के किनारे खडे होकर घटना देखते रहे। डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं सका। कोई डर के कारण पास भी नहीं जा पाया। मैं व बघेल,

उमेश के घर गये, उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें सारी जानकारी घटना की दिये। घर में रोना पीटना मच गया। इसके पश्चात् मैं घर चला गया। बाद में उमेश ने मुझसे बताया कि ये लोग मुझे अगले दिन न्यायालय ले जाकर विधायक राजू पाल हत्याकाण्ड के मुकदमें में मारपीटकर गवाही करवा लिये हैं। उसने यह भी बताया कि अशरफ और आबिद जेल से ही धमकी देते थे। अपहरण उन्हीं की साजिश से हुआ था। दरोगाजी मुझसे पूँछतांछ किये उसका बयान लिये थे।

जिरह अतीक अहमद की तरफ से प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि '' मेरी गैरेज सिविल लाइन्स में सीताराम आंख अस्पताल के बगल में है। उसका मकान नंम्बर मुझे याद नहीं। गैरेज के मालिक आदि दूबे और दो–तीन लोग हैं। सारे मालिकों का नाम मुझे नहीं मालुम है। मैं वहां मैकेनिक था तनख्वाह मुझे नहीं मिलती थी जितना काम करता था उसी के हिसाब से पैसा मिलता था। मुझे नहीं मालुम कि वहां कोई रजिस्टर काम करने वालों का रखा जाता है अथवा नहीं। हफ्ते 10 दिन में मेरा हिसाब होता था। 6–7 हजार रूपया महीना मुझे मिल जाता रहा होगा। उस गैरेज से मेरा घर 13–14 किलोमीटर दूर है। एक बीघा खेत भी हमारे पास है। हम चार भाई हैं सभी का उसी एक बीघे में हिस्सा है। अब मैं उस गैरेज में काम नहीं करता हूँ। जिस महीने यह घटना घटी थी उसके लास्ट तक गैरेज गया फिर छोड दिया। इस समय कम्प्यूटर की दुकान है उसी में बैठता हूँ। आजकल हमारी आमदनी का कोई श्रोत नहीं है। मार्केट का किराया आता है फोटोकांपी व कम्प्यूटर की दुकान है। दुकान हमारे नाम है। मैं ही उस दुकान का मालिक हूँ। मकान नं0–37बी/1 है। वर्ष 2010 से यह मकान हमारे पास है। मकान कितने में खरीदा याद नहीं है। यह कहना गलत है कि हमारा काम गुण्डागर्दी करना है गुण्डा टैक्स वसूलना है। हमारी शादी नहीं हुई है। घटना वाले दिन सुबह 9:00 बजे के आसपास मैं गैरेज जाने हेतु अपने घर से निकला था। मैं पौने दस–10:00 बजे गैरेज पहुंचा था। उस रोज एक आध गाड़ी पर काम किया था। मैं रोजाना 6 सढ़े बजे गैरेज से वापस जाता था। घटना वाले दिन मैं फिर लौटकर गैरेज गया था फिर कहा कि दुबारा गैरेज नहीं गया था। यह बात सही है पहले वाली बात सही नहीं है। कैसे बोल दिया नहीं कह सकता। घटना के बाद उमेश पाल के घर होते हुए अपने घर चला आया। दोपहर के 2:15 बजे के आसपास उमेश के घर गया था। उमेश के घर उनकी माताजी भाई दिनेश, पप्पू व रमेश मिले उनकी भाभी मिली, बहन भी मिली थी। उनसे सारा किस्सा हमने बताया। उनसे उन मुलजिमान का नाम भी बताया था, जिनको पहचाना था। मुझे इस बात की शंका भी हुई थी कि उमेश की हत्या भी हो सकती है। मैने उनकी जान बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अपने घर में तीन बजे के आसपास पहुंच गया फिर अपने घर पर ही रहा। दूसरे दिन अपने गैरेज गया था। दूसरे दिन पौने दस बजे से साढे 6

बजे शाम तक घर पर रहा। उमेश पाल के घर से मैं अपने घर जा रहा था थाने वाले रास्ते से मैं नहीं गया था। अतः धूमनगंज थाना नहीं पड़ा। मैने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। इस घटना वाले दिन उमेश पाल के घर वालों के अन्य किसी और को घटना के बारे में नहीं बताया। इस घटना के बारे में उमेश के परिवार वालों के अलावा बाद में दरोगाजी को बताया था और आज अदालत में बता रहा हूॅ और किसी को नहीं बताया था। मुझसे अभियुक्त कुछ नहीं कहे थे। राजूपाल हत्याकाण्ड के मामलेमें मैं गवाह था मुझसे किसी ने छेडछाड नहीं की थी। उस मुकदमें में पुलिस बयान ली थी। पुलिस को सारी बात बतायी थी। कत्ल के करीब 2 वर्ष बाद पुलिस ने बयान लिया था। जब पुलिस आयी थी तो घटना के बारे में राजूपाल हत्या के बारे`में पुलिस को ब ताया था और किसी को हत्या काण्ड के बारे में नहीं बताया था। मकान मैने लल्लूलाल चौरसिया से खरीदा था। जो मकान मैने खरीदा था वह ललित सोनकर का मकान नहीं था। ललित सोनकर की हत्या होने की जानकारी मुझे है। मुझे मुलजिम उस मुकदमें में बनाया गया था। मैने उमेश पाल के परिवार वालों को बताया था। पुलिस की सहायता लेने की बात नहीं की थी। अपहरण के एक साल बाद दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। उमेश अपहरण वाले मुकदमें में दरोगाजी को यह बयान नहीं दिया था कि मुझे बाद में पता चला कि उमेश राजूपाल हत्याकांण्ड का चश्मदीद गवाह था। यह बात दरोगाजी कैसे लिख लिये इसका कारण नहीं बता सकता। इस घटना के 15–20 दिन बाद मेरी मुलाकात उमेश पाल से हुई थी। घर के पास उमेश के घर के पास ही मुलाकात हुई थी उस रोज बातचीत हुई थी। मैने उमेश पाल से यह नहीं कहा था कि मैने घटना देखा था। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और मैं जानबूझकर गलत बयानी कर रहा हूॅ।

इसरार द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कहा कि मैं कक्षा–9 तक पढ़ा हूॅ अखबार पढता हूॅ। इस घटना के बारे में अखबार में छपा था या नहीं मुझे नहीं मालुम। मेरे घर पुलिस नहीं आती थी। मैं किसी पुलिस अधिकारी के पास नहीं गया। मेरा गैरेज मालिक पढ़ा लिखा होगा। कोई दरख्वास्त मैने उनसे नहीं लिखाया। किसी से कोई चर्चा नहीं सुनी थी अखबार में इस बारे में कुछ निकला है। पुलिस से ही पहली बार मैने इस घटना की चर्चा उस वक्त की जब वे बयान लेने आये थे।

ललित हत्याकाण्ड में मेरे अलावा और अन्य लोग नामजद थे। पूजा पाल भी उसमें मुलजिम है। उस मुकदमें में हाईकोर्ट में सभी ने रिट किये हैं। रिट अभी लम्बित है। बक्सीमोढ़ा गांव जानता हूॅ। गांव के प्रधान कौन है नहीं जानता। गांव कसारी को भी जानता हूॅ। सामने आने पर गांव के कुछ लोगों को पहचान सकता हूॅ। अंसार बाबा की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी उन्हें देखा था। किसी ने परिचय

नहीं कराया था। आते–जाते उन्हे ंदेखा था किसी ने परिचय नहीं कराया था। उनके लड़के के मामले में गवाह हूॅ या नहीं याद नहीं। मैं थोडी बहुत राजनीति भी करता हूॅ। बसपा से सम्बन्ध रखता हूॅ। घटना के समय सपा सरकार थी। उसके पश्चात् बसपा की सरकार एक वर्ष बाद आयी थी। उसी चुनाव में पहली बार पूजा पाल विधायिका बनी। आज पूजापाल अदालत में बैठी हैं हमारी रिश्तेदार नहीं है। मैं इनके साथ इनकी सुरक्षा में नहीं रहता। राजूपाल हत्याकाण्ड में मेरी गवाही कोर्ट में नहीं हुई है। किस–किस की गवाही हो चुकी है मुझे नहीं मालुम। उमेशपाल की गवाही हुई है। गवाही में क्या हुआ नहीं मालुम। इस मामले के एफ0आई0आर0 के पश्चात् मैं ब्लाक प्रमुख का चुनाव लड़ा था। ब्लाक प्रमुखी के चुनाव के समय मेरा नाम इस मुकदमें की गवाही मे ंआ गया था। मैं नहीं जानता। वारण्ट आया तब जानकारी हुई। मेरे क्षेत्र में कितने गांव हैं याद नहीं। कितने बी0डी0सी0 सदस्य हैं याद नहीं। मैं 19 वोट पाया था जीत गया था। एक बी0डी0सी0 के लिए कितना पैसा देना पड़ा था मुझे पता नहीं। मैं इसके पूर्व 2004 में निर्दल विधानसभा चुनाव लड़ा था। कई लोग उठे थे अशरफ, राजूपाल भी उठे थे फिर बसपा ज्वाइन किया। राजूपाल की हत्या के समय मैं किसी दल में नहीं था।

फांसी इमली का पेड इसे क्यों कहते हैं मुझे नहीं मालुम। उस पेड के पास कोई आबादी नहीं थी। वहां से उमेशपाल का घर एक किलोमीटर अन्दर होगा। उमेश पाल का एक ही मकान मैं जानता हूॅ। वे परिचित है दोस्ती है। वर्ष 2004 से मेरी इनसे दोस्ती है। चुनाव को लेकर दोस्ती हुई थी। उमेश किसे सहयोग कर रहे थे मैं नहीं जानता। हमारा सहयोग करने के लिए कहे थे। उमेश पाल के विरूद्ध कितने मुकदमें हैं मैं नहीं जानता। चुनाव के समय मैं मिस्त्री का काम करता था। ब्लाक प्रमुख के चुनाव तक वह काम छोड दिया था। घर व दुकान आदि का काम करता था। ब्लाक प्रमुखी के चुनाव में कितना खर्च हुआ नहीं जानता। इस समय मेरे पास सफारी गाडी है। दस हजार उसकी किस्त आती है। मकान किराये से किस्त देता हूॅ। मकान दुकान का किराया आता है। रामबली सिंह से मुकदमा चल रहा है। इसरार हमारे गांव के नहीं है। हमारे गांव से उनका गांव 6–7 किलोमीटर दूर है। इसरार गाडी से उतरे फिर गाडी से उमेश को ले गये। कोई उनके साथ गाडी में हरकत किये होगें। सारी बातें दरोगाजी को बतायी थी न लिखे तो इसकी वजह नहीं बता सकता। मुझे नहीं मालुम कि यह एफ0आई0आर0 मायावती के निर्देश पर की गयी थी। घटना वाले दिन मेरे पास मोबाइल नहीं था। जरूरी काम था कुछ लोग रिश्तेदार घर आने वाले थे। मेरे मामा मूलचन्द्र भी आने वाले थे उनके साथ कुछ और लोग भी आने वाले थे उनका नाम नहीं जानता। वे सभी आये थे शाम को चले गये। यह कहना गलत है कि उस दिन कोई कथा नहीं होने वाली थी। मैने कोई शादी नहीं की है। यह कहना गलत है कि पूजा पाल का घर मेरा

टैम्पोरेरी ठिकाना है। यह कहना गलत है कि मेरे और पूजा पाल के बहुत मधुर सम्बन्ध है। पूजा पाल आज भी आयी हैं। मै अपनी गाडी से आया हूॅ वे अपनी गाडी से आयी होगीं। यह कहना गलत है कि वे मेरे ऊपर गवाही के लिए दबाव बनाये रखी है। घटना वाले दिन एक गाडी में काम किया था। गाडी किसकी थी याद नहीं।

अभियुक्त दिनेश पासी, खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तरफ से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि गुड्डू पाल के अपहरण के मुकदमें में मैं भी गवाह हूॅ। महेन्द्र पटेल के अपहरण के मामले में मैं गवाह नहीं हूॅ। राजूपाल मर्डर में मै गवाह हूॅ। वर्ष 2007 में दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। गाड़ियों का मुंह फांसी इमली के सडक के पट्टी के तरफ था। गाड़ियों का मुंह उत्तर की तरफ था। दिशा का ज्ञान मुझे हैं। दोनों गाड़ियो के बीच 5–6 फिट का फासला था। दोनों गाड़ियों का मुंह एक तरफ था। मैं इन गाड़ियो से 30–40 मीटर फिर कहा कि 30–40 फिट दूर था। मुझे नही मालुम कि उमेश पाल मुझे देखे थे मुलजिमान मुझे देखे थे या नहीं मुझे नहीं मालुम। उस समय सभी हडबड़ा गये। मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों अपहरण किये हैं।

रायफल, बंदूक लोग लिये हांथ–पैर से मार रहे थे। बंदूक सटाये थे। मैने 04साल गैराज में नौकरी किया था। 6 साढे 6:00 बजे गैराज से वापस जा रहा था उस दिन घर पर कार्यक्रम था इसलिए पहले चला जा रहा था। जब कभी काम होता था तब गैराज से पहले ही चला जाता था। ऐसा मौका कभी–कभी पड़ता था। ओमप्रकाश इसके पहले कभी–कभी मिलते थे। जब मिलते थे बातचीत होती थी। कभी–कभी उन्हें अपने साथ बैठा लेते थे। इसके पहले कब ओमप्रकाश को अपने साथ बैठाकर ले गया, याद नहीं। ओमप्रकाश कहां से आ रहे थे, नहीं पूॅछा। मुझे ऐसा लगा था कि लोग अपहरण कर उसकी हत्या कर सकते हैं। हमने स्वयं उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, केवल उसके घर वालों को सूचना दिया था। मुझे मुलजिमान का डर था। मैने घटना के बाद उमेश पाल के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया। उस समय मुझे जानकारी थी कि उमेश पाल राजूपाल हत्याकाण्ड के गवाह हैं। उस समय उमेश पाल के अपहरण की जानकारी मुझे मालुम नहीं। मुझे पूर्व में अपने द्वारा दिये गये बयान की जानकारी है। मैने दरोगाजी को यह बयान नहीं दिया था कि मुझे बाद में पता चला कि उमेश, राजूपाल का चश्मदीद गवाह था। उसके बयान से सांसद अतीक अहमद उनके भाई व अन्य मुलजिम सजा पा जाते। इसलिए अगले दिन ले जाकर उमेश पाल का बयान करा लिया। यदि ऐसा दरोगाजी लिखे है तो वजह नहीं बता सकता। घटना के 15–20 दिन बाद फिर मेरी उमेशपाल से मुलाकात हुई। उमेशपाल खुद से मुझे बताये थे कि लोग अगले दिन कचेहरी ले जाकर मुझे मारपीट कर राजूपाल मामले में गवाही करा लिये है। उमेश

पाल सारी बातें खुद ही मुझे बताने लगे थे। इसलिए मैने स्वयं कुछ नहीं पूँछा था। मैं डर गया था। इसलिए उमेशपाल के घर बताने के अलावा मैने स्वयं कुछ नही किया। दरोगाजी व अदालत के अलावा इस घटना के बारे में घर पर बाते बतायी। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना न हुई हो। इसलिए मैने किसी से कुछ नही बताया। उमेश पाल से आज बातचीत नहीं हुई। अदालत में दिखे हैं। यह कहना गलत है कि उमेशपाल से मुलाकात की बात जानबूझकर छिपा रहा हूँ। उमेश पाल मेरी बिरादरी के हैं दोस्त हैं। एक ही पार्टी के हैं, लेकिन रिश्तेदार नहीं है। पूजा पाल आज अदालत में है मेरे साथ नहीं आयी हैं। पिछली तारीख को भी वे मेरे साथ नहीं आयी थी। उमेश पाल को खून बह रहा था या नहीं मुझे नही मालुम है। मुझे सारी घटना दिखा दी थी। मुलजिमान के चेहरे देख रहा था वे चेहरे ढके नहीं थे। दिनेश पासी को 8–10 वर्षो से जानता हूँ। ये किस पार्टी में है नहीं जानता। अतीक अहमद से इनका क्या सम्बन्ध है मुझे नहीं मालुम है। दिनेश पासी सुना है पहले सभासद भी थे। मुझे नहीं मालुम इनके विरूद्ध सभासद का चुनाव कौन लड़ा था। बच्चा साहू को मैं जानता पहचानता हूँ। बच्चा साहू का मैने साथ दिया। यह मुझे याद नहीं है। दिनेश पासी के दुकान में तोड–फोड पर बच्चा पासी व उमेश पाल पर एफ0आई0आर0 दर्ज होने की जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। मैं उमेशपाल व पूजापाल के कहने पर झूंठी गवाही दे रहा हूँ। यह भी कहना गलत है। मैं उमेशपाल से बताया था कि मैने घटना देखी है। मैं अभी जो कहा हूँ वह सही है। यदि पिछले बयान में यह लिखा है कि मैने उमेशपाल से यह नहीं कहा था कि मैने घटना देखा था तो इसकी वजह नहीं बता सकता। मैं इस घटना के पूर्व का कोई मौका नहीं बता सकता कि इस घटना के पूर्व एक गैराज से समय से पहले चला आया हूँ। ओमप्रकाश इसके पूर्व कब मेरे मोटरसाईकिल पर बैठे थे मुझे याद नहीं है। उमेश पाल मुझे देखकर मेरा नाम लेकर बचाने की कोशिश नहीं किये। वे मदद के लिए बुलाये या नहीं मुझे नहीं मालुम है। मैं उन्हें देखा वे मुझे देखे या नहीं मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि न मैने उमेशपाल को देखा और न ही उमेश पाल मुझे देखे और न ही ऐसी कोई घटना हुई। मुझे याद नहीं गुड्डू पाल के अपहरण के समय मैं घटनास्थल पर कैसे पहुंच गया अभी इस बारे में याद नहीं है। यह कहना गलत है कि इस मामले तथा राजूपाल हत्याकाण्ड में मैं फर्जी गवाह बनाया गया हूँ। दरोगाजी को कैसे जानकारी हुई कि मैं घटना का गवाह हूँ मैं नहीं बता सकता।

अभियुक्त आसिफ उर्फ मल्ली की तरफ से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें उसने कहा कि मैने मोटर मैकेनिक का कार्य काफी दिनों तक किया है। इस मुकदमें का वादी मेरे साथ राजूपाल हत्याकाण्ड का गवाह है। मुझे पुलिस ने

इस मुकदमें में चश्मदीद गवाह बनाया है। उमेशपाल को मैं 2004 से जानता पहचानता हूॅ। घटना के एक वर्ष पश्चात् मेरा बयान पुलिस ने लिया था। बयान के तारीख की याद नहीं है। एक वर्ष के बीच इस घटना के बारे में पुलिस को घटना के बारे में बताने हेतु मिलने का प्रयास नहीं किया। एक वर्ष के बीच मैने पुलिस को घटना के बारे में क्यों नहीं बताया, नहीं बता सकता। आसिफ उर्फ मल्ली को आते–जाते देखा था। मुझे इसके बारे में कोई बताया नहीं था। उसके पिता का नाम मुझे याद नहीं। आसिफ बम्हरौली की तरफ रहते हैं मैं पीपलगांव रहता हूॅ। दोनों स्थानों की दूरी 5–6 किलोमीटर की है।

इस साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि घटना के समय मैं इलाहाबाद से सुलेमसरांय की तरफ जा रहा था। चैलेन्जर गाडी की लम्बाई 16 से 18 फिट होती है कि नहीं यह नहीं बता सकता। लैण्डक्रूजर गाडी की लम्बाई 16 से 18 फिट होती है। मैने यह बयान दिया है कि दोनों गाड़ियां रोड पर खडी थी उनके बीच में उमेशपाल था। करीब 40–45 मीटर दूर से देखा था। जी0टी0 रोड़ पर काफी आवागमन है। घटना के समय ज्यादा जाम नहीं था। मैं वहां 5–7 मिनट तक रूका रहा। मेरे रूकने के दौरान जी0टी0 रोड पर थोडा जाम लग गया था। इलाहाबाद से जाते समय मैं सडक के बायी तरफ था। उस स्थान पर जहां था वहां की सडक की चौडाई 22 से 24 फिट थी, मै नहीं बता सकता। मैने नापा नहीं था। दरोगाजी ने मेरे बयान में गाडियों के सुलेमसरांय की तरफ से आने व फांसी इमली के पास से चकिया की तरफ जाने की बात दरोगाजी को बतायी थी यदि वह नहीं लिखे तो मैं नहीं बता सकता। चैलेन्जर व लैण्ड क्रूजर की उचाई 6 फिट से ज्यादा होती है। यह कहना गलत है कि मैने कोई घटना नहीं देखी। यह कहना गलत है कि मैं आसिफ उर्फ मल्ली को पहले से नहीं जानता था उसका नाम पुलिस के बताने पर मैने पहली बार लिखा।

दिनांक 27.07.2018 को पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल के बयान सत्र परीक्षण संख्या–1336ए/2009 में मुख्य साक्ष्य के रूप में अंकित किया गया, जिसमें इस साक्षी ने अपने दिनांक 05.11.2016 को अंकित कराये गये मुख्य साक्ष्य की बातों को ही दोहराया है। इस साक्षी की जिरह सत्र परीक्षण संख्या–1336/2009 में की गयी जिसमें उसने कथन किया है कि अपहरण वाली घटना के समय मैं गैराज में काम करता था। इसके अतिरिक्त आमदनी का कोई अन्य श्रोत में मेरे पास नहीं था। उस समय मेरे पास केवल पुश्तैनी मेरा घर था। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य अचल सम्पत्ति नहीं थी। इस समय मेरे पास एक गाडी तथा एक मकान है। मकान मैने लल्लूलाल चौरसिया से खरीदा था। कितने रूपये में खरीदा था। याद नहीं है। एक रफ आइडिया भी मूल्य का नहीं दे सकता। जो मकान खरीदा था उसमें रामबली सिंह से विवाद था। राजूपाल की हत्या 25 जूनवरी 2005 को हुई थी। उस

हत्याकाण्ड के दो वर्ष बाद मुझे जानकारी हुई कि मै भी उस मामले में गवाह हूॅ। दिनांक 28.02.2006 तक मुझे नहीं मालुम था कि मैं उस मामले में गवाह हूॅ या नहीं। अपहरण वाले मुकदमें में दरोगाजी आये। मेरा बयान लिये, तब मालूम हुआ कि मैं गवाह हूॅ। मुझे पहले से जानकारी थी कि मैं गवाह हूॅ। अपहरण वाले घटना के बारे में सबसे पहले उमेशपाल के घर वालों को बताया फिर पुलिस दरोगा को बताया था। पूजा पाल को विधानसभा के चुनाव के समय से जानता हूॅ। इसके पूर्व से उसे नहीं जानता था देखा नहीं था। राजूपाल हत्या काण्ड में 6–7 माह पश्चात् विधानसभा चुनाव हुआ था। इस प्रकरण में पूर्व में बयान व जिरह मेरा हो चुका है। पहली बार मेरा बयान हुआ था तब पूजापाल मेरे साथ नहीं आयीं थी। अदालत आयी थीं देखा था। आज उमेशपाल को कचहरी की सीढी पर चढ़ते देखा है। उनके साथ आज नहीं आया हूॅ। दरोगाजी जब मेरा बयान लिये थे उसका दिन व तारीख मुझे याद नहीं है। बयान मेरे घर पर लिये थे। मेरे हस्ताक्षर भी कराये थे। जावेद को वर्ष 2004 से जानता हूॅ। उनके पिता का नाम याद नहीं है, कितने भाई है नहीं मालूम कभी जावेद के घर नहीं गया हूॅ। जावेद की शिनाख्त करने कभी जेल नहीं गया। यह कहना गलत है कि अपहरण जैसी कोई घटना मेरे सामने नहीं घटी न मेरे सामने उमेशपाल का अपहरण हुआ। यह कहना गलत है कि पार्टीबंदी के कारण मैं झूंठी गवाही दे रहा हूॅ। .

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 कण्व कुमार मिश्र ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वर्ष 2007 में मैं बतौर थानाध्यक्ष धूमनगंज तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या–270/2007 अर्न्तगत धारा–147,148,149,323, 341, 342, 364, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की विवेचना मैने दिनांक 05.07.2007 को ग्रहण किया। पर्चा नं0–1 उसी दिन किता किया और नकल चिक, नकल रपट का तसकिरा किया। लेखक एफ0आई0आर0 कां0 विजेन्द्र कुमार, वादी मुकदमा उमेशपाल का बयान अंकित किया था तथा वादी की निशादेही पर घटनास्थल फांसी इमली का पेड का निरीक्षण किया। समयी साक्षीगण का बयान अंकित किया तथा **मौके का नक्शा नजरी अपने लखे हस्ताक्षर में मौके पर ही तैयार किया जो कागज संख्या–7ए/1 है। इसे तसदीक करता हूॅ प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। उसी दिन समय 20:15 पर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त दिनेश पासी को गिरफ्तार किया व उसका बयान अंकित किया। समय 20:35 पर उसे हवालात दाखिल किया गया।

मुख्य साक्ष्च में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पर्चा नं0–2 दिनांक 07.07.2007 को किता किया जिसमें वादी मुकदमा उमेश पाल का बयान अंकित किया गया। वादी मुकदमा द्वारा पूर्व में दिये गये प्रार्थनापत्र अन्तदेशीय तार का अवलोकन कर उसका तसकिरा भी किया गया। वादी मुकदमा से प्राप्त अभिलेख माननीय उच्च

न्यायालय का अभिलेख शासन की सुरक्षा नीति एवं आदेश का भी तसकिरा किया। तत्पश्चात् अंसार अहमद की दबिश का तसकिरा किया। पर्चा नं0–3 दिनांक 10.07.2007 को किता किया, जिसमें घटना में प्रयुक्त वाहन व शस्त्र, वाहन लैण्डक्रूजर नं0 डीएल1सीजी/8414 फिर कहा कि 8418 व डीबीबीएल बंदूक नं0–54204 व 20 अद्द कारतूस 12 बोर मय बेल्ट बरामद हुआ। फर्द कब्जा का तसकिरा किया गया। पर्चा नं0–5 दिनांक 19.07.2007 को किता किया गया जिसमें वादी उमेश पाल का बयान धारा–164 द0प्र0संहिता अंकित कराने का तसकिरा किया गया। पर्चा नं0–6 लगायत पर्चा नं0–33 में विवेचना के क्रम में सभी अभियुक्तों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का उल्लेख किया गया तथा **आरोप–पत्र संख्या कागज संख्या–4ए/1 प्रदर्श क–3** को साक्षी द्वारा **अपने लेख व हस्ताक्षर** में साबित किया गया। अभियुक्त फरहान पुत्र स्व0 अनीस पहलवान को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लेकर ग्राम मरियाडीह में अभियुक्त के घर के पास टूटे खपरैल से मिट्टी हटाकर आंगन से पालीथिन में लिपटा हुआ तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर को बरामद किया गया, जिसको मौके पर ही सील मुहर किया गया तथा मौके पर ही फर्द तैयार की गयी। फर्द बरामदगी सत्र परीक्षण संख्या–1335/2009 राज्य प्रति फरहान कागज संख्या–5ए/2 में संलग्न है उसे **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया है।

इस साक्षी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से बरामद बंदूक डीबीबीएल गन नं0 139782 जिस पर मुकदमा अपराध संख्या–270/2007 राज्य प्रति एजाज अख्तर अंकित है, उसे **वस्तु प्रदर्श–1** के रूप में साबित किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या–244/2007, राज्य प्रति फरहान में सील बंद तमंचा व कारतूस को वस्तु प्रदर्श–3, 4, व 5 तथा सर्व मुहर कपडा **वस्तु प्रदर्श–2** के रूप में साबित किया गया है। लैण्डक्रूजर गाडी संख्या डीएल1सीजी/8418 को न्यायालय में साक्षी द्वारा तसदीक किया गया और बताया गया कि यह वही गाडी है जिसे मैने सांसद अतीक अहमद के घर से बरामद किया था, जिसे आज क्रेन से खींचकर लाया गया है। इसकी मैं तसदीक करता हूँ इस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया।

साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि वादी द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 थाना कार्यालय में मैने स्वयं जांच करने के उपरान्त दाखिल किया था। चिक एफ.आई.आर. में सूचना देने वाले व न्यायालय के सम्बन्ध में दोनों कालम खाली हैं। चिक एफ0आई0आर0 में मजिस्ट्रेट महोदय के नीचे दिनांक 10.07.2007 अंकित है। न्यायालय में चिक एफ0आई0आर0 किस तारीख को पहुंची इसकी जांच नहीं की। चिक एफ0आई0आर0 में किसी मुलजिम की वल्दयित व सकूनत दर्ज नही है। चिक एफ0आई0आर0 में घटना की तारीख में 8 के ऊपरी हिस्से पर कलम घुमाई हुई प्रतीत हो रही है। मुकदमें की तफ्तीश करने के लिए जी0डी0 में इन्द्राज करके निकलते हैं। वापस आने पर फिर इन्द्राज करते हैं। दिनांक 05.07.2007 को

वापस आने पर इन्द्राज नहीं किया कि उमेश पाल का बयान दर्ज किया है। गवाह दिलीप पाल का बयान दिनांक 18.07.2007 को दर्ज किया, लेकिन बयान दर्ज किये जाने का कोई इन्द्राज नही किया।

इस साक्षी का बयान सह विचारित सत्र परीक्षण संख्या–1336ए/2009 में पुनः दिनांक 13.08.2018 को अंकित किया गया जिसमें **नक्शा नजरी को प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया गया है तथा आरोप–पत्र को **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 05.07.2007 को वादी मुकदमा का बयान उसके द्वारा लिखा गया था समय याद नहीं। दिनांक 05.07.2007 को थाना किस समय छोड़ा याद नहीं। किन–किन गवाहों के बयान उस दिन दर्ज किया यह नहीं लिखा है। वादी मुकदमा उमेश पाल ने अपने बयान में मुझे यह बात अदालत में बयान देने के बाद जब मैं घर वापस आया तो अपने परिवार वालों से पूछा कि कोई रपट लिखी की नहीं तो परिवार वालों ने बताया कि अतीक अहमद के आदमी आकर धमकी दिये थे। इसलिए डरवश रिपोर्ट नहीं लिखाया, दिनांक 05. 07.2007 को नहीं बताया था। दिनांक 18.07.2007 को गवाह दिलीप पाल का बयान पीपलगांव में लिया था समय याद नहीं। दौरान विवेचना मैने यह जानने की कोशिश नहीं किया कि दिलीप पाल घटना वाले दिन किस कारखाने में काम करता था। न उस कारखाने गया न वहां के किसी आदमी से पूॅछतांछ किया। इस गवाह ने अपने बयान में मुझे यह बताया था मुझे बाद में पता चला कि उमेश राजू पाल विधायक हत्याकाण्ड का चश्मदीद गवाह था। दौरान विवेचना मैने उमेश पाल के घर वालों का बयान नहीं लिया। पर्चा नं0–2 में सी0ओ0 कार्यालय का नोट और सी0ओ0के हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। यह कहना गलत है कि केस डायरी के पर्चे फर्जी तरीके से मेरे ट्रान्सफर होने के बाद लिखवाये गये।

इस साक्षी ने अपनी जिरह दिनांक 09.02.2018 को यह कथन किया है कि वादी मुकदमा सर्वप्रथम मुझसे दिनांक 05.07.2007 को किस स्थान पर मिला याद नहीं। सी0डी0 देखकर बताया कि घर पर मिले थे। वादी का मकान जी0टी0 रोड़ पर है। पुलिस स्टेशन जी0टी0 रोड से लगी हुई सडक तक है।जी0टी0 रोड व पुलिस स्टेशन के बीच कुछ दुकाने हैं कितनी दूकाने हैं याद नहीं। जी0टी0रोड व थाने की दूरी 50 मीटर दूर होगा। जब मैं विवेचना में निकला तो वादी की तहरीर हमारे साथ नहीं थी। यह कहना गलत है कि मैने वादी का बयान लेते समय वादी के द्वारा ही दी गयी दरख्वास्त प्रदर्श क–1 उसे दिखाकर उसके हस्ताक्षर को तसदीक किया था। वादी का बयान मैने दो बार दर्ज किया है दिनांक 05.07.2007 व दिनांक 07.07.2007 को। पर्चा नं0–1 पांच जुलाई को पर्चा नं0–2 सात जुलाई को किता किया जिस पर सी0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है। सी0डी0 के पूरे पर्चे मेरे ही

हस्ताक्षर व लेख में है। मई 2007 में उ0प्र0 में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लखनऊ गेस्ट हाउस काण्ड की जानकारी मुझे है। मुझे जानकारी नहीं है कि मायावती के साथ कुछ अभद्रता करने की बात थी या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है कि उस काण्ड में अतीक अहमद व मुलायम मुलजिम थे या नहीं। मुझे मायावती व अतीक अहमद के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी की जानकारी नहीं है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जुलाई 2007 में करीब एक माह पूर्व मै थाना प्रभारी बना था। उक्त थाने में जून से पदस्थापित था। जुलाई 2007 में उस क्षेत्र की विधायिका पूजा पाल थी,जो बसपा से सम्बन्धित हैं। दिनांक 03.07.2007 के पूर्व इस काण्ड की जानकारी मुझे नहीं थी। दिनांक 03.07. 2007 के दरख्वास्त की अलग से कोई जांच रिपोर्ट तैयार नहीं किया था। इस मुकदमें के वादी के उपर कितने मुकदमें पंजीकृत हैं इसकी जानकारी विवेचना के दौरान मुझे नहीं हुई। यह जानकारी करने का प्रयास नहीं किया कि उसके विरूद्व किस–किस प्रकार के मुकदमें थे। उमेश पाल ने अपने बयान मे अपना कोई मोबाइल नम्बर नहीं बताया था। उसने ऐसा बयान दिया था कि काफी दिन हो गये नम्बर याद नहीं आ रहा है। विवेचना के दौरान अतीक अहमद का कार्यालय भी देखा था। इलाहाबाद का हेड पोस्ट आफिस देखा हूॅ कचेहरी से धूमनगंज जाते समय रास्ते में नहीं पड़ता है। मुख्य रोड से करीब डेढ मीटर दूर होगा। अतीक अहमद का कार्यालय इसके बीच में नहीं है। हेड पोस्ट आफिस से अतीक अहमद का कार्यालय पश्चिम–दक्षिण कोने पर करीब एक–दो किलोमीटर दूर है। वादी मुकदमा ने यह नहीं बताया था कि मेरा बाल पकड़कर घसीट लिया था। वादी मुकदमा ने यह बयान मुझे नहीं दिया कि मुझे बंद कर अतीक अहमद कहने लगे मादर चोद इतने देर से समझा रहा हूॅ जब राजू पलवा विधायक बनकर चार महीने से ज्यादा नहीं चला उसको मरवा दिया तो तेरी क्या औकात है। मैं रोने व गिडगिड़ाने लगा व जान की दुहाई मांगने लगा। वादी मुकदमा ने यह भी बयान में नहीं बताया कि वकील साहब कमरे में खडे थे। दौरान विवेचना वादी ने मुझे टेलीग्राम की कोई कांपी नहीं दी थी। वादी ने अपने पहले बयान में यह नहीं बतायाथा कि अतीक के आदमियों ने मेरी मोटरसाईकिल मेरे घर पहुंचवा दिया था। वादी मुकदमा ने अपने बयान में यह बताया था कि दिलीप पाल मेरे साथ घटित घटना की सूचना देने मेरे घर भी गये और पूरी बात मेरे घर वालों से बताया। गवाह दिलीप पाल ने अपने बयान में मुझे यह बताया था कि मुझे बाद में पता चला कि उमेश राजूपाल का चश्मदीद गवाह था। यह कहना गलत है कि उच्चाधिकारियों के दबाव में फर्जी तरीके से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

अपनी प्रतिपरीक्षा दिनांक 16.02.2018 में साक्षी ने कथन किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती या उनके वैयक्तिक सहायक के हस्ताक्षर मैं नहीं पहचानता हूॅ।

प्रदर्श क–1 पर मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यालय के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह मुकदमा मुख्यमंत्री के निर्देश पर कायम नहीं हुआ था। प्रदर्श क–1 पर एस0पी0 सिटी श्री जुगुल किशोर के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थनापत्र मुख्यमंत्री को सम्बोधित डीएल1सीजी/8418 तहरीर में लैण्डक्रूजर वाहन का नम्बर अंकित है। चैलेन्जर वाहन का नम्बर के.ए.05जेड/1118 था। लैण्डक्रूजर की आर0सी0बुक मैने नहीं देखी थी। यह विवेचना में नहीं आया कि उक्त गाड़ी के किसके नाम पर थी। चैलेन्जर गाडी किसके नाम पंजीकृत थी इसका भी तसकिरा विवेचना में नहीं आया। यह कहना गलत है कि पुराने विवाद के कारण मायावती ने इन गाड़ियों का प्रबन्ध किया और अतीक वगैरह को फंसा दिया। दिनेश व उमेश पाल के भाई के बीच पुरानी दुश्मनी चल रही थी या नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे जानकारी नहीं है कि दिनांक 04.11.2004 को रिपोर्ट थाना धूमनगंज में लिखी गयी जिसमें उमेश पाल उसके भाई पर तीस हजार रूपये की लूट व दूकान में आग लगाने का उल्लेख है। इस मुकदमें में आरोप–पत्र लगने के बाद उमेशपाल को जेल भेजे जाने की जानकारी मुझे नहीं है। इसरार का कोई आपराधिक इतिहास था या नहीं मुझे नहीं मालूम। लैण्डक्रूजर व चैलेन्जर कौन चला रहा था यह बात वादी के बयान में नहीं आयी। यह कहना गलत है कि गाड़ियां प्लाण्ट की गयी। यह कहना गलत है कि उमेशपाल की दुश्मनी के कारण पुलिस ने झूंठा फंसाया है।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि घटना दिनांक 28.02.2006 की है। एफ0आई0आर0 एक वर्ष दो माह बाद दिनांक 05.07.2007 को दर्ज करायी गयी। अपने प्रथम बयान दिनांकित 05.07.2007 को वादी ने गवाह दिलीप पाल का नाम साक्षी के रूप में नहीं लिया। द्वितीय बयान दिनांक 07.07.2007 को लिया था इसमें वादी ने दिलीप पाल का नाम लिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिलीप पाल का नाम चश्मदीद साक्षी या किसी भी रूप में अंकित नहीं है। जब दिनांक 07.07.2007 को वादी ने दिलीप पाल का नाम साक्षी के रूप में लिया तब मैने उससे कारण नहीं पूँछा कि इसके पूर्व उसने इसका नाम क्यों नहीं बताया। दिलीप पाल का बयान दिनांक 18.07.2007 को लिया। उसने अपने बयान में इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसे स्वयं को कोई धमकी मुलजिमानों द्वारा दी गयी। इतने समय तक वह क्यों चुप रहा, इसका कोई कारण उसने नहीं बताया था। दिलीप पाल को लेकर वह कभी मौके पर नहीं गया। दोनों गाड़ियां घटना के समय कौन चला रहा था इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई। इसकी जानकारी करने का प्रयास मैने नहीं किया। दिलीप पाल घटना के समय लैण्डक्रूजर गाडी से कितनी दूरी पर किस तरफ खडा था। मैं नहीं बता सकता। दिलीप पाल व वादी मुकदमा से मुझे इस बात की जानकारी नही मिली थी कि अपहरण के समय वादी से किस तरफ चैलेन्जर गाडी थी व किस तरफ क्रूजर गाडी थी। घटनास्थल पर जी0टी0 रोड की

चौडाई मैने नहीं देखी है। मुझे जानकारी नहीं है कि 2011 में जी0टी0 रोड दोनों तरफ 5–5 फिट चौडी की गयी। मैं वर्ष 2008 तक इलाहाबाद में रहा। चैलेन्जर गाडी की लम्बाई व कूजर की लम्बाई व चौडाई मैने नहीं नापी थी। दोनों गाड़ियो के बीच में यदि कोई खडा है तो यह कहना गलत है कि पूरब से पश्चिम कोई दिखायी नहीं दे सकता। ग्लास गाडियों में लगा रहता है जिससे आदमी दिख सकता है। दोनों गाड़ियों के पश्चिमी व पूर्वी ग्लास खुले थे या बंद थे इसकाकोई जिक्र सी0डी0 में नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में मैने कुछ पूॅछतांछ की। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना उस दिन, समय व स्थान पर नहीं घटी। आसिफ को दिलीप पाल कैसे जानता पहचानता है इस बात को मैने दिलीप पाल से नहीं पूॅछा। दिलीप पाल व उमेश पाल राजूपाल हत्याकाण्ड के पहले से एक दूसरे के अच्छे परिचित थे इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली थी। यह कहना गलत है कि इस तथ्य को मैं जानता था, लेकिन छिपा रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि सरकारी दबाव में आकर आसिफ उर्फ मल्ली का नाम बतौर मुलजिम इस मुकदमें में रखा।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 कां0 3661 बृजेन्द्र कुमार वर्तमान तैनाती थाना धूमनगंज, इलाहाबाद ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 05.07.2007 को वह थाना धूमनगंज में कां0 मोहर्रिर के पद कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा द्वारा दी गयी टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थानाध्यक्ष महोदय के लिखित आदेश से मैने चिक संख्या–127/2007 पर मुकदमा अपराध संख्या–270/2007, धारा–17,148,149,323,341,342,364,504,506/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम बनाम सांसद अतीक अहमद आदि की चिक संख्या–10:30 ए.एम. पर अपने लेख व हस्ताक्षर में किता किया था जो कागज संख्या–5अ/1 लगायत कागज सं0–5अ/2 है, जिसे मैं तसदीक करता हूॅ जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 के पृष्ठ भाग पर अंकित तसकिरा कायमी को देखकर बताया कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसे मैं तसदीक करता हूॅ। इस घटना एवं मकदमा कायमी का खुलासा मैने रोजनामचा आम में उसी दिन समय 10:30 बजे अपने हस्तलेख में किता किया था। मूल जी0डी0 समयावधि पूर्ण होने के कारण नियमानुसार नष्ट की जा चुकी है। जी0डी0 विनिष्टीकरण की रिपोर्ट मैने दाखिल किया है जो कागज संख्या–202ख/4 है जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। मूल जी0डी0 की छाया प्रति कागज संख्या–202 ख/2 लगायत 202ख/3 है जो मेरे हस्तलेख में है और उस पर थानाध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर हैं। जी0डी0 छाया प्रति को मैं प्रमाणित कर अपने हस्तलेख में होना प्रमाणित करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।

अभियुक्त इसरार एवं दिनेश पासी की तरफ से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि चिक प्रदर्श क–5 में मुलजिम इसरार

नामजद नहीं है। सी0ओ0 के हस्ताक्षर के नीचे किसके हस्ताक्षर है मैं पहचान नहीं रहा हूॅ और कौन सी तारीख लिखी है यह भी नहीं बता सकता हूॅ। चिक एफ0आई0आर0 डाकबही से भेजी जाती है,लेकिन इसका तसकिरा चिक पर नहीं होता और न है। पंजीकृत अभियोग की सूचना जरिये आर0टी0सेट उच्च अधिकारियों को दी गयी। चिक एफ0आई0आर0 पर थानाध्यक्ष के अलावा सी0ओ0 महोदय के हस्ताक्षर हैं, अन्य किसी उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। उस समय कौन सी0ओ0 थे मुझे याद नहीं। चिक प्रदर्श क–5 पर मजिस्ट्रेट महोदय के हस्ताक्षर दिनांकित 10.07.2007 हैं। मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के नीचे मोहर अंकित नहीं है। मूल प्रार्थनापत्र वादी ने मुझे नहीं दिया था। प्रार्थनापत्र जांच के उपरान्त एस0ओ0 ने मुझे दिया था। उनके लिखित आदेश से मैने अभियोग पंजीकृत किया था। कायमी के समय वादी थाने पर मौजूद नहीं थे। चिक प्रदर्श क–5 पर वादी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि मैने प्रशासन के दबाव में झूंठा मुकदमा दर्ज किया है और झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद एवं खान शौलत हनीफ की तरफ से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि दिनांक 05.07.2007 को वादी मुकदमा उमेश पाल थाने पर 10:30 बजे दिन नहीं आया था। फोटोस्टेट कांपी प्रदर्श क–7 किसने कराया था। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, फिर कहा कि कायमी मुकदमा के समय ही फोटो कॉपी मैने करा लिया था। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत इण्टरेस्ट नही था। मुझे आवश्यकता महसूस हुई, मैने फोटो कांपी करा लिया था। मुझे याद नहीं है कि यह फोटो स्टेट कांपी मैने कब और कहां कराया था। फोटो स्टेट कराने के लिए मैं ओरिजनल जी0डी0 लेकर गया था या नहीं मुझे याद नहीं है। फोटो कांपी कितनी करायी थी याद नहीं है। सन् 2007 के बाद मेरा स्थानान्तरण कई स्थानों पर हुआ, किन–किन स्थानों पर हुआ था याद नहीं। प्रश्न– फोटोस्टेट कांपी आपने क्या व्यक्तिगत रूप से अपने पास रखे थे? उत्तर–इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना? प्रश्न– उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या नहीं?उत्तर–इस सम्बन्ध में फिर मुझे कुछ नहीं कहना है? प्रश्न–किस दूकान पर फोटो स्टेट कराया था?उत्तर–पहले कहा जानकारी नहीं फिर कहा याद नहीं। प्रश्न–फोटोस्टेट का पैसा किसने दिया था?उत्तर–इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। प्रश्न–धूमनगंज थाने से ट्रान्सफर हो जोन पर डाकूमेंट प्रदर्श क–7 कहॉ रहा?उत्तर–धूमनगंज थाने से ट्रान्सफर हो जाने के बाद छाया प्रति मेरे पास पूर्व से मौजूद थी? प्रश्न–इस मुकदमें के अलावा और किसी मुकदमें की चिक रिपोर्ट या जी0डी0 की कांपी करायी या नहीं। उत्तर–यह मुझे याद नहीं। सन् 2007 में धूमनगंज थाने से ट्रान्सफर हो जाने के बाद मेरी तैनाती किन–किन थानों पर रही याद नहीं। दुबारा धूमनगंज थाने में पुनः मेरी तैनाती सन् 2017 में हुई थी

महीना और तारीख याद नहीं है। असल जी0डी0 हर दूसरे दिन थाने से सी0ओ0 कार्यालय जाती है या नहीं यह मुझे नहीं हैं,लेकिन यह जानकारी है कि प्रतिदिन जाने वाली डाक से जाती है। प्रदर्श क–7 असल जी0डी0 से छाया प्रति हुई थी और किस दूकान से और किसके द्वारा करायी गयी यह सब जानकारी मुझे यह नहीं है। यह कहना गलत है कि नाजायब दबाव व प्रलोभन में पडकर झूंठी गवाही दे रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि कागजात फर्जी तरीके से तैयार कराया गया।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 एच.सी.पी. चन्द्रेश उपाध्याय वर्तमान तैनाती थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा कि दिनांक 16.08.2007 को थाना धूमनगंज में कां0 के पद पर कार्यरत था उस दिन मैं थानाध्यक्ष के0के0 मिश्रा व कां0 दिनेश सिंह के साथ मैं सरकारी जीप व ड्राईवर सरयू प्रसाद शुक्ला के बहवाले जी0डी0 नम्बर–17 समय 10:00 बजे बाबत लेने पुलिस कस्टडी रिमाण्ड थाना हाजा से रवाना होकर अभियुक्त फरहान सम्बन्धित अपराध सं0–270/2007, धारा–147, 148, 149, 323, 342, 364, 504, 506/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के न्यायालय अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) कक्ष संख्या–06 इलाहाबाद आया। न्यायालय अभियुक्त फरहान का कस्टडी रिमाण्ड 4:00 बजे तक का स्वीकृत किया गया। अभियुक्त न्यायालय परिसर में कां0 गुफरान अहमद व कां0 दीपक श्रीवास्तव द्वारा न्यायालय में पेश करने को लाया गया। दोनों आरक्षियों को न्यायालय का आदेश दिखाकर अवगत कराते हुए समय 13:10 बजे थानाध्यक्ष के0के0 मिश्रा द्वारा पुलिस कस्टडी में लिया गया। समयावधि कम होने के कारण रवाना होकर बउम्मीद बरामदगी घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस अभियुक्त फरहान पुत्र स्व0 अनीस पहलवान निवासी मरियाडीह थाना धूमनगंज को साथ लेकर उसके बताये अनुसार ग्राम मरियाडीह अभियुक्त फरहान के घर के पास आये तो अभियुक्त ने गाडी रूकवा दिया और बताया कि उक्त घटना में मेरे द्वारा प्रयोग किया गया तमंचा व कारतूस मैं चलकर देता हूॅ। मौके पर हम लोगों ने गवाहान फरहम करने का प्रयास किया, परन्तु कोई डर के कारण तैयार नहीं हुआ, तब हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यह इत्मिनान किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। अभियुक्त फरहान हम लोगों के आग–आगे चलकर गेट में प्रवेश कर गेट के पश्चिम बांयी ओर पास पडे टूटे फूटे खपरैल से मिट्टी हटाकर आंगन से खोदकर एक पालीथिन में लिपटा हुआ एक अद्द तमंचा 12 बोर व दो अद्द जिन्दा कारतूस 12 बोर निकालकर दिया और बताया कि यह वही तमंचा व कारतूस है। जिसको लेकर मैं घटना में मौजूद एवं शामिल था और हम लोगों से गलती हो गयी। माफी मांगने लगा इस पर अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराकर समय करीब 2:00 बजे दिन हिरासत पुलिस मे लिया गया व बरामद तमंचा एवं कारतूस को

कब्जा पुलिस में लेकर मौके पर ही एक कपडे में रखकर सील सर्व मुहर किया गया व नमूना मोहर तैयार किया गया। दौरान बरामदगी सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया। फर्द बरामदगी मौके पर ही थानाध्यक्ष महोदय ने हम लोगों के सामने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। इसे देख व पढकर मैने व अन्य हमराहियान ने उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर बनाये थे। फर्द की नकल मौके पर ही अभियुक्त को दी थी। **अभियुक्त फरहान** ने भी फर्द पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। साक्षी ने **फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4** को देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर तसदीक किया। साक्षी ने गिरफ्तारी मेमों कागज संख्या–11बी/13 पर भी अपने हस्ताक्षर को तसदीक किया तथा बताया कि इसे मौके पर ही थानाध्यक्ष ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। बरामदगी की घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त फरहान की तरफ से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मैं थाना धूमनगंज में सन् 2006 से 2007 तक तैनात था। सही तारीख याद नहीं है। घटना के दिन हम लोग थाने से चले थे। सीधा कचेहरी आ गये थे। सरकारी जीप से न्यायालय आने में करीब आधा घण्टा पौन घण्टा लगा होगा। जब हम लोग कचहरी आये थे तो मुलजिम हम लोगों को कचहरी में मिल गया था। कचहरी में लाकप में मिला था। न्यायालय से मुलजिम को लेकर हम लोग मरियाडीह गये थे। मरियाडीह में मुलजिम के घर पर गये थे। मुलजिम के घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में खुलता है। मुलजिम का घर पक्का बना है, आंगन खुला हुआ है। आंगन में टूटा हुआ खपरैल रखा था। खपरैल हटाया तो उसके नीचे से पालीथिन में 12 बोर का तमंचा व 2 कारतूस जिन्दा बरामद किया गया। जिस समय यह कार्यवाही की गयी उस समय आंगन में कोई नहीं था। आंगन की लम्बाई चौडाई 14 X 15 के लगभग रही होगी। आंगने में कितने दरवाजे थे याद नहीं है। घटनास्थल पर हम लोग करीब 20–25 मिनट तक रूके थे। घर के बाहर काफी लोग मौजूद थे उन्हें गवाही के लिए कहा गया, परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। जब गवाही के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो हमने किसी का नाम पता नहीं पूँछा। जिस मकान से यह बरामदगी हुई है उसके उत्तर किसका मकान है याद नहीं है। पूरब की तरफ रास्ता खडंजा है। पश्चिम की तरफ रास्ता है। पीछे किसी का मकान है नाम याद नहीं है दक्षिण पशुबाडा है। मरियाडीह से चलकर हम लोग थाने गये। थाने में लिखा पढी करके तब न्यायालय लाये। न्यायालय 4:00 बजकर कुछ मिनट पर पहुंचे फिर यहां से मुलजिम को पेश करने के बाद लाकप में दाखिल कर दिये थे फिर वहां से जेल चला गया। फर्द थानाध्यक्ष के0के0 मिश्रा ने लिखा था। मैने अपना हस्ताक्षर बनाया था। बरामद तमंचे की लम्बाई लगभग 6 बलिस्त थी। चौडाई

याद नहीं है लोहे की नाल थी। वह लकडी की थी जो कारतूस बरामद हुआ था उस पर शक्तिमान स्पेशल लिखा था और दोनों पर एक नम्बर लिखा था। बरामदशुदा तमंचा कारतूस को हम लोगों ने मिलकर सील मुहर किया था। थाने पर लगभग एक घण्टा रूके थे। न्यायालय से मरियाडीह जाने में लगभग एक घण्टे का समय लगा था। मरियाडीह से थाने आने में लगभग 20–25 मिनट का समय लगा था। यह कहना गलत है कि तमंचा मैने या एस0ओ0 साहब ने मंगाकर रखा था। यह भी कहना गलत है कि मौके पर हम लोग नहीं गये थे थाने में ही बरामदगी की कार्यवाही पूरा करके लिखा पढी की थी। यह कहना गलत है कि हम लोग मुलजिम को व उसके घर को पहले से जानते पहचानते थे। उत्पीडन के लिए फर्जी कार्यवाही किया था।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–6 सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 13.05.2011 को प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज जनपद इलाहाबाद के पद पर कार्यरत था। मुकदमा अपराध सं0–270/2007, धारा–147, 148, 149, 323, 341, 342, 364, 504, 506,120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम , थाना धूमनगंज, से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त लाईसेंसी पिस्टल की बरामदगी हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–4 द्वारा अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ पुत्र स्व0 हाजी फिरोज निवासी–52 कसारी मसारी थाना धूमनगंज इलाहाबाद को दिनांक 11.05.2011 को समय 15:00 बजे से दिनांक 13.05.2011 को समय 16:00 बजे पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया था, जिसके क्रम में मैने व एस0एस0आई0 ध्रुव सिंह व अन्य हमराह पुलिस बल के द्वारा उक्त अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर लाईसेंसी असलहा बरामदगी हेतु काफी प्रयास किया था, परन्तु अशरफ उर्फ खालिद अजीम टाल मटोल करते हुए भिन्न–भिन्न बयान देकर हम लोगों को गुमराह किया, जिस कारण घटना में प्रयुक्त लाईसेंसी पिस्टल, जिसका वह स्वयं लाईसेंसी था, बरामद नहीं हो सकी। अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ द्वारा अपनी लाईसेंसी पिस्टल उक्त घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण को देकर इसका दुरूपयोग किया गया था तथा लाईसेंसी पिस्टल मांगे जाने पर उपलब्ध/बरामद कराना शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन था। इस प्रकार अशरफ उर्फ खालिद अजीम द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा–30 के अन्तर्गत अपराध किया गया था। इस कारण मैने एक तहरीर अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर थाने के प्रधान लेखक लेखक को दिया था जिस पर मुकदमा कायम हुआ था। साक्षी ने तहरीर सत्र परीक्षण संख्या–1157/2011 राज्य प्रति अशरफ में संलग्न कागज संख्या–4अ/2 को देखकर उसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तसदीक किया जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। इस घटना के सम्बन्ध में एस0आई0राजहंस

शुक्ला ने मेरा बयान लिया था।

अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तरफ से जिरह की गयी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि सन् 2011 में उ0प्र0 बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार थी। उ0प्र0 की सुश्री मायावती मुख्यमंत्री थी। मृतक राजू पाल तथा इनकी पत्नी पूजा पाल बसपा के नेता रही होगी। मुलजिम अशरफ उर्फ खालिद अजीम उस क्षेत्र से से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हुए थे या नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस क्षेत्र के निवासी थे। अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लगभग 48 घण्टे मेरे साथ रहे। इस बीच मेरे व अभियुक्त के मध्य किसी प्रकार के लिखा पढी का आदान प्रदान नहीं हुआ। मेरे द्वारा लाईसेंस निरस्तीकरण की कोई रिपोर्ट उस दौरान नहीं ली गयी थी। यह कहना गलत है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से यह जानकारी थी कि झूंठा मुकदमा कायम कराया गया है और उसमें लाईसेंसी पिस्टल का कोई बयान नहीं था। यह भी कहना गलत है कि मात्र औपचारिकता प्रयत्न हेतु एवं अधिकारियों के प्रशंसा होने की नियत से मैने पूरी फर्जी कार्यवाही की और झूंठी रपट लिखवायी। यह भी कहना गलत है कि अशरफ से लाईसेंसी पिस्टल के बारे में कोई पूँछतांछ नहीं की। यह भी कहना गलत है कि जानबूझकर फर्जी कार्यवाही की गयी थी और मैं न्यायालय में झूंठा बयान दे रहा हूँ।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–7 निरीक्षक राजहंस शुक्ला ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं थाना धूमनगंज, इलाहाबाद में निरीक्षक के पद पर दिनांक 13.05.2011 को तैनात था। उस दिन थाना हाजा कार्यालय से मुझे मुकदमा अपराध संख्या–217/2011 धारा–30 आर्म्स एक्ट, थाना–धूमनगंज की विवेचना प्राप्त हुई। दौरान विवेचना विभिन्न पर्चे, विभिन्न तिथियों में किता किये थे एवं वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र प्रसाद तिवारी एस0एस0आई0 धुव सिंह एच.सी. आनन्दलाल यादव लेखक एफ0आई0आर0 के बयान दौरान विवेचना दर्ज किये थे एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 26.05.2011 को अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम के विरूद्ध धारा–30 आर्म्स एक्ट में आरोप–पत्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करके न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय प्रेषित किया आरोप–पत्र कागज संख्या–3अ/1 को वह अपने लेख व हस्ताक्षर में होना स्वीकार करता है। जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। हेड कां0 नन्दलाल यादव मेरे साथ थाना हाजा कार्यालय में मेरे साथ तैनात रहे। मैने उनको लिखते पढ़ते व हस्ताक्षर करते जानता पहचानता हूँ। साक्षी ने चिक एफ0आई0आर0 कागज संख्या–4ए/1 संलग्न एस0टी0नं0–1157/2011 को देखकर उसे हेड कां0 नन्दलाल के लेख व हस्ताक्षर में होना स्वीकार किया जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। एस0एस0आई0 धुंवसिंह मेरे साथ थाना हाजा में तैनात रहे, उनकी इस समय मृत्यु हो चुकी है। इस

मुकदमें की जी0डी0 कायमी हेड कां0 नन्दलाल यादव द्वरा जी0डी0नं0–15 समय 11:30 बजे किता की गयी थी। मूल जी0डी0 के साथ कार्बन लगाकर उसकी कार्बन प्रति एक ही प्रासेस में तैयार किया था। जी0डी0 कार्बन कागज सं0–8ख/6 के रूप में सत्र परीक्षण संख्या–1157/2011 के रूप में संलग्न है। समयावधि पूर्ण होने के कारण नष्ट की जा चुकी है। जी0डी0 विनिष्टीकरण की रिपोर्ट जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। जी0डी0 कार्बन प्रति को हेड मोहर्रिर नन्दलाल के हस्ताक्षर में होना स्वीकार कर उसे प्रमाणित कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया और उसे प्रदर्श क–13 के रूप में साबित किया।

अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ की तरफ की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि हेड मोहर्रिर नन्दलाल यादव इस समय नौकरी में हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम है। उनकी वर्तमान तैनाती भी मुझे नहीं मालूम है। दौरान विवेचना मुलजिम को डी0एम0 इलाहाबाद के यहां से कोई नोटिस भिजवायी थी या नहीं याद नहीं है। इस मुकदमें की केस डायरी मेरे पास नहीं है। केस डायरी न होने के कारण इस गवाह का बयान किस तारीख के लिए किस गवाह ने क्या कहा मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि केस डायरी में कुछ ऐसी जरूरी चीजें उपलब्ध थी जो सबूत पक्ष के काफी नुकसान को पहुंचाती थी। इसलिए जानबूझकर सी0डी0 हटा दी गयी। यह भी कहना गलत है कि अधिकारियों के दबाव में आकर मैने पूरी फर्जी कार्यवाही कर गलत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–8 कां0 3492 लक्ष्मीनरायण द्विवेदी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं लगभग एक साल से थाना धूमनगंज, इलाहाबाद में बतौर पैरोकार कार्यरत हूॅ। मैं हेड कां0 पी150 यशवन्त सिंह एवं एस0 आई0 सुभाष चन्द्र पाण्डेय को जानता पहचानता हूॅ। मैं माघमेला ड्यूटी में एच.सी. पी. यशवन्त सिंह एवं एस0 आई0 सुभाषचन्द्र के साथ कार्यरत रहा हूॅ। इसलिए उनके लेख व हस्ताक्षर को जानता पहचानता हूॅ। एच0सी0पी0 जसवन्त सिंह को प्रासेस जारी किया गया था और प्रासेस तामीला लेकर यह आख्या आयी है कि एच0 सी0 पी0 जसवन्त लकवा से पीड़ित है। निरन्तर बेड पर पडे रहते हैं। न्यायालय आने एवं चलने फिरने व उठने बैठने में असमर्थ हैं। एस0 आई0 सुभाष चन्द्र पाण्डेय का प्रासेस जारी किया था, परन्तु उनके तैनाती का पता अथवा सेवानिवृत्त की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। साक्षी ने आरोप–पत्र संलग्न एस0 टी0 नं0–1335/2009 कागज संख्या–4ए/1 को देखकर बताया तथा नक्शा नजरी को देखकर बताया कि दोनों प्रपत्र एस0 आई0 सुभाषचन्द्र के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तसदीक करता हूॅ और उसे **प्रदर्श क–14** व **प्रदर्श क–15** के रूप में साबित किया। साक्षी उपरोक्त ने संलग्न चिक एफ0आई0आर0 कागज संख्या–5ए/1 एवं जी0डी0 कायमी छाया प्रति कागज सं0–11बी/11 को देखकर

साक्षी ने बताया कि यह एच0सी0पी0 यशवन्त के लेख व हस्ताक्षर में है जिसे वह तसदीक करता है और उस पर **प्रदर्श क–16** एवं **प्रदर्श क–17** डाला गया। जी0डी0 को मैं प्रमाणित कर उस पर मैं अपना हस्ताक्षर बनाता हूॅ जो छाया प्रति है मूल जी0डी0 समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण नष्ट की जा चुकी है। जी0डी0 विनिष्टीकरण की रिपोर्ट पत्रावली पर **प्रदर्श क–12** के रूप में संलग्न है।

अभियुक्त फरहान की तरफ से जिरह की गयी। जिरह के दौरान इस साक्षी ने कथन किया कि मैं थाना धूमनगंज, इलाहाबाद में एक वर्ष से तैनात हूॅ जब यह मुकदमा दर्ज हुआ था तब मैं थाना धूमनगंज में मौजूद नहीं था। मेरे सामने इस मुकदमें की लिखा पढी सुभाषचन्द्र पाण्डेय व यशवन्त सिंह द्वारा नहीं की गयी थी। सुभाषचन्द्र व यशवन्त सिंह कुम्भमेला में मेरे साथ तैनात रहे। उसी समय इन लोगों को लिखते पढते देखा था मुकदमें मे ंदाखिल आरोप–पत्र एवं नक्शा नजरी में हस्तलेख सुभाषचन्द्र पाण्डेय के हैं। यह सही है या गलत तैयार किया गया है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि सुभाषचन्द्र पाण्डेय व जसवन्त सिंह को कभी लिखते पढते नहीं देखा। यह भी कहना गलत है कि गवाहों के सम्मन तामीला नहीं करा पाया। इसीलिए इनके हस्तलेख पहचानने का न्यायालय में बयान दिया।

<u>बचाव साक्ष्य–</u>

अभियुक्त दिनेश पासी द्वारा डी0डब्लू0–1 बांकेलाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा कि मैं व्यापार करता हूॅ तथा फुटपाथ पर हेलमेट बेचता हूॅ। मेरी दूकान फांसी इमली के पास अखाडा के पास स्थित फुटपाथ पर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे दूकान लगाता है। दिनांक 28.02.2006 को मैंने अपनी दूकान लगायी थी। मैं उस दिन पूरे दिन मैं दूकान पर था। उस दिन मेरी दूकान के सामने दस बजे दिन से लेकर शाम तक कोई घटना व दुर्घटना नहीं हुई थी। उस दिन सामान्य जीवन चल रहा था। मेरी दूकान के सामने दिनेश पासी व उनके अन्य साथियों ने मिलकर उमेश पाल व अन्य किसी का अपहरण नहीं किया गया था। दिनेश पासी को अच्छी तरह से जानता हूॅ तथा क्षेत्रीय सभासद रहे हैं। मैं उमेश पाल को भी जानता हूॅ जो मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। उमेश पाल व दिनेश पासी के बीच रंजिश चलती है। वर्ष 2004 में उमेशपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश पासी के पी0 सी0 ओ0 में घुसकर तोडफोड व लूट की थी, जिसका मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूॅ।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि मैं आज दिनेश भाई के साथ आया हूॅ, उनके कहने पर। मुझे आज न्यायालय से कोई समन नहीं मिला है। फुटपाथ पर दुकान लगाने हेतु कोई लाईसेंस नगर निगम द्वारा मुझे नहीं मिला है मैने नगर निगम से दुकान लगाने के लिए कोई परमीशन नहीं लिया हूॅ। फांसी इमली के पेड

के दक्षिण तरफ दुकान लगाता हूॅ। मेरे घर से मेरी दुकान की दूरी लगभग पौन किलोमीटर दूरी पर है। मेरे घर से दिनेश पासी का घर लगभग 300 मीटर दूरी पर है। मैं उमेश पाल को जानता हूॅ। दिनेश पासी के पी0सी0ओ0 के लूटपाट काण्ड से जानता हूॅ तथा पहले से भी जानता हूॅ। उमेशपाल से मेरी कोई कभी बातचीत नहीं होती है। हेलमेट खरीदने व बेचने की रसीद पत्रावली में दाखिल नहीं की है। दिल्ली के करोलबाग में फुटपाथ पर दुकान लगती है वहीं से खरीदकर लाता हूॅ। फुटपाथ की दुकान से खरीदने पर कोई रसीद नहीं मिलती है। जो बात मेने आज न्यायालय में बतायी है वह आज से पहले किसी पुलिस अधिकारी या अन्य को नहीं बताया था, क्योंकि किसी पुलिस अधिकारी ने मुझसे पूॅछा ही नहीं था। पुलिस थाने जाकर यह बात बताने की जरूरत नहीं समझी। उमेश पाल व दिनेश पासी के बीच रंजिश की बात पी0सी0ओ0 लूटने के बाद मैने मौके पर देखा व दूसरे दिन पेपर में भी निकली थी। मुझे नहीं मालूम कि दिनेश पासी के खिलाफ मुकदमा कब हुआ और किस वर्ष हुआ था। वर्ष 2004 वाली घटना की बात जो मै अपने बयान में लिखायी है उस घटना का मैं गवाह नहीं हूॅ। यह भी कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं घटनास्थल पर मौजूद था तथा दिनेश पासी को बचाने के लिए उसके कहने पर आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा है।

बचाव साक्षी डी0डब्लू0–2 गुड्डू ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा कि मैं सीट मेकर का काम करता हूॅ। मेरी दूकान फांसी इमली के पास है। सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक दूकान खोलता हूॅ। दिनांक 28.02.2006 को भी मेरी दूकान पूरे दिन खुली थी। उस दिन मेरे दूकान के सामने किसी भी प्रकार की कोई विशेष घटना व दुर्घटना नहीं हुई। उस दिन मेरी दूकान के सामने या इसके आसपास जी0टी0 रोड पर दिनेश पासी व उसके साथियों ने मिलकर उमेश पाल का अपहरण नहीं किया था। मैं दिनेश पासी को अच्छी तरह से जानता हूॅ। मेरे क्षेत्र के सभासद रहे हैं और रोड पर ही पी0 सी0 ओ0 की दुकान भी है। वह बहुत सज्जन आदमी हैं व गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। उमेश पाल को मैं तब से जानता हूॅ जब 2004 में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश पासी के पी0सी0ओ0 में घुसकर तोडफोड व लूटपाट की थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं नहीं जानता हूॅ जो सच है उसे मैं आज अदालत में बयान दिया हूॅ।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि वह पढा लिखा नहीं है मात्र हस्ताक्षर कर लेता है। आज उसे न्यायालय में गवाही देने के लिए कोई समन नहीं मिला। फांसी इमली के दक्षिण तरफ फुटपाथ पर उसकी सीट मेकर की दुकान है। आज वह न्यायालय दिनेश पासी के साथ गवाही देने आया है। फुटपाथ पर दूकान लगाने के लिए मैने नगर निगम से कोई लाईसेंस व परमीशन नहीं लिया है। रोज लगाता हूॅ व उठा लेता है। कोई तह बाजारी वह नहीं देता है। दिनेश पासी का घर मेरे घर

से 10 कदम की दूरी पर है। उमेश पाल का घर मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर है। दुकान 500 मीटर दूरी पर है। उमेशपाल को क्षेत्रीय होने के नाते जानता है परन्तु उसका उनके घर आना जाना नहीं है। उमेश पाल से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। दिनेश पासी के घर उसका आना–जाना है। फुटपाथ पर दुकान लगाने पर नगर निगम द्वारा परेशान करते हैं तब दिनेश पासी सभासद होने के नाते मदद मेरी करते हैं। वह लेदर व फोम दिल्ली से खरीदता है। उक्त सामान खरीदने की रसीद पत्रावली पर दाखिल नहीं की है। जो बात आज वह न्यायालय में बताया है यह बात आज से पहले किसी अन्य को या किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी, क्योंकि किसी ने पूँछा ही नहीं। दिनेश पासी के खिलाफ सभी मुकदमों की मुझे जानकारी नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसी घटना नहीं हुई थी। दिनांक 28.02.2006 को कौन सा दिन था मैं नहीं बता सकता मेरा वार्ड नं0–1 है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उमेश पाल उसी मुकदमें के गवाह हैं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि दिनेश पासी के खिलाफ मुकदमा कब व किस सन् में लिखा गया है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उमेशपाल ने इस मुकदमें में दिनेश पासी के विरूद्ध गवाही दिया है। वर्ष 2004 वाली घटना की बात जो उसने अपने बयान में बतायी है इस घटना में गवाह नही है, लेकिन घटना देखी थी। इस घटना को मैं किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि मेरी फुटपाथ पर सीटमेकर की दुकान है। यह भी कहना गलत है क दिनांक 28.02.2006 को वह घटनास्थल पर मौजूद था। यह भी कहना गलत है कि दिनेश पासी के कहने पर आज वह न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा है।

बचाव साक्षी डी0डब्लू0–3 संजीव कुमार ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वह फोटोग्राफी का काम करता है। जहां भी फोटोग्राफी का कार्य मिलता वहां–वहां मैं जाता हूँ। वह धूमनगंज थाने का फोटोग्राफी करता है। फोटोग्राफी के कार्य हेतु वह बराबर जाता है। दिनांक 01.03.2006 सुबह लगभग 9:00 या साढे 9:00 बजे इसी कार्य हेतु थाने में कुछ फोटो देने धूमनगंज गया था। उस दिन वह जब थाने पहुंचा तो थाने पर भीड लगी थी। उमेश पाल भी वहां बैठा हुआ था। उसकी उमेशपाल से नमस्कारी हुई थी। उसने पूँछा कि भईया कैसे तो उसने बताया कि राजू पाल हत्या केस में उसे आज गवाही देने जाना है। इसी सिलसिले में एस0ओ0 से मिलने थाने आया है। वह लोग थाने के बरामदे में बैठे थे। एस0ओ0 साहब अपने कमरे में बैठे थे। एस0ओ0 साहब मेरे सामने जब कमरे से बाहर आये तो एक–दो लोगों को डांटने के बाद फिर उमेश पाल ने कहा कि मुझे क्यों बुलाया है तो एस0ओ0साहब ने कहा कि तुम्हें आज गवाही देने जाना है। उमेश पाल ने कहा कि ठीक है मुझे जो कुछ कहना है मैं अदालत में कह दूँगा। फिर उमेश पाल ने कहा कि मेरा नाम जबरदस्ती गवाही में क्यों डाल दिया गया

मैने तो कोई घटना देखी ही नहीं। मुझे कुछ नहीं कहना है तो एस0ओ0 साहब ने कहा अदालत से समन आया है तुम्हे जो कहना है अदालत में जाकर कह दो यह सब बात चल रही थी कि हम अपना कार्य करके वापस आ गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि वह दिनेश पासी के साथ गवाही देने आया है। वर्ष 2000 से वह फोटोग्राफी का कार्य करता है। उसे मालूम है जिसमें मैं गवाही दे रहा हूॅ। उसमें अभियुक्त दिनेश पासी अभियुक्त बनाये गये हैं। मै स्टूडियो डाला है वह स्वाती के नाम से डाला है। यह दुकान सडक के पटरी पर बनाया था। व कोई टैक्स नहीं देता है। दिनांक 01.03.2006 को जब वह थाने पर फोटो देने गया था, वह फोटो जगपत सिंह सिंगरौर, कालेज का फोटो था, जिसको पुलिस ने खिंचवाया था। कोई पाण्डेय जी पुलिस में थे, जिन्होंने खींचवाया था। वह सुबह 9:00 या साढे 9:30 बजे लगभग थाने गया था। दिनेश पासी के घर की दूरी उसके घर से 500 या 600 मीटर दूरी पर है। उसे गवाही के लिए न्यायालय से कोई समन नहीं मिला है। दिनांक 01.03.2006 को वह फोटो देने थाने गया, वह फोटो फरवरी में खींची गयी थी। वह सिपाही के साथ फोटो खींचने गया था। दिनांक 26. 02.2006 को फोटो खींचने गया था। जो बात न्यायालय में बतायी है वह बात उसने किसी को या पुलिस वालों को नहीं बतायी है, क्योंकि किसी ने पूॅछा नहीं था। बाद में मैने दिनेश पासी भईया को बताया था। जिस समय वह थाने गया था। उस समय थाने में उमेशपाल के छोटे भाई और चार–पांच लोग और थे सभी को मैं जानता पहचानता नहीं हूॅ। मैं थाने में पाण्डेयजी के पास गया था। उन्हींसे मिला था। फोटो देने के बाद कुछ देर तक रहा फिर चला गया। थाने के अन्दर जो बरामदा है वही पर बातचीत हुई थी। जब उसे पता चला कि दिनेश पासी व अन्य लोगों के विरूद्ध इस मुकदमें की एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी है तब भी मैने इस सम्बन्ध में किसी पुलिस वाले से ऐसी कोई बात नहीं बतायी थी, क्योंकि उसने जरूरत नहीं समझी। यह कहना गलत है कि वह दिनांक 01.03.2006 को थाने गया था वहां उमेशपाल को देखा था। यह भी कहना गलत है कि वह दिनेश पासी को बचाने के लिए उनके कहने पर आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा है।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–4 के रूप में बृजेश पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि आज से लगभग 12 वर्ष पहले मेरे मकान के सामने एक रमेश नाम के व्यक्ति से जो सामने वाले मकान में किरायेदार की हैसियत से रहता था से झगडा हुआ था। यह झगडा 28.02.2006 को हुआ था। उसी रोज शाम को धूमनगंज थाना से एक सिपाही आया था उसने कहा था कल सुबह थाने पर आ जाइये वरना जेल भिजवायेगें। दूसरे दिन दिनांक 01.03.2006 को वह लगभग 8 या साढे बजे दिन थाना धूमनगंज में पहुंच गया। मेरे पहुंचने के बाद रमेश जिससे मेरा झगडा

हुआ था वह भी वहां पहुंच गया। थोडी देर बाद दरोगाजी से मेरी मुलाकात हुई। वह उमेशपाल नेता जो सुलेमसरांय के रहने वाले हैं को जानता पहचानता था, जब वह थाने पहुंचे तो उसने उनसे नमस्कार की। अपना काम बताने जा रहा था तो उन्होंने कहा मैं खुद बहुत परेशान हूँ बाद में बात करना। उमेश पाल ने दरोगाजी से कहा कि गवाही में मेरा नाम क्यों डलवा दिया है। मैने तो घटना देखी ही नहीं तब दरोगाजी ने उनसे कहा आज अदालत में जाकर जो कहना होगा कहियेगा फिर उनको अलग बैठा लिया फिर दरोगाजी ने हम लोग की तरफ मुखातिब होकर बातचीत किया। दोनों को जेल जाने की धमकी दी थी। दोनों लोगों उठक बैठक कराया और रमेश ने जो दरख्वास्त दिया था उस पर उससे लिखवाया कि मुकदमा नहीं चाहते। मेरा भी हस्ताक्षर कराया फिर डांट डपटकर हम लोगों को थाने से चले जाने के लिए कहा। साढे 9:00 बजे से 10:00 बजे तक थाने से बाहर निकलकर आया। उमेश पाल वहीं पर बैठे थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि कल मेरे घर पर सिपाही गया था और आज की तारीख बताकर आया था। दिनांक 28.02.2006 को हुए झगडे के बाबत शिकायत हेतु उसी दिन थाने पर नहीं गया था। मामूली विवाद था। इसलिए मैं नहीं गया था। दिनांक 28.02.2006 को उसके खिलाफ पार्टी रमेश थाने गया था वह मेरी शिकायत किया था। उसी दिन रात 8:00 या 9:00 बजे पुलिस मेरे घर आयी थी। उस समय मैं घर पर नहीं था। वह 10:00 या साढे 10:00 बजे रात्रि घर वापस आया था तब घर वालों ने बताया था कि पुलिस आयी थी। थाने पर बुलाया है। दूसरे दिन थाने 8 या सवा 8 बजे थाने गया। थाने पर सिपाही मिश्रा था उसका नाम नहीं बता सकता। रमेश से मेरा लिखित समझौता हुआ था। समझौती की कोई कांपी जो थाने पर हुआ था उसने न्यायालय की पत्रावली में दाखिल नहीं की है, क्योंकि उसे थाने से नहीं मिली थी। समझौता कराने में लगभग एक घण्टा लगा था। समझौता होने के बाद वह तुरन्त चला गया था। जिस समय समझौता हो रहा था एस0ओ0 महादेय वहां थाने के बरामदे में मौजूद थे। रमेश से समझौता लिखवाया था उस पर उसका भी हस्ताक्षर कराया था। समझौता उसने पढ़ा नहीं था। जो बात वह न्यायालय में कर रहा है वह बात उसने आज से पहले किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी थी, क्योंकि किसी ने पूँछा नहीं था। किसी अन्य अधिकारी को नहीं बताया था परिचित को बताया था। ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं बताया था। उमेश पाल को वह अपने दोस्तों के जरिये जानता है। थाने में उमेश पाल हम लोगों से कुछ दूरी पर बैठे थे। वह वहीं खडा था, जहां एस0ओ0 महोदय समझौता करा रहे थे। उस समय थाने के बरामदे में कितने लोग थे संख्या नहीं बता सकता। अदालत में गवाही देने अकेले आया है। सिपाही ने लिखकर दिया था कि इस अदालत में बयान होगा। इस समय मेरे सामने वह लिखा हुआ कागज

मौजूद नहीं है। सांसद अतीक अहमद के घर से उसके घर की दूरी लगभग एक या डेढ किलोमीटर दूरी पर है। सांसद जी के घर/कार्यालय में उसका आना जाना नहीं है। सांसद जी इस समय अदालत में मौजूद नहीं है। सासद जी को इस घटना के बारे में नहीं बताया था उनके भाई को बताया था। मुझे अखबार के माध्यम से यह जानकारी हुई थी कि उमेश पाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ मुकदमा लिखाया है वह न्यायालय में गवाही दी है किस तारीख के अखबार में थी उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि वह सांसद अतीक अहमद को बचाने के लिए आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा है। सही बात नहीं बता रहा है। यहभी कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को रमेशसे उसका कोई झगडा नहीं हुआ था और न ही वह थाने गया था।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–5 के रूप में ओम प्रकाश बघेल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं पुलिस विभाग में बतौर कां0 14.12.91 से 20.10.98 तक नौकरी में रहा फिर बहन के इलाज की वजह से ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। मैं पूजापाल विधायक को जानता हूॅ। इनकी सास श्रीमती रानीपाल सिंह मैं रानीपाल के यहां 2007 से वर्ष 2015 तक रहा। इसी मकान में पूजा पाल रहती थी। उमेश पाल, दिलीप पाल को अच्छी तरह से जानता पहचानता हूॅ। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व दिनांक 28.02.96 को मेरे सामने उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। दिनांक 28.02.2006 को मैं दिलीप पाल के साथ कहीं गया भी नहीं था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे नौकरी से 20.10.98 को निकाल दिया गया था। मुझे गैर हाजिरी की वजह से नौकरी से निकाला गया था। इस आदेश के खिलाफ मैने उच्च न्यायालय में कोई याचिका दाखिल नहीं किया न ही विभागीय अपील दाखिल किया। विधायक राजूपाल मेरे मित्र थे इसीलिए मैं राजूपाल को जानता पहचानता था। रानीपाल का देहान्त दिनांक 26.07.2011 को हुआ था। रानीपाल की मृत्यु के बाद मेरा आना–जाना नहीं है। मेरे दो बीबियां हैं। पहली बीबी से कोई संतान नहीं हुई थी इसलिए रानी मां ने मेरी दूसरी शादी करा दी थी। दोनों पत्नियां मेरे मूल पते पर रहती हैं। मूल पता–146 कोदूपुर रामनगर वाराणसी मे रहती हैं।

इस साक्षी ने जिरह में यह भी कहा कि दिनांक 28.02.2006 को यदि कोई घटना हुई हो तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और किसी पुलिस अधिकारी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि दिनांक 28.02.2006 के झगड़ा के सम्बन्ध मे थाना धूमनगंज में कोई एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी। घटना के सम्बन्ध में जो एफ0आई0आर0 दर्ज करायी थी उसके बारे में मुझे

कोई जानकारी नहीं है **पेपर में पढा था।** मैं वर्तमान में कोयले का व्यापार करता हूॅ। जब अखबार के माध्यम से एफ.आई.आर. पंजीकृत होने के सम्बन्ध में जानकारी होने के बाद मैने किसी उच्च अधिकारी या पुलिस अधिकारी को बताने की आवश्यकता नहीं समझी। इस केस के सम्बन्ध में मै पहली बार इस न्यायालय में आकर अपनी बात बता रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मेरे सामने उमेश पाल का अपहरण हुआ था और जानबूझकर सही तथ्य छिपा रहा हूॅ।

अभियुक्त फरहान की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–6 के रूप में जय प्रकाश श्रीवास्तव को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 की बात है। समय करीब 8:00 साढे 8:00 बजे रात्रि की है। मैं अपने घर से अपने भतीजी के घर जी0टी0 रोड से प्रीतमनगर जा रहा था कि रास्ते में जयन्तीपुर के पास मेरी स्कूटर खराब हो गयी। मैं उतरकर उसे देखने लगा तो इतने में उमेश पाल अपने घर से निकलकर मेरे पास आ गये और कहा कि चाचा क्या हो गया। मेने कहा कि स्कूटर खराब हो गयी। प्रीतमनगर जा रहा था तो उमेश पाल ने कहा चाचा स्कूटर यही खडी कर दो मगर मैने कहा कि थोडी दूर पर मरे रिश्तेदार का घर है वहीं पर खडी का दूॅगा। इस इतनी सी बात हुई। मैं स्कूटर को घसीटते हुए चला गया और उमेश पाल अपने घर वापस चले गये।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि वह हाईस्कूल फेल है। मेरे पास बजाज क्लासिक स्कूटर थी जिसे उसने वर्ष 1999 में खरीदा था। जिसे वर्ष 2012 में बेच दिया। गाड़ी का नम्बर मुझे याद नहीं है। मुझे यह जानकारी है कि उमेश पाल ने दिनांक 28.02.2006 को घटी घटना के बाबत लगभग डेढ वर्ष बाद धूमनगंज, इलाहाबाद में मुकदमा लिखाया। जो बात मैने आज न्यायालय में बतायी है वह मुकदमा लिखने के बाद किसी भी पुलिस अधिकारी से यह सुना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीबतायी थी, क्योंकि मैने किसी से पूॅछा नहीं था। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मेरी उमेश पाल से कोई मुलाकात नहीं हुई थी।यह भी कहना गलत है कि मैं अभियुक्तो ंको बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–7 के रूप में दयाशंकर लाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं 1990–91 में ए.डी.जी. सी क्रिमिनल उ0प्र0 शासन द्वारा नियुक्त किया गया था और वर्ष 2010 तक लगातार इस जनपद में ए0डी0जी0सी0 क्रिमिनल व अतिरिक्त ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल के रूप में कार्य करता रहा। इलाहाबाद में राजू पाल नामक एक विधायक की हत्या हुई थी। उस हत्या का मुकदमा आशरफ/ अतीक अहमद आदि के ऊपर चला था। वह मुकदमा अपर जिला जज, कक्ष संख्या–14, इलाहाबाद के न्यायालय में चल रहा था। इस मकदमें में मैं वकील

मिनजानिब सरकार था। उस मुकदमें में मेरा सहयोग पैनल लायर पवन कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे। इस मुकदमें में दिनांक 01.03.2006 की तारीख नियत थी। उस दिन मैने चार गवाहान पी0डब्लू0–5 नन्द किशोर, पी0डब्लू0–6 ए0पी0 अमरनाथ, पी0डब्लू0–7 महेन्द्र पटेल, पी0डब्लू0–8 उमेश पाल की गवाही करवायी थी। दिनांक 01.03.2006 को गवाह उमेश पाल पुलिस धूमनगंज थाने के साथ मेरे चैम्बर यानि डी0जी0सी0 क्रिमिनल के चैम्बर में आये थे। उमेश पाल से मेरी वार्ता हुई। चैम्बर में हुई, उन्होंने मुझसे यह बताया था कि वह राजूपाल हत्याकाण्ड का प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। इसलिए वह सबूत पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं कर पायेगा। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई डर या भय प्रतीत नहीं हो रहा था वह बिल्कुल सामान्य स्थिति में था। न्यायालय के भी पूँछने पर उमेश पाल ने किसी डर और भय की बात नहीं बतायी। वह बिल्कुल सामान्य रूप से था। उमेश पाल धूमनगंज थाने की पुलिस वालों के साथ आया था और उन्हीं पुलिस वालों के साथ साक्ष्य देने के पश्चात् न्यायालय से चला गया था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि मुलजिमान द्वारा जिस आर्डरशीट की कांपी न्यायालय में दाखिल की गयी है इसमें आदेश दिनांक 01.03.2006 के आर्डरशीट में गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। असखुद कहा कि उन दिनों गवाहों के दस्तखत नही कराये जाते थे। मुलजिमान द्वारा जो समन की कांपी दाखिल की गयी है उसमें समन शन्तिदेवी नामक महिला ने प्राप्त की थी। व्यक्तिगत रूप से साक्षी उमेशपाल को समन तामील रिपोर्ट अकित नहीं है। समन मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस मुकदमें की वास्तविक स्थिति क्या है इस समय इसकी जानकारी मुझे नहीं है। राजूपाल हत्या काण्ड का मुकदमा वर्तमान में निर्णीत हुआ है या नही मैं नहीं बता सकता। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अपराध संख्या–34/2005 राजूपाल हत्या काण्ड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. जांच का आदेश पारित किया है या नहीं। यह भी मुझे जानकारी नहीं है कि ट्रायल कोर्ट का मुकदमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। इसलिए गवाहों को पुलिस अभिरक्षा में पेश करने का न्यायालय का कोई आदेश दिया गया था या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस मुकदमें में पुलिस वाले ही गवाह लेकर आये थे और आया करते थे वहीं लोग करवाते थे। जो पुलिस वाले उमेश पाल को लेकर आये थे उनका नाम मुझे याद नहीं। सी.बी.आई. द्वारा मुझसे इस सम्बन्ध में कोई पूँछतांछ नहीं की गयी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि सी.बी.आई. वाले एस0टी0नं0–24/2006 राजूपाल हत्या काण्ड में सभी गवाहों के बयानों की एवं अन्य कागजातों की पक्की नकल लेकर गये हैं। यह ट्रायल मुझे एलाट किया था। न्यायालय के आदेशानुसार मैं गवाही देने आया हूँ। यह कहना गलत है कि दिनांक 01.03.2006 को पुलिस वाले गवाहों को लेकर नहीं आये थे। यह भी

कहना गलत है कि मैं अभियुक्तों के बयानों के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त आबिद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–8 के रूप में देवेन्द्र कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 01.03.2006 को मैं लगभग 10:00 बजे अपने मित्रों के साथ उनकी गाडी के सम्बन्ध में धूमनगंज थाने गया था। थाने पर मैने देखा कि उमेश पाल दो–तीन सिपाहियों के साथ थाने से बाहर निकल रहा था। मेरी उमेश पाल से दुआ सलाम हुई। मैंने पूॅछा कि थाने कैसे आये तो उमेश पाल ने बताया कि राजूपाल हत्या के केस में मेरी गवाही है। इसलिए मैं यहां आया हूॅ और कचहरी गवाही के लिए जा रहा हूॅ। इतना कहकर उमेशपाल आगे बढ गया और वह थाने अन्दर चला गया।

अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है प्रीतमनगर में मेरा 23–24 वर्ष पुराना पिता जी का मकान है। मैं जमींन का धन्धा करता हूॅ। प्रापर्टी डीलिंग का कोई रजिस्ट्रेशन मेरे पास नहीं है। धन्धा मैं क्षेत्र के लोग मुकेश के साथ करता हूॅ। मुकेश राजरूपपुर में रहते हैं। मैं दिनांक 01.03.2006 को अकेले थाने गया था। मेरे क्षेत्र के लोगों की गाडी लड गयी थी। मेरे क्षेत्र के संजय की गाडी लडी थी वह थाने में मौजूद थी मार्शल गाडी थी। थाने में उस समय कौन थानेदार व सिपाही थे मुझे नहीं मालूम। एक्सीडेंण्ट में कोई घायल नहीं हुआ था। कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। जो बात आज उसने न्यायालय में बतायी है वह बातें आज से पहले किसी पुलिस अधिकारी को मैने नहीं बताया है। मुझे गवाही के लिए समन मिला है मैं समन लेकर न्यायालय नहीं आया हूॅ। यह कहना गलत है कि दिनांक 01.03.2006 को मैं थाना धूमनगंज नहीं गया था और इन मुलजिमानों को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–9 के रूप में पवन कुमार श्रीवास्तव को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि जिला कचहरी में जनवरी 1978 से जनपद न्यायालय मे वकालत कर रहा हूॅ। दिनांक 01.03.2006 को मैं बहैसियत वकील राज्य सरकार (फौजदारी) के मुकदमों की पैरवी करता था। राजूपाल हत्या काण्ड में राज्य सरकार की ओर से डी0एस0 लाल एडवोकेट बहैसियत वकील सरकार मुकदमें की पैरवी करते थे। उन्होनें उस मुकदमें में राज्य सरकार की ओर से मुझको भी अपने साथ पैरवी में मदद करने हेतु रखा था। यह मुकदमा सरकार बनाम अशरफ आदि के नाम से अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–14 के न्यायालय में विचाराधीन था। दिनांक 01. 03.2006 को कई गवाहान आये थे। उनमें उमेशपाल बहैसियत गवाह 3–4 पुलिस वालों के साथ आया था। डी0एस0लाल के चैम्बर में मिला था। गवाह से हम लोगों ने चैम्बर में बात की तो उसने कहा कि हम लोगों ने कोई घटना नहीं देखी। घटना

देखने के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता हूॅ। गवाह को जब समझाने बुझाने की बात की तो उसने मुझसे कहा कि मैं पढा लिखा हूॅ। एम0ए0 पास हूॅ। वह डरा व भयभीत नहीं था। न्यायालय के द्वारा बयान देने के पूर्व भी पूॅछताछ करने पर जज साहब से भी उसने वहीं बताया कि मैने कोई घटना नहीं देखा था और अपने स्वेच्छा से बयान देने आया हूॅ। फिर उसका बयान न्यायालय में दर्ज हुआ था। डी0एस0लाल ने उससे जिरह भी की थी। अपनी जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि मुझे गवाही का समन मिला है। राजूपाल हत्याकाण्ड का मुकदमा संचालन हेतु डी0एस0लाल को एलाट किया गया था। उस मुकदमें में मेरी नियुक्ति नहीं थी। मुझे डी0एस0लाल ने सहायता हेतु रख लिया था। उस दिन मेरी नियुक्ति ए0डी0जे0 कक्ष संख्या–12 के न्यायालय में थी। मुझे याद नहीं है कि उस दिन उमेश पाल अपने साथ समन लाया था कि नहीं। साक्षी ने उमेश पाल के सुरक्षा में लाने हेतु न्यायालय ने कोई आदेश किया था या नहीं। मुझे याद नहीं। इस मुकदमें की वास्तविक स्थिति क्या है मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक मुझे याद है उस दिन उस मुकदमें में 04 गवाहों की गवाही हुई थी। मुझे जानकारी नहीं है कि राजूपाल हत्या काण्ड में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई विवेचना के लिए आदेश पारित किया है। मुझे यह भी जानकारी नही है कि मुझे राजूपाल हत्याकाण्ड की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गयी है। यह कहना गलत है कि दिनांक 01.03.2006 को पुलिस वाले गवाहों को सुरक्षा में लेकर नहीं आये थे। यह भी कहना गलत है कि मैने अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूंठी गवाही दी है।

अभियुक्त इसरार अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–10 के रूप में वहीद अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 की बात है। मैं शाम को साढे 5–6 बजे नींवा में प्रवीण सिंह राठौर वकील साहब के घर पर हाईकोर्ट के एक मुकदमें के लिए गया था। वहां पर वकील साहब के घर पर उमेश पाल व तीन–चार और व्यक्ति बैठे थे। मैं भी वहां बैठ गया तो वह लोग वकील साहब से राजूपाल की हत्या के मुकदमें की गवाही के बारे में बात कर रहे थे। इन लोगों की बातों से पता चला कि दूसरे दिन राजूपाल हत्या में उमेशपाल की गवाही है। उमेश पाल राठौर साहब से कह रहे थे कि मैने घटना नहीं देखी, मैं क्या बताऊ। राठौर वकील साहब कह रहे थे कि जो पुलिस ने बयान लिया है वही कहो, उमेश पाल इंकार कर रहे थे। इसी बीच वकील साहब को रोककर बात की। वकील साहब ने दूसरे दिन आने के लिए कहा मैं चला आया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने जिरह किया है कि मुझे गवाही के लिए समन मिला है। प्रवीण सिंह राठोर एडवोकेट का घर नींवा गांव में है और चैम्बर भी घर में है। वह हाईकोर्ट व जिला न्यायालय में वकालत करते थे। अब उनकी मृत्यु हो चुकी

है। मेरा कोई व्यक्तिगत मुकदमा नहीं था। मैं कुछ मुवक्किलों को लेकर गया था। दिनांक 28.02.2006 की तारीख याद है और अन्य किन तारीखों पर वकील साहब से मिलने आया तिथियों के बारे में याद नहीं। मैं करैली में रहता हू। उमेश पाल सुलेमसरांय में रहते हैं। उमेश पाल से कभी–कभार मेरी मुलाकात हो जाया करती थी। मुझे अखबार के माध्यम से उमेशपाल के अपहरण की जानकारी मिली थी। जब मेरी उमेशपाल से वकील साहब के घर पर बात हुई थी। उसके डेढ साल बाद पेपर में पढा था। उमेशपाल के अपहरण की घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अखबार से तारीख घटना का भी पता चला था तारीख मुझे याद नहीं। यह बात मैने अपने आप बयान में बतायी है। वह आज से किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बताया था। पहली बार बता रहे हैं। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि उमेश पाल राठौर वकील साहब के घर दिनांक 28.01.2006 को शाम नहीं गया था।

अभियुक्त इसरार की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–11 के रूप में दयाराम पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 01.03.2006 को सुबह लगभग 10:00 बजे अपने गांव कौशाम्बी से वापस शहर लौट रहा था कि धूमनगंज थाने के मोड पर भीड–भाड होने के नाते मैं अपनी मोटरसाईकिल रोक दिया। मैने देखा कि कि बसपा के उमेशपाल तीन–चार पुलिस वालों व अन्य कई लोगों के साथ वहां खडा हुआ था। वहीं पर आर0पी0 सिंह एडवोकेट भी खडे हुए थे। मैने उनसे पूॅछा क्या मामला है तो उन्होकंने बताया कि राजूपाल की हत्या के केस में आज गवाही है। हम लोग उमेश पाल की गवाही दिलाने कचहरी ले जा रहे हैं। इतनी बात सुनकर वह आगे बढ गया और अपने घर चला आया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि मुझे गवाही के लिए समन मिला था। मेरा घर उमेशपाल का घर 10–12 किलोमीटर पर है। कौशाम्बी मे मेरा गांव है मैं किसानी करता हूॅ जिस दिन की घटना मैने बतायी है उस दिन फसल की कटाई चल रही थी। फसल काटने का काम मजदूर कर रहे है मैं काम लगाकर इलाहाबाद चला आया। मेरा घर इलाहाबाद में भी बच्चों के पास आया था। कभी रोज आते हैं कभी 10–15 दिन में आते हैं। उमेशपाल के घर मुहल्ले में मेरे रिश्तेदार रहते हैं इसलिए मेरा आना–जाना है। यह बात आज जो मैने न्यायालय में बतायी है आज से पहले किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि दिनांक 01.03.2006 को इलाहाबाद नहीं आया था।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–12 के रूप में बस्सन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा

है कि वर्ष 2005 में जुलाई अगस्त की बात है। कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल कौडिहार प्रथम के 42 नम्बर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। वह लगभग क्षेत्र में प्रचार करने आता था। उसके साथ सांसद अतीक अहमद के करीबी गुलफुल प्रधान व नसीम एवं कई अन्य लोग उमेशपाल के प्रचार में रहते थे। उमेश पाल सांसद अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडियों में अपने लोगों को बैठाकर प्रचार करता था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं खेती का काम करता हूॅ। ग्राम मुबारकपुर में मुझे जमींन का गाटा संख्या याद नहीं। अपनी जमींन का कोई राजस्व अभिलेख न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। उमेशपाल के चुनाव की तारीख व नामांकन की तारीख याद नहीं है। वार्ड नं0–42 का मैं सदस्य हूॅ। सांसद अतीक अहमद की गाडी का नम्बर नहीं बता सकता। मुझे इस मुकदमे की घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही देने आया हूॅ। यह कहना गलत है कि मुझे इस मुकदमें की पूर्ण जानकारी है वह न्यायालय को सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

अभियुक्त आसिफ उर्फ मल्ली की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–13 के रूप में बुद्धन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं उमेशपाल को अच्छी तरह से जानता हूॅ वे कौडिहार प्रथम के 42 नम्बर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 2005 में लड़े थे। वे अपने प्रचार में सांसद अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडियों से आते थे इनके साथ प्रचार में अतीक अहमद के करीबी नसीम व गुलफूल प्रधान भी आते थे। पूरे जुलाई अगस्त में हम लोग उमेश पाल के साथ प्रचार में रहे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं गांव में किसानी करता हूॅ। गाटा संख्या याद नहीं। जमींन का कोई राजस्व अभिलेख दाखिल नहीं किया है। मुझे चुनाव व नामांकन की तिथि याद नहीं है। उमेश पाल की गाडी का नम्बर नहीं बता सकता। सांसद अतीक अहमद व गुलफूल की गाडी को पहचानता हूॅ। सभी विदेशी गाडी थी मगर नम्बर नहीं जानता हूॅ। यह कहना गलत है कि मुझे इस मुकदमें की पूरी जानती है, लेकिन सही बात न्यायलय को नहीं बता रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही देने आया हूॅ।

अभियुक्त खान शौलत हनीफ की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–14 के रूप में नवाब अहमद खान पुत्र सलाउद्दीन पेशा वकालत, जिला–आजगढ़ को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मेरा विवाह 28.02.2006 को दिन बुधवार था। बारात मेरे घर अमनाबाद से साढे तीन किलोमीटर दूर मकसुरिया जानी थी। खान शौलत हनीफ एडवोकेट जिनसें मेरे पुराने सम्बन्ध हैं,

विवाह में शामिल होने के लिए मेरे घर सुबह 9:00 बजे के लगभग इलाहाबाद से चलकर आ चुके थे। विवाह के बाद बिदायी होने में लगभग रात 8 या 9 बज गये थे, जिसके कारण खान शौलत हनीफ एडवोकेट उस दिन मेरे घर रूक गये थे और दूसरे दिन दिनांक 01.03.2006 को सुबह इलाहाबाद के लिए रवाना हो गये।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि उसे गवाही के लिए कोई समन नहीं मिला। माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2009 से वकालत कर रहा हूॅ। मेरा निकाह दिनांक 28.02.2006 को हुआ है। मैने निकानामा की कोई कांपी दाखिल नहीं की है। मैने अपनी शादी की वीडियोग्राफी दाखिल नहीं की है। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को बचाने के लिए मैं झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त खान शौलत हनीफ खां की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–15 जीशान अहमद के रूप में को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं खान शौलत हनीफ खा के साथ नवाब अहमद एडवोकेट की शादी में ग्राम अमीनाबाद थाना फूलपुर आजमगढ़ दिनांक 28.02.2006 को गया था। सुबह लगभग 9:00 बजे हम लोग आजमगढ़ पहुंच गये थे फिर बारात के साथ ग्राम मसुरिया गया, जहां दिन में वैवाहिक कार्य–क्रम हुआ। बिदाई होते–होते रात हो गयी तो मैं व खान शौलत हनीफ रात होने के कारण वही रूक गये और दूसरे दिन दिनांक 01.03.2006 को लगभग 10:00 वापस इलाहाबाद पहुंच गये।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं खान शौलत हनीफ के कहने पर मैं न्यायालय में गवाही देने आया हूॅ। शादी का कार्ड पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। नायाब अहमद का निकाहनामा भी दाखिल नहीं किया है। इस मुकदमें की मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस मुकदमें की एफ0आई0आर0 किन–किन लोगों के खिलाफ हुई है। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। मै इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्ष 2010 से वकालत कर रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमानों को बचाने के लिए आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त आसिफ उर्फ मल्ली की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–16 के रूप में संतोष पाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि सन् 2005 में मेरी दोस्ती उमेशपाल से थी और आज भी है। अक्सर हम लोग साथ में आते–जाते थे। सन् 2005 में जब उमेश पाल कौडिहार ब्लाक से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड रहे थे, तब उसके साथ प्रचार में जाया करते थे। उमेश पाल अक्सर सांसद अतीक अहमद के घर उनकी गाडी से आते थे। मैं भी उनके साथ आया–जाया करता था। वहां से हम लोग प्रचार में उमेश पाल के साथ देहात जाते थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उमेश पाल के यहां मेरा वर्ष

2005 से आना–जाना था। कौडिहार व फाफामऊ की तरफ जो गांव है वहां प्रचार करने जाया करता था। कौड़िकार ब्लाक के किस–किस गांव में प्रचार करने गया था, याद नहीं। किस गाड़ी से प्रचार करने गया था उसका नम्बर याद नहीं। इम्पोर्टेट गाडी से जाया करता था कौन सी गाडी थी मुझे नहीं पता। सांसद अतीक अहमद के यहां मेरा उमेशपाल के साथ आना–जाना था। जिस दिन मैं गया था तारीख व महीना याद नहीं। बरसात का मौसम था। करीब 8 से 10 बार सांसद अतीक अहमद के यहां गया था। इस मुकदमें की घटना के सम्बन्ध में मुझे जानकारी है। गवाह से प्रश्न किया गया कि इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी होने के बाद आज तक आपने किसी पुलिस अधिकारी से घटना के सम्बन्ध में बताया था। इस पर गवाह ने उत्तर दिया कि इस फर्जी घटना के सम्बन्ध में मैने किसी उच्च अधिकारी को नहीं बताया था। मेरे खिलाफ दो मुकदमें हैं। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि वर्ष 2005 मे उमेश पाल के साथ चुनाव प्रचार नहीं करता था।

अभियुक्त आसिफ उर्फ मल्ली की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–17 के रूप में विकास मिश्रा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वर्ष 2005 में मेरी उमेश पाल से दोस्ती थी। अक्सर उमेशपाल व संतोषपाल साथ–साथ आया–जाया करते थे। वर्ष 2005 में जब उमेश पाल कौडिहार ब्लाक से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड रहा था तो हम लोग चुनाव में साथ–साथ आया–जाया करते थे। अक्सर उमेश पाल हम लोगों को लेकर सांसद अतीक अहमद के घर चुनाव प्रचार हेतु गाड़ियां लेने जाया करता था। वहां से गाड़ियां लेकर चुनाव प्रचार करने हेतु देहात जाया करते थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया हे कि मैं सांसद अतीक अहमद को वर्ष 2005 से जानता हूॅ। उनके घर आना–जाना नहीं था। मैं उमेश पाल के साथ आया–जाया करता था। उमेश पाल को मैं काफी समय से जानता हूॅ। कब से जानता हूॅ याद नहीं। अब मेरा उमेश पाल के यहां आना–जाना नहीं है। सांसद अतीक अहमद के गाडी का नम्बर मैं नहीं जानता हूॅ। मुझे गाडी का रंग भी याद नहीं है। इस मुकदमें की घटना के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो बात आज मेने न्यायालय में बतायी है वह आज के पहले किसी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बतायी। मैं उमेश पाल का नम्बर नहीं जानता हूॅ। मैं सासद अतीक अहमद के घर किस तारीख को गया था याद नहीं। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को लाभ पहुचाने के लिए आज झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–18 के रूप में कलीमउद्दीन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान

में कहा है कि मैं उमेशपाल को अच्छी तरह से जानता हूॅ। कौडिहार वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वर्ष 2005 में लडे थे। इस सिलसिले में मैं बराबर चुनाव प्रचार में जाता था जिसमें सांसद अतीक अहमद की मंहगी गाड़ियों से वे आते थे और उनके साथ अतीक अहमद के करीबी नसीम, गुलफूल बराबर आते–जाते थे। पूरे माह जुलाई अगस्त में चुनाव प्रचार किया था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं उमेश पाल को वर्ष 2005 से जानता हूॅ मकान नहीं जानता। उनके मकान के आसपास कौन रहता है। मैं नहीं जानता। मैं उनके घर से प्रचार करने गांव नहीं आता था। उमेश पाल जिस गाडी से प्रचार करने जाते थे। उसका गाडी नम्बर व कम्पनी नहीं जानते हैं। नसीम व गुलफूल किस गाडी से आते थे यह भी नहीं जानता। जिस मुकदमे की गवाही दे रहा हूॅ उस मुकदमे की जानकारी मुझे नहीं है। जो बयान आज अदालत में दिया है वह आज पहले किसी पुलिस अधिकारी को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि मुलजिमान को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–19 के रूप में मुस्ताक अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं उमेशपाल को वर्ष 2005 से जानता हूॅ। कौडिहार वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वर्ष 2005 में लडे थे। इस सिलसिले में मैं बराबर चुनाव प्रचार में जाता था जिसमें सांसद अतीक अहमद की मंहगी गाड़ियों से वे आते थे और उनके साथ अतीक अहमद के करीबी नसीम, गुलफूल बराबर आते–जाते थे। पूरे माह जुलाई अगस्त में चुनाव प्रचार किया था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं उमेश पाल को वर्ष 2005 से जानता हूॅ। वर्ष 2005 में चुनाव लड़ने के पहले से नहीं जानता हूॅ और न ही उनके घर गया हूॅ और न ही पडोसियों के नाम बता सकता हूॅ। उमेश पाल किस गाडी से प्रचार करते थे। नही जानता हूॅ। कौन–कौन सी गाडी जाती थी नहीं जानता हूॅ। इस मुकदमें में जो गवाही देने आया हूॅ उस घटना के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–20 के रूप में अब्दुल खालिक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं उमेशपाल को अच्छी तरह से जानता हूॅ। वे कौडिहार प्रथम के 42 नम्बर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वर्ष 2005 में लड रहे थे। वे अपने प्रचार में सांसद अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडियों से आते थे और उनके साथ प्रचार में अतीक अहमद के करीबी नसीम हटवा व गुलफूल प्रधान सिलना भी आते थे। पूरे जुलाई अगस्त माह में हम लोग उमेशपाल के साथ लगातार प्रचार में रहे। मैं नहीं जानता हूॅ और अदालत में आज बता रहा हूॅ।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि उसे गवाही के लिए समन मिला है। लेकिन मैं समन लेकर नहीं आया हूॅ। उमेश पाल जब से चुनाव लड़े थे तब से मैं जानता हूॅ। जिला पंचायत सदस्य कौडिहार ब्लाक से लड़े थे। कौडिहार ब्लाक में कौन–कौन से गांव आते हैं। मुझे पता नहीं मेरा गांव कौडिहार ब्लाक आता है। गांव में दो हजार से बाइस सौ तक वोटर होगें। मुझे नहीं पता कि मुबारकपुर गांव से उमेश पाल को कितने चुनाव में मत मिले थे। उसे यह जानकारी नहीं है कि मुबारकपुर गांव से उमेशपाल को एक ही मत नही मिला था। उमेशपाल किस कम्पनी के गाडी से चुनाव प्रचार में जाते थे उसे नहीं मालूम। किस रंग की थी एवं क्या नम्बर था यह भी मैं नहीं बता सकता। जिस मुकदमें में मै गवाही दे रहा हूॅ उस मुकदमें की घटना के सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। जो बात उसने न्यायालय में बतायी है वह आज से पहले उसने किसी पुलिस अधिकारी या अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उससे नही पूॅछा था। मैने अपने से जाकर बताने की जरूरत नहीं समझी जो बात मैं आज बता रहा हूॅ वह पहली बार बता रहा हूॅ। इससे पहले मैने किसी को नही बताया है। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ और सही बात न्यायालय में नहीं बता रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–21 के रूप में शमशाद अली को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं दिनांक 01.03.2006 को नसीम अहमद के साथ 9 या साढे 9 बजे सुबह थाना धूमनगंज गया था। अपने ट्रैक्टर की जानकारी करने वास्ते जब मैं थाने पहुंचा तो मैने देखा कि थाने में उमेशपाल व तीन चार अन्य दरोगा जी से बहस कर रहे थे। उमेशपाल कह रहा था उसमें राजू पाल की हत्या नहीं देखी है। इसलिए वह झूंठी गवाह देने अदालत नहीं जाएगा। दरोगाजी ने कहा हम कुछ नहीं जानते। अदालत से समन आया है तुम्हे अदालत जाना ही पडेगाक जो कहना है वह अदालत में कहना। यह सुनकर उमेश पाल बडबड़ाते हुए अपने साथियों व सिपाहियों के साथ थाने से बाहर चला गया। मैने इतना ही देखा इसके अलावा कुछ नहीं जानता।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि गवाही के लिए उसे समन मिला था, लेकिन मैं लेकर नहीं आया है। मैं खेती किसानी करता हूॅ। मेरे जमींन भींटी गांव में है। मुझे अपने खोतों का आराजी नम्बर याद नही है, क्योकि बहुत सी जमीनें है। मैं अपना ट्रैक्टर कब खरीदा था याद नहीं है कब बेचा था फिर कहा कि दुर्घटना के एक साल बाद में बेच दिया था। 01.03.2006 से एक रात्रि पहले दुघ र्टना हुई थी जिसे उसका चालक चला रहा था। इस घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई थी,क्योंकि सुलह हो गयी थी किस व्यक्ति से सुलह हुआ था इस

समय याद नहीं है। दिनांक 01.03.2006 को धूमनगंज थाने पर कौन दरोगाजी थे उनका नाम मुझे नहीं मालूम। जो नातें मैं आज न्यायालय में बताया हूॅ वो नाते आज से पहले किसी पुलिस अधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी को नही बताया था। गवाह ने स्वयं पूॅछा की किसी ने पूॅछा नहीं था। उक्त बातें मैने पहली बार बता रहा हूॅ जिस मुकदमें में आज गवाही दे रहा है इस मुकदमें की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–22 के रूप में जसीम अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वह शमशाद के साथ दिनांक 01.03.2006 को सुबह 9:00–9:30 बजे ट्रैक्टर की जानकारी के सम्बन्ध में थाना धूमनगंज गया था। थाने पर पहुंचने पर मैने देखा कि उमेश पाल व 3–4 अन्य लोगों के साथ थाने में मौजूद दरोगा के साथ बहस कर रहा था कि उसने राजूपाल हत्याकाण्ड नहीं देखा है। इसलिए वह झूंठी गवाही नहीं देगा, लेकिन दरोगा ने कहा कि अदालत से समन आया है तुम्हें अदालत जाना पडेगा, तुम्हे जो कुछ कहना हो तो अदालत में कहना। यह सुनकर उमेश पाल बडबडाते हुए अपने साथियों व सिपाहियों के साथ बाहर चला गया। मैने बसि इतना ही देखा है और कुछ नहीं जानता।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि उसे गवाही के लिए समन मिला है, लेकिन मैं न्यायालय में लेकर नहीं आया हूॅ। जिस ट्रैक्टर के सम्बन्ध में थाने पर गया था इस ट्रैक्टर का नम्बर उसे याद नहीं है। वह ट्रैक्टर शमशाद के नाम था मैं उनके साथ थाने गया था। जिस ट्रैक्टर के सम्बन्ध में थाना धूमनगंज गया था उसके सम्बन्ध में कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। उस ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई थी, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है और मैने उस ट्रैक्टर से कोई दुर्घटना होते नहीं देखा था। वह ट्रैक्टर थाने पर सुलहनामें के आधार पर छूटा था। मुझे जानकारी नहीं है कि उस ट्रैक्टर आमद करोन की जी0डी0 में की गयी थी या नहीं। मैं सुलहनामे का गवाह नहीं था। थाने पर मैने किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया था। मैं उमेशपाल को बहुत दिनों से जानता हूॅ। उस समय थाने के थानाध्यक्ष कौन थे मैं नहीं जानता। मुझसे उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। मैने उन्हें दूर से देखा था। मैं इस मुकदमें में गवाही दे रहा हूॅ। उस मुकदमें की घटना के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आज मैने जो बात बतायी है आज से पहले मैने किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी है। आज मैं पहली बार न्यायालय में बता रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमानों को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–23 के रूप में

कमलेश सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वह उमेश पाल को जानता है। कौडिहार ब्लाक से चुनाव लडे थे जिसमें अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडी से प्रचार के लिए आते थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उमेशपाल को कितने वोट मिले थे नहीं जानता। किस गाडी से प्रचार करने आते थे उसका रंग नहीं बता सकता। चुनाव की तारीख नहीं बता सकता। इस मुकदमें की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमानों को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–24 के रूप में अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद मुस्तफा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है किवह उमेश पाल को जानता है। कौडिहार ब्लाक से चुनाव लडे थे जिसमें अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडी से प्रचार के लिए आते थे।

प्रतिपरीक्षा मे इस साक्षी ने कहा कि इस मुकदमे की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह भी जानकारी नही है कि मेरे गांव के उमेशपाल को एक भी वोट नहीं मिला था। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक मद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–25 के रूप में सलीमुद्दीन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वह उमेश पाल को जानता है। कौडिहार ब्लाक से चुनाव लडे थे जिसमें अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडी से प्रचार के लिए आते थे। पूरे जुलाई अगस्त माह में यह लोग उमेशपाल के साथ लगातार प्रचार में रहे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि जिस गाड़ी से चुनाव प्रचार करते थे उसका नम्बर नहीं याद है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि उमेशपाल को मेरे गांव से एक भी वोट नहीं मिला। मैं जिस मुकदमें में गवाही दे रहा हूॅ उस मुकदमें की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–26 के रूप में अबरार अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वह उमेश पाल को जानता है। कौडिहार ब्लाक से चुनाव लडे थे जिसमें अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडी से प्रचार के लिए जाते थे। गुलफूल प्रधान भी आते थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि उमेश पाल जब से चुनाव लडे थे तब से जानता हूॅ। जिस गाडी से प्रचार करने आते थे उस गाडी का नम्बर नहीं बता

सकता। जिस मुकदमें में गवाही दे रहा है इस घटना की जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–27 के रूप में मोईनउद्दीन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि वह उमेश पाल को जानता है। कौडिहार ब्लाक से चुनाव लडे थे जिसमें अतीक अहमद की मंहगी–मंहगी गाडी से प्रचार के लिए जाते थे। गुलफूल प्रधान भी चुनाव प्रचार में आते थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि वर्ष 2005 में उमेशपाल चुनाव लड रहे थे। चुनाव की तारीख याद नहीं है किस गाडी से आते थे नम्बर याद नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि उमेशपाल को मेरे गांव से कितने वोट मिले थे। मुझे इस मुकदमें की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–28 के रूप में अबूबकर को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं अपनी बजाज स्कूटर रिलीज कराने सी0जे0एम0 अदालत गया था और वकील साहब के इंतजार में सी0जे0एम0 अदालत के पीछे सरकारी वकील के दफ्तर के सामने बैठा था तो समय करीब 11:00 साढे 11:00 बजे सरकारी वकील के दफ्तर से जमुनीपुर के रहने वाले उमेश पाल दो वकीलों व दो सिपाहियों के साथ निकले। उमेश पाल को मैं पहले से जानता था। मैने पूॅछा क्या बात है तो उसने बताया कि राजूपाल के कत्ल वाले मुकदमें में गवाही है वही देने आया हूॅ। मैं भी थोडी दूर पीछे–पीछे गया उमेश पाल वकीलों से कह रहा था,जब मैं घटना होते नहीं देखा तो क्यों झूंठी गवाही दूॅ। आप लोग मुझे बली का बकरा बना रहे हैं। वकीलों ने उमेशपाल से कहा कि जो कहना है अदालत में कहना। इतने में सिपाहियों ने मुझे डांटकर भगा दिया। मैं वापस चला गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि जो गाडी मैं रिलीज कराने गया था उसका नम्बर यू0पी0 70/2307 बजाज सुपर थी। गाडी मेरे नाम पंजीकृत थी। वर्ष 2006 में टी.आई.द्वारा वाहन सीज कर दिया गया था। वाहन रिलीज आदेश पत्रावली पर संलग्न नहीं है। उमेशपाल जब से चुनाव लडे थे तब से मैं जानता हूॅ। उमेशपाल जिन सिपाहियों के साथ आये थे उनका नाम मैं नहीं जानता। मैं उन सरकारी वकीलो का नाम नहीं जानता हूॅ जिनसे उमेशपाल बात कर रहे थे। जो बाते मैने मुख्य परीक्षा में बतायी है वह इसके पहले किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी थी। यह कहना गलत है कि मुलजिमानों को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–29 के रूप में बदरे आलम को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 01.05.2006 को अपने रिश्तेदार अबूबकर के साथ उनकी बजाज स्कूटर रिलीज कराने सी0जे0एम0 न्यायालय गया था। अबूबकर व मैं भी पीछे–पीछे थोडी दूर तक गया था। उमेश पाल वकीलों से कह रहा था कि जब मैने हत्या होते देखा नहीं तो झूंठी गवाही क्यों दे। आप लोग मुझे बली का बकरा क्यों बना रहे है। वकीलों ने उमेश पाल से कहा कि जो कहना है अदालत में कहना इतने में सिपाहियों ने हम दोनों को देख लिया और डांटकर भगा दिया वह जितना जानता है जिसे अदालत में कह रहा है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि वह ट्रक सं0 यू0पी0 71टी/6075 को चलाता हूॅ जो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। अबूबकर जो गाडी रिलीज कराने गये थे उस गाडी का नम्बर मुझे याद नहीं है। अबूबकर के वकील तिवारी जी थी पूरा नहीं नहीं मालूम। वह दिनांक 01.03.2006 को अबूबकर के साथ कचहरी आया था। वह उमेशपाल को काफी दिन से जानता है। उमेश पाल किन वकीलो व सिपाहियों के साथ उनका नाम उसे नहीं याद नहीं है। जहा वह बैठा था उसके दक्षिण तरफ सरकारी वकील का कार्यालय था। लगभग 20 या 25 मिनट तक वह कचहरी में था उसके बाद वह चला गया था तब तक गाडी रिलीज नहीं हुई थी। जो बात वह आज अदालत में बताया है उस बात को उसने किसी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बताया था, क्योंकि किसी ने पूॅछा ही नहीं था। इस मुकदमें की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिमानों को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ सही बात नहीं बता रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि उसने किसी को बात करते नहीं सुना था।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–30 के रूप में मुजम्मिल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मै दिनांक 28.02.2006 को दोपहर में लगभग 12:00 बजे कुछ काम से अतीक अहमद सांसद के आफिस कर्बला चकिया गया था। वहां पर पता चला कि सांसद अपने घर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, तब वह उनके घर गया, जहां कार्यकर्ताओं की भीड लगी थी। सांसद जी बरामदे में बैठकर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तथा उनके साथ उन्हीं के घर खाना खाया था और अपनी बात कहकर लगभग 5:00 बजे घर वापस आ गया था।

प्रतिपरीक्षा मे साक्षी ने कहा कि उसे आज गवाही के लिए समन मिला है जिसे लेकर वह आज न्यायालय में नहीं आया था। समन 10–12 दिन पहले सिपाही द्वारा दिया गया था। वह सांसद जी के यहां 28.02.2006 को गया था। मेरे भाई–भाई में लड़ाई हो गयी थी। इसलिए सांसद अतीक अहमद के पास गया था।

दिनांक 28.02.2006 के पहले या बाद में अतीक अहमद के यहां नहीं गया था, क्योंकि कोई काम नहीं पडा था। आज तक सांसद अतीक अहमद से 1 या 2 बार मुलाकात हुई होगी। सांसद अतीक अहमद के चकिया वाले घर से मेरा घ्ज्ञर करीब 10 किलोमीटर दूर पर होगा। मेरी अपनी खुद की जमींन है और दूसरे लोगों की भी जमींन जोतता बोता हूॅ। मेरी जमींन गाम लखनपुर में है जब मैं चकिया वाले घर पहुंचा तो वहां पर लगभग 400–500 लोग बैठे थे। मेरे गांव के सद्दाम शरीफ व श्कील प्रधान भी थे। बांकी लोगों को मैं नहीं जानता पहचानता। 3–4 घण्टा तक मौजूद था। उसकेबाद मैं अपने घर चला गया। इस मुकदमा के घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेने उमेश पाल को अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा लिखाने की बात आज तक किसी से नहीं सुना और न उमेश पाल को जानता हूॅ। मैं पढा लिखा नहीं हूॅ। इसलिए अखबार भी पढ़ता हूॅ। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि मुकदमा लिखाने के बाद टी0वी0 में समाचार में दिखायी गयी थी। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि सांसद अतीक अहमद इस मुकदमें में जेल गये थे। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि राजूपाल हत्याकाण्ड के मुकदमें में सांसद अतीक अहमद व अन्य कि खिलाफ आरोप–पत्र दाखिल किया गया है। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के आवास पर नहीं गया था।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–31 के रूप में सद्दाम को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को अतीक अहमद के चकिया वाले घर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी मैं भी लगभग 12:00 बजे दोपहर वहां पहुंच गया था। अतीक अहमद अपने बरामदें में ही बैठकर बातचीत कर रहे थे कि लगभग 4:00 बजे तक लगातार बरामदे में बैठकर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे। इस बीच कहीं नहीं गये थे। लगभग 4:00 बजे के बाद भोजन शुरू हुआ। भोजन एक घण्टे तक चला। भोजन के बाद लगभग 5:00 बजे तक हम लोग वहां से वापस हुए, तब तक अतीक अहमद अपने निवास पर रहे और कहीं नहीं गये।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे घर से अतीक अहमद के घर की दूरी तीन किलोमीटर की है। मैं उनके घर रोज नहीं जाता। जब काम पडता है तभी जाता हूॅ। आज से लगभग 4 महीने पहले मैं अंतिम बार अतीक अहमद के घर गया था। उनसे हालचाल पूॅछने। सांसद अतीक अहमद के घर मीटिंग वाले दिन 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उनके घर पर रूका था। मैं उमेश पाल को जानता पहचानता नहीं हूॅ और न ही उन्हे आज तक देखा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उमेशपाल ने सांसद अतीक अहमद के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत कराया था। जो बात न्यायालय के समक्ष बतायी है वह आज से पहले किसी को

नहीं बतायी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि सी0बी0आई0 ने अतीक अहमद व अन्य के विरूद्व राजूपाल हत्याकाण्ड में आरोप–पत्र दाखिल किया है। यह कहना गलत है कि आज मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर पर नहीं गया था।

अभियुक्त आसिफ उर्फ मल्ली की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–32 के रूप में मोहम्मद आरिफ को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं पूर्व सांसद सदस्य अतीक अहमद के चकिया वाले घर पर कार्यकर्ता मीटिंग में दोपहर 12:00 बजे पहुंच गया था। अतीक अहमद बरामदे में बैठकर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे वह 4:00 बजे तक लगातार मीटिंग करते रहे और कही ंनहीं गये। लगभग 4:00 बजे भोजन शुरू हुआ और हम लोग अतीक अहमद के साथ भोजन लगभग 5:00 बजे तक करते रहे। 5:00 बजे बाद हम लोग अपने घर पर वापस आये।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि मैं पेशे से चालक है ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर लगभग दिन में ही चलता है। आज से लगभग 14–15 वर्ष पूर्व की घ ाटना है। सांसद जी के कार्यालय का मकान नम्बर नहीं जानता। दिनांक 28.02. 2006 की मीटिंग के बाद सांसद की मीटिंग कितनी बार हुई। मुझे उसकी तारीख याद नहीं। दिनांक 28.02.2006 के पहले या बाद में किस–किस तारीख को कितनी बार सांसद जी के कार्यालय गया याद नहीं है। इससे पहले यह बात मेने किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि उमेश पाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ दिनांक 28.02.2006 को कारित घ ाटना के सम्बन्ध में थाना धूमनगंज में लिखाया हो। यह कहना गलत है कि सांसद अतीक अहमद को बचाने के लिए झूंठी गवाही दे रहा हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–33 के रूप में मोहम्मद साकिर को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं पूर्व सांसद सदस्य अतीक अहमद के चकिया वाले घर पर कार्यकर्ता मीटिंग में दोपहर 12:00 बजे पहुंच गया था। अतीक अहमद बरामदे में बैठकर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे वह 4:00 बजे तक लगातार मीटिंग करते रहे और कही ंनहीं गये। लगभग 4:00 बजे भोजन शुरू हुआ और हम लोग अतीक अहमद के साथ भोजन लगभग 5:00 बजे तक करते रहे। 5:00 बजे बाद हम लोग अपने घर पर वापस आये।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि मेरे घर से अतीक अहमद का घार तीन किलोमीटर है, जहां मीटिंग चल रही थी। दिनांक 28.02.2006 के पहले मैं अतीक अहमद के घर कब गया, याद नही। मेरे चार बच्चे हैं उनकी जन्मतिथि याद नहीं। मैं अपनी जन्मतिथि नहीं बता सकता। मुख्य परीक्षा में कही बात इसके पूर्व किसी

पुलिस अधिकारी को नहीं बताया। उमेश पाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ दिनांक 28.02.2006 को कारित घटना के सम्बन्ध में मुकदमा थाना धूमनगंज में लिखाया गया था, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं सांसद अतीक के घर नहीं गया था और न ही कोई मीटिंग थी।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–34 के रूप में भोंदल प्रसाद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के चकिया वाले घर पर कार्यकर्ता मीटिंग थी। दस साढे दस बजे मैं मीटिंग में पहुंच गया था। जब मैं पहुंचा तो मीटिंग सांसद अतीक अहमद ले रहे थे। 4 साढे 4 बजे तक मीटिंग चली। उसके पश्चात् कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था थी। सभी कार्यकर्ताओं ने खाना खाया। उस वक्त सांसद अतीक अहमद वहां बैठे हुए थे। खाना खाने के आधे घण्टे बाद वह वहां से घर चला आया। आते वक्त भी अतीक अहमद वहां बैठे थे।

प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि अतीक अहमद मुझे चकिया वाले घर पर ले गये थे। जहां मीटिंग चल रही थी वह स्थान मेरे घर से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है। मैं साईकिल से मीटिंग में आया था। मैं अकेले आया था। मेरे साथ कोई नहीं आया था। मैं घडी नहीं लगाता हूॅ। मीटिग स्थल पर कितनी गाड़ियां थी मैने नहीं गिना। चकिया वाले मकान के अगल–बगल किसका मकान है। मैं नही जानता। मैं अपनी पत्नी व बच्चों की जन्मतिथि नहीं जानता। मैं उमेश पाल को नहीं जानता। जिस मुकदमें की मैं गवाही दे रहा है उस मुकदमें की घटना के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि दिनांक 28.02.2006 को घटी घटना के सम्बन्ध में अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ कोई मुकदमा लिखाया था। यह कहना गलत है कि मैं दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया था और न ही वहां पर कोई मीटिंग थी।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–35 के रूप में प्रीतम सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के चकिया वाले घर पर कार्यकर्ता मीटिंग थी। साढे 11 बजे मैं मीटिंग में पहुंच गया था। जब मैं पहुंचा तो मीटिंग सांसद अतीक अहमद ले रहे थे। 4 साढे 4 बजे तक मीटिंग चली। उसके पश्चात् कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था थी। सभी कार्यकर्ताओं ने खाना खाया। उस वक्त सांसद अतीक अहमद वहां बैठे हुए थे। खाना खाने के आधे घण्टे बाद वह वहां से घर चला आया। आते वक्त भी अतीक अहमद वहां बैठे थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे घर से सांसद अतीक अहमद को घर 19 से 20 किलोमीटर पर है। दिनांक 28.02.2006 के पहले भी कार्यकर्ताओं की

मीटिंग हुई थी, लेकिन तारीख याद नहीं है। दिनांक 28.02.2006 के बद भी मीटिग हुई थी तारीख याद नहीं है। जहां मीटिंग हो रही थी वहां किसके–किसके मकान नहीं बता सकता। उमेश पाल को नहीं जानता हूॅ। इस मुकदमें के उमेश पाल ने दिनांक 28.02.2006 को कारित घटना के बाबत सांसद अतीक अहमद व अन्य के खिलाफ धूमनगंज में मुकदमा लिखाया था इसकी जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया था। मीटिंग स्थल पर 400–500 आदमी थे। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–36 के रूप में रामलोचन सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को अतीक अहमद पूर्व सांसद सदस्य के चकिया वाले घर पर कार्यकर्ता की मीटिंग थी। मैं भी लगभग 10:30 या 11:00 बजे पहुंच गया था। अतीक अहमद बरामदे में बैठकर सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और कहीं नही गये। जब भोजन शुरू हुआ हम लोगों ने अतीक अहमद व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। लगभग 5:00 बजे भोजन समाप्त हुआ तथा उसके बाद मीटिग भी समाप्त हो गयी तब मैं अपने घर वापस आ गया। इस बीच अतीक अहमद अपने निवास पर लगातार बने रहें और कहीं नहीं गये।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मुझे गवाही के लिए समन लाकडाउन के पहले मिला था। आज मैं लेकर न्यायालय नहीं आया हूॅ। समन मुझे किसने दिया था। चूंकि मैं उस वक्त घर पर नहीं था। इसलिए नहीं मालूम। मैं गांव में रहकर खेती बारी करता हूॅ। मेरे घर से मीटिंग हाल की दूरी लगभग 18 या 20 किलोमीटर है। मीटिग कौन से दिन थी, याद नहीं है। सांसद अतीक के कार्यालय पर बराबर आता–जाता था जब वह बाहर थे। मीटिंग के लगभग तीन माह पहले मैं सांसद जी के कार्यालय पर गया था। उसके बाद फिर मीटिंग में गया था। बीच में नहीं गया था। मीटिग क बाद सांसद जी के घर कब गया था या कार्यालय कब गया था याद नहीं है। मेरे तीन बच्चे हैं मुझे किसी की जन्मतिथि याद नहीं है। मेरी जन्मतिथि 15.12.61 है। उसे अपनी शादी की तारीख व दिन याद नहीं है। वह इण्टर पास है। जो बात मेने न्यायालय में मुख्य परीक्षा में बतायी है वह आजसे पहले किसी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी को कभी नहीं बताया। इस मुकदमें के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि दिनांक 28.02.2006 को घटना के बारे में उमेशपाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के विरूद्ध थाना धूमनगंज इलाहाबाद में मुकदमा लिखाया और उसमें पुलिस द्वारा आरोप–पत्र दाखिल किया गया, मैं उमेशपाल को नहीं जानता।

मीटिंग में करीब तीन या साढे तीन सौ आदमी थी। मीटिंग 4:00 बजे शाम खत्म हुई थी, मैं वहां लगभग 11:00 बजे दिन पहुंचा था। यह कहना गलत है कि

दिनांक 18.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया था और न ही वहां कोई मीटिंग थी। यह भी कहना गलत है कि सांसद अतीक अहमद अन्य को बचाने के लिए तथा उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए मैं आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा हूँ और सही बात नहीं बता रहा हूँ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–37 के रूप में राजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि न्यायालय द्वारा निर्गत समन पर आज गवाही देने आया है। दिनांक 28.02.2006 को अतीक अहमद सांसद सदस्य जी के चकिया वाले घ्ज्ञर पर कार्यकर्ता मीटिंग थी मैं भी लगभग 12:00 बजे दिन वहां पहुंच गया था। अतीक अहमद अपने बरादमें में बैठकर सबसे बातचीत कर रहे थे। मैं भी वहां बैठकर मीटिंग करने लगा। लगभग 4:00 बजे मीटिंग समाप्त हुई, इसके बाद सभी कार्यकर्ता भोजन पर बैठ गये। मैं भी भोजन करने लगा तभी अतीक अहमद बरामदे में बैठे थे कहीं गये नहीं। लगभग 5:00 बजे भोजन समाप्त हुआ। मैं अतीक अहमद से मुलाकात होने के बाद चला आया। तब तक अतीक अहमद वहां बैठे थे वहां से कहीं नहीं गये थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे गवाही के लिए समन मिला है,लेकिन मैं लेकर नहीं आया हूँ। मेरे घर से मीटिंग स्थल की दूरी 15–16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर 500–600 लोग थे। दिनांक 28.02.2006 के पहले किस तारीख को मैं सांसद अतीक अहमद के घर गया था याद नहीं है दो तीन महीने पहले गया था। इसके बाद कितनी बार गया याद नहीं। मुझे यह जानकारी नहीं है कि उमेश पाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के विरूद्ध दिनांक 28.02.2006 को कारित घटना के बाबत थाना धूमनगंज में मुकदमा लिखाया था और उसमें पुलिस द्वारा सभी के खिलाफ आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। मैं किस मुकदमें में गवाही देने आया हूँ मुझे यह भी नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को वह सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–38 के रूप में जुबैर अहमद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर गया था उस दिन कार्यकर्ता मीटिंग थी। अतीक अहमद बरामदे में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे। लगभग 4:00 बजे तक मीटिंग चली। सभी कार्यकर्ता खाना खाने लगे। लगभग 5:00 बजे खाना समाप्त हुआ तब तक अतीक अहमद बरामदे में बैठे रहे। अतीक अहमद से मिलकर मैं अपने घर वापस आ गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मेरा घर अतीक अहमद के घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दिनांक 28.02.2006 के पहले या बाद में मैने कई बार सांसद अतीक अहमद के घर गया था, लेकिन तारीख याद नहीं। मीटिंग में

400–500 व्यक्ति रहे होगें। जो बात आज मैने न्यायालय में बतायी है इस बात को मैने किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी थी। मैं वादी उमेशपाल को नहीं जानता। मुझे यह जानकारी नहीं है कि आज मैं इस मुकदमें में गवाही देने आया हूॅ। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया था न ही वहां कोई मीटिंग थी।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–39 के रूप में नईमउद्दीन को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर गया था उस दिन कार्यकर्ता मीटिंग थी। अतीक अहमद बरामदे में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे। लगभग 4:00 बजे तक मीटिंग चली। सभी कार्यकर्ता खाना खाने लगे। लगभग 5:00 बजे खाना समाप्त हुआ तब तक अतीक अहमद बरामदे में बैठे रहे। अतीक अहमद से मिलकर मैं अपने घर वापस आ गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मेरा घर अतीक अहमद के घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। दिनांक 28.02.2006 के पहले या बाद में मैने कई बार सांसद अतीक अहमद के घर गया था, लेकिन तारीख याद नहीं। मीटिंग में 300 व्यक्ति रहे होगें। उनमें से काफी लोग मेरे गांव के थे। जो बात आज मैने न्यायालय में बतायी है इस बात को मैने किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी थी। मैं वादी उमेशपाल को नहीं जानता। मुझे यह जानकारी नहीं है कि आज मैं इस मुकदमें में गवाही देने आया हूॅ। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया था न ही वहां कोई मीटिंग थी।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–40 के रूप में मोहम्मद जुनैद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर गया था उस दिन कार्यकर्ता की मीटिंग थी। मैं लगभग 12:00–12:30 बजे मीटिंग में पहुंचा था और मीटिंग 4:00 बजे चली। सभी कार्यकर्ता खाना खाने लगे। लगभग 5:00 बजे खाना समाप्त हुआ तब तक अतीक अहमद बरामदे में बैठे रहे। अतीक अहमद से मिलकर मैं अपने घर वापस आ गया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मेरा घर सांसद अतीक अहमद का घर 12 किलोमीटर दूरी पर है। दिनांक 28.02.2006 के पहले मैं सांसद अतीक के घर नहीं गया था दिनांक 28.02.2006 के बाद नही गया। जब मीटिंग में पहुंचा तो वहां 4–5 सौ लोग थे। मैने सांसद अतीक अहमद के यहां कोई काम नहीं किया है। वादी मुकदमा उमेश पाल को मैं नहीं जानता हूॅ। दिनाक 28.02.2006 को घटित घटना के बाबत वादी मुकदमा उमेश पाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के विरूद्ध थाना धूमनगंज में मुकदमा कायम कराया था इस बात की जानकारी उसे

नहीं है। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–41 के रूप में अमित कुमार, डिप्टी एस.पी., सी0बी0आई0 को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं इस समय डिप्टी एस0पी0 के पद पर सी0बी0आई0 में तैनात हूॅ और एस.आई.टी. धनवाद में ए.डी.जे. उत्तम आनन्द केस की जांच कर रहा हूॅ। इलाहाबाद जिले में विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। जिसका मुकदमा अपराध संख्या–34/2005 थाना धूमनगंज में कायम हुआथा। इस मुकदमें की विवेचना के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में आदेश पारित किया गया था। इस आदेश में डिनोवो इन्वेस्टीगेशन का आदेश पारित हुआ था। पूजापाल मृतक राजूपाल की पत्नी थी और उस मुकदमें की वादी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राजूपाल हत्याकाण्ड के मुकदमें की विवेचना अप्रैल 2016 में मिली थी। विवेचना में जांच पूरी करने के बाद मैने दिनांक 28.06.2019 को सी.बी.आई. कोर्ट लखनऊ में जिन अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य मिला। उनके विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया। इस आरोप–पत्र में मैने अभियुक्तगण अशरफ उर्फ खालिद अजीम, अतीक अहमद, रंजीतपाल, आबिद, फरहान अहमद,इसरार अहमद, जावेद, गुलफूल उर्फ रफीक अहमद, गुलहसन व अब्दुल कवि के विरूद्ध प्रेषित किया था। इस प्रेषित आरोप–पत्र में कुल 77 गवाह थे जिनमें से पब्लिक के 61 गवाह थे। इस मुकदमें में कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल गवाह नहीं थे। जब मैने इस मुकदमें की विवेचना ग्रहण किया था तो इस समय स्थानीय पुलिस द्वारा केस डायरी की जांच कर अध्ययन भी किया था। प्रश्न–इलाहाबाद की स्थानीय पुलिस ने अपनी विवेचना में कब कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल को घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह होना दिखाया था, तो आपने अपने आरोप–पत्र में उन्हें गवाह क्यो नहीं बनाया? उत्तर–स्थानीय पुलिस की पहली केस डायरी को पूजा पाल वादिनी और उमेश पाल उर्फ कृष्ण कुमार पाल के बारे में लिखा गया था कि वे दोनों थाना धूमनगंज में लिखित शिकायत लेकर आये थे। सी.बी.आई. में जांच आने के बाद उमेश पाल से यह पॅूछा गया था कि लिखित शिकायत देने के समय आप पूजा पाल साथ थाना धूमनगंज में मौजूद थे, फिर भी आपने न तो शिकायत में यह बताया कि आप घटनास्थल पर या राजूपाल की गाड़ियो में बैठे थे। आपने शिकायत में यहभी नहीं लिखाया था कि आप हमलावरों के नाम पते जानते थे। उमेश पाल इन सब बातों का जवाब नहीं दे पाये। तब सी.बी.आई. दफ्तर दिल्ली में पूजापाल के समक्ष ही उमेश पाल ने माना था कि ये घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और चश्मदीद गवाह नहीं है। बाद में जब चोटिल गवाहों, जिनको कि घटना के दौरान गोलियां लगी थी, के बयान लिये गये तो इससे स्पष्ट हो गया कि उमेश पाल इस

केस में किसी भी प्रकार के गवाह नहीं है। इसीलिए उनको गवाह नहीं बनाया गया।

दौरान विवेचना मैने स्थानीय पुलिस द्वारा दाखिल आरोप–पत्र पर विचारण के दौरान परीक्षित कराये गये गवाहों के बयानात् की मैने प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर अवलोकन किया था। दौरान विचारण परीक्षित कराये गये गवाहों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर पाया कि साक्षीगण रूकसाना, सादिक, सैफुल्ला, ओम प्रकाश पाल व महेन्द्र पटेल दौरान विचारण पक्षद्रोही हो गये थे। मैने दौरान विवेचना इनके पक्षद्रोही होने का कारण पता लगाया तो पता चला कि इन गवाहों ने उमेश पाल के दबाव में बयान बदला था और उमेश पाल मुलजिमानों से मिला हुआ था। ये बाते मैने उनके बयानों में दर्ज किया था। इन गवाहों ने स्पष्ट यह भी बताया था कि इनका अपहरण हुआ ही नहीं था। उमेश पाल के अपहरण होने का भी साक्ष्य नहीं मिला था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि उमेश पाल के अपहरण के मुकदमें में मैं गवाही दे रहा हूॅ। यह मुझे अभी चला है। इस मुकदमें की विवेचना मेरे द्वारा नहीं की गयी है। आज मैं जिस मुकदमें में गवाही देने आया हूॅ उसमें अभियुक्त अतीक अहमद हैं, शेष अभियुक्तगण के बारे में जानकारी नहीं है। जब मैने इस मुकदमें की जांच नहीं किया है तो मैं इस मुकदमें की घटना के बारे में नहीं जानता। प्रश्न– राजूपाल हत्याकाण्ड के मुकदमें में आपने अपनी विवेचना में कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेशपाल का बयान दर्ज किया था या नहीं? उत्तर–जांच की शुरूआत में उमेश पाल वादिनी पूजा पाल के साथ सी.बी.आई. दफ्तर आये थे। इनसे यह पूॅछा गया था कि जब आप एफ0आई0आर0 दर्ज कराने पूजापाल के साथ थाना धूमनगंज गये थे तो आपने अपना चश्मदीद होना या अभियुक्तों के नाम क्यों नहीं बताये थे। इस प्रश्न का उमशे पाल के पास कोई उत्तर नहीं था। इसके बाद उमेश पाल ने माना कि इस केस में चश्मदीद गवाह नहीं था। यह बात तब सही साबित हुई जब चोटिल गवाहों के बयान दर्ज किये और उन्होनें बताया कि उमेश पाल चश्मदीद गवाह नहीं है। वह न तो घटनास्थल पर खडा था और न ही गाड़ियों में बैठा था। चोटिल गवाहों से जब पूॅछा गया कि वह पक्षद्रोही क्यों हुए ये तो उन्होंने उमेशपाल द्वारा किये गये दबाव के बारे में बताया था। उन्होंने यह भी बतायाथा कि उन्हें पक्षद्रोही उमेशपाल ने ही करवाया है। इन गवाहों ने यह भी बताया था कि उनके अपहरण के मुकदमें झूंठे थे तो उमेश पाल के दबाव में लिखवाये थे न तो कभी चोटिल गवाहों का अपहरण हुआ था और न ही उमेश पाल का अपहरण हुआ था। उपरोक्त सभी कारणों के कारण उमेश पाल को इस केस में गवाह नहीं माना गया था। इसीलिए बयान दर्ज नहीं किया गया। प्रश्न– राजूपाल हत्याकांड अपराध सं0–34/2005 में कितने अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए थे, उनमें से किन–किन साक्षियों ने अपने अपहरण की एफ0आई0आर0 दर्जकरायी

थी तथा उनमें आरोप–पत्र दाखिल किया गया था?उत्तर–पक्षद्रोही साक्षीगणों में से सैफुल्ला उर्फ सैफ, सादिक, ओमप्रकाश पाल, महेन्द्र पटेल व उमेश पाल द्वारा अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था और उनमें आरोप–पत्र भी दाखिल हुये थे। मैने अपहरण वाले मुकदमें की एफ0आई0आर0 व आरोप–पत्र नहीं देखी थी।

राजूपाल हत्याकाण्ड के मुकदमें मैने दौरान विवेचना रूकसाना, सादिक, सैफुल्ला, ओमप्रकाश पाल व महेन्द्र पटेल का बयान लिया था। मैने उमेश पाल का बयान नहीं लिया था। बयान न लेने के कारण मैने उपर्युक्त बयानों में बतायी है। अपराध संख्या–34/2005 का विचारण जब इस न्यायालय में चल रहा था तो अभियोजन साक्षी के रूप में उमेश पाल परीक्षित हुए थे और पक्षद्रोही घोषित हुए थे। जिस मुकदमें में आज मैं गवाही दे रहा हूॅ। इस मुकदमें की जांच मैने नहीं किया है, इसीलिए इस मुकदमें में उमेश पाल का बयान नहीं लिया है।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–42 के रूप में मोहम्मद आजम को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर गया था, जहां पर कार्यकर्ता मीटिग थी। मैं लगभग 12:00 बजे दोपहर अतीक अहमद के घर पहुंचा था। मीटिंग अतीक अहमद ले रहे थे। मीटिंग को बैठकर मैं सुनने लगा। मीटिंग लगभग 4:00 बजे तक चली तब अतीक अहमद ने कहा कि आप लोग भोजन कर लीजिए, सारे लोग उठकर भोजन करने चले गये, मैं भी भोजन करने चला गया। भोजन करने के उपरान्त मीटिंग समाप्त हो गयी। सारे लोग उठकर चले गये, मैं भी उठकर अतीक अहमद से मिलकर घर चला गयाथा। मीटिंग में अतीक अहमद सुबह से कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि गवाही के लिए समन मिला हैवर्ष 2006 में सभासद था। मेरा घर सांसद अतीक अहमद के घर से 200–300 मीटर दूरी पर उसका घर है। सांसद जी के घर जब मीटिग व अन्य कार्य होता है तब मेरा आना–जाना होता है। आज तक मैं लगभग 100 बार सांसद अतीक अहमद के घर गया था। दिनांक 28.02.2006 को गया था और उससे पहले भी गया था तारीख याद नहीं है। दिनांक 28.02.2006 के बाद मैं वर्ष 2009 में गया था, लेकिन तारीख व महीना याद नहीं है, जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो तीन व चार सौ के लगभग आदमी थे। मेरा निकाह 24.11.94 को हुआ था, मेरे चार बेटियां हैं एवं दो बेटे हैं। एक की 99, दूसरी की 2002, बेटा का 2007, एक बेटी का वर्ष 98 में एक बेटी की वर्ष 2003 की है। जो बात मैने आज न्यायालय में बतायी है यह बात मैने आज से पहले किसी पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं बताया था। आज मैं पहली बार न्यायालय में बता रहा हूॅ। वादी उमेश पाल को मैं नहीं पहचानता हूॅ। मैं किस मुकदमें में गवाही दे रहा हूॅ, मुझे नहीं मालूम। मुझे यह

जानकारी नही है कि दिनांक 28.02.2006 को कारित घटना के बाबत वादी मुकदमा उमेश पाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के विरूद्ध थाना धूमनगंज में मुकदमा लिखाया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को मैं सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया था और न ही कार्यकर्ताओं की कोई मीटिग थी। यह भी कहना गलत है कि उमेश पाल को जानता पहचानता हूॅ। यह भी कहना गलत है कि इस मुकदमें के मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए मैं आज न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा है सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–43 के रूप में मोहम्मद उसमान को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर कार्यकर्ता मीटिंग में गया था मैं लगभग 11:00 दोपहर अतीक अहमद के घर पहुंचा था। मीटिंग अतीक अहमद ले रहे थे तथा कार्यकर्ता बैठे थे। मीटिंग की सुनवाई कर रहे थे मैं भी मीटिंग में बैठ गया। मीटिंग सुनने लगा मीटिंग लगभग 4:00 बजे समाप्त हुई तब अतीक अहमद ने हम लोगों से कहा कि आप लोग भोजन कर ले, सारे लोग भोजन करने चले गये। भोजन लगभग 5:00 बजे समाप्त हुआ। मैं भी भोजन कर वापस आया और अतीक अहमद से हांथ मिलाकर वापस अपने घर चला आया। अतीक अहमद मीटिंग में मेरे पहुंचने से लेकर मेरे वापस आने तक मीटिंग में मौजूद थे।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि मुझे गवाही के लिए समन मिला है, परन्तु मैं लेकर नहीं आया हूॅ। सांसद अतीक अहमद के कार्यालय से मेरा घर 16 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे घर से उनके घर की दूरी भी 16 किलोमीटर है। मीटिंग की सूचना मुझे मौखिक मिली थी लिखित नहीं मिली थी। आज तक मैं 10–12 बार सांसद अतीक अहमद के घर गया हूॅ। किस–किस तारीख को गया हूॅ मैं नहीं बता सकता। जब मीटिग में गया था तब भी ठण्डक थी। मेरा विधानसभा का क्षेत्र सांसद अतीक अहमद के संसदीय क्षेत्र में आता है। मेरा निकाह सन् 2000 में हुआ था। तारीख महीना याद नहीं है। मेरे पांच बच्चे हैं किसी की जन्मतिथि मुझे याद नहीं है। जो बात मैने न्यायालय में बतायी है वह आज से पहले किसी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को नहीं बताया था आज मैं पहली बार न्यायालय में बता रहा हूॅ। मैं किस मुकदमें में गवाही दे रहा हूॅ मुझे जानकारी नहीं है। मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि दिनांक 28.02.2006 को घटी घटना के बाबत वादी मुकदमा उमेश पाल ने सांसद अतीक अहमद व अन्य के विरूद्ध थाना धूमनगंज में मुकदमा लिखाया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद के घर नहीं गया था और न ही वहां कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। यह भी कहना गलत है कि इस मुकदमें में मुलजिमानों को लाभ पहुंचाने के लिए मैं आज

न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा हूॅ। सही बात नहीं बता रहा हूॅ।

अभियुक्त आबिद की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–44 के रूप में मोहम्मद सिद्दीकी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि राजूपाल विधायक की हत्या हुई थी। यह बात मैने सुना था राजूपाल की हत्या के मुकदमें में आबिद को मुलजिम बनाया था। राजूपाल की हत्या के मुकदमें में जब उमेशपाल गवाही दिये थे उस समय आबिद नैनी जेल में बंद था। आबिद जब जेल से कचहरी कभी–कभी आते थे तो मैं भी गांव के नाते उनसे मिलने आता था। जिस दिन उमेशपाल ने गवाही दिया था उस दिन आबिद जेल नैनी से कचहरी आये थे। मैं उनसे मिलने आया था यही कचहरी में लोग चर्चा कर रहे थे कि उमेश पाल गवाही देने आये थे और गवाही दिया।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि मैं खेती बारी करता हूॅ तथा जानवर रखा है जिससे दूध का व्यवसाय करता है। आबिद मेरे गांव के हैं। इसलिए मैं उनको जानता हूॅ वह मेरे गांव के प्रधान है उनके साथ मेरा उठना बैठना है वह मेरी बिरादरी के हैं उनका न्यौता हकारी मेरे यहां से चलता है। प्रधान जी जो सही बात कहते हैं उसको मानकर पूरी करता हूॅ और गलत बात का विरोध करता हूॅ। आबिद कब से कब तक जेल में थे मैं नहीं बता सकता। मैं आबिद से जेल मिलने कभी नहीं गया। जेल से न्यायालय आबिद कब–कब आते थे मुझे नहीं पता। उमेशपाल कब और किस तिथि को हुई थी तारीख याद नहीं है महीना व सन् पता नहीं है। जिस दिन उमेश पाल गवाही दिया था उन्हें गवाही देते हुए नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि आबिद मेरे गांव के प्रधान व विरादरी के हैं उनका मेरा आना जाना है। इसलिए मैं उनके भय व दबाव में झूंठी गवाही ने देने उनके पक्ष में आया हूॅ।

अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी डी0डब्लू0–45 के रूप में अली असगर को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने सशपथ मुख्य बयान में कहा है कि मैं आबिद को जानता पहचानता हूॅ। इस समय ग्राम प्रधान है। आबिद राजूपाल हत्या कांण्ड में जेल में थे। उसी गांव में चर्चा हो रही थी कि उमेशपाल ने गवाही दे दिया है। उमेश पाल ने किस तारीख को गवाही दिया है यह मुझे याद नहीं है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि आबिद कब से कब तक जेल में थे तारीख व महीना मुझे याद नहीं है। गांव में चर्चा सुनाथा कि उमेश पाल ने गवाही दिया है। आबिद गांव के प्रधान हैं हम लोगों के बिरादरी के हैं अदालत के समन प्राप्त होने के बाद मैं न्यायालय आया हूॅ। आबिद के घर आना जाना है परन्तु न्यौता हकारी मे हम नहीं जाते, परन्तु मरने जीने में आते जाते हैं। यह कहना गलत है कि आबिद गांव के प्रधान है और मेरे बिरादरी के है यह नाते मैं उनके पक्ष में गवाही देने आया हूॅ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 17 माह विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है तथा पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल के साक्ष्य अनुसार उसने उसी दिन घटना की सूचना उमेशपाल के घर में दे दी थी, जहां पर उमेशपाल के तीनों भाई व उनकी मां मौजूद थी, लेकिन किसी भी परिवारजन द्वारा थाने में अपहरण के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी और स्वयं पी0डब्लू0–2 उमेशपाल के घर में यह सूचना देकर अपने घर चला गया और उसके द्वारा भी कभी भी पुलिस थाने में अपहरण के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा पीड़ित उमेशपाल के भाई एवं मां जिनको कि पी0डब्लू0–2 द्वारा सूचना दिये जाने का कथन किया गया है उन्हें न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया,जो पूरी तरह से यह स्पष्ट करता है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी तथा वादी मुकदमा उमेश पाल द्वारा घटना के सम्बन्ध में किसी भी उच्च अधिकारी को या थाने को प्रेषित किया गया कोई टेलीग्राम या पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही विवेचक ने केस डायरी के साथ इसे संलग्न किया गया है। अतः विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल राजनीतिक रंजिश में दर्ज करायी गयी है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी0डब्लू0–1 उमेशपाल ने स्वयं अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि वह जिला पंचायत का चुनाव लडा था, जो यह प्रकट करता है कि वह कोई सामान्य मजबूर व्यक्ति नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से सचेत व्यक्ति था। अतः उसके द्वारा यदि थाने को सूचना दी गयी थी और सम्बन्धित थाने द्वारा उसे दर्ज नहीं किया गया था तो वह न्यायालय के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा सकता था। वह विधि का जानकार भी था। अतः न्यायालय की प्रक्रिया से परिचित था, लेकिन इस साक्षी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई प्रयास न्यायालय के माध्यम से नहीं किया गया और सत्ता परिवर्तन के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी, जो यह प्रकट करता है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी।

2. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि किसी भी साक्षी के बयान में धमकी के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल धमकी दिये जाने का सामान्य कथन मात्र किया गया है। अतः किसी भी साक्षी के द्वारा अभियुक्तगण द्वारा धमकी दिये जाने के तथ्य को अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित नहीं किया गया है।

3. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन द्वारा

परीक्षित कराये गये घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–1 उमेशपाल जो कि स्वयं पीड़ित है एवं पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल जिनके द्वारा घटना देखे जाने का कथन किया गया है। इन दोनों का साक्ष्य Sterling प्रकृति का साक्ष्य नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने स्वयं के द्वारा अपहरण की घटना देखे जाने का कथन किया गया है और अभियुक्तगण की पहचान की गयी है। इसके बाद भी वह केवल उमेशपाल के घर सूचना देकर अपने घर चला जाता है एवं सामान्य जीवन जीने लगता है। उसके द्वारा कभी कोई प्रयास इस आशय का नहीं दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना की जानकारी किसी उच्च अधिकारी को दी जाय या सम्बन्धित थाने को दी जाय। इस प्रकार इस साक्षी का आचरण यह प्रकट करता है कि वह घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नेहीं है,बल्कि घटनास्थल पर कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया गया साक्षी है।

4. पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल के साथ मोटरसाईकिल पर बैठा हुआ साक्षी ओम प्रकाश बघेल को अभियुक्तगण द्वारा बचाव साक्षी के रूप में पेश किया गया है। उसने अपहरण की घटना घटित होने से इंकार किया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल के साथ बैठा हुआ चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा घटना से इंकार किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से यह प्रकट करता है कि पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 का साक्ष्य विश्वास योग्य साक्ष्य नहीं है।

5. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि घटना में प्रयुक्त की गयी लैण्डक्रूजर गाडी एवं चैलेन्जर गाडी दोनों के पंजीकरण प्रमाण–पत्र विवेचक द्वारा प्राप्त नहीं किये गये और न ही विवेचक द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि उक्त दोनों गाड़ियों का स्वामी कौन है और कौन इनका धारक है। अतः जिन गाड़ियों से अपहरण किये जाने का कथन किया जा रहा है जो वही गाड़ियॉ घटना में प्रयुक्त की गयी, इसे अभियोजन द्वारा संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। अतः पूरी घटना संदेहास्पद हो जाती है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि लैण्डक्रूजर गाडी की जो बरामदगी विवेचक द्वारा दर्शायी गयी है उसकी फर्द विधि के अनुरूप तैयार नहीं की गयी और विवेचक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–100 (4) का अनुपालन नही किया गया। अतः अपहरण विश्वास योग्य नहीं रह जाती है।

6. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में तीन घटनास्थल बताये गये हैं–

अ–फांसी इमली के पास, जहां से उमेशपाल के अपहरण किये जाने का कथन किया जा रहा है।

ब–अतीक अहमद का कार्यालय, जहां पर अपहरण करने के पश्चात् उमशेपाल को कुर्सी से बांधकर रखे जाने का कथन किया गया है।

स–न्यायालय कक्ष जहां पर उमेश पाल का बयान कराया गया।

उपरोक्त तीनों ही स्थल संदेह से परे साबित नहीं किये गये हैं। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जहां से उमेशपाल का अपहरण किया गया उसके सम्बन्ध में विवेचक द्वारा तैयार की गयी नक्शा नजरी में यह दर्शित नहीं किया गया है कि उमेशपाल कहां पर खड़ा था और दिलीप पाल तथा ओमप्रकाश बघेल कहां पर खडे थे। अतः अपहरण में प्रयुक्त गाड़ियां कहां पर आयीं और कैसे खडी हुई। इस प्रकार विवेचक द्वारा तैयार की गयी नक्शा नजरी से यह प्रकट होता है कि घटनास्थल पर चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल मौजूद नहीं था। नक्शा नजरी के आधार पर घटनास्थल फांसी इमली संदेह के घेरे में आ जाती है,क्योंकि नक्शा नजरी के अनुसार घटनास्थल साबित नहीं होता है और पूरी घटना संदेह के घेरे में आ जाती है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह कमरा जहां पर उमेशपाल को रातभर रखा गया, के सम्बन्ध में विवेचक ने कोई नक्शा नजरी तैयार नहीं की तथा न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष, जहां उमशे पाल का बयान कराये जाने का कथन किया गया है, उसके सम्बन्ध में भी कोई नक्शा नजरी विवेचक द्वारा तैयार नहीं की गयी, जो यह प्रकट करता है कि पूरी घटना काल्पनिक है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि बंद कमरे में उमेशपाल को करेंट के झटके दिये गये तो उसके सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई इंजरी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

7. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल का कथन है कि वह लगभग 100 मीटर की दूरी पर था और एक स्थान पर यह भी कथन किया कि वह 40 से 45 मीटर की दूरी पर था। क्या इतनी दूरी से साफ–साफ अभियुक्तगण को पहचाना जा सकता है? अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इतनी दूरी से अभियुक्तगण की पहचान सम्भव नहीं है।

8. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त खान शौलत हनीफ के हांथ से पर्चा लिये जाने का साक्ष्य पी0डब्लू0–1 ने दिया है और स्वयं अपनी जिरह में यह कथन किया है कि अभियुक्त खान शौलत हनीफ ने उसको कोई धमकी नहीं दी थी। इस प्रकार किसी भी प्रकार से अभियुक्त खान शोलत हनीफ के द्वारा overt act नहीं किया गया न ही अपहरण करने में अभियुक्त खान शौलत हनीफ की मौजूदगी दर्शायी गयी है और न ही उनकी कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित की गयी है जो यह प्रकट करता है कि खान शौलत हनीफ के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें झूंठा फंसाया गया है।

9. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि घटनास्थल

अत्यधिक चलने वाली रोड जी.टी. रोड़ है, जहॉ कि अत्यधिक लोगों का आवागमन व वाहन का आवागमन निरन्तर बना रहता है और आसपास दुकानें भी हैं, लेकिन कोई भी स्वतंत्र साक्षी जो कि घटनास्थल से सम्बन्धित हों, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है,जबकि अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल के पास के दुकानदारों को डी0डब्लू0–1, डी0डब्लू0–2 व डी0डब्लू0–3 के रूप में पेश किया गया है, जिन्होंने यह बताया है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी।

10. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत षडयंत्र के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं केवल सामान्य मात्र कथन किया गया है। षडयंत्र को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है।

11. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह भी है कि पी0डब्लू0–1 उमेश पाल ने अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में तीन अभियुक्तगण के नाम बताये और पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने दूसरी गाडी में बैठे 05 अभियुक्तगण के नाम बताये, जो कि स्वयं में अर्न्तविरोधी साक्ष्य है।

12. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह भी है कि डी0डब्लू0–5 ओमप्रकाश बघेल जो कि आरोप–पत्र का साक्षी है, उसको बचाव साक्षी के रूप में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसने घटना को नकारा है तथा डी0डब्लू0–41 श्री अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक सी.बी.आई. द्वारा अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि राजूपाल हत्याकाण्ड की विवेचना उनके द्वारा की गयी थी और आरोप–पत्र प्रेषित किया गया था। आरोप–पत्र में कुल 77 गवाह थे, जिसमें कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेशपाल गवाह नहीं थे। इस प्रकार डी0डब्लू0–41 का साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि उमेशपाल जब राजूपाल हत्याकाण्ड में गवाह नहीं थे, तब उनका अपहरण किया जाना पूरी तरह से अनौचित्य पूर्ण है और यह पूरी घटना काल्पनिक तौर पर राजनीति विद्वेष में तैयार की गयी।

13. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह भी है कि प्रकरण में अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ एवं आबिद जेल में थे। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार इन दोनों ही अभियुक्तगण द्वारा संदेशों के माध्यम से धमकी दी जाती थी,लेकिन किसके द्वारा धमकी दी गयी, इसका कोई उल्लेख नहीं है क्या धमकी दी गयी इसका कोई उल्लेख नहीं है तथा जेल में बंद इन दोनों अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों के मध्य किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई हो या संदेशों का आदान–प्रदान किया गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त दोनों ही अभियुक्तगण घटनास्थल पर न तो मौजूद थे और न ही अन्य अभियुक्तों के साथ इनका सम्पर्क हुआ हो और संदेशों

का आदान–प्रदान किया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियोजन द्वारा षडयंत्र का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और इन दोनों अभियुक्तों के विरूद्व कोई भी साक्ष्य नहीं है।

14. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह भी है कि अभियुक्त जावेद प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और पी0डब्लू0–1 ने अपने साक्ष्य में जावेद की उपस्थिति से इंकार किया है। पी0डब्लू0–2 ने जावेद की शिनाख्त नहीं की है और न ही शिनाख्त की कोई कार्यवाही करायी गयी है। अतः अभियुक्त जावेद के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

15. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह भी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त अतीक अहमद सांसद, अशरफ, दिनेश पासी, अंसार व शौलत हनीफ तथा 04 अन्य के विरूद्व पंजीकृत करायी गयी। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 17 माह पश्चात् पंजीकृत करायी गयी। ऐसी स्थिति में जबकि घटना के 17 माह बीत चुके हों और वादी मुकदमा को अन्य अभियुक्तगण की भूमिका व नाम की जानकारी न हो पायी हो यह सामान्य प्रज्ञा से स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः यह तथ्य यही स्पष्ट करता है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। यह भी तर्क है कि पी0डब्लू0–2 का नाम साक्षी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है,जबकि यह रिपोर्ट 17 माह पश्चात् पंजीकृत करायी गयी। जो यह प्रकट करता है कि पी0डब्लू0–2 एक कृत्रिम साक्षी है और अभियोजन का यह कथन विश्वास योग्य नहीं है कि अभियुक्तगण के भय के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी के धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में केवल 03 अभियुक्तगण का नाम है, जो कि घटना को पूरी तरह से संदेहास्पद बनाता है।

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह भी है कि तत्कालीन सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री डी0एस0 श्रीवास्तव जो कि अभियुक्त की तरफ से बचाव साक्षी के रूप में पेश हुए हैं उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उमेशपाल पुलिस सुरक्षा के घेरे में आया था और उसने किसी भी प्रकार के अपहरण की, भय की व डराये धमकाये जाने की बात अदालत में नहीं बतायी। जो पूरे अभियोजन कथानक को संदेह के घेरे में डालता है।

17. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह भी है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–364क भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का गठन नहीं होता है,क्योंकि किसी प्रकार के फिरौती की मांग नही की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज होने के आधार पर अभियोजन कथानक झूंठा नहीं हो जाता है। अभियुक्त तत्कालीन समय में सांसद थे तथा उन्हीं पार्टी के सरकार थी, जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित दर्ज नहीं करा सका और स्वयं विवेचक द्वारा केस डायरी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि वादी मुकदमा ने मुकदमा दर्ज कराने के सम्बन्ध में टेलीग्राम उसे दिये थे, जो यह प्रकट करता है कि वादी मुकदमा दर्ज कराने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन अभियुक्त के भय व राजनीतिक प्रभाव के कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। अतः विलम्ब के आधार पर अभियोजन के कथानक को दोषी नहीं माना जा सकता।

2. अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अतीक अहमद 05 बार विधायक एवं एक बार सांसद इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से रह चुका है दूसरी तरफ एक सामान्य नागरिक है। अतः इस केस को **राज्य द्वारा सी.बी.आई. बनाम सज्जन कुमार एवं अन्य दाण्डिक अपील संख्या–1099/2013** माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिपादित विधिक सिद्वान्त ''Extraordinary situations demands extraordinary remedies" के परिप्रेक्ष्य में विलम्ब का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वादी मुकदमा द्वारा पूर्ण प्रयास किये जाने के बाद भी 17 माह तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। इसके पश्चात् मुख्यमंत्र उ0प्र0 शासन को सम्बोधित तहरीर देने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अतः अभियोजन द्वारा विलम्ब का स्पष्टीकरण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

3. अभियोजन पक्ष का अगला तर्क यह भी है कि पी0डब्लू0–01 उमेशपाल, पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल द्वारा अभियुक्तगण की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट व धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में तथा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में स्पष्ट बताया गया है जो कि अभियुक्तगण की संलिप्ता को स्पष्ट करता है। इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा घटनास्थल को साबित किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रयुक्त किया गया वाहन अभियुक्त अतीक अहमद के घर से बरामद हुआ और दिल्ली परिवहन विभाग में आज भी यह वाहन अभियुक्त अतीक अहमद के नाम से पंजीकृत है। इसके समर्थन में अभियोजन के द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रकरण में श्री दयाशंकर लाल, एडवोकेट तत्कालीन ए.डी.जी.सी. जिनके द्वारा वादी उमेश पाल का बयान दर्ज कराया गया था उन्हें प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा अपने साक्ष्य में कथन किया गया है कि दिनांक 01.03. 2006 को उमेश पाल पुलिस थाना धूमनगंज के साथ उनके चैम्बर आये थे। इस

बिन्दु पर अभियोजन का तर्क है कि सम्बन्धित थाने की कोई भी जी0डी0 बचाव में प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो यह प्रकट करती हो कि उमेशपाल को पुलिस के साथ साक्ष्य हेतु रवाना किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में राजूपाल हत्याकाण्ड की पत्रावली में एक ही दिन में 04 पक्षद्रोही साक्षी तत्कालीन सहायक जिला अधिवक्ता (फौजदारी) प्रतिरक्षा साक्षी डी0डब्लू0–7 द्वारा करा दिये जाते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्त अतीक अहमद एवं अन्य सह अभियुक्तों का अत्यधिक भय साक्षियों के मस्तिष्क में मौजूद था।

6. अभियोजन पक्ष के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि डी0डब्लू0–41 श्री अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक सी.बी.आई. द्वारा स्वयं अपने बयान में यह कथन किया गया है कि उसने राजूपाल हत्याकाण्ड के मामले में उमेश पाल का बयान नहीं लिखा। अभियोजन का तर्क है कि कोई भी साक्षी पूँछतांछ के दौरान जो भी बयान देता है उसे धारा–161 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत विवेचक को लिखना चाहिए, लेकिन इस साक्षी के द्वारा अपनी विवेचना के दौरान उमेश पाल द्वारा जो कथन किया गया उसे केस डायरी में अंकित नहीं किया गया। जो यह प्रकट करता है कि यह प्रतिरक्षा साक्षी पूर्वाग्रह से प्रभावी साक्षी है और अभियुक्त के प्रभाव में रहा है।

7. अभियोजन पक्ष का अगला तर्क यह भी है कि डी0डब्लू0–09 पवन कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट की ड्यूटी उस न्यायालय मे ंनहीं थी। इसके बावजूद भी उनकी उपस्थिति कृत्रिम रूप से दर्शाने के लिए डी0डब्लू0–7 का सहयोगी बताया गया है। यदि वह डी0डब्लू0–7 के सहयोग में कार्य कर रहे थे तो इस सम्बन्ध में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः डी0डब्लू0–9 को घटना की जानकारी नहीं है।

8. अभियोजन पक्ष का अगला तर्क यह भी है कि डी0डब्लू0–5 ओमप्रकाश बघेल अभियोजन द्वारा उन्मोचित किया गया साक्षी है। जो यह प्रकट करता है कि वह जानबूझकर झूंठ बोल रहा है। अतः उसका बचाव साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

09. अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि यदि वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 के बयान में कोई सूक्ष्म अर्न्तविरोध या परिवर्तन आया है तो वह नगण्य है, उससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

10. अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि यदि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान कुछ गलतियां की गयी है तो उसके आधार पर अभियोजन कथानक झूंठा नहीं हो जाता है।

11. अभियोजन पक्ष का यह भी तर्क है कि यदि साक्षियों का बयान विलम्ब

से दर्ज किया गया है तो इसके आधार पर उनका साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है। यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई इनसाइक्लोपीडिया नहीं है जिसमें घटना का पूर्ण विवरण एवं साक्षियों का विवरण अंकित किया जाय। बल्कि घटना के सम्बन्ध में एक सूचना मात्र होती है।

12. अभियोजन पक्ष का यह तर्क है कि षडयंत्र के अपराध के सम्बन्ध में सामान्यतया कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होता है,बल्कि परिस्थितजन्य साक्ष्यों के आधार पर षडयंत्र हुआ है या नहीं, इसका निर्धारण किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त खान शौलत हनीफ उस कमरे में मौजूद थे जहां पर अपहरण करने के पश्चात् पी0डब्लू0–1 को ले जाया गया और रखा गया तथा खान शौलत हनीफ के हाथ में एक पर्चा था जिसे सह अभियुक्त अतीक अहमद ने उनके हाथ से लेकर उमेश पाल को दिया कि यही बयान न्यायालय में देना है। इस प्रकार घटनास्थल पर पर्चे के साथ उपस्थिति और पर्चे के आधार पर न्यायालय में बयान का होना अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–364क एवं 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का गठन करता है एवं अभियुक्त आबिद व अशरफ उर्फ खालिद अजीम के विरूद्ध यह साक्ष्य आया है कि वह जेल से धमकी दिलवाते थे। अतः इन सह अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का गठन होता है। शेष अन्य साक्षियों के विरूद्व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं पीड़ित का प्रत्यक्ष साक्ष्य है जो पूरी तरह से विश्वसनीय साक्ष्य है।

13. अभियोजन पक्ष का अगला तर्क यह भी है कि इस मुकदमें के वादी उमेशपाल उर्फ कृष्ण कुमार पाल की हत्या दिनांक 24.02.2023 को इसी मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय से घर वापस जाते समय उनके घर के पास कर दी गयी, जिसका आरोप अभियुक्त अतीक अहमद, अशरफ एवं अन्य पारिवारिक सदस्य व सहयोगियों पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या–114/2023, धारा–147, 148, 149, 302, 307, 506, 34, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत थाना धूमनगंज में पंजीकृत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्य के आधार पर निर्णय के उद्देश्य से अभियुक्तगण का निम्न तीन प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है–

अ. वह अभियुक्त जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है।

ब. वह अभियुक्त जिनके नाम का उल्लेख पी0डब्लू0–2 के बयान के आधार पर आया है।

स. वह अभियुक्त जो घटना के समय जेल में निरूद्ध थे।

1. अभियुक्त **अतीक अहमद, खालिद अजीम उर्फ अशरफ, दिनेश पासी,**

अंसार **(मृतक)** एवं **खान शौलत हनीफ** जिनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी तथा इनके नाम का उल्लेख वादी की तहरीर में दिया गया है तथा वादी के धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी इनके नाम का उल्लेख किया गया है।

2. अभियुक्त **फरहान, जावेद, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली** एवं **एजाज अख्तर,** जिनके नाम का उल्लेख चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल के धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये बयान में आया है एवं इन अभियुक्तगण की उपस्थिति घटनास्थल पर दर्शित की गयी चैलेन्जर गाडी में दर्शायी गयी है। यह पांचों अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है।

3. अभियुक्त **आबिद** के नाम का उल्लेख पी0डब्लू0–1 उमेश पाल के धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिये गये बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। यह अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा घटना के समय जेल में निरूद्ध था। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ के सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 के धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में उल्लेख है कि जेल से मोबाइल से व अपने लोगों व कुछ परिचितों के माध्यम से जान से मारने की धमकी देता था। इस प्रकार अभियुक्त **आबिद** एवं **खालिद अजीम उर्फ अशरफ जेल** में निरूद्ध थे।

पत्रावली में अभियुक्तगण की अपराध में भूमिका एवं संलिप्ता का साक्ष्य के आधार पर विशलेषण करने के पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 माह पश्चात् विलम्ब से दर्ज की गयी। इस आपत्ति पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी/पीड़ित विधिक रूप से शिक्षित व्यक्ति था तथा राजनीतिक भागीदारी थी। घटना के 17 माह तक वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि स्वयं पी0डब्लू0–1 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसने वर्ष 2014 में एल0एल0बी0 किया था जो उसकी विधिक शिक्षा का प्रमाण है। उसने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि वर्ष 2006 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना और वर्ष 2011 तक सदस्य रहा। राजनीति में पूर्व से आज तक हूॅ। यह बयान प्रकट करता है कि वह राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति था व राजनीतिक प्रभाव भी रखता था। इसके बावजूद भी वह प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने थाने नहीं गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो यह साबित करती है कि पूरी घटना राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित होकर 17 माह बाद दर्ज करायी गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि स्वयं पी0डब्लू0–1 की जिरह के पृष्ठ–16/17 में इस तथ्य का उल्लेख है कि वर्ष 2007

में मायावती मुख्यमंत्री बनी थीं। पूजा पाल विधायक हो गयी तो उनसे कहा था कि मेरा अपहरण हो गया था, दबाव में बयान दिया था कुछ कीजिए तो वे कहीं कार्यवाही के लिए चिट्ठी लिखो। साक्षी का यह बयान यह प्रकट करता है कि केवल राजनीतिक विद्वेष से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 माह बाद से दर्ज करा दी गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि जिरह के पृष्ठ संख्या–22 में साक्षी ने यह कथन किया है कि फरवरी 2006 से जुलाई 2007 के बीच काफी टेलीग्राम भेजे थे संख्या याद नहीं है। अन्दाजन 8–10 टेलीग्राम भेजे। इस बारे में नहीं बता सकता। भेले गये टेलीग्रामों में अपने अपहरण की बात भी लिखी थी। इस समय मेरे पास किसी टेलीग्राम की कांपी नहीं है। कांपी सर्टीफाइड एवं अनसर्टीफाइड सभी प्रकार की थी। इस प्रकार स्वयं साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि कथित घटना के बाद जो भी टेलीग्राम उसके द्वारा घटना के सम्बन्ध में भेजे गये उसका कोई प्रमाण उसके पास नहीं है। यह भी कथन किया गया कि जुबानी मैने अपहरण वाली बात किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बतायी थी। यह भी प्रकट करता है कि साक्षी के साथ कोई घटना घटित नहीं हुई हैं।

इसके विपरीत अभियोजन पक्ष का कथन है कि पी0डब्लू0–1 स्वयं अपने मुख्य साक्ष्य में यह कथन किया है कि '' दिनांक 28.02.2006 को जब मैं अपने घर से दोपहर में दो बजे जब शहर की तरफ जा रहा था फांसी इमली के पेड के पास पहुंचा था तभी सांसद अतीक अहमद की लैंड क्रूजर गाड़ी ने मेरा रास्ता रोक लिया। पीछे से इनकी दूसरी गाड़ी चैलेन्जर आ गयी और मुझे घेर ली। भयवश मैं सडक पारकर भागना चाहा, लेकिन इनके दोनों गाड़ियों के बीच में फंस गया। लैड क्रूजर गाड़ी से अंसार बाबा, दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति, जिसे देखकर पहचान सकता हूँ तेजी से उतरे और मुझ पर पिस्तौल सटाकर लैड क्रूजर गाड़ी में पटक दिये। लैंड क्रूजर गाड़ी में सांसद अतीक अहमद के साथ तीन लोग जिन्हें पहचान सकता हूँ रायफल लेकर बैठे थे। अतीक अहमद मेरा बाल पकड़कर मुझे गाड़ी के अन्दर कर लिए। घटना को काफी लोगों ने देखा था। इसमें से एक दिलीप पाल पुत्र स्व0 सुक्खूपाल पीपलगांव थाना धूमनगंज भी थे, लेकिन अतीक अहमद के आतंक व भय के कारण कोई भी आदमी मुझे बचाने नहीं आया। अतीक अहमद मेरा अपहरण कर मुझे अपने चकिया स्थित कार्यालय ले गये। इनका एक आदमी मेरी मोटरसाईकिल लेकर पीछे–पीछे वहीं कार्यालय आया था, जिसे देखकर पहचान सकता हूँ। कार्यालय के ऊपर स्थित कमरे में मुझे बंदकर अतीक अहमद कहने लगे मादर चोद इतने दिन से समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। जब राजू पाल भोसडी के विधायक बनकर चार महीने से ज्यादा नहीं चला उस मादरचोद को मरवा दिया तो तेरी औकात क्या है। तुमको जब चाहूँ मरवा कर फेंकवा दूँ। मैं गिडगिडाया, रोने लगा जान की दुहाई मांगने लगा तभी उस कमरे में पहले से खडे

खान शौलत हनीफ से पर्चा लेकर दिये और कहे कि भोसडी के इसको पढ़ लो, रट लो, कल अदालत में यही बयान देना है नहीं तो तेरी बोटी–बोटी करके अपने कुत्तों को खिला दूँगा। उसी रात अतीक के आदमी मेरे घर भी गये थे वे मेरे घर वालों से कहे थे कि उमेश का अपहरण हम लोगों ने कर लिया है। थाना पुलिस टेलीग्राम अगर कुछ किये तो उमेशवा की हत्या कर दी जायेगी। मेरे घर में रोना पीटना मच गया। कार्यालय के कमरे में मुझे लोग कुर्सी से बांधे रखे। रातभर प्रताड़ित करते रहे करंट के झटके भी दो–तीन बार दिये। दूसरे दिन सुबह लगभग दस सवा दस के आसपास अतीक अहमद व इनके साथी उसी लैड क्रूजर गाड़ी से मुझे अदालत की ओर लेकर चल दिये। रास्ते में अतीक अहमद ने कहा कि साले जो पर्चे में लिखा था वही अदालत में बोलना नहीं तो घर लौटकर जा नहीं पाओगे। अतीक ने मेरा अपहरण करके मुझे बेवश कर दिया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे अदालत में लाकर जबरदस्ती झूंठा बयान दिलवा दिया। अदालत में दिया बयान जो उस समय दिया था झूंठा है उसे असत्य समझा जाय। मैने अपने व अपने परिवार की सलामती के लिए 01.03.2006 को जो बयान अदालत में दिया वह बयान अतीक ने दिलवाया वह बयान असत्य है। अतीक का भय व आतंक मेरे परिवार पर आज भी उसी तरह है। मेरे परिवार की रक्षा की जाय नहीं तो अतीक व उनके भाई अशरफ एक–एक करके मेरी व मेरे परिवार व रिश्तेदारों की हत्या करा देगा। मुझे फर्जी मुकदमें में फंसाकर जेल भी भिजवा सकते हें। मैने प्रार्थनापत्र मुख्यमंत्री के पास रजिस्ट्री से भेजा था''।

इस साक्षी का दिया गया न्यायालय के समक्ष यह बयान अभियुक्तगण द्वारा उत्पन्न किये गये भय की उस स्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार वादी अभियुक्तगण की आपराधिक प्रवृत्ति से भयग्रस्त था तथा उसे स्वयं एवं अपने परिवार की हत्या की आशंका भी थी। इसी डर के कारण यह प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत हुई। जब अभियुक्त अतीक अहमद घटना के समय स्वयं सांसद हो, ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज किया जाना अत्यन्त ही स्वाभविक है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किये जाने में हुए विलम्ब के आधार पर अभियोजन कथानक झूंठा नहीं हो जाता।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पी0डब्लू0–1 उमेश पाल ने स्वयं सत्र परीक्षण संख्या–1336ए/2009 में जिरह के पृष्ठ–7 पर यह कथन किया है कि घटना के दिन मेरे घर मेरे परिवार के लोग थे। माताजी, पत्नी, बच्चे कई लोग थे। पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने अपनी जिरह के पृष्ठ–3/4 में यह कथन किया है कि दोपहर 2:15 बजे के आसपास उमेश के घर गया था। उमेश के घर में उनकी माताजी, भाई दिनेश, पप्पू व रमेश मिले, उनकी भाभी मिली बहन भी मिली, उनसे सारा किस्सा हमने बताया। उनसे उन मुलजिमान का नाम भी बताया

था जिनको पहचाना था। मैने उमेश की जान बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न तो स्वयं दिलीप पाल घटना की जानकारी के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया और न ही उसके द्वारा जब पूरी घटना की सूचना उसके परिवारजनों को सूचना देने के पश्चात् भी परिवार वालों के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जो यह प्रकट करता है कि किसी प्रकार के अपहरण की घटना घटित नहीं हुई थी और न हुई। इसीलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं करायी गयी। बाद में सत्ता परिवर्तन होने पर अभियुक्तगण को झूंठा फंसाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 माह विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी।

यहॉ पर अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–01 उमेश पाल का मुख्य साक्ष्य के पृष्ठ संख्या–05 में दिया गया बयान उल्लेखनीय है " अतीक का भय व आतंक मेरे परिवार पर आज भी उसी तरह है। मेरे परिवार की रक्षा की जाय नहीं तो अतीक व उनके भाई अशरफ एक–एक करके मेरी व मेरे परिवार व रिश्तेदारों की हत्या करा देगा "। साक्षी का मुख्य साक्ष्य में दिया गया यह बयान यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्तगण के आपराधिक गतिविधियां एवं राजनीतिक शक्ति का इतना गहरा प्रभाव उसके मानस पटल पर और पूरे परिवार पर था, जिससे उत्पन्न भय के कारण कोई भी सामान्य व्यक्ति तत्कालीन सांसद अभियुक्त अतीक अहमद के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे पंजीकृत करा सकता है। अतः परिवारजनों द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी के बाद यदि कोई सूचना नहीं दी गयी तो उसका कारण सिर्फ अभियुक्त अतीक अहमद के आतंक से उत्पन्न भय ही था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि 17 माह विलम्ब से पंजीकृत हुई है तब इसका अभियोजन कथानक पर क्या प्रभाव होगा। इस तथ्य का विशलेषण करने के लिए इस प्रकरण में अभियुक्तगण की राजनीतिक व आपराधिक स्थिति तथा विचाराधीन प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों का विशलेषण करना होगा–इस स्तर पर **माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–1648/2017 एवं 2739/2017 रामकिशन सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य, रामहरी शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में** पारित निर्णय उल्लेखनीय है। इस निर्णय में अभियुक्त अतीक अहमद के विरूद्ध धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 07 आपराधिक वाद, धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 07 आपराधिक वाद, धारा–364,365,368 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 04 आपराधिक वाद, गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 03 आपराधिक वाद, धारा–323,504,506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 10 आपराधिक वाद प्रचलित होने का उल्लेख किया गया है। जो यह प्रकट करता है कि अभियुक्त अतीक अहमद की आपराधिक

पृष्ठभूमि कितनी गहरी एवं लम्बी है। इन्हीं सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकीर्ण जमानत निरस्तीकरण **याचिका सं0–38904/2016 पूजापाल एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य** को स्वीकार करते हुए अभियुक्त अतीक अहमद की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया था। अभियुक्त अतीक अहमद 05 बार लगातार वर्ष 1989 से वर्ष 2009 तक इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट से विधायक रहे तथा वर्ष 2004 से 2009 तक इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद रहे। यह सूचना wikipedia पर उपलब्ध है। अभियुक्त की यह स्थिति एक मजबूत राजनीतिक स्थिति को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट को घटना के तत्काल बाद पंजीकृत कराना एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता में नहीं होता है। इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली न्यायालय द्वारा **राज्य द्वारा सी.बी.आई. बनाम सज्जन कुमार एवं अन्य दाण्डिक अपील नं0–1099/2013** में पुलिस की कार्यशैली को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय के पृष्ठ संख्या–61 में दिल्ली सिक्ख दंगे जिसमें सैकड़ो लोग मारे गये और सम्पत्ति नष्ट की गयी, के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है '' From the Daily Diary Register maintained at police post Palam Colony, it appeared that not a singal incident of any killing or any property destroyed was recorded by the police. The police appeared to be privy to the incident of rioting and remaind a silent spectator."

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया न्यायिक संज्ञान यह प्रकट करता है कि वर्ष 1984 में दिल्ली में घटित सिक्ख दंगे का संज्ञान पुलिस द्वारा स्वयं नहीं लिया गया था और न ही घटना के सम्बन्ध में कोई उल्लेख सम्बन्धित पालम चौकी पर किया गया था। यह स्थिति सत्ता के प्रभाव को स्पष्ट करता है। वर्ष 1984 के सिक्ख दंगे में भी अभियुक्त सज्जन कुमार के विरूद्व **21 वर्ष** के पश्चात् **भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश दिनांकित 24.10.2005 के प्रकाश में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–416/84 जो कि सी.बी.आई. के द्वारा वर्ष 2005 में पुनः पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना की गयी व आरोप–पत्र प्रेषित किया गया**। इस प्रकरण में भी अभियुक्त सज्जन कुमार का गहरा राजनीतिक प्रभाव था और आपराधिक मनोवृत्ति थी, जिसके कारण वर्ष 1984 से पीड़ितों के द्वारा प्रयास करने के पश्चात् नानावती कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2005 में पुनः पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना सी.बी.आई. द्वारा प्रारम्भ की गयी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट न पंजीकृत कराये जाने के पीछे पीड़ित क्यों उदासीन होता है, इसका भी उल्लेख **राज्य द्वारा सी.बी.आई. बनाम सज्जन कुमार एवं अन्य दाण्डिक अपील नं0–1099/2013** के पैरा–173 में किया गया है " Even in the Bilkis Bano case (supra), it was argued for the accused that despite several

chances, no compliant was lodged by the witnesses about the riot. It was observed that "when these witnesses found the police non-cooperative or hostile, then naturally they were discouraged to lodge any compliant at any place where they were staying. By lodging complaints against Hindus who were in majority or the assailants who were also Hindus, might have led to a situation more dangerous and traumatic and the complainant could have invited further troubles".

प्रस्तुत प्रकरण में भी एक तरफ अभियुक्त अतीक अहमद का गहरा राजनीतिक प्रभाव तथा उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक सम्बन्ध एवं स्वयं का इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय क्षेत्र से उस समय सांसद होने के कारण कोई सामान्य व्यक्ति बिना किसी शासन/सत्ता की शक्ति के समर्थन के बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं करा सकता। वादी द्वारा 17 माह विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी। इसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट झूंठा नहीं हो जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में एक शक्तिशाली अभियुक्त के सापेक्ष एक सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना सामान्य परिस्थितियों में सम्भव नहीं है। परिस्थितियों के असमान्यता के सम्बन्ध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पृथ्वीपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 1 एससीसी 10** में प्रतिपादित किया गया है कि "Extraordinary situations demand extraordinary remedies. While dealing with an unprecedented case, the Court has to innovate the law and may also pass an unconventional order keeping in mind that an extraordinary fact situation requires extraordinary measures. In B.P Achala Anand vs. S. Appi Reddy (2005) 3 SCC 313 this court observed : (SCC p. 318, para 1) " Unusual fact situation posing issues for resolution is an opportunity for innovation. Law, as administered by courts, transform into justice."

अतः उपरोक्त विशलेषण से स्पष्ट है कि 17 माह विलम्ब से दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन कथानक को निरस्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियॅा इस विलम्ब के कारण स्वयं स्पष्ट करती हैं। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने के कारण अभियोजन कथानक झूंठा है।

प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित प्रश्न पर न्यायालय को विचार करना है–

1. क्या दिनांक 28.02.2006 को सायं 2:00 बजे फांसी इमली के पास मोहल्ला सुलेमसरांय थाना धूमनगंज,जनपद–इलाहाबाद से उमेशपाल का अपहरण

अभियुक्त **अतीक अहमद, दिनेश पासी, अंसार बाबा (मृतक)** द्वारा लैण्ड क्रूजर गाडी संख्या–डीएल1सीजी/8418 तथा अभियुक्तगण **जावेद, फरहान, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली, इसरार** एवं **एजाज अख्तर** द्वारा चैलेन्जर गाडी संख्या–केए/05/जेड/1118 से किया गया?

2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उमेशपाल का अपहरण करके उसे चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया तथा कमरे में बंद कर गाली–गलौज व करेंट के झटके दिये गये और परिवार सहित जान से मारने की धमकी देते हुए बयान की पर्ची **अभियुक्त खान शौलत हनीफ** के हाथ से लेकर उसे दी गयी और कहा गया कि कल राजूपाल हत्याकाण्ड में अदालत के समक्षं यही बयान देना।

3. क्या अभियुक्त **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** एवं **आबिद** द्वारा जेल में रहते हुए षडयंत्र करके वादी मुकदमा को उपरोक्त उद्देश्य के लिए जान से मारने की धमकी दी गयी।

<u>अभियुक्त अतीक अहमद, अंसार बाबा (मृतक) व दिनेश पासी,</u>

<u>के सम्बन्ध में विशलेषण–</u>

अभियुक्तगण पर धारा–364क, 341, 342, 323/149, 148, 147, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठित किया गया है।

364A. Kidnapping for ransom, etc.—Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign State or international inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom, shall be punishable with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सैक अहमद बनाम तेलांगाना राज्य दाण्डिक अपील संख्या–533/2021** में धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के गठन के लिए निम्नलिखित तत्व परिभाषित किये गये हैं:–

12. We may now look into section 364A to find out as to what ingredients the Section itself contemplate for the offence. When we paraphrase Section 364A following is deciphered:-

(i) “Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction”

(ii) “and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt,

(iii) or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign State or international inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom”

(iv) “shall be punishable with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.”

13. The first essential condition as incorporated in Section person 364A is "whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction". The second condition begins with conjunction "and ". The second condition also has two parts, i.e.,

(a) threatens to cause death or hurt to such person or

(b) by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt. Either part of above condition, if fulfilled, shall fulfill the second condition for offence.The Third condition begins with the word “or”, i.e., or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign international inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom,etc. The kidnapping by a person to demand ransom is fully covered by Section 364A.

14. We have noticed that after the first condition the second condition is joined by conjunction “and”, thus, whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person.

15. The use of conjunction “and” has its purpose and object.

Section 364A uses the word “or” nine times and the whole section contains only one conjunction “and”, which joins the first and second condition. Thus,for covering an offence under Section 364A, apart from fulfillment of first condition, the second condition, i.e., “and threatens to cause death or hurt to such person” also needs to be proved in case the case is not covered by subsequent clauses joined by “or”.

धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के गठन का प्रथम तत्व इस प्रकार हैः–

(i) “Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction”

धारा–362 भारतीय दण्ड संहिता में अपहरण को परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। इस प्रकार अपहरण के निम्नलिखित दो तत्व प्रकट होते हैं–

1. बलपूर्वक विवशता

2. विवश किये जाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति का किसी स्थान से ले जाया जाना आवश्य होना चाहिए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.02.2006 को सांय 2:00 बजे जब वादी मुकदमा अपनी मोटरसाईकिल से शहर की ओर आ रहा था तो सुलेमसरांय फांसी इमली के पास अतीक अहमद की लैण्ड क्रूजर गाडी नम्बर–डीएल1सीजी/8418 ने उसका रास्ता रोक लिया और दूसरी चैलेन्जर गाडी नं0–केए/05/जेड/1118 ने पीछे से घेर लिया। उस गाडी से दिनेश पासी एवं अंसार बाबा और एक आदमी उतरा और वादी को पिस्तौल सटाकर गाडी के अन्दर पटक दिया। गाडी के अन्दर सांसद अतीक अहमद व तीन लोग रायफल लेकर बैठे थे। जिन्हें वह देखकर पहचान सकता हूँ। यह लोग उसे मारते–पीटते चकिया कार्यालय ले गये तथा उसे कमरे में बंद कर गाली गलौज, मारपीट व करेंट के झटके लगाये तथा राजूपाल हत्याकाण्ड में बयान न बदलने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गयी।

वादी के बयान विवेचक द्वारा अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज किये गये। जिसमें उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि दिनांक 28.02.2006 को सायं करीब 2:00 बजे जब वह अपनी मोटरसाईकिल से शहर की ओर आ रहा था तभी फांसी इमली पेड के पास पहुचते ही अतीक अहमद की लैण्ड क्रूजर गाडी नं0–डी–1सीजी/8418 ने रास्ता रोक लिया और दूसरी गाडी नं0–

के0ए095जेड/1118 चैजेन्जर पीछे से घेर ली। वह भयवश अपने दाहिने इमली पेड की तरफ से गाडी मोडना चाहा कि दोनों गाड़ियो के बीच घिर गया। इस पर गाडी से दिनेश पासी, अंसार बाबा(मृतक) और एक अन्य जिसे वह देखकर पहचान सकता हूँ, उतरे और उस पर पिस्तौल सटाकर उसे गाडी में पटक दिया। गाडी के अन्दर इन लोगों के अलावा सांसद अतीक अहमद व तीन लोग और रायफल लेकर बैठे थे, जिन्हें देखकर वह पहचान सकता है। यह लोग मुझे मारते–पीटते चकिया स्थित सांसद के कार्यालय ले गये, कमरे में बंद कर दिया।

अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में इस साक्षी ने यह भी कहा है कि मुलजिमानों के भय व आतंक से मैं पूरी तरह असहाय हो गया और ऐसा माहौल हो गया मैं कुछ नहीं कर पाया। मुलजिमान भी बारी–बारी से रिहा होते रहे और मैं मारे डर के अपने घर में चुप रहा। मुलजिमानों के डर से मैने अपना सिम बाद में बदल दिया था। यह भी कथन किया हे कि सांसद अहमद की पीछे वाली गाडी से उस समय वह लोग गाडी से नहीं उतरे थे। वह इन्हें नहीं देख पाया। जहां कार्यालय के कमरे में उसे बंद किया गया था, वहां कुछ लोग आते जाते रहे उन्हें देखकर वह पहचान सकता है।

विवेचक द्वारा पुनः इस साक्षी का मजीद बयान दर्ज किया गया। जिसमें उसने यह कथन किया कि उसे लगातार जेल से अशरफ व आबिद मोबाइल से अपने लोगों से व कुछ परिचितों से संदेश देकर मुझे परिवार सहित जान से मारने की धमकी देते रहे। अपनी मजीद बयान में उसने यह नया कथन किया कि उस दिन फांसी इमली के पास मेरे पास सरेराह हुई घटना को और लोगों ने भी देखा था, जिनमें से एक श्री दिलीप पाल पुत्र स्व0 सुक्खूपाल निवासी पीपलगांव थाना धूमनगंज है जो उसके साथ घटित घटना की सूचना देने मेरे घर पर भी गये थे और उन्होंने पूरी बात घर वालों को बताया था। उनके जाने के बाद सांसद अतीक अहमद के लोग मेरी मोटरसाईकिल मेरे घर पर पहुंचा गये। दिलीप मुझे एक आध बार मिले तो जल्दबाजी में उन्होने घटना अपनी ऑखों से देखना व मेरे घर पर खबर करने की बात बतायी थी। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दूसरी गाडी का नम्बर केए95जेड/1118 चैलेन्जर लिखाया जो मिसप्रिण्ट होने के कारण हुआ। वास्तव में गाडी का नम्बर केए05जेड/1118 है।

साक्षी ने अपने मुख्य बयान में कहा है ..." इसके बाद भी मैं इनके दबाव में नहीं आया तब दिनांक 28.02.2006 को जब मैं अपने घर से दोपहर में दो बजे जब शहर की तरफ जा रहा था फांसी इमली के पेड के पास पहुंचा था तभी सांसद अतीक अहमद की लैंड कूजर गाड़ी ने मेरा रास्ता रोक लिया। पीछे से इनकी दूसरी गाड़ी चैलेन्जर आ गयी और मुझे घेर ली। भयवश मैं सडक पारकर भागना चाहा, लेकिन इनके दोनों गाड़ियों के बीच में फंस गया। लैड कूजर गाड़ी से अंसार बाबा,

दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति, जिसे देखकर पहचान सकता हूॅ तेजी से उतरे और मुझ पर पिस्तौल सटाकर लैड क्रूजर गाड़ी में पटक दिये। लैंड क्रूजर गाड़ी में सांसद अतीक अहमद के साथ तीन लोग जिन्हें पहचान सकता हूॅ रायफल लेकर बैठे थे। अतीक अहमद मेरा बाल पकड़कर मुझे गाड़ी के अन्दर कर लिए। घटना को काफी लोगों ने देखा था। इसमें से एक दिलीप पाल पुत्र स्व0 सुक्खूपाल पीपलगांव थाना धूमनगंज भी थे, लेकिन अतीक अहमद के आतंक व भय के कारण कोई भी आदमी मुझे बचाने नहीं आया। अतीक अहमद मेरा अपहरण कर मुझे अपने चकिया स्थित कार्यालय ले गये। इनका एक आदमी मेरी मोटरसाईकिल लेकर पीछे–पीछे वहीं कार्यालय आया था, जिसे देखकर पहचान सकता हूॅ''। इस साक्षी ने अपने **धारा–164 दण्ड प्रकिया संहिता** के बयान में जिसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है, में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि दिनांक 28.02.2006 को करीब 2:00 बजे दिन में स्थान फांसी इमली के सामने जब वह मोटरसाईकिल से शहर की ओर जा रहा था तो एक गाड़ी लैण्ड क्रूजर व एक चेलेन्जर गाडी जिनका नम्बर क्रमशः डीएल1सीजी/8418 एवं के0ए005जेड/1118 था, मुझे आगे पीछे घेर ली। मैं तुरन्त भयभीत हो गया। लैण्ड क्रूजर गाडी अंसार बाबा, दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति जिसे देखने पर मैं पहचान सकता हूॅ। यह लोग मुझे लैण्डक्रूजर गाडी में घसीटकर ले गये। गाडी में सांसद अतीक अहमद बैठे थे उन्होनें कालर पकड़कर गाडी में घसीट लिया। गाडी में तीन लोग और बैठे थे तीनों लोग रायफल लिये हुए थे। यह लोग मुझे चकिया स्थित कार्यालय ले गये।

पी0डब्लू0–3 कण्व कुमार मिश्र/विवेचक ने अपने मुख्य साक्ष्य में यह कथन किया है कि लैण्डक्रूजर गाडी संख्या–डीएल1सीजी/8418 को सांसद अतीक अहमद के घर से बरामद किया था, जिसे उनके द्वारा न्यायालय में प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया गया है। इस प्रकार विवेचक द्वारा, घटना में प्रयुक्त लैण्डक्रूजर गाडी, जिससे अभियुक्त दिनेश पासी व अंसार बाबा उतरे थे तथा अभियुक्त अतीक अहमद अन्य साथियों के साथ बैठे हुए थे तथा इस गाडी को घटना के दिनाक 28.02.2006 को साबित किया गया है।

गाडी की बरामदगी पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवेचक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–100 (4) का उल्लंघन किया गया है और कोई भी जनसाक्षी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया है न ही इस सम्बन्ध में केस डायरी में उल्लेख है। अतः यह बरामदगी संदिग्ध है। इसके विपरीत प्रतिवाद करते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा कथित किया गया कि विवेचक द्वारा साक्षी प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई भी भलाई–बुराई के कारण साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ। अतः बरामदगी झूंठी नहीं मानी जा सकती है।

उपरोक्त बरामदगी के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उस समय के सांसद

व अतीक अहमद के घर के अन्दर की बरामदगी थी, जिसमें साक्ष्य देने के लिए कोई भी आम जनता का आदमी कभी भी तैयार नहीं हो सकता है और जब ऐसे अभियुक्त के विरूद्व जिसके विरूद्व गम्भीर प्रकृति के आपराधिक इतिहास व समाज में भय एवं आतंक व्याप्त हो, उसके विरूद्व कोई आम जनता का व्यक्ति साक्षी नहीं बन सकता है।

अभियुक्त अतीक अहमद के द्वारा कोई भी साक्षी ऐसा नहीं प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा इस बरामदगी को नकारा गया हो और न ही अभियुक्त के द्वारा इस प्रकार का कोई सजेशन प्रतिपरीक्षा के दौरान दिया गया है, जिसमें बरामदगी को चुनौती दी गयी हो। विवेचक ने केस डायरी में यह अंकित किया है कि भलाई–बुराई के डर से कोई भी साक्षी साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अतः यदि कोई स्वतंत्र साक्षी बरामदगी के संदर्भ में नहीं है तो इससे बरामदगी झूंठी नहीं हो जाती और न ही धारा–100 (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन होता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि स्वयं विवेचक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि लैण्डक्रूजर गाडी की आर.सी.बुक उसने नहीं देखी थी। यह विवेचना में नहीं आया है कि उक्त गाडी किसके नाम पर थी, चैलेन्जर गाडी किसके नाम पंजीकृत की थी। इसका तसकिरा विवेचना में नहीं आया है। लैण्डक्रूजर व चैलेन्जर गाडी कौन चला रहा था यह बात वादी के बयान में नहीं आयी है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह गाड़ियां कृत्रिम रूप से plant की गयी है। इस तर्क के खण्डन में अभियोजन पक्ष का तर्क है कि स्वयं चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा गाड़ियों का नम्बर बताया गया है और लैण्डक्रूजर गाडी अभियुक्त के घर से बरामद हुई है। अतः इन गाड़ियों का प्रयोग घटना में प्रयुक्त की गयी है। अभियोजन का यह भी तर्क है कि लैण्डक्रूजर गाडी वर्तमान में भी अभियुक्त अतीक अहमद के नाम दिल्ली परिवहन विभाग में पंजीकृत है। यद्यपि इसके समर्थन में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

लैण्डक्रूजर गाडी किसके नाम पंजीकृत है यदि विवेचक द्वारा इस बिन्दु पर विवेचना नहीं की गयी है तो इसका लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्वयं पीड़ित पी0डब्लू0–1 उमेश पाल ने लैण्डक्रूजर गाडी का प्रयोग और इस गाडी का पंजीयन नम्बर अपने धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में व न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयान में बताया है। पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने भी अपने बयान में लैण्डक्रूजर गाडी के नम्बर को बताया है एवं अभियुक्त के घर से लैण्डक्रूजर गाडी की बरामदगी हुई है जो यह प्रकट करती है कि यह गाडी अभियुक्त के ही कब्जे में थी। अतः यदि विवेचक द्वारा लैण्डक्रूजर गाडी किसके नाम पंजीकृत थी, इस तथ्य पर विवेचना नहीं की है तो इससे यह प्रमाणित नहीं

होता है कि लैण्डक्रूजर गाडी का प्रयोग नहीं किया गया था और विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि विवेचना की किसी त्रुटि का लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने अपने मुख्य साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 28.02.2006 को दोपहर के आसपास अपनी मोटर गैराज से घर वापस आ रहा था। पानी की टंकी के पास ओमप्रकाश बघेल मिले और मेरे साथ सुलेमसरांय तक के लिए मोटरसाईकिल पर बैठ गये। करीब 2:00 बजे दोपहर जैसे वह फांसी इमली पेड के पास पहुंचने वाले थे तभी देखा फांसी इमली पेड की पटरी पर उमेश पाल सांसद अतीक अहमद की दो गाड़ियो के बीच में फंसे हुए थे। गाडी लैण्डक्रूजर जिसका नम्बर डीएल1सीजी/8418 व दूसरी गाडी चैलेन्जर नं0 केए05जेड/1118 है। लैण्डक्रूजर गाडी से दिनेश पासी, अंसार अहमद व एक अन्य आदमी हाथ में लिये असलहे से मारपीटकर उमेशपाल को गाडी में पटक दिया। उस गाडी में सांसद अतीक अहमद व अन्य बैठे थे जिसे पहचान नहीं सका।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। दोपहर 2:15 के आसपास उमेश के घर गया था। उमेश के घर उनकी माताजी, भाई दिनेश व पप्पू व रमेश मिले, उनकी भाभी व बहन मिली उनसे सारा किस्सा हमने बताया, उनसे हमने मुलजिमान का नाम भी बताया कि जिनको पहचाना था। मुझे इस बात की शंका थी कि उमेश की हत्या हो सकती है उसने उमेशपाल को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। अपने घर 3:00 बजे पहुंच गया फिर घर पर ही रहा.....इस घटना वाले दिन उमेश पाल के घर वालों से अन्य किसी और को घटना के बारे में नहीं बताया....मुझे मुलजिमानों का डर था।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि प्लाण्ट किया गया साक्षी है, क्योंकि नक्शा नजरी में यह साक्षी कहां पर मौजूद था। इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस साक्षी के द्वारा स्वय यह कथन किया जा रहा है कि घटना के बाद वह उमेशपाल के परिवार वालों को सूचना देकर अपने घर चला गया और उसने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। अतः इस साक्षी के द्वारा जो कि इसका विधिक दायित्व था कि उसने घटना देखा था और पुलिस को सूचित करताख दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया और अपने घर जाकर सो गया। इस साक्षी का यह आचरण यह प्रकट करता है कि वह घटना के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था, क्योंकि अपहरण जैसी घटना देखने के बाद इतनी सहजता से कोई व्यक्ति अपने घर नहीं जा सकता और अपने आसपास के लोगों को घटना के बारे में कोई न कोई जिक्र अवश्य करता है। अतः इस साक्षी का आचरण ही साक्षी को संदिग्ध बना देता है और इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता।

विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क के प्रकाश में पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह प्रकट होता है कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में लगातार यह कहा है कि मुलजिमान का डर था.....मैं डर गया था, जो यह प्रकट करता है कि यह साक्षी घटना के बाद भयग्रस्त हो गया था और परिवार को सूचना देकर सीधे अपने घर चला गया। हमारे समाज की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि जब कभी किसी माफिया या गम्भीर अपराधों का आरोपी व्यक्ति समाज में कोई घटना कारित करता है, तब सामान्य व्यक्ति केवल अपने जीवन की सुरक्षा के विषय में सोचता है न कि अपने सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी सजगता के सम्बन्ध में। इस साक्षी ने भी इसी प्रकार का आचरण किया और भयग्रस्त होकर वादी उमेश पाल के परिवार वालों को सूचित कर सीधे अपने घर चला गया और घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। जो यह प्रकट करता है कि अभियुक्तगण का समाज में कितना भय व आतंक था। इस स्थिति में पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल का आचरण स्वाभाविक आचरण है और उसके द्वारा अभियुक्त अतीक अहमद, दिनेश पासी व अंसार की भूमिका तथा लैण्डक्रूजर गाडी की घटनास्थल पर मौजूदगी व घटना के सम्बन्ध में दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय श्रेणी का साक्ष्य है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रकट करता हो कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

अभियुक्तगण द्वारा डी0डब्लू0–1 बॉकेलाल द्वारा कथन किया गया है कि वह घटनास्थल के पास हेलमेट बेचने का काम करते हैं। दिनांक 28.02.2006 को उसने अपनी दूकान लगायी थी। उस दिन उसके दूकान के सामने 10:00 बजे दिन से लेकर शाम तक कोई घटना घटित नहीं हुई थी। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पास दूकान लगाने हेतु कोई नगर निगम का लाईसेंस नहीं है। हेलमेट बेचने व खरीदने की रसीद पत्रावली पर दाखिल नहीं की है। जो बात आज उसने न्यायालय में बतायी है वह आज से पहले किसी अन्य को व किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बतायी थी। इस साक्षी को अभियुक्त दिनेश पासी की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन यह साक्षी अपनी हेलमेट की दूकान घ टनास्थल पर लगाता है। इस तथ्य के संदर्भ में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इस साक्षी ने इसके पूर्व कभी भी दिनेश पासी के समर्थन में इस प्रकार कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य एक सुविचारित पश्चात्वर्ती काल्पनिक विचार मात्र है,जो इस घटना की सत्यतता को प्रभावित नहीं करता है।

डी0डब्लू0–2 गुड्डू द्वारा कथन किया गया है कि वह घटनास्थल के पास सीटमेकर का काम करता है और उसकी दूकान फांसी इमली के पास है।उस दिन उसके दूकान के सामने कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई। इस साक्षी को भी

अभियुक्त दिनेश पासी की तरफ से न्यायालय में पेश किया गया है। इस साक्षी ने अपनी दूकान के अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई अभिलेख दाखिल नहीं किया है और इसके पूर्व भी इस साक्षी ने इस बात को किसी को नहीं बतायी है जो यह प्रकट करता है यह साक्षी भी एक घटनास्थल का कृत्रिम साक्षी है, जो कि घटना की सत्यतता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है।

डी0डब्लू0–5 ओमप्रकाश बघेल द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को मेरे सामने उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। दिनांक 28.02.2006 को दिलीप पाल के साथ कहीं गया भी नहीं था। यह साक्षी अभियोजन साक्षी था, जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तो उसे अभियोजन द्वारा उनमोचित कर दिया गया और उसे अभियुक्त की तरफ से बचाव साक्षी के रूप में पेश किया गया है। इस साक्षी की विश्वसनीयता इसलिए संदिग्ध है, क्योंकि स्वयं अभियोजन ने इसको इस आधार पर उनमोचित किया है कि यह अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करता। यह साक्षी पुलिस की नौकरी से निकाला गया कर्मचारी है,जो उसकी सत्यनिष्ठा को स्वयं में संदिग्ध करती है। अतः इस साक्षी के द्वारा दिया गया साक्ष्य एक सुविचारित पश्चात्वत्री विचार मात्र है। यह साक्षी अभियोजन साक्षी के रूप में वर्गीकृत था, लेकिन इसे बिनओवर कर लिया गयौ इस आधार पर इसका अभियोजन साक्ष्य नहीं कराया गया है। अतः इस साक्षी का आचरण ही संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाता है।

डी0डब्लू0–10 वहीद अहमद द्वारा कथन किया गया है कि वादी उमेश पाल दिनांक 28.02.2006 को श्री प्रवीण सिंह राठौर,अधिवक्ता के घर में राजूपाल हत्याकाण्ड की गवाही के बारे में सलाह लेने गये थे और वह स्वयं भी एक मुकदमें के सम्बन्ध में वहां पर था। इस प्रकार इनके द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि उन्होंने दिनांक 28.02.2006 को उमेश पाल को श्री प्रवीण सिंह राठौर,एडवोकेट के चैम्बर में देखा था। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी के द्वारा यह नहीं बताया गया कि वह किस मुकदमें के सम्बन्ध में श्री प्रवीण सिंह राठौर,एडवोकेट के चैम्बर गये थे और इस न्यायालय में श्री प्रवीण सिंह राठौर,एडवोकेट को बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है जो इस तथ्य की पुष्टि करते। अतः इस साक्षी का साक्ष्य भी मात्र एक काल्पनिक साक्ष्य है।

अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा डी0डब्लू0–30 मुजम्मिल, डी0डब्लू0–31 सद्दाम, डी0डब्लू0–32 मोहम्मद आरिफ, डी0डब्लू0–33 मोहम्मद साकिर, डी0डब्लू0–34 भोंदल प्रसाद, डी0डब्लू0–35 प्रीतम सिंह, डी0डब्लू0–36 रामलोचन सिंह, डी0डब्लू0–37 राजेन्द्र सिंह, डी0डब्लू0–38 जुबैर अहमद, डी0डब्लू0–39 नईमुद्दीन, डी0डब्लू0–40 मोहम्मद जुनैद, डी0डब्लू0–42 मोहम्मद आजम,

डी0डब्लू0–43 मोहम्मद उसमान को परीक्षित कराया गया है और इन सभी बचाव साक्षियों के द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद अपने चकिया वाले घर पर कार्यकर्ता मीटिंग ले रहे थे, जो कि सुबह 11:00 बजे से लेकर शाम 4:00–4:30 बजे तक चली। सभी कार्यकर्ताओं ने खाना खाया उस वक्त तक अतीक अहमद वहां पर बैठे हुए थे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे।

लेकिन कोई भी ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रकट करता हो कि उस दिन चकिया स्थित कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग थी। उस मीटिंग का क्या एजेण्डा था, किन लोगों को बुलाया था और कौन–कौन लोगों के द्वारा उसमें भागीदारी की जानी थी। ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षियों द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मीटिंग में लगभग 400–500 लोगों ने भाग लिया था। सभी ने भोजन किया था, लेकिन इस व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मीटिंग की कोई सार्वजनिक सूचना की गयी हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। यह सभी तथ्य व परिस्थितियां यह प्रकट करती है कि उक्त साक्षियों का साक्ष्य एक पश्चात्वर्ती सुविचारित काल्पनिक साक्ष्य है,जो कि विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

इस प्रकार पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा उमेश पाल एवं पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने अपने–अपने साक्ष्य से घटनास्थल फांसी इमली, दिनांक 28.02.2006 को समय 2:00 बजे दिन को संदेह से परे साबित किया गया है। इन दोनों ही साक्षियों के पूरे साक्ष्य में कहीं भी इन बिन्दुओं पर कोई विरोधाभास नहीं है। इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा लैण्डकूजर गाडी संख्या–डीएल1सीजी/8418 के प्रयोग को भी संदेह से परे साबित किया गया है। इन दोनों साक्षियों के द्वारा घटनास्थल पर उमेश पाल वादी मुकदमा की उपस्थिति को भी संदेह से परे साबित किया गया है। इन साक्षियों के द्वारा अभियुक्तगण दिनेश पासी, अंसार बाबा(मृतक), द्वारा वादी को पकड़ा जाना और गाडी के अन्दर पटक देना और गाडी के अन्दर अभियुक्त अतीक अहमद की उपस्थिति संदेह से परे साबित किया गया है। इसी लैण्डकूजर गाडी से अभियुक्तगण उमेशपाल वादी मुकदमा का अपहरण कर चकिया स्थित कार्यालय ले गये। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्षियों के साक्ष्य से धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के प्रथम तत्व (i) "Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction" को संदेह के परे अभियोजन द्वारा साबित किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा–364ए का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार है:–

(ii) “and threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt,

प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को समय 2:00 बजे फांसी इमली के पास अभियुक्त अतीक अहमद की लैण्डक्रूजर गाडी ने उसका रास्ता रोक लिया दूसरी गाडी चैलेन्जर ने पीछे से घेर लिया। उस गाडी से दिनेश पासी, अंसार बाबा व एक आदमी उतरे और पिस्तौल सटाकर उसके गाडी के अन्दर पटक दिया। गाड़ी के अन्दर इन लोगों के अलावा सांसद अतीक अहमद व तीन लोग और रायफल लेकर बैठे थे। नाम पता नहीं जानता, जिन्हें देखकर वह पहचान सकता है। यह लोग मुझे मारते–पीटते अपने चकिया कार्यालय ले गये। उसे कार्यालय में बंद कर गाली–गलौज, मार–पीट व करेंट के झटके लगाये और राजूपाल हत्याकाण्ड में बयान न बलदने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। अतीक अहमद ने अपने वकील खान शौलत हनीफ से एक पर्चा लेकर मुझे दिया और कहा कि इसे पढकर रट लो, कल अदालत में यही बयान देना, नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूँगा। सांसद अतीक अहमद ने अपने आदमी को भेजकर उसी रात धमकाया कि तुम लोग थाना पुलिस तार नहीं करना नहीं तो उमेश की हत्या कर दी जायेगी। मुझे कमरे में रातभर बंद कर प्रताड़ित किया गया। सुबह करीब 10:00 बजे अतीक अहमद व उसके साथी गाडी में बैठाकर ले गये और कहे कि रात में जो पर्चा में लिखा था वही कहना नहीं तो घर लौटकर नहीं आओगे।

पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा उमेश पाल ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि अतीक अहमद मेरा अपहरण कर मुझे अपने स्थित कार्यालय ले गये, इनका एक आदमी उसकी मोटरसाईकिल लेकर पीछे–पीछे वहीं कार्यालय आया था, जिसे देखकर पहचान सकता है। कार्यालय के ऊपर स्थित कमरे में उसे बंद कर अतीक अहमद कहने लगे मादर चोद इतने दिनों से समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। जब राजू पाल भोसडी के विधायक होकर 04 महीने से ज्यादा नहीं चले तो तेरी औकात क्या है। तुमकों जब चाहूँ मरवाकर फेंक दूँ। मैं गिडगिडाया रोने लगा जान की दुहाई मांगने लगा तभी उस कमरे में पहले से खडे खान शौलत हनीफ से पर्चा लेकर दिया और कहे कि भोसडी के इसको पढ लो रट लो कल अदालत में यही बयान देना नहीं तो तेरी बोटी–बोटी काटकर अपने कुत्तों को खिला दूँगा। उसी रात अतीक अहमद के आदमी मेरे घर गये थे और वे मेरे घर वालों से कहे थे कि उमेश का अपहरण उन्होंने कर लिया है। थाना पुलिस टेलीग्राम अगर किये तो उमेशवा की हत्या कर दी जायेगी। कार्यालय के कमरे में मुझे लोग कुर्सी से बांधे

रखे रातभर प्रताड़ित करते रहे वह करेंट के झटके भी दो–तीन बार दिये।

चकिया स्थित कार्यालय के अन्दर का एक मात्र साक्षी पी0डब्लू0–1 कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल ही है, जो कि कमरे के अन्दर क्या हुआ, उसके सम्बन्ध में साक्ष्य दे सकता है। इस साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने उपरोक्त मुख्य साक्ष्य में अभियुक्त अतीक अहमद के द्वारा दी गयी धमकी और जान से मारने की धमकी का उल्लेख किया गया है। अभियुक्त अतीक अहमद उसके कमरे के अन्दर मौजूद हैं और उसी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इस सीमा तक धमकी दी जा रही है कि कल अदालत में यही बयान देना है नहीं तो तेरी बोट–बोटी काट करके अपने कुत्तों को खिला दूँगा। इस साक्षी के द्वारा यह भी कहा गया है कि कार्यालय के कमरे में उसे रात भर प्रताड़ित किया गया और करेंट के झटके भी दो–तीन बार दिये गये।

पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा के धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि गाडी में ....सांसद अतीक अहमद बैठे थे उन्होंने कालर पकडकर गाडी में घसीट लिया। गाड़ी में उनके अलावा तीन लोग और बैठे थे तीनों लोग रायफल लिये हुए थे ये लोग चकिया स्थित कार्यालय ले गये। मेरी मोटरसाईकिल भी ये लोग पीछे–पीछे ले आये, जहां पर इन लोगों ने डराया धमकाया, उत्पीड़ित किया और खान शौलत से पर्चा लेकर मुझे रटने के लिए कहा गया। घर की बात कराने की प्रार्थना पर ये लोग करेंट का झटका देने लगे । इन लोगों ने कहा कि राजूपाल हत्या काण्ड में अपना बयान बदल दो नहीं तो तुम परिवार सहित मारे जाओगे, मैं डर गया। अपने और परिवार की सलामती के लिए बयान बदलने के लिए तैयार हो गया। रातभर ये लोग मुझे अपने कार्यालय में उसी कुर्सी से बांधे रखे, अगले मुझे कार्यालय से कचहरी ले आये, कोर्ट में पीछे खडे होकर बयान करवा रहे थे। इस साक्षी ने अन्वेषण के दौरान अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी कमरे के अन्दर बंद करने मार–पीट करने व बिजली के करेंट के झटके लगाये जाने का कथन किया गया है। बयान न बदलने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है और यह भी कथन किया है कि कल अदालत में यही बयान देना नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी काटकर कुत्तों खिला दूँगा। अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह भी कथन किया है कि अतीक अहमद ने अपने आदमी भेजकर उसी रात मेरे घर वालों को धमकाया कि अगर तुम लोग थाना पुलिस टेलीफोन या तार किये तो उमेश की हत्या कर दी जायेगी। मुझे रातभर कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया गया।

इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा अन्वेषण के दौरान अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त अतीक अहमद व उसके साथियों के द्वारा कमरे में बंद करके करेंट के झटके दिये जाने व जान से मारने का स्पष्ट कथन किया है और न्यायालय के समक्ष अपने दिये गये बयान में

भी अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने की बातों को दोहराया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में दिये गये धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान,धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान व इस न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में सात्यतता है एवं स्थिरता है। कहीं भी कोई अर्न्तविरोध नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा इसी से की गयी प्रतिपरीक्षा में कोई भी ऐसा तथ्य उद्घटित नहीं होता है, जो यह प्रकट करता हो कि वादी मुकदमा का अपहरण करके चकिया स्थित कार्यालय नहीं ले जाया गया और प्रताड़ित नहीं किया गया। इस बिन्दु पर अभियुक्तगण की तरफ से प्रतिपरीक्षा में कोई प्रश्न भी नहीं पूॅछा गया, जो कि वादी मुकदमा के मुख्य साक्ष्य को पुष्ट करता है।

जहां तक अभियुक्तगण का यह तर्क है कि पी0डब्लू0–3 विवेचक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वादी मुकदमा ने उसे यह नहीं बताया था कि मेरा बाल पकडकर घसीट लिया था और यह भी नहीं बताया था कि जब राजूपाल विधायक बनकर 04 महीने से ज्यादा नहीं चला उसको मरवा दिया तो तेरी औकात क्या है। मैने रोने व गिडगिड़ाने लगा व जान की दुहाई मांगने लगा। इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह साक्ष्य वादी मुकदमा द्वारा इसके पूर्व नहीं दिया गया था। अतः इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी ने कोई बयान दिया था या नहीं दिया था। इस सम्बन्ध में उसके धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान का प्रयोग खण्डन करने के लिए वादी से ही प्रतिपरीक्षा के स्तर पर किया जा सकता था। वादी के धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान का खण्डन विवेचक द्वारा नहीं कराया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा दिये गये बयान को यदि विवेचक ने विवेचना में नहीं लिखा है तो यह केवल एक त्रुटिपूर्ण विवेचना है जिसका लाभ अभियुक्तगण को प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वादी मुकदमा को लगातार जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा–164 दण्ड प्रक्रिया सहिता तथा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानों में स्थिर रहा है। इस प्रकार उपरोक्त विशलेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अतीक अहमद अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में न्यायालय मे ंबयान कराने को लेकर एक राय होकर वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी गयी और कमरे में बंद करके उसे करेंट लगाया गया, जिससे उसके मन में यह विश्वास जगा कि यदि उसने बयान नहीं बदला तो उसकी हत्या कर दी जायेगी या गम्भीर उपह्ति कारित कर दी जायेगी। इस प्रकार अभियोजन धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के दूसरे तत्व को संदेह से परे साबित कर पाने में सफल है।

(iii) or causes hurt or death to such person in order to compel the Government or any foreign State or international inter-governmental organisation or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom"

प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि वादी मुकदमा दिनांक 25.01.2005 को विधायक राजूपाल की हत्या का चश्मदीद गवाह है और अभियुक्तगण उसे जान से मार डालने की धमकी दी जाने लगी। दिनांक 28.02. 2006 को फांसी इमली के पास से अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा का अपहरण किया गया और अभियुक्त अतीक अहमद के चकिया कार्यालय ले जाया गया, जहां पर कमरे में बंद कर उसे करेंट के झटके लगाये गये तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि अतीक अहमद ने अपने वकील खान शौलत हनीफ से एक पर्चा लेकर उसे दिया और कहा कि इसे पढकर रट लो, कल अदालत में यही बयान देना है नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूँगा। उसे रात भर कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया। सुबह करीब 10:00 बजे अतीक अहमद व उनके साथी उसे गाडी में बैठाकर अदालत में ले गये और कहे कि रात में जो पर्चे में लिखा था वही बयान देना नहीं तो लौटकर घर नहीं जाओगे। उसने इतने आतंक व अपने परिवार की सलामती के लिए अदालत में वही कहा जो कि इन लोगों ने कहा था।

अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी इस साक्षी ने यही कथन किया है कि उसे रातभर कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया गया। सुबह करीब 10:00 बजे अतीक अहमद व उनके साथी उसे गाडी में बैठाकर ले गये और कहे कि जो पर्चे में लिखा था वही बयान देना नहीं तो लौटकर घर नहीं जाओगें। उसने इनके आतंक व भय तथा अपने परिवार की सलामती के लिए अदालत में वही कहा जो इन लोगों ने कहने के लिए कहा। धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी इस साक्षी ने यही कथन किया कि ये लोग उसे चकिया स्थित कार्यालय ले गये वहां पर इन लोगों ने डराया धमकाया, उत्पीड़ित किया तथा खान शौलत से एक पर्चा लेकर उसे रटने के लिए कहा गया। घर बात कराने की प्रार्थना करने पर ये लोग करेंट का झटका देने लगे। इन लोगों ने कहा कि राजूपाल हत्या पाल काण्ड में अपना बयान बदल दो नहीं तो तुम परिवार सहित मारे जाओगे। वह डर गया व अपनी व अपने परिवार की सलामती के लिए बयान बदलने के लिए तैयार हो गया। रातभर ये लोग अपने कार्यालय में उसी कुर्सी से बांधे रखे। अगले दिन ये लोग कार्यालय से कचहरी ले आये। कोर्ट के अन्दर यह लोग मेरे पीछे खडे होकर बयान करवा रहे थे मुझसे झूंठा बयान करवाया गया। बाहर आने के बाद इन लोगों ने व

सांसद अतीक अहमद ने कहा कि किसी को कोई शिकायत न करना वरना् परिवार सहित जान से हाथ धो बैठोगे।

न्यायालय के समक्ष अपने मौखिक साक्ष्य में भी यह कथन किया है कि चकिया स्थित कार्यालय में मुझे कुर्सी से बांधे रखे। रातभर प्रताड़ित करते रहे, करेंट के झटके भी दो–तीन बार दिये। दूसरे दिन सुबह लगभग 10 सवा 10:15 के आसपास अतीक अहमद व उनके साथी उसी लैण्डक्रूजर गाडी से उसे अदालत की ओर लेकर चल दिये। रास्ते में अतीक अहमद ने कहा कि साले पर्चे में जो लिखा है वही अदालत में बोलना नहीं तो लौटकर घर नहीं जा पाओगे। अतीक ने उसका अपहरण कर उसे बेवस कर दिया था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे अदालत में लाकर जबरदस्ती झूंठा बयान दिलवा दिया।

इस प्रकार अभियोजन द्वारा इस तथ्य को साबित किया गया कि धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत ''or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom" अभियुक्तगण द्वारा किया गया कार्य यह है कि वादी मुकदमा जो कि एक चक्षुदर्शी साक्षी था, को न्यायालय में राजूपाल हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में सही बयान देने से विरत किया गया और न्यायालय में इस साक्षी के बयान कराने के पूर्व उसे चकिया स्थित कार्यालय में उसकी हत्या कर दिये जाने के बाबत इतना आतंकित कर दिया गया कि वह न्यायालय में झूंठा बयान देने के लिए मजबूर हो गया और उसके द्वारा मृत्यु की डर से भयभीत होकर न्यायालय में झूंठा बयान दिया गया। इस प्रकार इस साक्षी को सही बयान देने से रोका गया और झूंठा बयान अदालत में देने के लिए मृत्यु के भय में डालकर अभियुक्तगण द्वारा मजबूर किया गया। अतः अभियोजन धारा–364ए भारतीय दण्ड संहिता के तीसरे तत्व को भी संदेह से परे साबित कर पाने में सफल रहा है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी मुकदमा राजूपाल हत्याकाण्ड का चश्मदीद साक्षी नहीं था और अपने समर्थन में **डी0डब्लू0–41 डिप्टी एस.पी. सी.बी.आई.** को परीक्षित कराया गया है। इसने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया है कि राजूपाल हत्या काण्ड की विवेचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अप्रैल 2016 में उन्हें मिली थी। विवेचना में जॉच पूरी करने के बाद मैने दिनांक 28.06.2019 को सी.बी.आई.कोर्ट लखनऊ में आरोप–पत्र दाखिल किया।इस आरोप–पत्र में कुल 77 गवाह थे जिनमें से जनता के 61 गवाह थे। इस मुकदमें में कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल गवाह नहीं थे। उनके द्वारा साक्ष्य में यह भी कथन किया गया कि सी0बी0आई0 दिल्ली में पूजापाल के समक्ष ही उमेश पाल ने माना था कि ये घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और चश्मदीद गवाह नहीं है। बाद में जब चोटहिल गवाहों के बयान लिये गये, इससे स्पष्ट हो गया कि उमेश पाल इस

केस में गवाह नहीं है। इसलिए उन्हें गवाह नहीं बनाया गया। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि उमेश पाल ने माना था कि इस केस में चश्मदीद गवाह नहीं था वह न तो घटनास्थल पर खडा था और न ही गाडी में बैठा था। चोटहिल गवाहों से जब पूॅछा गया तो वह पक्षद्रोही क्यों हुए तो उन्होनें उमेश पाल द्वारा दिये गये दबाव के बारे में बताया था और उन्हेाने यह भी बताया था कि उन्हें पक्षद्रोही गवाह उमेशपाल ने ही करवाया है। इन गवाहों ने यह भी बताया था कि उनके अपहरण के मुकदमें झूंठे थे और उमेश पाल के दबाव में लिखवाये थे न तो चोटहिल गवाहों का अपहरण हुआ था और न ही उमेश पाल का ही अपहरण हुआ था। इन सभी कारणों से उमेश पाल को इस केस में गवाह नहीं माना गया था। राजूपाल हत्याकाण्ड में मैने उमेश पाल का बयान नहीं लिया था। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि विवेचक का कोई भी मत हो, यदि कोई साक्षी घटना के सम्बन्ध में अपना बयान देना चाहता है और वह उसके कार्यालय में उपस्थित है तो विवेचक को उसका बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लिखना चाहिए।यदि विवेचक के समक्ष राजूपालहत्या काण्ड में पूजापाल के साथ उमेशपाल उपस्थित होकर यह कहा था कि घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और चश्मदीद गवाह नहीं है तो उसका यही बयान विवेचक को लिखना चाहिए था, लेकिन विवेचक ने उसका कोई बयान अंकित नहीं किया, जो विवेचक के त्रुटिपूर्ण विवेचना को दर्शाता है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि राजूपाल हत्याकाण्ड में उमेश पाल चक्षुदर्शी साक्षी नही था तो पुलिस द्वारा अपनी विवेचना में उसे कैसे चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में क्यों दर्शाया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण इस बचाव साक्षी के द्वारा नहीं दिया गया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि यह घटना उमेशपाल के अपहरण से सम्बन्धित है न कि राजूपाल हत्याकाण्ड से सम्बन्धित है। अपहरण के सम्बन्ध में इस विवेचक ने कुछ भी नहीं बताया है और इसके इस कथन मात्र से उसका अपहरण नहीं हुआ था इस साक्षी का साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं रह जाता है क्योंकि पीड़ित साक्षी स्वयं अपनी घटना को बता रहा है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य विश्वास योग्य साक्ष्य नहीं है।

अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा अपने बचाव में अन्यत्र उपस्थिति का भी तर्क लिया गया है और अपने समर्थन में डी0डब्लू0–30 मुजम्मिल, डी0डब्लू0–31 सद्दाम, डी0डब्लू0–32 मोहम्मद आरिफ, डी0डब्लू0–33 मोहम्मद साकिर, डी0डब्लू0–34 भोंदल प्रसाद, डी0डब्लू0–35 प्रीतम सिंह, डी0डब्लू0–36 रामलोचन सिंह, डी0डब्लू0–37 राजेन्द्र सिंह, डी0डब्लू0–38 जुबैर अहमद, डी0डब्लू0–39 नईमुद्दीन, डी0डब्लू0–40 मोहम्मद जुनैद, डी0डब्लू0–42 मोहम्मद आजम, डी0डब्लू0–43 मोहम्मद उसमान को परीक्षित कराया गया है और इन सभी बचाव साक्षियों के द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को सांसद अतीक अहमद

अपने चकिया वाले घर पर कार्यकर्ता मीटिंग ले रहे थे, जो कि सुबह 11:00 बजे से लेकर शाम 4:00–4:30 बजे तक चली। सभी कार्यकर्ताओं ने खाना खाया उस वक्त तक अतीक अहमद वहां पर बैठे हुए थे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे।

अन्यत्र उपस्थिति को कठोर साक्ष्य के साथ साबित किया जाना चाहिए। अभियुक्त अतीक अहमद को यह दर्शाना होगा कि इस बात की कोई सम्भावना नहीं थी कि वह घटनास्थल पर मौजूद हो सकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में घटनास्थल एवं दर्शित चकिया स्थित अभियुक्त का कार्यालय की दूरी इतनी अधिक नहीं है कि अभियुक्त वहां पर न पहुंच सकता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **शेख सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 8 एससीसी 430** में यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्यत्र उपस्थिति के साक्ष्य को पूर्ण निश्चितता के साथ इस सीमा तक साबित किया जाना चाहिए कि घटनास्थल पर घटना के समय पर अभियुक्त की उपस्थिति को पूर्ण रूप से नकारती हो। प्रस्तुत प्रकरण में घटनास्थल जनपद–इलाहाबाद स्थल फांसी इमली सुलेमसरांय समय 2:00 बजे की है। अभियुक्त अतीक अहमद का चकिया स्थित घर की दूरी के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है न ही अभियुक्त द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है जो यह प्रकट करता हो कि घटनास्थल कार्यक्रम से इतनी दूर था कि वह वहां नहीं पहुंच सकता था। अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है। अभियुक्त को यह साबित करना होता है कि सम्पूर्ण सम्भावनाओं के बाद भी घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी नहीं मानी जा सकती, लेकिन अभियुक्त अतीक अहमद ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त की अन्यत्र उपस्थिति के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के साक्षियों द्वारा दिये गये बयान से विश्वास योग्य साक्ष्य नहीं है।

अभियुक्त दिनेश पासी की उपस्थिति घटनास्थल फांसी इमली पर दर्शायी गयी है। इस अभियुक्त के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को समय करीब 2:00 बजे जब वादी अपनी मोटरसाईकल से शहर की ओर आ रहा था तो सुलेमसरांय फांसी इमली के पास अतीक अहमद की लैण्डक्रूजर गाडी नं0 1सी0जी0/8418 ने उसका रास्ता रोक लिया और दूसरी गाडी नं0 के0ए095जेड/1118 चैलेन्जर ने पीछे से घेर लिया। उस गाडी से दिनेश पासी व अंसार बाबा उतरे और उसके पिस्तौल सटाकर गाडी के अन्दर पटक दिया। गाडी के अन्दर इन लोगों के अलावा सांसद अतीक अहमद और तीन लोग रायफल लेकर बैठे थे, जिन्हें देखकर मैं पहचान सकता हू। ये लोग मुझे मारते–पीटते अपने चकिया स्थित कार्यालय ले गये। इस प्रकार अभियुक्त दिनेश पासी व अंसार बाबा(मृतक) की भूमिका वादी मुकदमा को पिस्तौल लगाकर गाडी में पटकने और उसके बाद लैण्डक्रूजर गाडी से उसे चकिया स्थित कार्यालय

ले जाने की अंकित की है। वादी ने अपने धारा–161 दण्ड प्रकिया संहिता के बयान में भी अपने इस तथ्य का समर्थन किया है। वादी ने अपने धारा–164 दण्ड प्रकिया संहिता के बयान में भी स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि लैण्डकूजर से अंसार बाबा व दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति जिसे देखने पर वह पहचान सकता है। ये लोग लैण्डकूजर में घसीटकर ले गये। गाडी में सांसद अतीक अहमद बैठे थे उन्होने कालर पकड़कर घसीट लिये, ये लोग चकिया स्थित कार्यालय ले गये। न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में भी वादी ने यही कथन किया है कि लैण्डकूजर गाडी से अंसार बाबा, दिनेश पासी व एक अन्य व्यक्ति तेजी से उतरे व उस पर पिस्तौल सटाकर लैण्डकूजर गाडी में पटक दिया व उसका अपहरण कर अपने चकिया स्थित कार्यालय ले गये। इस प्रकार अभियुक्त दिनेश पासी की अपहरण में सकिय भूमिका को साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में बताया गया है। पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने भी लैण्डकूजर गाडी से दिनेश पासी, अंसार बाबा व एक अन्य आदमी जो कि हाथ में लिये असलहे से मारपीटकर उमेश पाल को गाडी में पटक दिये। इस साक्षी का यह बयान न्यायालय के समक्ष दिया गया हे। अतः चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल द्वारा अभियुक्त दिनेश पासी की अपहरण में सकिय भूमिका को बताया गया है। पी0डब्लू0–1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त दिनेश पासी और इनके साथ कुछ आदमी उसके घर गये थे। उसके घर अतीक के आदमी धमकी देकर आये थे। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षा में कही गयी बात यह प्रकट करती है कि अभियुक्त दिनेश पासी द्वारा न केवल अपहरण में सकिय भूमिका निभायी गयी, बल्कि धमकी देने में भी सकिय भूमिका निभायी गयी है। पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 की प्रतिपरीक्षा में कोई भी ऐसा तथ्य उदघटित नहीं हुआ जो यह प्रकट करता हो कि अभियुक्त दिनेश पासी की किसी प्रकार की कोई भूमिका घटना मे नहीं थी।

अभियुक्त दिनेश पासी के द्वारा अपने बचाव में डी0डब्लू0–1 व डी0डब्लू0–2 गुड्डू एवं डी0डब्लू0–3 संजीव कुमार को बचाव साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। डी0डब्लू0–1 बांकेलाल अपने साक्ष्य में मुख्यतः यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर हेलमेट बेचने का कार्य करता है। दिनेश पासी को अच्छी तरह से जानता है। उमेशपाल को भी जानता है। उमेशपाल व दिनेश पासी के बीच रंजिश चलती है। वर्ष 2004 में उमेशपाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनेश पासी के पी0सी0ओ0 में घुसकर लूटपाट की थी, जिसका मुकदमा दर्ज है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा मुख्यतः यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनेश पासी व उमेश पाल के बीच पूर्व से रंजिश है और वह घटनास्थल पर हेलमेट का कार्य करता है। दिनांक 28.02.2006 को कोई घटना घटित नहीं हुई थी। परन्तु यहां पर यह उल्लेखनीय है कि घटनास्थल पर दूकान के सम्बन्ध में कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया है तथा उमेशपाल एवं दिनेश पासी के बीच पूर्व से रंजिश होने का आशय यह नहीं है कि अभियुक्त दिनेश पासी इस घटना में शामिल न रहा हो। अतः इस बचाव साक्षी का साक्ष्य अभियुक्त दिनेश पासी के संदर्भ में विश्वसनीय नहीं है।

डी0डब्लू0–2 गुड्डू ने अपने मुख्य साक्ष्य में मुख्यतः यही कथन किया है कि वह घटनास्थल पर सीटमेकर का काम करता है और दिनांक 28.02.2006 को कोई घटना घटित नहीं हुई तथा जी0टी0 रोड़ पर दिनेश पासी व उसके साथियों ने मिलकर वादी उमेश पाल का अपहरण नहीं किया था। उमेश पाल ने वर्ष 2004 में अपने साथियों के साथ मिलकर दिनेश पासी के पी0सी0ओ0 में घुसकर तोड़फोड व लूटपाट की थी। इस बचाव साक्षी ने घटनास्थल पर अपनी दूकान के सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 2004 में दिनेश पासी व उमेशपाल के बीच की रंजिश से यह स्थापित नहीं होता कि अभियुक्त दिनेश पासी प्रश्नगत घटना में शामिल न रहा हो।अतः इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

डी0डब्लू0–3 संजीव ने स्वयं को धूमनगंज थाने में फोटोग्राफी का काम के लिए बराबर जाने का कथन किया है और यह कथन किया है कि दिनांक 01.03. 2006 को थाना धूमनगंज में था, जहां पर उमेश पाल मिले थे। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कही भी यह नहीं कहा है कि अभियुक्त दिनेश पासी घटना में शामिल नहीं थे। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 28.02.2006 की है और इसने वादी उमेश पाल को थाना धूमनगंज में मिलने का कथन किया है, जो यह प्रकट नहीं करता कि अभियुक्त दिनेश पासी इस घटना में शामिल न रहा हो। इस प्रकार अभियुक्त दिनेश पासी द्वारा पेश किये गये बचाव साक्षी इस तथ्य को साबित कर पाने में असफल रहे हैं कि अभियुक्त दिनेश पासी की संलिप्तता घटना में नहीं थी।

अभियुक्त अतीक अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **सरवन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1957 माननीय सर्वोच्च न्यायालय 637 व सुरेश उर्फ लक्ष्मी बनाम उ0प्र0 राज्य 2023 (122) एसीसी 216** का उल्लेख किया गया है जिसमें सत्य हो सकता है और निश्चित रूप से सत्य है, इन दोनों में अन्तर होता है और सत्य हो सकता है के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, बल्कि विश्वसनीय और अखण्डनीय साक्ष्य के द्वारा अभियोजन को अपना कथानक साबित करना होगा। विद्वान अधिवक्ता द्वारा **आशीष बाथम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003 एसीसी 16** का भी उल्लेख किया है जिसमें पुनः उपरोक्त तथ्य को ही पुष्ट किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **कैलाश गौड बनाम आसाम राज्य 2012 सीआर 84** प्रस्तुत की है जिसमें अभियुक्त तब तक निर्दोष होता है जब तक कि उसे दोषसिद्व न कर दिया जाय इस सिद्वान्त का प्रतिपादन किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जैकम खान बनाम यू0पी0 राज्य**

2022(1) जे.आई.सी. 289 प्रस्तुत की है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक परीक्षण कोई परीलोक की कथा नहीं है,बल्कि अभियोजन को अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को संदेह से परे साबित करना होगा और अभियुक्त को केवल अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न हो यह दर्शाना होगा। अभियुक्त की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपने साक्ष्य को समस्त संदेहों से परे साबित करे,बल्कि यह जिम्मेदारी अभियोजन की है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **विद्यासिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1971 सी.ए.आर. 296 एससी** माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को मानवीय सम्भावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए और केवल साक्षियों ने जो कहा है उसका विशलेषण मानवीय सम्भावनाओं के प्रकाश में करना चाहिए।

उपरोक्त समस्त विधि व्यवस्थाओं का परिशीलन किया एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित समस्त मार्गदर्शक सिद्वान्तों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विशलेषण किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **सुनील कुमार शम्भूदयाल गुप्ता एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (72)एसीसी 699** प्रस्तुत की है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्षियों के बयान में सुधार किया गया है या कन्ट्राडिक्शन आया है और यदि वह सामान्य प्रकृति का नहीं है तो वह अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **मुस्ताक बनाम गुजरात राज्य (2020) 7 एससीसी 237** में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्षियों के साक्ष्य में कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण त्रुटि या अर्न्तविरोध नहीं है तो उसके दिये गये साक्ष्य को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि कुछ सामान्य प्राकृतिक व सूक्ष्म अर्न्तविरोध, अतिरेक, सुधार आदि उत्पन्न हो गया है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 16.08.2016 को उसका मुख्य साक्ष्य पूर्ण हो चुका था तथा एक अभियुक्त के अनुपस्थित हो जाने के कारण उसकी जिरह दिनांक 17.07.2018 को पूर्ण की गयी। इस प्रकार डेढ वर्ष से अधिक समय तक पी0डब्लू0–1 की जिरह पूर्ण नहीं हो सकी। इस कारण यदि उसके साक्ष्य में कुछ कमियां आयी हैं तो उसके आधार पर उसका सम्पूर्ण साक्ष्य अस्वीकार नहीं हो जायेगा। घटना के समय के संदर्भ में, घटना स्थल संदर्भ में, घटना की शामिल लोगों की भूमिका के संदर्भ में और अभियुक्तों द्वारा उसके साथ किये गये आचरण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिये गये साक्ष्य में कोई त्रुटि नहीं है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थ प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **मंथूरी लक्ष्मी नरसइया बनाम आन्ध्रपदेश राज्य 2012 क्रिमिनल लॉ जरनल 2172** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि तथ्य के विषय में अभियुक्त व मृतक के बीच अन्तर है और वह अन्तर अभियोजन साक्ष्य में स्पष्ट नहीं होता है तो ऐसे सुधार को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अपहरण के तथ्य व उसके पश्चात् कराये गये बयान के तथ्य को अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य से संदेह से परे साबित किया गया है। अतः प्रस्तुत विधि व्यवस्था भी इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। अभियुक्त अतीक अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **बद्री बनाम राजस्थान क्रिमिनल एल0आर0 सुप्रीम कोर्ट 1979 678** प्रस्तुत की है, जिसमें केवल एक चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किया गया था और एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी पत्रम के द्वारा दूसरे गनफायर की आवाज सुनने का कथन किया गया था और न्यायालय के द्वारा दूसरे गनफायर को एक नया तथ्य माना गया। इस आधार पर एक मात्र साक्षी के साक्ष्य का विश्वसनीय नहीं माना गया, लेकिन विचाराधीन प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा अपने साक्ष्य में कोई तथ्य योजित नहीं किया गया है। अतः यह विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है। अभियुक्त अतीक अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **सतपाल बनाम दिल्ली राज्य 1975 क्रिमिनल एल0आर0 सुप्रीम कोर्ट 597** प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्षियों का चारित्रिक गठन अनुचित है और उनका आपराधिक इतिहास है तो वह सम्भावित रूप से अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायालय मे ंसाक्ष्य दे सकते हैं और जबकि अपीलार्थी साक्षियों की अवैधानिक गतिविधियों में बाधक बन रहा था। ऐसे साक्षियों का साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अतीक अहमद का एक लम्बा आपराधिक इतिहास है और साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा के विरूद्ध भी कुछ मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन साक्षी का आपराधिक इतिहास होने मात्र से उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य झूंठा नहीं हो जाता,बल्कि उसके साक्ष्य की गुणवत्ता क्या है। इस आधार पर उसके साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है। अभियुक्तगण को इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा के अवसर दिये गये और प्रतिपरीक्षा में कोई ऐसा तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रकट करता हो कि इस साक्षी ने इस उद्देश्य से अभियुक्त को क्षति पहुंचायी हो कि वह उसके रास्ते का बाधक था। यह विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है। अभियुक्त अतीक अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **भूपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य दाण्डिक अपील संख्या–2061/1977** प्रस्तुत की है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्षी ने घटना के पश्चात् घटना के बारे में

विवेचक को बताने के पहले किसी और को नहीं बताया है तो उसके साक्ष्य पर विश्वास नही किया जाना चाहिए। विचाराधीन प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा उमेश पाल व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी थी और स्वयं स्वयं पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल द्वारा बताया गया कि वादी उसे घटना के बाद मिले थे और घटना के बारे में बताया था। यदि यह तर्क स्वीकार कर भी लिया जाय कि उसने पहली बार विवेचक को घटना के बारे` बताया तो प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों के प्रकाश में इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियुक्त का भय व आतंक साक्षी के मस्तिष्क पर इतना गहरा था कि वह किसी से घटना के बारे में यदि बताता तो उसे जीवन का खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्था से भिन्न है। अतः यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है।

अभियुक्त अतीक अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **जोसेफ उर्फ जोश बनाम केरल राज्य 2003 क्रिमिनल लॉ जरनल 2543** माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तुत की गयी है, जिसमें साक्षी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अकित नहीं था और चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा घटना के अगले दिन घटना के बारे में बताया गया। अतः ऐसे साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि चक्षुदर्शी साक्षी का नाम या अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित हो यह आवश्यक नहीं है, जैसा कि **मुकेश बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य ए.आई.आर. 2017 सुप्रीम कोर्ट 2166** में प्रतिपादित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **प्रभूदयाल बनाम राजस्थान राज्य (2018) 8 एससीसी 127** में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी साक्षी का साक्ष्य केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। अतः अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्था इस प्रकरण में लागू नहीं होती है। अभियुक्त अतीक अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **नरेश बनाम उ0प0 राज्य 2020 (1) यू0पी0 सीआरआर 96** प्रस्तुत की गयी है,जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि साक्षियोंके बयान विलम्ब से अंकित किये गये और दो परिवारों के बीच में पूर्व से रंजिश थी अतः अभियुक्त को झूंठ फंसाये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् विवेचक द्वारा बयान अंकित किये गये। अतः उसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं है और ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रकट करता हो कि पूर्व की रंजिश के कारण न्यायालय में झूंठा साक्ष्य दिया गया हो। अभियुक्त अतीक अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **शेख महबूब उर्फ हेतक एवं अन्य बनाम**

महाराष्ट्र राज्य 2005 (1) सी.ए.आर. सुप्रीम कोर्ट 325 प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कहा जाता है कि उसने विवेचक के समक्ष बयान दिया था या नहीं और उसे विवेचक द्वारा खण्डित किया जाता है तो यह अभियोजन कथानक को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यदि साक्षी घटना के सम्बन्ध में सारवान रूप से स्थिर रहा है तो उसका साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा **ननकउनू बनाम उ0प्र0 राज्य (2016) 3 एससीसी 317** में यही मत प्रतिपादित किया है। विधि व्रूवस्था **महेन्द्रन बनाम तमिलनाडू राज्य ए.आई.आर. 2019 एससी 1719** में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्षी का कुछ अंश सत्य है और कुछ अंश असत्य है तो उसके सम्पूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार न करते हुए उसके द्वारा वर्णित किये गये सही तथ्यों के सम्बन्ध में दिये गये साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। पी0डब्लू0–1 वादी के द्वारा भी अपने मुख्य साक्ष्य एवं अपने प्रतिपरीक्षा के स्तर पर घटना के कथानक के प्रति पूर्ण स्थिरता अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष बतायी गयी है। अतः इस साक्षी का साक्ष्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

अभियुक्त दिनेश पासी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवस्था **बिजेन्द्र उर्फ मन्दर बनाम हरियाणा राज्य 2022 (1)जे.आई.सी. 687** सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें बरामदगी को अस्वीकार किया गया। प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण के तथ्य इस विधि व्यवस्था से पूरी तरह भिन्न हैं, क्योंकि विचाराधीन प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 माह पश्चात् दर्ज की गयी और इसके पश्चात् अभियुक्त के घर से रिकवरी की गयी। अभियुक्त अतीक अहमद उस समय सांसद सदस्य थे। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्व साक्ष्य संकलित करना अत्यन्त दुष्यन्त कार्य था। अतः प्रस्तुत विधि व्यवस्था इस विचाराधीन प्रकरण में लागू नहीं होती है। इसी प्रकार अशोक कुमार बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य 2020 **(1)जे.आई.सी. 323 उत्तराखण्ड हाईकोर्ट** प्रस्तुत की गयी है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब को पर्याप्त नहीं माना गया, परन्तु इस सम्बन्ध में पर्याप्त विशलेषण प्रारम्भिक आपत्ति के समय किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **बैजू कुमार सोनी बनाम झारखण्ड राज्य 2020 (1)जे.आई.सी. 89 सुप्रीम कोर्ट** प्रस्तुत की गयी है। यह विधि व्यवस्था परिस्थिजन्य साक्षियों पर आधारित अभियोजन कथानक पर है न तो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा समर्थित घटना के संम्बन्ध में। विधि व्यवस्था **प्रेमपाल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य 2017 (1)जे.आई.सी. 104 इलाहाबाद** प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि बचाव साक्षी का मूल्यांकन उसी मापदण्ड के आधार पर किया जाना चाहिए जिस आधार पर अभियोजन कथानके साक्षियों पर किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में सभी बचाव साक्षियों के साक्ष्य का विशलेषण उनकी साक्ष्य की

गुणवत्ता के आधार पर किया गया है। **सुधीर कुमार जैन बनाम राजस्थान राज्य (2020) 18 एससीसी 725** प्रस्तुत की गयी है जिसमें मृत्युकालिक कथन में हत्या करने वालों की पहचान नहीं बतायी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम नहीं था किसी भी चक्षुदर्शी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया था हत्या में बरामद हथियार बरामद नहीं हुआ था तथा प्रयुक्त गाडी अभियुक्त के नाम दर्ज थी यह साबित नहीं हुआ था। इस आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अभियुक्त नामजद अभियुक्त है धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में इसके नाम का उल्लेख है गाडी लैण्डकूजर अभियुक्त के घर से बरामद हुई है यदि गाडी का प्रमाण–पत्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इससे अभियेाजन कथानक झूंठा नहीं हो जाता है। अतः यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है।अभियुक्त द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **महेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 (3) जे.आई.सी. 38 सुप्रीम कोर्ट** प्रस्तुत की गयी है जिसमें पी0डब्लू0–6 के बयान को पूर्ण रूप से अविश्वसनीय मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। यह प्रकरण हत्या से सम्बन्धित था जिसमें पी0डब्लू0–6 के साक्ष्य को चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित कराया गया था। अपहरण के सम्बन्ध में अपहृत व्यक्ति का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है और हत्या के सम्बन्ध में अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। अपहृत व्यक्ति ही यह बता सकता है कि उसके साथ क्या घटना घटी। प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा स्वयं अपहृत व्यक्ति है और उसके द्वारा अपहरण किया जाना बताया गया है। अतः प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्था भिन्न होने के कारण लागू नहीं होती है। अभियुक्त द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **दिवाकर नूनिया एवं अन्य बनाम आसाम राज्य 2022 (4) जे.आई.आर. 391** प्रस्तुत की गयी है जिसमें मृतक के पिता एवं माता घटना के चक्षुदर्शी साक्षी थे और पुलिस के समक्ष उनके द्वारा बयान दिया गया कि घटना के बाद अपने घर गये, खाना खाया और सो गये। इसलिए इन साक्षियों का साक्ष्य स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा के अपहरण के बाद पी0डब्लू0–2 दिलीप ने वादी के घर सूचना दी और अपने घर चला गया। वादी के परिवार वालों के द्वारा और पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही किसी अन्य को बताया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0–1 ने स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह अंकित कराया है कि सांसद ने अपने आदमी भेजकर घर वालों को उसी रात धमकाया कि तुम लोग थाना पुलिस, टेलीफोन, तार न करना नहीं तो उमेश की हत्या कर दी जायेगी। इस प्रकार यह तथ्य प्रकट करता है कि वादी के परिवार वालों को गम्भीर धमकी दी गयी थी जिसके कारण उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट

पंजीकृत नहीं करायी गयी और उनका आचरण अप्राकृतिक नहीं था। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है। अभियुक्त की तरफ से एक अन्य विधि व्यवस्था **मोहन उर्फ श्रीनिवास उर्फ सीना उर्फ टेलर सीना बनाम कर्नाटक राज्य 2022 (1) जे.आई.सी. 795 सुप्रीम कोर्ट** प्रस्तुत की गयी है जिसमें एक हाइवे पर घटना घटित हुई थी जहां पर अनेक लोग उपस्थित थे, लेकिन कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं हुआ। मृत्यु कालिक बयान को संदेहजनक माना गया। पुलिस अधिकारी की हत्या की गयी थी, इसके बाद भी एफ0आई0आर0 विलम्ब से दर्ज की गयी। इस आधार पर न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया गया। इस घटना में पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 द्वारा यह बताया गया था कि घटनास्थल पर लगभग एक हजार लोग थे और कोई भी साक्षी परीक्षित नहीं हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में घटना जी0टी0 रोड़ की है जो कि निश्चित रूप से हाइवे की है। वादी मुकदमा जो कि अपहृत हुआ उसने घटना का विवरण दिया है, यदि विवेचक द्वारा घटनास्थल के आसपास के लोगों को साक्षी नहीं बनाया तो इस दोषपूर्ण विवेचना का लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **विनोद कुमार गर्ग बनाम दिल्ली राज्य (2020) 2 एससीसी 88** में प्रतिपादित किया गया है कि यदि विवेचना के दौरान कोई कमी या अनियमितता विवेचक द्वारा की गयी है तो इसका आशय यह नहीं है कि अभियोजन कथानक को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, परन्तु अभियोजन को अपना कथानक संदेह से परे साबित करना होगा। एक अन्य विधि व्यवस्था **राहुल मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2015 एससी 3043** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 03 सदस्यीय पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि विवेचक समस्त सम्भावनाओं और बचाओं व सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर विवेचना यह आवश्यक नहीं है। यदि किसी बिन्दु पर विवेचना में कोई लोप हो गया है तो उसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिल सकता। यदि विवेचक ने अपने नक्शा नजरी में कोई चीज दर्शायी है उनमें साक्ष्य में वही स्वीकार योग्य होता है जिसे उसने मौके पर देखा है और उसके व्यक्तिगत ज्ञान में है। विवेचक किसी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होता है,बल्कि जिसके साथ घटना घटित है उसके द्वारा बतायी गयी बात ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यदि विवेचक के नक्शा नजरी में कोई त्रुटि है तो उसका कोई लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता।

अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य से यह साबित किया गया है कि अभियुक्त दिनेश पासी लैण्डक्रूजर गाडी से उतरे और सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी उमेश पाल को सडक से घसीटकर लैण्डक्रूजर में डाल दिया, जहां से वादी को चकिया स्थित कार्यालय ले गये। इन सब कार्य के पीछे सभी अभियुक्त का यह सामान्य आशय था कि उमेश पाल का अपहरण कर उसे राजूपाल हत्या काण्ड में

आतंकित कर अपने अनुसार बयान करा लिया जाय। इस सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अतीक अहमद, दिनेश पासी व अंसार बाबा(मृतक) द्वारा वादी मुकदमा का अपहरण किया गया और उसे मृत्यु के भय में डाला गया, जो बयान वादी राजूपाल हत्याकाण्ड में नहीं देना चाहता था, उस बयान को भय में डालकर कराया गया। उपरोक्त विशलेषण से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनेश पासी एवं अतीक अहमद के मध्य इस बात की मानसिक सहमति थी कि उमेश पाल का अपहरण किया जाना है, बल्कि इस बात की भी मानसिक सहमति थी कि इस अपहरण का उद्देश्य राजूपाल हत्याकाण्ड में पक्षद्रोही बयान करवाना है। इस प्रकार उभयपक्ष के मध्य मानसिक करार दोनों अभियुक्तगण के आचरण से साबित होता है कि और उसके कियान्वयन के लिए उक्त दोनों अभियुक्तों के मध्य यह सामान्य आशय मौजूद था कि उमेश पाल का अपहरण कर न्यायालय के अगले दिन बयान करवाया जाना है, जिसके लिए उसे चकिया स्थित कार्यालय में लाकर बंद करके रखा गया।

अभियोजन द्वारा अपने अभियोजन साक्ष्य से यह साबित किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को समय 2:00 बजे के लगभग स्थान फांसी इमली के पास वादी मुकदमा उमेशपाल को अभियुक्त अतीक अहमद व दिनेश पासी द्वारा राजूपाल हत्याकाण्ड में बयान बदलने के उद्देश्य से षडयंत्र रचकर एवं राजूपाल हत्या काण्ड में अगले दिन न्यायालय में इच्छा के अनुसार बयान करवाने के सामान्य आशय से अपहरण किया गया व उसे चकिया स्थित कार्यालय में रखा गया जहां पर एक पर्चा देकर वह बयान याद करवाया गया, जिसे कि अगले दिन न्यायालय में देना था। इस प्रकार अभियुक्त अतीक अहमद व दिनेश पासी के मध्य मानसिक सहमति थी एवं सामान्य आशय था। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की **धारा–364ए सपठित धारा–34** व सपठित धारा–120बी के अन्तर्गत आरोप संदेह से परे साबित किया गया है।

धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबंधित किया गया है कि–जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों, दण्डित किया जाएगा।

धारा–146 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बल्वा को परिभाषित किया गया है कि जब कभी विधि विरूद्व जमाव द्वारा या उसके सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल व हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा।

धारा–141 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विधि विरूद्व जमाव को परिभाषित किया गया है कि 5 से 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरूद्व

होगा, यदि उनका सामान्य उद्देश्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संसद या किसी लोकसेवक की विधि पूर्ण शक्ति के प्रयोग करने को आपराधिक बल के द्वारा आतंकित करना, किसी विधि या विधिक आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करना, रिष्टि या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना,आपराधिक बल द्वारा किसी सम्पत्ति का कब्जा लेना या किसी व्यक्ति को अमूर्त अधिकार से वंचित करना या किसी व्यक्ति को आपराधिक बल द्वारा कार्य करने के लिए या कार्य का लोप करने के लिए बाध्य करना।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को समय 2:00 बजे जब वादी अपनी मोटरसाईकिल से शहर की ओर आ रहा था। सुलेमसरांय फांसी इमली के पास अतीक अहमद की लैण्डक्रूजर गाडी ने रास्ता रोक लिया। दूसरी गाडी चैलेन्जर ने पीछे से घेर लिया उसी गाडी में दिनेश पासी, अंसार बाबा(मृतक) और एक आदमी उतरे व पिस्तौल सटाकर गाडी के अन्दर पटक दिया। गाडी के अन्दर अतीक अहमद व तीन लोग रायफल लेकर बैठे थे। यह लोग मुझे मारते–पीटते चकिया कार्यालय ले गये। पी0डब्लू0–1 उमेश पाल ने अपने मौखिक साक्ष्य में एवं धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी यही कथन किया है। अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग करके उमेश पाल वादी को लैण्डक्रूजर गाडी में डाला गया और उसे लेकर चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक बल का प्रयोग करके वादी मुकदमा उमेशपाल को विवश करके गाडी में डालकर ले जाया गया, जिसके पीछे सामान्य उद्देश्य यह था कि उसका अपहरण कर राजू पाल हत्याकाण्ड में उसका बयान अभियुक्तगण के पक्ष में कराया जाय। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्व जमाव करते हुए अभियुक्त अतीक अहमद व दिनेश पासी ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक बल का प्रयोग किया और यह विधि विरूद्ध जमाव व बलप्रयोग अपहरण करके अपने पक्ष में बयान कराने के लिए किया गया। अतः अभियोजन पक्ष धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत **अभियुक्तगण अतीक अहमद** व **दिनेश पासी** के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

धारा–148 भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबंधित किया गया है कि–जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सुसज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा,वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी,या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार....अभियुक्त अतीक अहमद के हाथ में रायफल दर्शायी गयी है एवं अन्य सह अभियुक्तगण के सम्बन्ध में यह

कथन किया गया कि असलहा लेकर गाडी से उतरे थे, लेकिन दिनेश पासी के हाथ में कौन सा असलहा था या अंसार बाबा (मृतक) के हांथ में क्या असलहा था, इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और अभियुक्त अतीक हाथ में जो रायफल थी उसका कोई उपयोग किया गया हो। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0–1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह प्रकट करता हो कि अभियुक्त अतीक अहमद एवं दिनेश पासी के हांथ में क्या असलहा था। अतः अभियोजन पक्ष **अभियुक्त अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्व धारा–148 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

धारा–149 भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबंधित किया गया है कि–यदि विधि विरूद्व जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

इस अपराध के गठन के लिए निम्न तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक है–

1. विधि विरूद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कोई अपराध किया गया हो।

2. कोई अपराध जो कि सारवान उद्देश्य के अग्रसरण में किया जाना उस जमाव का हर सदस्य सम्भाव्य रूप से जानता हो।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा–323/149 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है।

धारा–323 भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबंधित किया गया है कि–उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा–334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों मे से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का ही हो सकेगा,या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

उपहति को धारा–319 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है।

इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई भी सामान्य पीड़ा जिसको कोई सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति शिकायत करता है वह शारीरिक पीड़ा होगी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.02.2006 को दिन में 2:00 बजे

जब वादी मुकदमा अपनी मोटरसाईकिल से इलाहाबाद की तरफ जा रहा था तो लैण्डकूजर गाडी ने रास्ता रोक लिया व चैलेन्जर गाडी ने पीछे से घेर लिया। लैण्डकूजर गाडी से अंसार बाबा, दिनेश पासी उतरे और पिस्तौल सटाकर गाडी के अन्दर पटक दिया। गाडी के अन्दर इन लोगों के अलावा सांसद अतीक अहमद व अन्य तीन लोग गाडी में बैठे थे यह लोग मारते–पीटते चकिया स्थित कार्यालय ले गये। कमरे में बंद कर गाली गलौज व मारपीटकर करेंट के झटके लगाये। वादी ने धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी यह कथन किया है कि रातभर यह लोग अपने कार्यालय में कुर्सी में बांधे रखे। न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयान में इस साक्षी ने कथन किया है कि कार्यालय के कमरे में उसे कुर्सी से बांधे रखे व करेंट के झटके दो–तीन बार दिये। इस प्रकार साक्षी को अभियुक्तगण द्वारा अपहरण करके कमरे में बंद कर शारीरिक पीड़ा पहुंचायी गयी और इस सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में पहुंचायी गयी कि वह राजूपाल हत्याकाण्ड में अपना बयान परिवर्तित करे। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध **धारा–323/149 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप को संदेह से साबित करने में सफल रहा है।

धारा–341 भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबधित है कि–जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500/–रूपये तक हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

सदोष अवरोध को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 339 में परिभाषित किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छया ऐसे बाधा डालता है कि उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है यह कहा जाता है। इस अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों को साबित किया जाना आवश्यक है।

1. किसी व्यक्ति को स्वेच्छया बाधित करना,

2. बाधा ऐसी होना चाहिए जो उस व्यक्ति को किसी दिशा में जाने से निवारित कर दे, जिसमें कि उसे जाने का अधिकार है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा–341 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा घटना वाले दिन जब मोटरसाईकिल से शहर इलाहाबाद की तरफ जा रहा था तो सुलेमसरांय फांसी इमली के पास अतीक अहमद की लैण्डकूजर गाडी ने रास्ता रोक लिया और उस गाडी से दिनेश पासी, अंसार बाबा व एक आदमी उतरकर गाडी के अन्दर पटक दिया। वादी ने न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में भी उसने यही कथन किया है

कि अंसार बाबा व दिनेश पासी ने लैण्डकूजर गाडी में पटक दिया और अतीक अहमद ने बाल पकड़कर मुझे गाडी के अन्दर कर लिया। यह सब तब हुआ जब वह अपनी मोटरसाईकिल से शहर इलाहाबाद की तरफ जा रहा था। इस प्रकार शहर की तरफ जाते हुए उसे रास्ते में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न करके वादी मुकदमा उमेश पाल को शहर की तरफ जाने से निवारित किया गया। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध **धारा–341 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप साबित करने में सफल रहा है।

धारा–342 भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबधित है कि–जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करेगा वह एक वर्ष तक की अवधि या जुर्माने से जो कि एक हजार तक का हो सकेगा, उससे दण्डित किया जा सकता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 उमेश पाल को फांसी इमली सुलेमसरांय के पास से अपहरण करके चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया, जहां उसे कमरे में बंद करके रातभर प्रताड़ित किया गया। इसी प्रकार का बयान न्यायालय के समक्ष इस साक्षी के द्वारा दिया गया है कि कार्यालय में स्थित कमरे में मुझे बंद कर अतीक अहमद कहने लगे कि समझ में नहीं आ रहा है....तुमको जब चाहूँ मरवाकर फेंक दूँ। कार्यालय के कमरे में उसे कुर्सी से बांधे रहे और रातभर प्रताडित करते रहे व करेट के झटके भी दो–तीन बार दिये। इस प्रकार अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य से यह साबित किया गया है कि वादी पी0डब्लू0–1 उमेश पाल को चकिया स्थित कार्यालय में एक कुर्सी से बांधा गया, जहां उसे सुबह तक रखा गया। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध **धारा–342 भारतीय दण्ड संहिता** के सदोष परिरोध को साबित करने में सफल रहा है।

धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबंधित किया गया है कि–जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और एतद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांन्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के निम्न तत्व हैं:–

1. साशय अपमान

2. अपमान इस श्रेणी का होना चाहिए वह अपमानित व्यक्ति में गम्भीर प्रकोपन उत्पन्न कर दे।

3. ऐसा प्रकोपन एवं अपमान अभियुक्त द्वारा साशय किया गया हो।

प्रस्तुत प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि वादी

मुकदमा पी0डब्लू0–1 उमेश पाल को चकिया स्थित कार्यालय ले जाकर गाली गलौज करके मारपीट की गयी और कहा गया कि बयान को रट लो कल अदालत में यही बयान देना नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूॅगा। न्यायालय के समक्ष अपने बयान में भी इस साक्षी ने कथन किया है कि अतीक अहमद ने कहा कि मादर चोद इतने दिनों से समझा रहा हूॅ, समझ में नहीं आ रहा है.....पर्चा लेकर दिये और कहे कि भोसडी के पढ लो रट लो कल अदालत में यही बयान देना है नहीं तो तेरी बोटी–बोटी करके कुत्तो को खिला दूॅगा। धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में भी वादी ने कथन किया है कि किसी भी प्रकार के गाली गलौज करने का उल्लेख नहीं किया है। धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में इस साक्षी ने कमरे के अन्दर गाली गलौज करना कहा है, लेकिन किसी विशिष्ट गाली का उल्लेख नहीं किया है। गाली दिये जाने के सम्बन्ध में जिरह के स्तर पर जब साक्षी को confront कराया गया तो उसने कहा कि मैने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में बताया था कि कार्यालय के उपर स्थित में मुझे बंद कर अतीक अहमद कहने लगे मादर चोद इतने दिन से समझा रहा हूॅ जब राजूपाल विधायक बनकर 04 महीने से ज्यादा नहीं चला तो तेरी औकात क्या है। मै रोने गिडगिड़ाने लगा व जान की दुहाई मांगने लगा। इस प्रकार इस साक्षी ने यह बताया कि उसे यह याद नहीं है और उसके धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में यह अंकित नहीं है और न्यायालय के समक्ष यह पहली बार बयान दिया गया है। धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान प्रथम बयान होता है, जिसमें उसने गाली गलौज का कथन किया है,यद्यपि विशिष्ट शब्दों का उल्लेख नहीं किया है। विशिष्ट शब्दो का न प्रयोग करने के मात्र से अभियोजन कथानक दूषित नहीं होता है,बल्कि अभियुक्त के अन्दर उसको अपमानित करने के आशय से कमरे में कुर्सी से बंधा गया व चलती हुई सडक से उसका अपहरण किया गया, यह तथ्य ही लोकशान्ति भंग करने के पर्याप्त है। अतः अभियोजन पक्ष **अभियुक्त अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध **धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप साबित करने में सफल रहा है।

धारा–506 (2) भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबंधित किया गया है कि–जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा। यदि धमकी मृत्यु या घोर उपह्ति कारित करने की या अग्नि के द्वारा किसी सम्पत्ति की नाश करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से या 07 वर्ष तक की कारवास से दण्डनीय अपराध कारित करने की हो तो वह 07 वर्ष तक की सजा से और जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा–503 के अनुसार आपराधिक अभित्रास के

अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक हैः–

1. किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी देना,

2. धमकी इस आशय की दी गयी हो कि व्यक्ति को संत्रास कारित किया जाय।

इस धारा के अन्तर्गत अपराध के गठन के लिए इस तथ्य का विनिश्चयन किया जाना आवश्यक है कि अभित्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क पर धमकी का क्या प्रभाव पड़ा। प्रस्तुत प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट में राजूपाल हत्याकाण्ड के मामले में बयान न बदलने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा ने अपने धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में इसने कहा कि राजूपाल हत्याकाण्ड में अपना बयान बदल दो नहीं तो तुम परिवार सहित मारे जाओगे। न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयान में भी इस साक्षी ने कहा है कि चकिया स्थित कार्यालय में रातभर प्रताड़ित करते रहे। अतीक अहमद ने कहा कि साले जो पर्चा में लिखा है वही अदालत में बोलना नहीं तो लौटकर घर नहीं जा पाओगे। इस प्रकार वादी मुकदमा को मृत्यु के भय में डालकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया और यह धमकी मृत्यु या घोर उपह्ति कारित करने की श्रेणी की है। अतः अभियोजन पक्ष **अभियुक्त अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध **धारा–506(2) भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में यह उपबंधित किया गया है कि–किसी व्यक्ति को इस आशय से कि वह कोई कार्य न करे या जिसे करने या न करने का उस व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य को या उसके सेवायोजन में किसी व्यक्ति की बाधा डालता है या हिंसा का प्रयोग करता है या अभित्रस्त करता है या जहां वह व्यक्ति या सदस्य या सेवायोजित व्यक्ति निवास करता है या कारबार करता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान को बार–बार पीछा करता है या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सम्पत्ति में हस्तक्षेप करता है या उसके इस्तेमाल से उसे वंचित करता है या बाधा डालता है, इसे दण्डनीय बनाया गया है।

उपधारा–2 में उल्लेख है कि इस अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उन तथ्यों की जिनसे अपराध गठित होता है को कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद थाना के भारसाधक अधिकारी से नीचे का न हो लिखित रिपोर्ट नहीं करता।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अतीक अहमद एवं दिनेश पासी लैण्डक्रूजर गाडी से उतरकर उमेश पाल वादी मुकदमा को गाडी के अन्दर पटक दिया गया और उसे ले जाकर चकिया स्थित कार्यालय में कुर्सी से बांध दिया गया, जहां पर उसे कागज

में लिखा गया एक बयान दिया गया कि इसे पढ लो, रट लो और यही बयान कल न्यायालय में तुम्हे देना है। वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट, न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान व धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में इस तथ्य को बताया है। जो यह प्रकट करता है कि वादी मुकदमा उमेश को सआशय अपमानित करते हुए उसे शहर की तरफ जाने से रोका गया और अपहरण किया गया तथा ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, जो कि विधि अनुरूप नहीं था तथा उसे चकिया स्थित कार्यालय में बांधकर धमकियां दी गयी। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध **धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम** के आरोप को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

<u>अभियुक्त खान शौलत हनीफ की घटना में संलिप्ता के संदर्भ में विशलेषण–</u>

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.02.2006 को समय 2:00 बजे जब वादी मुकदमा अपनी मोटरसाईकिल से शहर की तरफ जा रहा था तो फांसी इमली के पास अतीक अहमद की लैण्डकूजर गाडी ने उसका रास्ता रोक लिया व दूसरी गाडी चैलेन्जर ने पीछे से धेर लिया। गाडी से दिनेश पासी, अंसार बाबा मृतक और एक आदमी उतरे और वादी मुकदमा को गाडी के अन्दर पटक दिया। जिसमें अतीक अहमद बैठे थे। मारते–पीटते हुए चकिया स्थित कार्यालय ले गये, जहां कमरे में बंद कर गाली–गलौज, मार–पीट व करेंट के झटके लगाये तथा राजूपाल हत्याकाण्ड में बयान न बदलने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। **अतीक अहमद अपने वकील खान शौलत हनीफ से एक पर्चा लेकर उसे दिया....और कहा कि इसे पढकर रट लो अदालत में यही बयान देना नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूँगा... सुबह करीब 10:00 बजे अतीक अहमद व उनके साथी उसे गाडी में बैठाकर अदालत में ले गये रात में जो पर्चा लिखा थाा वही बयान देना नहीं तो घर लौटकर नहीं जाओगें। मैने अपने व अपने परिवार की सलामती के लिए अदालत में वही बयान जो इन लोगों ने कहने के लिए कहा''।**

वादी ने अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में कथन किया हे कि अतीक अपने वकील खान शौलत हनीफ से एक पर्चा लेकर उसे दिया और कहा कि इसे पढकर रट लो, कल अदालत में यही बयान देना है। धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में वादी ने कथन किया है कि ये लोग मुझे चकिया स्थित कार्यालय ले गये वहां पर इन लोगों ने डराया धमकाया तथा खान शौलत हनीफ से एक पर्चा लेकर उसे रटने के लिए कहा गया।

न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य साक्ष्य में वादी ने यही कथन किया है कि .....**उस कमरे में पहले से खडे खान शौलत हनीफ से पर्चा लेकर दिये और कहे कि इसको पढ लो रट लो, कल अदालत में यही बयान देना है, नहीं तो तुम्हारी बोटी–बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूँगा।**

इस प्रकार वादी के द्वारा प्रत्येक स्तर पर अपने बयान में बताया गया है कि वादी मुकदमा को फांसी इमली से अपहरण करक जब चकिया स्थित कार्यालय मे ले जाया गया तो वहां पर अभियुक्त खान शौलत हनीफ अपने हाथ में एक पर्चा लेकर पहले से मौजूद थे और इस पर्चे को अतीक अहमद ने उनके हाथ से लेकर वादी को दिया और कहा कि इसे पढ लो, रट लो और कल अदालत में यही बयान देना। इस साक्षी से जब अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो इस साक्षी के द्वारा यह कथन किया गया कि पर्चा हाथ का लिखा था। पर्चा पूर्व से लिखा था, खान शौलत हनीफ ने स्वयं मुझसे कुछ नहीं कहा था। इस साक्षी को धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान से जब confront कराया गया तो उसने कहा कि खान शौलत हनीफ के आफिस के कमरे में मौजूद रहने की बात दरख्वास्त में लिखी थी या नहीं, याद नहीं। विवेचक को वकील साहब को कमरे में खडे रहने की बात बताया था, यदि विवेचक ने यह बात नहीं लिखी तो इसका कारण वह नहीं बता सकता। इस स्तर पर बयान में यह अन्तर आना एक सामान्य बात है,क्योंकि घ ाटना के लम्बे समय बाद और कई तिथियों पर इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें इस प्रकार का सामान्य अन्तर हो जाना अत्यन्त ही सहज है, जो कि उसके बयान पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता है।

वादी मुकदमा के बयान के अनुसार अभियुक्त खान शौलत हनीफ की घटना में भूमिका यह है कि अपहरण के पश्चात् वादी मुकदमा को जब चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया तो वहां पर अभियुक्त खान शौलत हनीफ पहले से मौजूद थे और उन्हीं के हाथ से अतीक अहमद ने पर्चा लेकर वादी मुकदमा को दिया, और यह पर्चा वही है, जिसके आधार पर वादी को अगले दिन न्यायालय में बयान देना था।

अभियुक्त खान शौलत हनीफ फांसी इमली अपहरण करने की घटना के समय मौजूद नहीं थे। चैलेन्जर गाडी व लैण्डक्रूजर गाडी में उनकी उपस्थिति नहीं दर्शायी गयी है। वादी मुकदमा की प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि खान शौलत हनीफ ने वादी मुकदमा से कुछ नहीं कहा,लेकिन यहां पर विचारणीय प्रश्न यह है कि अभियुक्त की चकिया स्थित कार्यालय में उपस्थिति और उसके हाथ में पर्चा होना और उसी पर्चे के आधार पर अगले दिन न्यायालय में बयान होना, क्या धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक षडयंत्र के अपराध का गठन करती है।

यहां पर धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक षडयंत्र को दण्डनीय बनाया गया है। धारा–120ए भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक षडयंत्र को परिभाषित किया गया है कि जब दो या अधिक व्यक्ति (1) कोई अवैध कार्य अथवा (2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा,

करने या करवाने सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है।

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक न होगी, जब तक की सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

<u>स्पष्टीकरण–</u>

यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का अनुषंगिक मात्र है।

विधि व्यवस्था **राजीव कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य (2017) 8 एससीसी 791** के अनुसार आपराधिक षडयंत्र के अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है–

1. यह कि ऐसे व्यक्तियों के बीच एक करार का होना आवश्यक है, जो षडयंत्र के लिए अभिकथित है और

2. यह कि वह करार ऐसा होना चाहिए जो अवैध कार्य करने के लिए किया गया हो या अवैध साधनों द्वारा किया जाना हो

षडयंत्र के अपराध के लिए सदैव प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं होते हैं इसका निष्कर्ष परिस्थितियों के अनुमान के आधार पर भी लगाया जा सकता है। चूंकि षडयंत्र प्रायः और अधिकतर गोपनीयता में ही रचा जाता है। अतः उसे प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित करना सम्भव नहीं होता है। षडयंत्र का अनुमान पक्षकारों के कार्यो, कथनों तथा आचरण से ही अनुमान करना होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **खालिद बनाम राजस्थान राज्य 1990 क्रिमिनल लॉ जरनल (एनओसी)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि आदान–प्रदान के लिए वास्तविक शब्दों के साबित होने की आवश्यकता नहीं है और न ही शामिल व्यक्तियों के शारीरिक रूप से वास्तविक बैठक की आवश्यकता है, बल्कि विचारों के आधार पर ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–10 के अन्तर्गत षडयंत्र के सम्बन्ध में साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में विचार किया गया है। इस बात का विनिश्चयन के लिए किसी अभिकथित षडयंत्रकारी द्वारा किया गया कोई कार्य या कथन या लिखी गयी बात किसी व्यक्ति के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगी या नहीं, कसौटी यह होती है कि सर्वप्रथम यह निश्चित किया जाना चाहिए यह विश्वास करने का युक्तियुंक्त आधार है कि नहीं कि उसके और ऐसे व्यक्ति के बीच षडयंत्र का अस्तित्व था, और क्या ऐसे कार्य या कथन या लेख का उनके सामान्य आशय से सम्बन्ध था। विधि व्यवस्था **एम.डी.मण्डेकर बनाम मैसूर राज्य 1972 क्रिमिनल लॉ जरनल 978** में प्रतिपादित किया गया है कि यदि यह साबित किया गया हो कि

अभियुक्तों ने अपने कार्यो द्वारा एक ही उद्देश्य को बहुधा एक ही प्रकार के साधनों से प्राप्त करने का प्रयत्न किया हो, जिसमें कि उसी कार्य का एक भाग, एक ने दूसरा भाग दूसरे ने पूरा किया है, जिससे उनका उद्देश्य जिसे वह प्राप्त करना चाह रहे थे पूर्ण हो जाय, तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र है कि उन सब लोगों ने इस उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर षडयंत्र किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा का अपहरण के पश्चात् वादी उमेश पाल को ले जाया गया, जहां पर पूर्व से अभियुक्त खान शौलत हनीफ मौजूद थे और इन्हीं के हाथ में एक पर्चा था। जिस पर्चे को लेकर अभियुक्त अतीक अहमद वादी को मुकदमा दिया और कहा कि इसे पढ लो, रट लो, कल अदालत में यही बयान देना।

इस स्तर पर अभियुक्त खान शौलत हनीफ के द्वारा अपने बचाव में दो बचाव साक्षी पेश किये गये हैं। डी0डब्लू0–14 नायाब अहमद खान जिनके द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को उनके विवाह में खान शौलत हनीफ शामिल होने के लिए सुबह 9:00 बजे के लगभग इलाहाबाद से आ गये थे और दिनांक 01.03.2006 को इलाहाबाद वापस गये। डी0डब्लू0–15 जीशान अहमद को भी अपने बचाव में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी के द्वारा भी उपरोक्त कथन किया गया है। प्रतिपरीक्षा के स्तर पर इन साक्षियों के द्वारा कोई भी निकाहनामा की कांपी दाखिल नहीं की गयी है और न ही विवाह पंजीयन प्रमाण ही दाखिल किया गया है। इस प्रकार इस अभियुक्त की अन्यंत्र उपस्थिति के साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त खान शौलत हनीफ का धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कथन है कि सह अभियुक्त अतीक अहमद से कोई specific प्रश्न नहीं पूॅछा गया है। इसलिए यह साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त अतीक अहमद से एवं स्वयं अभियुक्त खान शौलत हनीफ से पृष्ठ संख्या–2 में स्पष्ट रूप से यह पूॅछा गया है कि उस कमरे में पहले से खडे खान शौलत हनीफ से पर्चा लेकर दिया और कहा कि इसे पढ लो, रट लो, कल अदालत में यही बयान देना है। जिसके उत्तर में अभियुक्त के द्वारा यह कहा गया कि गलत है। इस प्रकार अभियुक्त खान शौलत हनीफ से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूॅछा गया है और उसने गलत बताया है। अतः अभियुक्त का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अभियुक्त द्वारा अपने समर्थन में विधि व्यवस्था **शमसुल हक बनाम आसाम राज्य दाण्डिक अपील नं0–1905/2009,दाण्डिक अपील नं0–246/2011** पर विश्वास व्यक्त किया गया है। उक्त दाण्डिक अपील में साक्षी ने यह साक्ष्य दिया था कि उसने अभियुक्त

को घटनास्थल पर नहीं देखा था तथा धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में फायरिग की भूमिका दर्शित न कर कुदाल से मारने का रोल दर्शित किया गया था, जो कि इस प्रकरण के तथ्यों से पूरी तरह भिन्न है और प्रकरण में लागू नहीं होती है। अभियुक्त खान शौलत हनीफ ने दूसरी विधि व्यवस्था **शरद बिरदी चन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 ए.आई.आर. 1622** माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तुत की गयी है। इस विधि व्यवस्था में यह प्रश्न विद्यमान था कि धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्त से घटना की परिस्थितियों के बारे में प्रश्न नहीं पूॅछा गया था, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अभियुक्त से धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रत्येक स्थिति पर प्रश्न पूॅछा गया है और उसने उसका उत्तर दिया है। अतः यह विधि व्यवस्था भी इस प्रकरण में लागू नहीं होती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पप्पू तिवारी बनाम झारखण्ड राज्य 2022 लिवलॉ (सुप्रीम कोर्ट) 107** में प्रतिपादत किया गया है कि अन्यंत्र उपस्थिति को साबित करने का भार पूर्ण रूप से अभियुक्त पर होता है। अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि वह शारीरिक रूप से घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अभियुक्त ने अपने बचाव में यह कथन किया है कि वह घटना के दिन आजमगढ़ में विवाह कार्य–क्रम में शामिल था, लेकिन उस वैवाहिक कार्य–क्रम के सम्बन्ध न तो कोई वीड़ियोग्राफी प्रस्तुत की गयी है, जो यह प्रकट करे कि अभियुक्त वहां पर शामिल थे और न ही कोई निकाहनामा की प्रति दाखिल की गयी है, जो यह साबित करता हो कि घटना के दिन विवाह था। इस प्रकार इस अभियुक्त का अन्यंत्र उपस्थिति का स्वीकार योग्य साक्ष्य नहीं है।

यहां पर यह विनिश्चत किया जाना है कि क्या अभियुक्त अतीक अहमद एवं अभियुक्त खान शौलत हनीफ के मध्य कोई मस्तिष्क का मिलन था और कोई करार था। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन वादी मुकदमा को अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा अपहरण कर जब चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया तो वहां पर अभियुक्त खान शौलत हनीफ की पूर्व से मौजूदगी थी और उनके हाथ में एक पर्चा था। अभियुक्त खाान शौलत हनीफ का इस स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण यह है कि वह घटनास्थल न होकर उस दिन एक विवाह समारोह में आजमगढ़ जिले में शामिल थे, लेकिन इस तथ्य को उनके द्वारा संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। इस अभियुक्त की पूर्व से घटनास्थल पर मौजूदगी और वही पर अभियुक्त अतीक अहमद व अन्य सह अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा का अपहरण कर ले जाना, इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अभियुक्त खान शौलत हनीफ को घटना की पूरी जानकारी थी। इस अभियुक्त के हांथ में जो पर्चा था उसी पर्चे को सह अभियुक्त अतीक अहमद को दिया गया और वादी को रटने के लिए दिया गया। यह पर्चा वही पर्चा है जिसके

आधार पर अगले दिन न्यायालय में बयान कराया गया। इस प्रकार इस अभियुक्त द्वारा वह पर्चा उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर अगले दिन न्यायालय में वादी मुकदमा ने बयान दिया। इस अभियुक्त की घटनास्थल चकिया स्थित कार्यालय पर मौजूदगी अपने हाथ में उस पर्चे को रखना, जिसके आधार पर बयान होना था, यह सभी परिस्थितियॅा इस तथ्य को संदेह से परे साबित करती है कि अभियुक्त को घटना की पूर्ण जानकारी थी और उसके द्वारा पर्चा उपलब्ध कराकर घटना में सहयोग किया गया। इस प्रकार इस अभियुक्त का सह अभियुक्त अतीक अहमद के साथ मानसिक मिलन था और उस पर्चे को उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर बयान होना था और यह बयान चूंकि भय में डालकर कराया गया था तथा अपहरण करके कराया गया था। अतः अवैध साधनों द्वारा अवैध कार्य वादी मुकदमा से कराया गया।

उपरोक्त विशलेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त खान शौलत हनीफ के विरूद्ध **धारा–364ए सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप को **अभियुक्त खान शौलत हनीफ** के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

अभियोजन पक्ष द्वारा **अभियुक्त खान शौलत हनीफ** के विरूद्ध धारा–147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभियुक्त **खान शौलत हनीफ** के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा–147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

सत्र परीक्षण संख्या–1336/2009 राज्य प्रति अतीक अहमद आदि के अभियुक्त आबिद **एवं सत्र परीक्षण संख्या–1156/2011 उ0प्र0 राज्य प्रति खालिद अजीम उर्फ अशरफ के** अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ **की घटना में संलिप्ता के संदर्भ में विशलेषण–**

न्यायालय द्वारा अभियुक्त **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** एवं **आबिद** पर धारा–364ए, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25.01.2005 को विधायक राजूपाल की हत्या अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ व अन्य लोगों द्वारा कर दी गयी थी, जिसका प्रार्थी चश्मदीद गवाह है। हत्या के बाद प्रार्थी को अतीक अहमद व उनके भाई अशरफ द्वारा जान माल की धमकी दी जाने लगी तथा उसे पूरे परिवार सहित

जान से मार डालने की धमकी दी जाने लगी। उसने अपने मोबाइल नं0–09868180578 से मेरे फोन पर कई बार जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना में अशरफ व आबिद की कोई भूमिका नहीं दर्शायी गयी है।

वादी के धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में यह कथन किया गया है कि राजूपाल हत्या के बाद उसे अतीक अहमद व उनके भाई अशरफ द्वारा जानमाल की धमकियां विभिन्न तरीकों से संदेशों के माध्यम से व सांसद द्वारा अपने मोबाइल नम्बर–09868180578 से मेरे मोबाइल फोन पर व भाई के नम्बर पर जान से मारने की धमकी दी। अपनी मजीद बयान में उसने यह कथन किया है कि मुझे लगातार जेल से अशरफ व आबिद पुत्र बच्चा मुंशी मोबाइल से अपने लोगों व कुछ परिचितों से संदेश देकर मुझे परिवार सहित जान से मारने को धमकाते रहे।

अपने धारा धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियुक्त अशरफ व आबिद के विरूद्व घटना की भूमिका के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया है।

न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि घटना के पश्चात् उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। जेल में बंद अशरफ व आबिद विभिन्न संदेशों से और अतीक अहमद अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल फोन पर मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसके अतिरिक्त मुख्य साक्ष्य में अभियुक्त अशरफ व आबिद के सम्बन्ध में कोई अन्य कथन नहीं किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कथन किया है कि आबिद व अशरफ जेल से धमकी दिया करते थे। यह बयान मैने दरोगाजी को पहले बयान में बताया था या दूसरे में याद नहीं। आबिद व अशरफ के आदमी आते थे घर पर गाली, धमकी देकर चले जाते थे। 3–4 बार आये। पहली बार आदमी कब आये, उसे ध्यान नहीं है, आदमी का नाम नहीं बता सकता। नये–नये चेहरे आते थे, किसी का हुलिया नोट नहीं किया। फोटो नहीं लिया, हुलिया ध्यान नहीं है। आबिद व अशरफ स्वय कभी हमारे घर आकर धमकी नहीं दिये, वे दोनों जेल में थे। वे गालियां देते थे व कहते थे कि गवाही के चक्कर में न पड़ो। अशरफ व आबिद केवल आदमी भिजवाकर धमकी दिलवाते थे। आबिद व अशरफ के लिए मोबाइल फोन से धमकी देने की बात मेरे बयान दिनांक 07.07.2007 में दरोगाजी ने कैसे लिख लिया, इसकी वजह नहीं बता सकता।

पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि घ ाटना के 15–20 दिन बाद फिर मेरी उमेश पाल से मुलाकात हुई। उमेश पाल खुद से मिले बताये थे कि अगले दिन कचहरी ले जाकर मारपीटकर राजूपाल मामले में गवाही करा लिये हैं। इस साक्षी ने कहीं भी यह साक्ष्य नहीं दिया है कि उमेशपाल ने उससे यह बताया हो कि अशरफ व आबिद द्वारा भी उसे जान से मारने की

धमकी दी जाती थी। अभियोजन द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इस घटना के समय अभियुक्तगण अशरफ व आबिद जेल में थे।

पी0डब्लू0–1 उमेश पाल वादी मुकदमा द्वारा न तो वह मोबाइल नम्बर बताया गया है, जिसके माध्यम से अशरफ धमकी देते थे न ही उन आदमियों का कोई उल्लेख किया गया है और साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है जो अशरफ व आबिद की तरफ से उसे धमकी देने घर आते थे। जेल में इन दोनों अभियुक्तों से कोई सह अभियुक्त मिला था, इस आशय का कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं है। जेल में निरूद्ध रहते हुए इन दोनों ही अभियुक्तों से किसी सह अभियुक्त के मध्य वार्तालाप हुई हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन द्वारा कोई भी ऐसा साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया हो कि वह अशरफ व आबिद के कहने पर उमेश पाल को धमकी दिया था या उसके घर वालों को धमकी दिया था। केवल वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त अशरफ व आबिद के द्वारा धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में एक सामान्य मात्र कथन किया है, लेकिन कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना दिनांकित 28.02.2006 को न तो इन दोनों अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही चकिया स्थित कार्यालय में मौजूद थे, बल्कि यह दोनों अभियुक्त जेल में निरूद्ध थे। अतः घटना में इन अभियुक्तों की किसी भूमिका का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

विधि व्यवस्था **राजीव कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य (2017) 8 एससीसी 791** के अनुसार आपराधिक षडयंत्र के अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है–

1. यह कि ऐसे व्यक्तियों के बीच एक करार का होना आवश्यक है, जो षडयंत्र के लिए अभिकथित है और

2. यह कि वह करार ऐसा होना चाहिए जो अवैध कार्य करने के लिए किया गया हो या अवैध साधनों द्वारा किया जाना हो

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से न तो यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्त अशरफ व आबिद जेल में निरूद्ध रहते हुए अन्य सह अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार की कोई वार्तालाप की हो या कोई व्यक्ति संदेशा लेकर उनसे मिला हो और उक्त मुलजिमानों का संदेशा लाकर अन्य सह अभियुक्तगण को दिया गया हो, जिसके कारण घटना कारित की गयी। इस प्रकार न तो अभियोजन द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ अभियुक्त अशरफ व आबिद के मध्य आपराधिक षडयंत्र के लिए मानसिक मिलन व करार को साबित किया है और न ही इन अभियुक्तो ंकी किसी भूमिका को साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विशलेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष **अभियुक्तगण अशरफ** एवं **आबिद** को

अन्तर्गत धारा–364ए, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

<u>अभियुक्तगण जावेद, फरहान, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली</u> एवं **<u>एजाज अख्तर की घटना में संलिप्ता का विशलेषणः–</u>**

अभियुक्तगण जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार व आसिफ उर्फ मल्ली यह पांचों अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और न ही इनके नाम का उल्लेख वादी के धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में है न ही धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं न ही न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में ही इन अभियुक्तगण की संलिप्तता के संदर्भ में कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया है। इन अभियुक्तगण का नाम प्रथम बार चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में बताया गया है, जिससे यह विवेचना के दौरान प्रकाश में आये और आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। पी0डब्लू0–2 द्वारा अपने धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान में यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.02.2006 को वह अपने गैराज से अपने घर जा रहा था पानी की टंकी के पास ओमप्रकाश सिंह बघेल मिले और उसकी मोटरसाईकिल पर बैठ गये। दोपहर 2:00 बजे फांसी इमली के पास पहुंचा तभी सांसद अतीक अहमद की दो गाड़ियॅा चैलेन्जर व लैण्डक्रूजर आयीं और इलाहाबाद की ओर जा रहे उमेश पाल को फांसी इमली के पेड के सामने रोड पटरी पर लैण्डक्रूजर गाडी में आगे से व चैलेन्जर गाडी ने पीछे से घेर लिया। लैण्डक्रूजर गाडी से दिनेश पासी, अंसार बाबा (मृतक) उतरे और हांथ में लिये असलहे सटाकर उठाकर मारपीटकर दिनेश को गाडी में पटक दिया। उस गाडी में सांसद अतीक अहमद व तीन अन्य लोग थे, जिन्हें वह पहचान नहीं पाया।पीछे लगी चैलेन्जर गाडी के अन्दर फरहान, जावेद, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली व एजाज अख्तर 05 आदमी बैठे थे, जो असलहों के साथ नीचे उतरे थे। जब उमेश का इन लोगों ने अपहरण कर लिया तब यह सब गाडी में बैठ गये और दोनेां गाड़ियां तेजी से चकिया की ओर चली गयी।

न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयान में इस साक्षी ने चैलेन्जर गाडी नं0 के0ए0 05जेड/1118 जिसमें फरहान अहमद, इसरार, जावेद, आसिफ उर्फ मल्ली व एजाज अख्तर पांचों आदमी असलहे लिये हुए थे और सभी उमेश का अपहरण कर गाडी में बैठ गये। दोनों गाड़ियां चकिया की तरफ चली गयी।इस साक्षी ने मुख्य साक्ष्य में कथन किया कि मैं व बघेल उमेश के घर गये, उनके परिवार वालों से मिलकर घटना की सारी जानकारी दी। बाद में उमेश ने मुझसे बताया कि अगले दिन न्यायालय ले जाकर विधायक राजूपाल हत्याकाण्ड के मुकदमें में मारपीट कर गवाही करवा लिये हैं। अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन

किया कि घटना के बाद उमेशपाल के घर होते हुए अपने घर चला आया। दोपहर 2:15 बजे के आसपास उमेशपाल के घर गया था। उसे इस बात की शंका थी कि उमेश की हत्या हो सकती है उसने उसकी जान बचाने का प्रयास नहीं किया। वह अपने घर 3:00 बजे के आसपास पहुंच गया फिर घर पर ही रहा। उसने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। उससे अभियुक्तगण कुछ नहीं कहे थे। राजूपाल हत्याकाण्ड के मामले में वह गवाह था उससे किसी ने छेड़छाड नहीं की थी। **इस साक्षी ने पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि घटना के 15–20 दिन बाद उसकी मुलाकात उमेशपाल से हुई थी। उमेश के घर के पास ही मुलाकात हुई थी उस रोज बातचीत हुई थी मैने उमेशपाल से यह नहीं कहा था कि मैने घटना देखा था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि इसरार गाडी से उतरे फिर गाडी से उमेश को ले गये। गाडी में कोई हरकत किये होगें।**

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि गाड़ियो का मुंह फांसी इमली के सडक के पटरी की तरफ था। गाड़ियों का मुंह उत्तर की तरफ था। दिशा का ज्ञान उसे है। दोनों गाड़ियों के बीच 5–6 फिट का फासला था। दोनों गाड़ियों का मुंह एक तरफ था। वह इन गाड़ियों से 30–40 मीटर फिर कहा कि 30–40 फिट दूर था उसे नहीं मालूम कि उमेश पाल उसे देखे मुलजिमान देखे या नहीं उसे नहीं मालूम। उसके समझ में नहीं आया है कि क्यो अपहरण किये हैं। रायफल, बंदूक लोग लिये हांथ पैर से मार रहे थे बंदूक सटाये थे। हमने स्वयं उसे बचाने का प्रयास नहीं किया, केवल घर वालों को सूचना दिया। उस समय उमेश पाल के अपहरण की जानकारी उसे मालूम नहीं। घटना 15–20 दिन उमेशपाल से मुलाकात हुई थी। उमेशपाल खुद से मुझे बताये थे कि ये लोग अगले दिन कचहरी ले जाकर मुझे मारपीट राजूपाल हत्या कारण वाले मामले मे गवाही करा लिये थे। उमेश पाल मुझे स्वय खुद ही बताने लगे थे उसने कुछ नहीं पूॅछा था। उसने उमेशपाल को बताया था कि मैने घटना देखी है। इस साक्षी ने पुनः अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि चैलेन्जर की लम्बाई 16 से 18 फिट होती है वह नहीं बता सकता। लैण्डकूजर गाडी की लम्बाई 16 से 18 फिट होती है। दोनों गाड़ियां रोड पर खडी थी उनके बीच उमेशपाल था। करीब 40–45 मीटर दूर से देखा था। जी0टी0 रोड पर काफी आवागमन है। घटना के समय ज्यादा जाम नहीं था। वह वहां 5–7 मिनट रूका रहा। उसके रूकने के दौरान थोड़ा जाम लग गया था। इलाहाबाद से जाते समय वह सडक के बांयी तरफ था। चैलेन्जर व लैण्डकूजर की ऊचाई 6 फिट से ज्यादा होती है।

इस प्रकार इस साक्षी के बयान से यह प्रकट होता है कि घटना के 15–20 दिन बाद उमेश पाल की मुलाकात पी0डब्लू0–2 दिलीप से हुई थी और दिलीप पाल को उसने अपने साथ घटित घटना की पूरी बात बतायी थी। पी0डब्लू0–2 दिलीप

पाल स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बता रहे हैं और स्वयं वादी उमेश पाल इसे स्वीकार करता है। पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने चैलेन्जर गाडी में कौन–कौन अभियुक्त थे यह बात दिलीप पाल पी0डब्लू0–2 को 15–20 दिन मिलने पर न बतायी हो, यह असम्भव है एवं सामान्य प्रज्ञा की दृष्टि से यह विश्वसनीय नहीं है कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा वादी मुकदमा को घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में न बताये। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 माह बाद दर्ज हुई, उसमें इन अभियुक्तों का नाम नहीं है। वादी के द्वारा विवेचक को दिये गये धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान एवं धारा–164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में नहीं है। इन 17 महीनों तक उमेश पाल वादी मुकदमा चैलेन्जर गाडी में बैठे हुए अभियुक्तों का नाम जो कि दिलीप पाल पी0डब्लू0–2 के अनुसार उसने उन्हें देखा था, उसे ज्ञात नहीं हुआ,जबकि पी0डब्लू0–2 घटना की सूचना देने उमेश पाल वादी के घर जाता है और वहां पर भी इन अभियुक्तों का नाम नहीं बताता है। घटना के 15–20 दिन बाद उमेशपाल से मिलता है और उमेश पाल को भी चैलेन्जर गाडी में बैठे हुए अभियुक्तों का नाम नहीं बताता है और केवल विवेचक को पहली बार अपने बयान में इन अभियुक्तों का नाम बताता है, जो कि सामान्य प्रज्ञा की दृष्टि से एवं किसी भी व्यक्ति के सहज आचरण की दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है। सामान्यतया कोई व्यक्ति किसी घटना को देखता है तो वह जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित होती है उस व्यक्ति को पूरी बात बताता है, लेकिन इस प्रकरण में पी0डब्लू0–2 का आचरण सामान्य व्यक्ति के आचरण के विपरीत है। इस प्रकरण में चैलेन्जर गाडी की बरामदगी भी नहीं हुई है। घटनास्थल की नक्शा नजरी में पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल ने चैलेन्जर गाडी को किस स्थान से देखा था, इसका उल्लेख नहीं है। स्वयं वादी मुकदमा ने घटनास्थल पर एवं चकिया कार्यालय के कमरे में इन अभियुक्तों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अतः पी0डब्लू0–2 दिलीप पाल का साक्ष्य इन पांचों अभियुक्तगण जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार व आसिफ उर्फ मल्ली की घटना दिनांक 28.02.2006 में संलिप्ता के सम्बन्ध में दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 एवं पी0डब्लू0–2 द्वारा कोई ऐसा प्रत्यक्ष व परिस्थितजन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि आपराधिक षडयंत्र का गठन करता हो। अतएव इन पांचों अभियुक्तगण एवं अन्य अभियुक्तगण के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भाषायी संचरण हुआ हो, या सामान्य उद्देश्य का गठन हुआ हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। सभी अभियुक्तगण के मध्य सामान्य परिकल्पना की गयी हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः अभियुक्त **जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार** व **आसिफ उर्फ मल्ली** के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया

गया साक्ष्य विश्वास योग्य साक्ष्य नहीं है। अतएव अभियोजन पक्ष अभियुक्त **जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार** व **आसिफ उर्फ मल्ली** के विरूद्ध धारा–364ए/149, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 596,120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

<u>सत्र परीक्षण संख्या–1335/2009 उ0प्र0 राज्य प्रति फरहान अपराध संख्या–342/2007, अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम, थाना–धूमनगंज के अभियुक्त फरहान के संदर्भ में विशलेषण–</u>

अभियुक्त फरहान के विरूद्व यह आरोप विरचित किया गया है कि दिनांक 16.08.2007 को पुलिस दल के नेतृत्व में अभियुक्त की निशानदेही पर उसके आवास से एक अद्द तमंचा 12 बोर व 02 अद्द कारतूस 12 बोर बरामद हुआ, जिसे रखने का उसके पास कोई अनुज्ञापत्र नहीं था, जो कि धारा–25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। विवेचना के दौरान अभियुक्त का जुर्म इकबाल पुलिस द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें उसने कथन किया कि मैने कट्टा इसलिए लिया था कि कोई बात होगी तो अपनी रक्षा होगी व गवाह उठाने में ठीक रहेगा। अभियुक्त को दिनांक 16.08.2007 को अपने घर के पास गेट में प्रवेश करके गेट के पश्चिम बांयी ओर पडे हुए टूटे खपरैल से मिट्टी हटाकर खुला हुआ स्थान आंगन से खोदकर एक पालिथिन में लिपटा हुआ एक अद्द तमंचा 12 बोर जिसका नाल लोहा करीब एक बालिश 4 अंगुल बाडी लोहा करीब 6 अंगुल जिस पर दोनों ओर लोहे की पत्ती लगी हुई है। ट्रेगर व ट्रेगर कार्ड हैमर लगा हुआ है, रंग काला है व दो अद्द कारतूस 12 बोर एल.जी.जिसके पेदें पर 12 शक्तिमान 12 एक्सप्रेस लिखा है, रंगलाल है निकालकर दिया और कहा कि यही तमंचा व कारतूस है जिसको लेकर वह घटना में मौजूद था। मौके पर फर्द तैयार की गयी, जिसको अभियोजन द्वारा प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया है एवं इस फर्द बरामदगी के आधार पर अपराध संख्या–342/2007, धारा–25 आर्म्स एक्ट, थाना–धूमनगंज, इलाहाबाद पंजीकृत किया गया। विवेचना के पश्चात् अभियुक्त फरहान के विरूद्ध धारा–25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप–पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसे न्यायालय द्वारा विचारण हेतु पत्रावली सेशन न्यायालय सुपुर्द की गयी। अभियोजन द्वारा पी0डब्लू0–8 के द्वारा नक्शा नजरी को साबित कराया गया एवं जनरल डायरी की छाया प्रति को साबित कराया गया है। गिरफ्तारी प्रपत्र को पी0डब्लू0–5 को पी0डब्लू0–5 के द्वारा तथा आरोप–पत्र को प्रदर्श क–14 के रूप में साबित कराया गया एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–16 के रूप में साबित कराया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को

को सुना। पूरी पत्रावली में धारा–39 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट का अभियोग चलाये जाने की स्वीकृत आदेश संलग्न नहीं है और न ही इसे अभियोजन द्वारा पत्रावली में दाखिल ही किया गया है। अभियोजन स्वीकृत केवल औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि अभियोजन को यह साबित करना होता है कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निर्गत की गयी है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **खादिर साब उर्फ कदीर मजारे बनाम राज्य क्रिमिनल पिटीशन नं0–6173/2020** में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग चलाये जाने के लिए अभियोजन स्वीकृत आवश्यक है, उसके अभाव में विचारण नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अभियोजन स्वीकृत प्रदान की गयी हो, ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन स्वीकृत के अभाव में अभियुक्त फरहान को उस पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

सत्र परीक्षण संख्या–1157/2011 उ0प्र0 राज्य प्रति खालिद अजीम उर्फ अशरफ, अपराध संख्या–217/2011 धारा–30 आर्म्स एक्ट, थाना–धूमनगंज के अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ के संदर्भ में विशलेषण–

प्रस्तुत प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी कि मुकदमा अपराध संख्या–270/2007, धारा–147, 148, 149, 323, 341, 342, 364, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना–धूमनगंज से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त लाईसेंस पिस्टल की बरामदगी हेतु अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम को दिनांक 11.05.2011 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया व बरामदगी का काफी प्रयास किया, परन्तु अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम द्वारा टाल मटोल करते हुए भिन्न–भिन्न बयान देकर गुमराह किया जाता रहा तथा लाईसेंसी पिस्टल जिसका वह स्वयं धारक है, बरामद नहीं कराया। अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम द्वारा अपनी लाईसेंसी पिस्टल इस घटना में शामिल अभियुक्तगण को देकर इसका दुरूपयोग किया गया है व लाईसेंसी पिस्टल मांगे जाने पर उपलब्ध न कराकर लाईसेंस की शर्तो को उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–217/2011, धारा–30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी तथा विवेचना के पश्चात् आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोग सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण पत्रावली सेशन न्यायालय सुपुर्द की गयी।

अभियुक्त पर धारा–30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया एवं अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–11, आरोप–पत्र प्रदर्श क–10, तहरीर को प्रदर्श क–09 के रूप में साबित कराया गया

है। अभियोजन द्वारा धारा–30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग के समर्थन में पी0डब्लू0–6 सत्येन्द्र कुमार तिवारी व पी0डब्लू0–8 कां0 3492 लक्ष्मीनरायण द्विवेदी को परीक्षित कराया गया है।पी0डब्लू0–6 ने अपने मुख्य साक्ष्य में कथन किया हे कि उनके द्वारा अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम की पुलिस अभिरक्षा दिनांक 13.05.2011 को प्राप्त की गयी थी, जिसके क्रम में अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर लाईसेंसी असलहा बरामदगी हेतु काफी प्रयास किया था, परन्तु अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम टाल मटोल करते हुए भिन्न–भिन्न बयान देकर हम लोगों को गुमराह किया जिस कारण घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल जिसका वह स्वयं लाईसेंसी थी, बरामद नहीं हो सका। अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम द्वारा अपनी लाईसेंसी पिस्टल उक्त घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण को देकर इसका दुरूपयोग किया गया था।

अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ 48 घण्टे पुलिस अभिरक्षा में मेरे साथ रहे। इस बीच अभियुक्त व मेरे बीच किसी प्रकार के लिखापढी का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। मेरे द्वारा लाईसेंस के निरस्तीकरण की कोई रिपोर्ट उस दौरान नहीं दी गयी थी।

पी0डब्लू0–7 निरीक्षक राजहंस शुक्ला ने धारा–30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रेषित आरोप–पत्र, चिक एफ0आई0आर0 व जी0डी0 विनिष्टीकरण की रिपोर्ट को साबित किया है। अभियुक्त को अपने बयान धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रश्न के माध्यम से धारा–30 आर्म्स एक्ट में,पेषित तहरीर व आरोप–पत्र के सम्बन्ध में प्रश्न भी पूँछा गया, जिस पर उसके द्वारा कथन किया गया कि झूंठा एवं फर्जी कागजात तैयार किये गये हैं।

अभियुक्त पर आरोप यह है कि उसने अपनी लाईसेंसी पिस्टल को बरामद नहीं कराया व अन्य अभियुक्तगण को देकर इसका दुरूपयोग किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि कथित पिस्टल जिसका लाईसेंस अभियुक्त के नाम था वह बरामद नहीं हुआ। अभियुक्त उस समय जेल में निरूद्ध था और उसके द्वारा जानबूझकर अपने अस्त्र को सह अभियुक्तगण को दिया गया। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। कथित पिस्टल जिसका प्रयोग घटना में किये जाने का कथन है उसकी बरामदगी भी नहीं की गयी है। अभियुक्त उस समय जेल में था, यदि उसकी कथित पिस्टल का अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा प्रयोग किया गया और यह प्रयोग अभियुक्त की समति से किया गया तो इसका भी कोई भी साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **त्रिलोचन सिंह उर्फ राणा बनाम पंजाब राज्य क्रिमिनल अपील नं0–293/2018** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि इच्छापूर्ण तरीके से शर्तो का

उल्लंघन नहीं किया जाता है तो धारा–30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अपराध का गठन नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियोजन इस तथ्य को साबित कर पाने में पूरी तरह से असफल है कि कथित पिस्टल जो बरामद नहीं है उसका प्रयोग अभियुक्त की सहमति से किया गया था। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त अशरफ उर्फ खालिद अजीम के विरूद्व लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–30 आर्म्स एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

उपरोक्त विशलेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अतीक अहमद, अंसार बाबा (मृतक) व दिनेश पासी द्वारा वादी मुकदमा उमेश पाल का अपहरण दिन में 2:00 बजे फांसी इमली के पास से लैण्डकूजर गाडी से किया गया और उसे चकिया स्थित कार्यालय ले जाया गया, जहां पर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी तथा करेंट के झटके लगाये गये। वहीं पर पूर्व से मौजूद अभियुक्त खान शौलत हनीफ जिनके हांथ में एक लिखा हुआ पर्चा मौजूद था, उस पर्चे को अभियुक्त अतीक अहमद ने लेकर वादी मुकदमा उमेश पाल को दिया और कहा कि इसे पढ लो, रट लो, कल न्यायालय में यही बयान देना है। वादी मुकदमा ने अपनी जान की रक्षा के लिए और परिवार की सलामती की रक्षा के लिए अगले दिन न्यायालय में वही बयान दिया। इस प्रकार अभियुक्तगण अतीक अहमद, दिनेश पासी द्वारा वादी और उसके परिवार को जान से मारने के खतरे में डालकर उससे वह बयान करवाया जो कि वह नहीं देना चाहता था। इस कार्य में अभियुक्त खान शौलत हनीफ ने वह बयान उपलब्ध कराया जो बयान न्यायालय में वादी के द्वारा दिया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपने समस्त मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण अतीक अहमद एवं दिनेश पासी के विरूद्ध धारा–364ए सपठित धारा–34 सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मौखिक साक्ष्यों से अभियुक्तगण **अतीक अहमद, दिनेश पासी** के विरूद्ध धारा–147, 323/149, 341, 342, 504, 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप में युक्तियुक्त संदेह से साबित करने में सफल रहा है।

अभियुक्तगण **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** के विरूद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा धारा–148 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अभियोजन पक्ष अपने मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त **खान शौलत हनीफ** के विरूद्ध यह साबित किया है कि चकिया स्थित कार्यालय पर, जहां पर वादी मुकदमा को अपहृत करके ले जाया गया, वहां पर वह पूर्व से मौजूद थे और उनके हांथ में वह पर्चा था, जिस पर्चे के आधार पर अभियुक्तगण अतीक अहमद एवं दिनेश पासी

द्वारा न्यायालय में अपने स्वेच्छा के अनुसार वादी मुकदमा उमेश पाल से उसे जान के खतरे में डालकर राजूपाल हत्याकाण्ड के मामले में न्यायालय में बयान करवाया गया। इस प्रकार अभियुक्त खान शौलत हनीफ की चकिया स्थित कार्यालय में पूर्व से मौजूदगी तथा उसके हांथ मे वह पर्चा होना, जिसके आधार पर बयान दिया गया और इस पर्चे को अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा इस अभियुक्त के हाथ से लिया जाना, इन सभी तथ्यों से अभियुक्त खान शौलत हनीफ की अपहरण में भूमिका व अपराध के षडयंत्र में शामिल होना अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्त खान शौलत हनीफ के विरूद्व अभियोजन द्वारा धारा–364 ए सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त **आबिद** व **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** के विरूद्व के विरूद्व न तो आपराधिक षडयंत्र का आरोप अपने साक्ष्य से साबित किया गया है और न ही अपहरण की घटना में इनकी सहभागिता को अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण **आबिद** एवं **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** को अभियोजन धारा–364ए, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आरोपों को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है।

अभियुक्तगण **जावेद, फरहान, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली** एवं **एजाज अख्तर** के विरूद्व भी अभियोजन पक्ष धारा–364 ए, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत आरोपों को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है।

सत्र परीक्षण संख्या–1335/2009 उ0प्र0 राज्य बनाम फरहान में धारा–25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन स्वीकृति को प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना अभियोजन स्वीकृत के विचारण दूषित होता है। अतः अभियोजन पक्ष **अभियुक्त फरहान** के विरूद्व धारा–25 आयुध अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

सत्र परीक्षण संख्या–1157/2011 उ0प्र0 राज्य बनाम खालिद अजीम उर्फ अशरफ में धारा–30 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप को **अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ** के विरूद्व अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है।

उपरोक्त विशलेषण के आधार पर अभियुक्तगण **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** को विरूद्व धारा–364ए सपठित धारा–34 व सपठित धारा–120बी, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप में तथा अभियुक्त **खान शौलत हनीफ** को धारा–364ए सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्व किये जाने योग्य है।

अभियुक्तगण **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** को धारा–148 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से एवं अभियुक्त **खान शौलत हनीफ** को धारा–147, 148, 323/149, 341,

342, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त किये जाते हैं।

अभियुक्तगण **खालिद अजीम उर्फ अशरफ, आसिफ उर्फ मल्ली, आबिद, जोवद, फरहान, एजाज अख्तर** एवं **इसरार** को धारा–धारा–364ए,147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506,120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप में दोषमुक्त किये जाने तथा अभियुक्त **फरहान** को धारा–25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** को धारा–30 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** को धारा–364ए/34 सपठित धारा–120बी, 147,323/149, 341, 342,504,506(2) भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप में दोषसिद्व किया जाता है। अभियुक्त अतीक अहमद इस मामले में पूर्व में जमानत पर थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अभियोजन द्वारा जमानत निरस्तीकरण आवेदन–पत्र इस प्रकरण में प्रस्तुत किया और अभियुक्त की जमानत अपराध संख्या–270/2007 में दिनांक 18.04.2022 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गयी। अभियुक्त दिनेश पासी जमानत पर है। अतः अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

अभियुक्त दिनेश पासी जमानत पर है। अतः इनके जामींनदारों को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त **खान शौलत हनीफ** को धारा–364ए सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्व करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है उनके जामींनदारों को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण **जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली** एवं **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** तथा **आबिद** को धारा–364ए, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप से दोमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त फरहान को धारा–25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त खालिद अजीम उर्फ अशरफ को धारा–30 आयुध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली,खालिद अजीम उर्फ अशरफ एवं आबिद जमानत पर हैं, उनके जमानत–पत्र व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं जामींनदारों को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु 1:00 बजे पेश हो।

दिनांक–28.03.2023

(डा0 दिनेश चन्द्र शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एम.पी./एम.एल.ए.)इलाहाबाद
आई0डी0यू0पी0–1529

पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** तथा **खान शौलत हनीफ** के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को दण्ड के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष का कथन है कि अभियुक्त अतीक अहमद के विरूद्व लगभग 50 से अधिक आपराधिक मुकदमें विचाराधीन हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, हत्या का प्रयास एवं गैगेस्टर जैसे संगीन मामले शामिल हैं और यह सभी मुकदमें साक्ष्य के स्तर पर भिन्न–भिन्न न्यायालय में विचाराधीन हैं। अभियुक्त अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण के वादी उमेश पाल की हत्या भी की जा चुकी है। अतः यह प्रकरण विरलतम से विरलतम श्रेणी का प्रकरण हैं। अतः अभियुक्त को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाय एवं अन्य अभियुक्त दिनेश पासी एवं खान शौलत हनीफ को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

अभियुक्तगण का तर्क है कि इस स्तर पर अभियुक्त अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास विचारणीय नहीं है। अभियुक्तगण की यह प्रथम दोषसिद्वि हैं तथा पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जो यह प्रकट करता हो कि उमेश पाल के साथ अत्यधिक क्रूरता की गयी हो। अतः प्रस्तुत प्रकरण विरलतम श्रेणी में नहीं आता है एवं प्रकरण में धारा–364ए भारतीय दण्ड सहिता का सृजन भी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

महान लेखक एडवर्ड जी बुअर ने कहा है कि जब कभी कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है तो स्वर्ग अपराध के साक्षियों को पा जाता है। प्रसिद्व राजनीति शास्त्री बेन्थम ने भी कहा है कि साक्षी न्याय की ऑख और कान होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्षी की महत्ता को वर्णित करते हुए **श्रवण सिंह बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर. (2000) 5 एससीसी 68** में प्रतिपादित किया गया है कि कोई भी आपराधिक वाद विधि की दृष्टि में स्वीकार योग्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। कोई साक्षी न्यायालय में साक्ष्य देकर अपने लोक कर्तव्य का निर्वहन करता है, जिसके आधार पर न्यायालय निर्णय करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जाहिदा हबीबउल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य (2006) 3 एससीसी 374** में भी प्रतिपादित किया है कि संवेदनशील प्रकरण में राज्य का यह दायित्व है कि वह साक्षियों को संरक्षण प्रदान करे। यदि राज्य ऐसे प्रकरण में संरक्षण नहीं प्रदान करता है तो जो लोग राजनीतिक रूप से सशक्त हैं एवं शक्तिशाली है, ऐसे व्यक्ति साक्षी को

प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर विचारण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा उमेश पाल का अपहरण करके उससे राजूपाल हत्याकाण्ड में अभियुक्तगण द्वारा अपने पक्ष में बयान करवाया गया। अभियुक्त खान शौलत हनीफ के हाथ में वह पर्चा मौजूद था, जिसके आधार पर बयान हुआ। यह समस्त परिस्थितियां यह प्रकट करती है कि साक्षी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया और अपने पक्ष में उसका बयान कराया गया। इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था आहत होती है और जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था पर डगमगाता है। प्रस्तुत प्रकरण में न्याय की मंशा यही है कि अभियुक्तगण अतीक अहमद, दिनेश पासी एवं खान शौलत हनीफ को निम्नलिखित दण्डादेश से दण्डित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** को उन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–364ए/34 सपठित धारा–120बी, 147, 323/149, 341,342,504 506 (2) भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में दोषसिद्वि किया जाता है।

अभियुक्तगण **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** प्रत्येक को धारा–364ए/34 सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास एवं मु0 5000/–5000/–रूपये (पांच हजार रूपया) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0 1000/–1000/–रूपये (एक हजार रूपया) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिन का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा–323/149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास एवं मु0 500/–500/–रूपये (पांच सौ रूपया) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिन का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा–341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 15 दिन के साधारण कारावास एवं मु0 300/–300/–रूपये अर्थदण्ड (तीन सौ रूपया) से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक सप्ताह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा–342 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 06 माह का सश्रम कारावास एवं मु0 500/–500/–रूपये (पांच सौ रूपया) अर्थदण्ड

से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक सप्ताह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं मु0 500/–500/–रूपये (पांच सौ रूपया) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक सप्ताह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा–506(2) भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं मु0 1000/–1000/–रूपये (एक हजार रूपया) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त प्रत्येक को धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप में 06 माह के साधारण कारावास एवं मु0 500/–500/–रूपये (पांच सौ रूपया) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

उक्त अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** को उन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–148 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त **अतीक अहमद** एवं **दिनेश पासी** की उपरोक्त सभी सजाऐं साथ–साथ चलेगीं।

अभियुक्त **खान शौलत हनीफ** को उन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–364ए सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्वि किया जाता है तथा अभियुक्त खान शौलत हनीफ को अन्तर्गत धारा–364ए सपठित धारा–120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास एवं मु0 5000/–रूपये (पांच हजार रूपया) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण **अतीक अहमद, दिनेश पासी** एवं **खान शौलत हनीफ** का सजायाबी वारण्ट उपरोक्तानुसार अविलम्ब बनाकर कारागार भेजा जाये।

अभियुक्त **खान शौलत हनीफ** को धारा–147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण **जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली** एवं **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** व **आबिद** को उन पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–364ए, 147, 148, 323/149, 341, 342, 504, 506, 120बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम से तथा अभियुक्त फरहान को अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम के आरोप से **एवं** अभियुक्त खालिद अजीम

उर्फ अशरफ को अन्तर्गत धारा–30 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किये जाते है। अभियुक्तगण जमानत पर है उनके जमानत–पत्र व बधपत्र निरस्त किया जाता है, जामींनदारों को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण **फरहान** एवं **खालिद अजीम उर्फ अशरफ** जेल से हाजिर अदालत आये हैं। यदि उक्त अभियुक्तगण किसी अन्य वाद में वांछित न हो तो उन्हें अविलम्ब रिहा किया जाय।

दोषमुक्त प्रत्येक अभियुक्त उपरोक्त धारा–437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

अभियुक्त अतीक अहमद, दिनेश पासी एवं खान शौलत हनीफ प्रत्येक द्वारा 1,000,00/–1,000,00/–रूपये (एक लाख रूपये) क्षतिपूर्ति के रूप में वादी मुकदमा को देय होगा। चूंकि प्रकरण के वादी मुकदमा की हत्या हो चुकी है। अतः उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि वादी मुकदमा के परिवार को देय होगी।

निर्णय/आदेश की एक प्रति अविलम्ब सजायाफ्ता अभियुक्तो को निःशुल्क प्रदान की जाय।

दिनांक–28.03.2023

(डा0 दिनेश चन्द्र शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एम.पी./एम.एल.ए.)इलाहाबाद
आई0डी0यू0पी0–1529

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–28.03.2023

(डा0 दिनेश चन्द्र शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एम.पी./एम.एल.ए.)इलाहाबाद
आई0डी0यू0पी0–1529